Laws of Uttar Pradesh, 2023
Volume 4 (Part B)
Uttar Pradesh Rules

Judges' Library Publication
High Court of Judicature at Allahabad
Prayagraj

U.P. RULES 2023

(Arranged in Alphabetical)

Vol. 4 Part A

Name of Rules	Page No.
General Provident Fund (Uttar Pradesh) (Amendment) Rules, 2023	1-3
Uttar Pradesh Arbitration and Conciliation Rules, 2020 in 2023	4-7
Uttar Pradesh Arbitration and Conciliation Rules, 2020 CORRIGENDUM 2023	8-9
Uttar Pradesh Ayush Department Ayurvedic Pharmacists Service Rules, 2023	10-22
Uttar Pradesh Ayush Department Unani Pharmacists Service Rules, 2023	23-35
Uttar Pradesh Ayush Department Unani Pharmaceutical Services (First Amendment) Rules, 2023	36-37
Uttar Pradesh Child Labour (Prohibition and Regulation) (First Amendment) Rules, 2023	38-69
Uttar Pradesh District Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officer (First Amendment) Service Rules, 2023	70-77
Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Rules, 2023	78-105
Uttar Pradesh Electricity Reforms (Amalgamation and Merger of State Generating Companies) Scheme, 2023	106-122
Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2023	123-132
Uttar Pradesh Engineer Service (Irrigation Department) (Group "A") (Sixth Amendment) Rules, 2023	133-134
Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw Mills (Seventh Amendment) Rules, 2023	135-136
Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Beer) (Twenty-first Amendment) Rules, 2023	137-181
Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) (Sixteenth Amendment) Rules, 2023	152-224
Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licenses for Model Shop of Foreign Liquor) (Sixteenth Amendment) Rules, 2023	225-268
Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Foreign Liquor Bonded Warehouse (Ninth Amendment) Rules, 2023	269-328

Continued in Vol. 2

U.P. RULES 2023

(Arranged in Alphabetical)

Vol. 4 Part B

Continued from Vol. 1

Name of Rules	*Page No.*
Uttar Pradesh Excise Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer) (Twenty First Amendment) Rules, 2023	329-372
Uttar Pradesh Finance and Accounts Service (Second Amendment) Rules, 2023	373-374
Uttar Pradesh Fisheries (Gazetted) Service (Second Amendment) Rules, 2023	375-376
Uttar Pradesh Geology and Mining Directorate Subordinate Technical Services (Third Amendment) Rules, 2023	377-380
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fifty-eighth Amendment) Rules, 2023	381-383
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fifty-Ninth Amendment) Rules, 2023	384-418
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixtieth Amendment) Rules, 2023	419-421
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixty-First Amendment) Rules, 2023	422-448
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixty-Second Amendment) Rules, 2023	--
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixty-Third Amendment) Rules, 2023	449-457
Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Fourteenth Amendment) Rules, 2023	458-462
Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Fifteenth Amendment) Rules, 2023	463-465
Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Sixteenth Amendment) Rules, 2023	466-473
Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Chhabbeeswan Sanshodhan) Rules, 2023	474-485
Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sattaeeswan Sanshodhan) Rules, 2023	486-490
Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Atthaswan Sanshodhan) Rules, 2023	491-494
Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Crusher Units Gur and Khandsari) Compounding of Market Fee) Order, 2023	495-501
Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Work (Second) Amendment) Rule, 2003	502-504
Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty-Ninth Amendment) Rules, 2023	505-522
Uttar Pradesh Motor Vehicles (Thirtieth Amendment) Rules, 2023	523-526
Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023	527-530
Uttar Pradesh Police Service (Second Amendment) Rules, 2023	531-536
Uttar Pradesh Printing and Stationery Security Service Rules, 2023	537-551
Uttar Pradesh Private Security Agency Rules, 2023	552-598

Name of Rules	*Page No.*

Uttar Pradesh Public Works Department Assistant Engineer (Electrical and Mechanical Branch) Service (Second Amendment) Rules, 2023	599-606
Uttar Pradesh Revenue Code (Fifth Amendment) Rules, 2023	607-610
Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities (Second Amendment) Rules, 2023	611-613
Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board (Sixth Amendment) Rules, 2022 in 2023	614-619
Uttar Pradesh State Property Department Reception Cadre Service Rules, 2023	620-631
Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Naib Tehsildar) Service (Third Amendment) Rules, 2023	632-634
Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service (Second Amendment) Rules, 2023	635-639
Uttar Pradesh Vintnery (Third Amendment) Rules, 2023	640-643
Uttar Pradesh Zila Panchayat Executive Engineer (Civil) Central Transitional Cadre, Service Rules, 2023	644-651

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—129

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 21 जुलाई, 2023 ई0

(आषाढ़ 30, 1945 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-4188/दस-लाइसेंस-61/वि0म0 फुटकर नियमावली /2023-2024

प्रयागराज, दिनांक 21 जुलाई, 2023 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0—32

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिसूचना सं0 10806/दस-97 बी संसाधन दिनांक 08 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर और वाइन को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों की व्यवस्थापन नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः—

उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों की व्यवस्थापन (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों की व्यवस्थापन **(इक्कीसवाँ संशोधन)** नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम-2-का संशोधन– उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमावली, 2001 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2 (1) परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-	2 (1) परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-
(क)"अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;	(क)"अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
(ख)"अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रूपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से पूर्व-आसवनी मूल्य के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी तथा थोक लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी;	(ख)"अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रूपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से पूर्व-आसवनी मूल्य के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी तथा थोक लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी;
(ग) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा और वाइन पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;	(ग) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा और वाइन पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;
(घ) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण आबकारी वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;	(घ) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण आबकारी वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;
(ङ) "धरोहर धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;	(ङ) "धरोहर धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;
(च)"आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;	(च)"आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(छ) "परिवार" का तात्पर्य इसमें दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित-पुत्री/पुत्रियाँ और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं;	(छ) "परिवार" का तात्पर्य इसमें दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित-पुत्री/पुत्रियाँ और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं;
(ज) "विदेशी मदिरा" का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गई स्पिरिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्पिरिट या मदिरा, जिससे कि वह सुगन्ध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हो और उसमें माल्ट स्पिरिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, वाइन, मदिरा (लिक्युअर्स) और कम तीव्रता के मादक पेय सम्मिलित हैं;	(ज) "विदेशी मदिरा" का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गई स्पिरिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्पिरिट या मदिरा, जिससे कि वह सुगन्ध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हो और उसमें माल्ट स्पिरिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, वाइन, मदिरा (लिक्युअर्स) और कम तीव्रता के मादक पेय सम्मिलित हैं;
(झ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है,	(झ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है,
(ञ) "अनुक्रम"का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रुप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;	(ञ) "अनुक्रम" का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रुप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;
(ट) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;	(ट) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;
(ठ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से विदेशी मदिरा एवं वाइन की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल फीस के रुप में ली जाने वाली नियत राशि से है; परन्तु यह कि यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस की देयताओं का निर्धारण वर्ष की शेष आबकारी अवधि के समानुपातिक किया जायेगा;	(ठ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से विदेशी मदिरा एवं वाइन की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल फीस के रुप में ली जाने वाली नियत राशि से है; परन्तु यह कि यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस की देयताओं का निर्धारण वर्ष की शेष आबकारी अवधि के समानुपातिक किया जायेगा;
(ड)"लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है;	(ड)"लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ढ)''कम तीव्रता के मादक पेय(एल0ए0बी0)''का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य किसी द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय ;	(ढ) ''कम तीव्रता के मादक पेय(एल0ए0बी0)''का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य किसी द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय ;
(ण)''पोर्टल'' का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;	(ण)''पोर्टल'' का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;
(त) ''त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के त्रैमास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत विदेशी मदिरा, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय से प्राप्त समान राजस्व से है;	(त) **''मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के **माह** में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु विदेशी मदिरा, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय से प्राप्त **समतुल्य** राजस्व से है;
(थ)"प्रतिभूति धनराशि "का तात्पर्य लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/ बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा जमा की जायेगी जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है; परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन०एस०सी०) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;	(थ)"प्रतिभूति धनराशि "का तात्पर्य लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा जमा की जायेगी, जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है; परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद**/ई-पेमेन्ट** या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन०एस०सी०) **अथवा बैंक गांरण्टी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(द) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;	(द) ''व्यवस्थापन''का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;
(ध)''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।	(ध)''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।
(न) राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;	(न) राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;
(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।	(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

3-नियम-6 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6 लाइसेंस की स्वीकृति	6 लाइसेंस की स्वीकृति
इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने एवं जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/ बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।	इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने एवं जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।
परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस, स्वीकृति के समय जारी किया गया है।	परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद**/ई-पेमेन्ट** या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) **अथवा बैंक गांरण्टी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस, स्वीकृति के समय जारी किया गया है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

4-नियम-7 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

7- लाइसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन-

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस निमित्त आन-लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

(ख) विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची दुकानवार लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में अधिसूचित विज्ञप्ति में दी गई समय-सारिणी के अनुसार आनलाइन जमा किये जायेगें। आवेदन के साथ (एक) ऋणशोधन क्षमता पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र (दो) आधार कार्ड, (तीन) पैन कार्ड, (चार) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति (पॉच) विहित प्रारुप में शपथ पत्र (छः) धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हों, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस व उस पर संदेय मूल्य संवर्धित कर/माल और सेवा कर का भुगतान आन लाइन किया जायेगा।

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

7- लाइसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन-

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार और आबकारी विभाग की वेबसाइट **(www.upexciseportal.in)** के साथ-साथ जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस निमित्त आन-लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

(ख)विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची दुकानवार लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट **(www.upexciseportal.in)** के साथ-साथ प्रत्येक जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(ग)लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में अधिसूचित विज्ञप्ति में दी गई समय-सारिणी के अनुसार आनलाइन जमा किये जायेंगे आवेदन के साथ (एक) ऋणशोधन क्षमता **प्रमाणपत्र** अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र **(दो) पैन कार्ड,** (तीन) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति (चार) विहित प्रारुप में शपथ पत्र (पॉच) धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हों, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस व उस पर संदेय मूल्य संवर्धित कर/माल और सेवा कर का भुगतान आन लाइन किया जायेगा।

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों और आबकारी विभाग की वेबसाइट **(www.upexciseportal.in)** में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

5-नियम-8 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8-आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तेः-	8-आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तेः-
फुटकर विदेशी मदिरा की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-	फुटकर विदेशी मदिरा की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-
(क) आवेदन एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो जो भारत का नागरिक हो, भी मान्य होगा।	(क) आवेदन एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो जो भारत का नागरिक हो, भी मान्य होगा।
भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/ मदिरा निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।	भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/ मदिरा निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।
दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है;	दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में **लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र (यदि कोई हो) के अनुसार विधिक वारिसों/ परिवार के सदस्यों/निकट** सम्बन्धियों, **के नाम यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में वर्णित वरीयता के अनुसार विचारित किये जायेंगे।** **परन्तु यह कि मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस यदि अन्यथा पात्र है लाइसेंस की अवशेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।**
परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसों) के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारी बना रह सकेगा या दोनो व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंसधारक बने रह सकते हैं।व्यक्तियों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे;	परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति एवं **उपर्युक्तानुसार चयनित** मृत **लाइसेंसधारी का विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बने रह सकते है।** व्यक्तियों के **विधिक दायित्वों** में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।	(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।
(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो;	(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो;
(गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वंय के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों आवेदन हेतु पात्र होगें तथा नवीकरण हेतु दोनों की पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी;	(गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए **स्वयं** के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों आवेदन हेतु पात्र होगें तथा नवीकरण हेतु दोनों की पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी;
(घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगाः-	(घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगाः-
(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है;	(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है;
(दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है;	(दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है;
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो;	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो;
(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।	(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से प्राधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा।	(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय के उपरान्त** प्राधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त **नौकरनामा** प्राप्त करेगा।
(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।
(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
(आठ) यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।	(आठ) यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।	(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।
(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर चयन के अड़तालीस घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे ऑन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया हो, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।	(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर चयन के अड़तालीस घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे ऑन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया हो, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।
(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।	(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति, आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।	(ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति, आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।
लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् अडतालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा,जिसे सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिया जायेगा;	लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् अडतालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा,जिसे सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिया जायेगा;
(च) यह कि आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/ प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नही होगी;	(च) यह कि आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/ प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नही होगी;
परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।	परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

6-नियम-10 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10-लाइसेंसधारी का चयन-	10-लाइसेंसधारी का चयन-
(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन दुकानों के लाइसेंसों का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।	(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन दुकानों के लाइसेंसों का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।
(दो) लाइसेंसों के नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा।जिला आबकारी अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त पात्र एवं अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष रखेगा;	(दो) लाइसेंसों के नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा।जिला आबकारी अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त पात्र एवं अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष रखेगा;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) उक्त समिति पात्र तथा अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधानी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में उसी अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी;	(ख) उक्त समिति पात्र तथा अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधानी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में उसी अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी;
परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसधारी की मृत्यु की स्थिति में लाइसेंसो के नवीकरण एवं विधिक वारिस के पक्ष में लाइसेंस के नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगा।	**परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन, लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों की मृत्यु की स्थिति में नियम-8(क) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मृत लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों के विधिक वारिस/ परिवार के सदस्य/ निकट सम्बन्धी के पक्ष में लाइसेंस के नवीकरण और नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगा।**
परन्तु यह और भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से आगे की दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा;	परन्तु यह और भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से आगे की दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा;
(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएं पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा;	(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएं पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा;
(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।	(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

7-नियम-12 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-

यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से जो सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

अनुवर्ती वर्ष में दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा, नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समयावधि में जमा की जायेगी;

परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;

परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का 15 प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-

यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि, **सावधि जमा रसीद के माध्यम से** जो सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) **अथवा बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

अनुवर्ती वर्ष में दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा, नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समयावधि में जमा की जायेगी;

परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;

परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का 15 प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

8-नियम-13 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम-13 मदिरा का उठान- (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी का लाइसेंस स्वीकृत नहीं है या आपूर्ति बाधित है तो लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित)की आपूर्ति प्राप्त करेगा।	नियम-13 मदिरा का उठान- (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी का लाइसेंस स्वीकृत नहीं है या आपूर्ति बाधित है तो लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित)की आपूर्ति प्राप्त करेगा।
किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।	किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
(ख) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु लगातार विदेशी मदिरा का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम गत वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठायी गयी अथवा प्रत्येक त्रैमास हेतु यथागणित कर निर्धारित की गयी विदेशी मदिरा की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की विदेशी मदिरा की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा;	(ख) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु लगातार विदेशी मदिरा का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। **उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम शासन द्वारा विदेशी मदिरा का किसी माह हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की विदेशी मदिरा की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा;**
(ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी त्रैमास में कम से कम अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा(विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है, तो अगले त्रैमास हेतु उठान रोक दी जायेगी;	(ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी **माह में कम से कम अपने मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय) का उठान करने में विफल रहता है तो वह सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के अंदर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस स्वत: निरस्त हो जायेगा और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की प्रकिया आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टाक भी जब्त कर लिया जायेगा।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) लाइसेंसधारी विलम्बमर्षण हेतु एवं उस त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य मदिरा उठाने के लिए एक शपथ पत्र के साथ अनुरोध करेगा। विलम्ब मर्षित किये जाने पर लाइसेंसधारी, त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा;	(दो) **अतिरिक्त प्रतिभूति नियत समय के भीतर जमा करने और गत माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य मदिरा उठाने में विलम्ब के मर्षण के पश्चात लाइसेंसधारी को गतमाह के बकाया राजस्व और चालू माह के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का उठान अनुमन्य होगा।**
(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी;	(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले **माह के मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत **माह** में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी;
(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक त्रैमासों की त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी;	(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक **माहो** की **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी;
यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उस प्रकार से की जायेगी मानों यह भू-राजस्व का बकाया हो;	यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति, राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उस प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो;
(घ) (एक) अपनी दुकान के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, अन्य दुकान अथवा दुकानों को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर त्रैमासिक आधार पर ऐसे अंश(कोटा) का ऐसा अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।	(घ) (एक) अपनी दुकान के **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, अन्य दुकान अथवा दुकानों को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर **मासिक** आधार पर ऐसे अंश(कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।
(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।	(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा। परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा। परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

9-नियम-15 का संशोधन—उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
15-बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी-अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्यान्ह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।	15-बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी-अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्यान्ह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। **परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।**

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

10- प्रपत्र-एफ0एल0-5(घ) और एफ0एल0 5घ (1) का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र-एफ0एल0-5(घ) और एफ0एल0 5घ (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

(विद्यमान प्रपत्र)

विदेशी मदिरा-5 (घ)

(नवीकरण हेतु)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/कैन/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर ....
लाइसेंस संख्या ....
जिला ....
दुकान का नाम .... जिला ....
लाइसेंस फीस रूपया .... (अंकों में)
.... (शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रू0 .... (अंकों में)
.... (शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) ....
उत्तर : ....
दक्षिण : ....
पूरब : ....
पश्चिम: ....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1) ....पुत्र .... निवासी ....
(2) .... पुत्र .... निवासी ....

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/कैन/टेट्रापैक में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में)और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतदद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला .... के अन्तर्गत .... स्थान, पुलिस थाना ...., तहसील....................... के लिए दिनांक .... से 31 मार्च 20 ...... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

स्तम्भ-2

(एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)

विदेशी मदिरा-5 (घ)

(नवीकरण हेतु)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द कॉच और पेट **बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक** में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर ....
लाइसेंस संख्या ....
जिला ....
दुकान का नाम .... जिला ....
लाइसेंस फीस रूपया .... (अंकों में)
.... (शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रू0 .... (अंकों में)
.... (शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) ....
उत्तर :..
दक्षिण : ....
पूरब : ....
पश्चिम: ....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1) .... पुत्र .... निवासी ....
(2) .... पुत्र .... निवासी ....

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/**असेप्टिक ब्रिक पैक** में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में)और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतदद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला .... के अन्तर्गत .... स्थान, पुलिस थाना ...., तहसील .... के लिए दिनांक .... से 31 मार्च 20 ...... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1

(विद्यमान प्रपत्र)

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1-लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक्स के लेबुलों पर 1X1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में तीव्रता एव अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4-अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

स्तम्भ-2

(एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के **अध्यधीन** रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का **अथवा इस नियमावली का** व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1- लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-विदेशी मदिरा , वाइन की बोतलों/**असेप्टिक ब्रिक पैक** के लेबुलों पर **दायी ओर शीर्ष पर** 1X1 सेंटीमीटर के **स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में** तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4-अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

स्तम्भ-1 (विद्यमान प्रपत्र)	स्तम्भ-2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)
5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।	5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।
6-विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा तथा वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/ कैन्स/टेट्रापैक में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।	6- विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा , वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/ **असेप्टिक ब्रिक पैक** में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली.,375 मि.ली.,180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।
7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज.इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।	7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज.इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।	8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/ **असेप्टिक ब्रिक पैक** की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।
9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-	9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

स्तम्भ-1 (विद्यमान प्रपत्र)	स्तम्भ-2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)
'' >दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।	'' >दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।
>शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''	>शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''
10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा** तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11- लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम(व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) औरभारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।	11- लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम(व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।
12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।	12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।
13-लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिताकी बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड,पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढ़क्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।	13-लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिताकी बोतलों/ **असेप्टिक ब्रिक पैक** या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड,पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढ़क्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
14-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।	14-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।	15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1

(विद्यमान प्रपत्र)

16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

17-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।

18-विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।

21-विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।

22- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

दिनांक ....

जिला............................

लाइसेंस प्राधिकारी

स्तम्भ-2

(एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)

16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

17-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।

परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।

18-विदेशी मदिरा, की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।

21-विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा **एवं बियर** का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।

22-लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी शुल्क जमा होने पर तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

दिनांक ....

जिला............................

लाइसेंस प्राधिकारी

स्तम्भ-1

(विद्यमान प्रपत्र)

विदेशी मदिरा-5 घ (1)

(नवीन लाइसेंस हेतु)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदककाफोटो | दुकानकाफोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर ....

लाइसेंस संख्या ....

जिला ....

दुकान का नाम ....जिला ....

लाइसेंस फीस रूपया .... (अंकों में)

.... (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0 .... (अंकों में)

.... (शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) ....

उत्तर :...

दक्षिण : ....

पूरब :...

पश्चिम:...

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1)........................पुत्र...........निवासी.........................

(2).......................पुत्र............निवासी.......................

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/कैन/टेट्रा पैक में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में)और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतदद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला .... के अन्तर्गत .... स्थान, पुलिस थाना ...., तहसील .... के लिए दिनांक .... से 31 मार्च 20 ...... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

स्तम्भ-2

(एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)

विदेशी मदिरा-5 घ (1)

(नवीन लाइसेंस हेतु)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द कॉच और पेट /**असेप्टिक ब्रिक पैक** में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदककाफोटो | दुकानकाफोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर ....

लाइसेंस संख्या ....

जिला ....

दुकान का नाम .... जिला ....

लाइसेंस फीस रूपया .... (अंकों में)

.... (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0 .... (अंकों में)

.... (शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) ....

उत्तर :...

दक्षिण : ....

पूरब :...

पश्चिम:...

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1)...............पुत्र...........निवासी ......

(2)................पुत्र.........निवासी ......

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/**असेप्टिक ब्रिक पैक** में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में)और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतदद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला .... के अन्तर्गत .... स्थान, पुलिस थाना ...., तहसील .... के लिए दिनांक .... से 31 मार्च 20...... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1-लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक्स के लेबुलों पर 1X1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में तीव्रता एव अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4-लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के **अध्यधीन** प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का **अथवा इस नियमावली का** व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1- लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3- विदेशी मदिरा , वाइन की बोतलों/**असेप्टिक ब्रिक पैक** के लेबुलों पर **दायी ओर शीर्ष पर** 1X1 सेंटीमीटर के **स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में** तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4-अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6- विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा तथा वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।	6- विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा , वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/ **असेप्टिक ब्रिक पैक** में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली.,375 मि.ली.,180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।
7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइजऑनलाइनडॉटइन (upexciseonline.in) पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।	7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज.इन पोर्टल पर **एस.एम.एस. के माध्यम से** अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।	8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/ **असेप्टिक ब्रिक पैक** की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।
9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः- '' >दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। >शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''	9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः- '' >दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। >शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा** तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11-लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम(व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) औरभारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।	11- लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम(व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।
12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।	12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।
13-लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिताकी बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड,पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढ़क्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।	13-लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली.,750 मि.ली.,500 मि.ली.,375 मि.ली.,180 मि.ली.,90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिताकी बोतलों/**असेप्टिक ब्रिक पैक** या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड,पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढ़क्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
14-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्पिरिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।	14-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।	15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।
16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।	16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
17-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।	17-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा। **परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।**
18-विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	18-विदेशी मदिरा, की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।	19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।	20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।
21-विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।	21-विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा **एवं बियर** का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।
22- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूचीजिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।	22-लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।जिला आबकारी अधिकारी शुल्क जमा होने पर तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।
दिनांक.......................... जिला............................. लाइसेंस प्राधिकारी	दिनांक.......................... जिला............................. लाइसेंस प्राधिकारी

आज्ञा से,

(सेंथिल पांडियन सी0),

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 4188 /X-Licence-61/F.L. Retail Niyamawali/2023-24

Prayagraj, dated: July 21, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no-IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to **amend** the Uttar Pradesh Excise Settlement of licences for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer and Wine) Rules, 2001 published vide **Notification** no. 10806/X- 97B/Sansdhan dated March 08, 2001.

THE UTTAR PRADESH EXCISE SETTLEMENT OF LICENCES FOR RETAIL SALE OF FOREIGN LIQUOR (EXCLUDING BEER) (TWENTY FIRST AMENDMENT) RULES, 2023

1. Short title and Commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer) **(Twenty First** Amendment) Rules, **2023**.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2023.

2. Amendement of rule-2– In the Uttar Pradesh Excise Settlement of **L**icences for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer) Rules, 2001, **(**herein **af**ter referred to as the **"**said rules**")** for **the existing** rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
2(1)Definition:-	2(1)Definition:-
In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-	In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
(a)"Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;	(a)"Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;
(b)"Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;	(b)"Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;
(c) "consideration fee" means a fee for foreign liquor and wine as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of foreign liquor and wine;	(c) "consideration fee" means a fee for foreign liquor and wine as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of foreign liquor and wine;
(d) "Daily Licence Fee" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole excise year;	(d)"Daily Licence Fee" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole excise year;
(e) "Earnest money" means the amount equal to 1/10 of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these Rules;	(e) "Earnest money" means the amount equal to 1/10 of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these Rules;
(f) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;	(f) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(g)"family"means and included spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;	(g)"family"means and included spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter (s) and dependent parents;
(h)"Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Liqueurs and Low- strength Alcoholic Beverages (LAB);	(h)"Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Liqueurs and Low-strength Alcoholic Beverages (LAB);
(i) "Form" means the form appended to these rules;	(i) "Form" means the form appended to these rules;
(j) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery;	(j) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery;
(k)"Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application;	(k)"Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application;
(l) "Licence fee" means a sum fixed in consideration fee for the grant of the licence for exclusive privilege for selling of foreign liquor, wine in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof: Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the excise year;	(l) "Licence fee" means a sum fixed in consideration fee for the grant of the licence for exclusive privilege for selling of foreign liquor, wine in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof: Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the excise year;
(m)"Licensing Authority" means the Collector of the District;	(m)"Licensing Authority" means the Collector of the District;
(n) "Low-strength Alcoholic Beverages (LAB)" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol up to 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Neutral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavoring or coloring matter or both and any other material so as to give it a special flavor;	(n) "Low-strength Alcoholic Beverages (LAB)" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol up to 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Neutral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavoring or coloring matter or both and any other material so as to give it a special flavor;
(o)"Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;	(o)"Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;
(p) "Quarterly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Foreign liquor, Wine and LAB as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a quarter of an Excise year for the purpose of retail sale;	(p) "**Monthly** Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Foreign liquor, Wine and LAB as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a **month** of an Excise year for the purpose of retail sale;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(q) "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed deposit receipt/Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government: Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded;	(q) "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through **Fixed deposit receipt pledged in favor of** District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government: Provided that in case of renewal, security deposited **earlier through** cash/**e-payment** or through National Saving Certificate (N.S.C.) **or Bank Guarantee** shall be acceptable till it is not refunded;
(r)"Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department; The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;	(r)"Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department; The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;
(s)"Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence;	(s)"Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence;
(t) "State" means the State of Uttar Pradesh.	(t) "State" means the State of Uttar Pradesh.
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendment of rule-6–In the said rules, for the existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
6. Grant of licence	6. Grant of licence
The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt/ Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules:	The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through **Fixed Deposit Receipt pledged** in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules:
Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.	Provided that in case of renewal, security deposited **earlier through** cash/**e-payment** or through National Saving Certificate (N.S.C.) or **Bank Guarantee** shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

4. Amendment of rule-7–In the said rules, for the existing rule 7 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
7-Application for grant of licence	7-Application for grant of licence
(a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality the Licensing Authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily newspapers having circulation in that area and website of the district as well as website of the Excise Department (www.upexcise.in).	(a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality the Licensing Authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily newspapers having circulation in that area and website of the district as well as website of the Excise Department **(www.upexciseportal.in)**
(b)A list of the retail shops of foreign liquor for which the Collector propose to grant licence shall be exhibited along-with shop wise licence fee, security amount, and the earnest money at the Collector's office, Tehsil offices and the offices of the District Excise Officer and the Deputy Excise Commissioner of the charge. This information shall be displayed on the website of Excise Department (www.upexcise.in) along with the website of each District.	(b)A list of the retail shops of foreign liquor for which the Collector propose to grant licence shall be exhibited along-with shop wise licence fee, security amount, and the earnest money at the Collector's office, Tehsil offices and the offices of the District Excise Officer and the Deputy Excise Commissioner of the charge. This information shall be displayed on the website of Excise Department **(www.upexciseportal.in)** along with the website of each District.
(c) Application for grant of license shall be submitted online as per time schedule advertised in newspapers. It shall be compulsory to upload a photocopy of (i) Solvency certificate, or certificate of own property issued by authorized Income Tax Valuer (ii) Aadhar Card, (iii) PAN Card, (iv) Photocopy of Income tax return of the preceding year (v) Affidavit in the prescribed format (vi) Scanned copy of bank draft of earnest money which is issued in favour of District Excise Officer of the district of the concern shop. Payment of processing fee shall be made online at the rate as fixed by the State Government and Value Added Tax/Goods and Services Tax payable on the same.	(c) Application for grant of license shall be submitted online as per time schedule advertised in newspapers. It shall be compulsory to upload a photocopy of **(i) Solvency certificate, or certificate of own property issued by authorized Income Tax Valuer (ii) PAN Card, (iii) Photocopy of Income tax return of the preceding year (iv) Affidavit in the prescribed format (v)** Scanned copy of bank draft of earnest money which is issued in favour of District Excise Officer of the district of the concern shop. Payment of processing fee shall be made online at the rate as fixed by the State Government and Value Added Tax/Goods and Services Tax payable on the same.
(d)The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than such number of days as stipulated, in advertisement in the newspaper and the website of Excise Department (www.upexcise.in).	(d)The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than such number of days as stipulated, in advertisement in the newspaper and the website of Excise Department (www.upexcise.in).

5.Amendment of rule 8– In the said rules, for the existing rule-8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
8-Eligibility conditions for applicant-	8-Eligibility conditions for applicant-
Eligible applicant for licence of a retail foreign liquor shop shall fulfill following conditions, namely:-	Eligible applicant for licence of a retail foreign liquor shop shall fulfill following conditions, namely:-
(a) Application by an individual who is a citizen of India: "Provided that in case of renewal, co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed.	(a) Application by an individual who is a citizen of India: "Provided that in case of renewal, co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ Manufacturer of liquor shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.	No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ Manufacturer of liquor shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.
No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:	No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee**, the names of legal heirs/family members/close relatives mentioned as nominee in the nomination affidavit (if any) given by licencee shall be considered as per priority mentioned in the nomination affidavit, if otherwise not ineligible, to hold the license for the remaining period of the license:**
Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible;	**Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:** **Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the nominee or legal heir of the deceased licensee, selected as above, if otherwise eligible, may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible;**
(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application;	(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application;
(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under Act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license;	(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under Act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license;
(cc) the applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential ;	(cc) the applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential ;
(d)submit an affidavit duly verified by public notary as proof of the following namely:-	(d)submit an affidavit duly verified by public notary as proof of the following namely:-

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time;	(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time;
(ii)that his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules;	(ii)that his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules;
(iii)that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non bailable offence;	(iii)that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non bailable offence;
(iv)that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, prior to issuance of licence;	(iv)that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, prior to issuance of licence;
(v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer;	(v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain **Naukarnama** bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time.**
(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues;	(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues;
(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required;	(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required;
(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled;	(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled;
(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the State Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence;	(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the State Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence;

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(x) that In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within forty eight hours of such selection;	(x) that In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within forty eight hours of such selection;
(xi) that he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase;	(xi) that he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase;
(e) That he shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government;	(e) That he shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government;
In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues;	In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues;
(f) That he is holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district:	(f) That he is holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district:
Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount;	Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount;

6. Amendment of rule 10– In the said rules, for the existing rule-10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
10- Selection of licensee-	10- Selection of licensee-
(a) (i) Licenses of shops may be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government.	(a) (i) Licenses of shops may be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government.
(ii) In case of non-renewal, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender;	(ii) In case of non-renewal, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State:	(b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State:
Provided that aforesaid restriction limit shall not be applicable to matter related to renewal of licenses and mutation of licence in favour of legal heir in the event of death of licencee as per the criteria laid down by the State Government;	**Provided that the aforesaid restriction limit shall not be applicable to matter related to renewal and mutation of licences in favour of legal heir/family member/close relative of deceased licencee/licencees in the event of death of licencee/licencees as per procedure mentioned in rule-8(a):**
Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery;	Provided **further** that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery;
(c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or a unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government;	(c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or a unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government;
(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.	(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.

7. Amendment of rule 12– In the said rules, for the existing rule-12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
12.Payment of License fee and Security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable until it is not refunded.	12. Payment of License fee and Security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal, security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) **or Bank Guarantee** shall be acceptable until it is not refunded.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Column I

Existing rule

In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government, Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government:

Provided, if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled:

Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

Column II

Rule as hereby substituted

In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government, Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government:

Provided, if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled:

Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

8. Amendment of rule 13– In the said rules, for the existing rule-13 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I

Existing rule

13-Lifting of liquor-

(a) The licensee under these rules shall obtain supplies of Foreign liquor including Wine from any wholesale licence (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of cost price of Foreign Liquor, including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the F.L.-2 /F.L.2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of Foreign liquor including wine , from wholesale licence (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner

In case of insufficient supply of any district, District excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner;

(b) "Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign liquor to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal, requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or, message to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter foreign liquor, at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of foreign liquor lifted in the preceding year or as calculated for each quarter;

Column II

Rule as hereby substituted

13-Lifting of liquor-

(a) The licensee under these rules shall obtain supplies of Foreign liquor including Wine from any wholesale licence (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of cost price of Foreign Liquor, including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the F.L.-2 /F.L.2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of Foreign liquor including wine , from wholesale licence (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner

In case of insufficient supply of any district, District excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner;

(b) Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign liquor to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal, requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or, message to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each **month** foreign liquor, at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of foreign liquor **for** a **month fixed by government**;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(C)(i) Provided, In case the licensee fails to lift liquor (foreign liquor, wine and LAB) at least equivalent to his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in a quarter, lifting for the next quarter shall be withheld;	(C)(i) **In** case the licensee fails to lift liquor (foreign liquor, wine and LAB) at least equivalent to **fixed Monthly** Minimum Guaranteed Revenue in **a month**, **then he shall be expected to deposit the additional security equivalent to remaining part of revenue of concerned month within 10 days, failing which the licence shall stand cancelled automatically and further proceedings shall be initiated to recover the loss of revenue as per Rules. The unsold stock on the shop shall also be confiscated.**
(ii) The licensee shall make a request for condonation of delay and for lifting of liquor equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of that quarter along with an affidavit. Upon condonation, the licensee shall deposit an additional security equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue;	(ii)**After deposit of additional security made within the stipulated time and delay being condoned in lifting the shortfall in Monthly Minimum Guaranteed Revenue of previous month, licensee shall be allowed to lift the short fall in revenue of previous month along with the Minimum Guaranteed Revenue of the current month.**
(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of liquor equivalent to such shortfall in previous quarter along with Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the next quarter;	(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of liquor equivalent to such shortfall in previous **month** along with **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of the next **month**;
(iv) In case licensee fails to lift liquor equivalent to the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of one or more quarters before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded. If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue ;	(iv) In case licensee fails to lift liquor equivalent to the **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of one or more **months** before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded. If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue ;
(d)(i)The licensee desiring to transfer Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of his shop, which he is not able to lift, to another shop or shops, may be allowed such transfer of such portion(quota) on quarterly basis, within an excise district;	(d)(i) The licensee desiring to **transfer a part of Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of his shop, which he is not able to lift, to another shop or shops, may be allowed such transfer of such portion(quota) on **monthly** basis, within an excise district;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(ii) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually;	(ii)The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually;
(iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligations regarding lifting of his original quota shall not be affected;	(iii)On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligations regarding lifting of his original quota shall not be affected;
Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee.	Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee.

9. Amendment of rule 15– In the said rules, for the existing rule-15 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
15- Hours of the sale and closure of shops-	15- Hours of the sale and closure of shops-
The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 p.m.except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.	The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified by the Licensing Authority, he may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds**:** **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

10. Amendment of Form F.L.-5B and F.L. 5B (1)– In the said rules, for the existing Form F.L.-5B and F.L. 5B (1) set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I

Existing Forms

F.L.--5(D)

(FOR RENEWAL)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed Bottles/Cans/ TetraPacks for consumption "off" the premises

Photo of applicant	Photo of co-applicant

Photo of shop

Latitude/Longitude of shop………...................................…
Licence No……………………………………................……..
District……………………………………...............………
Name of shop ……………….……….................................…..
Licence fee Rs…… (in figures)…........……… (in words)
Security amount Rs….(in figures)…........…… (in words)

Description of premises (without boundaries)
North……………………………………........................…
South……………………………………........................…
East……………………………………...........................
West……………………………………........................…

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---
1……………s/o………………….…R/o……..................…
2……………s/o ……………………R/o……...................…

Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/ Tetra Packs of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack ,wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder(s) …. at …………………… (place) in P.S. ………………. Tehsil ……………. in the District of ……………. w.e.f. ………….. to March 31, 20 …………………… for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

Column II

Forms as hereby substituted

F.L.-5(D)

(FOR RENEWAL)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed **Glass and PET Bottles/ Aseptic Brick Pack** for consumption "off" the premises

Photo of applicant	Photo of co-applicant

Photo of shop

Latitude/Longitude of shop ………...................................…
Licence No ……………………………………..................
District ………………………………………...............…
Name of shop ……………………………..........................
Licence fee Rs…........… (in figures) ………… (in words)
Security amount Rs….(in figures) ……........…. (in words)

Description of premises (without boundaries)
North……………………………………........................…
South……………………………………........................
East……………………………………........................…..
West……………………………………........................…

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---
1……………s/o……………………R/o……...................…
2……………s/o ……………………R/o……….................

Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/ **Aseptic Brick Pack** of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack, wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder(s) …. at ……….. (place) in P.S. ………………. Tehsil ……………. in the District of ……………. w.e.f. ………….. to March 31, 20 …………………… for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with Rule-6.

The licence is subject to the following special & general conditions, the **infraction of any of which or these rules or a** conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

Column I

Existing rule

General and special conditions

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Maximum retail price and strength shall be printed in visible words of 1x1 centimeter on the lable of bottles/cans/ tetra packs of Foreign Liquor and wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.
4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.
5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person.
6. The sale shall be made in sealed bottles/cans/tetra packs of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack of Foreign liquor and Wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/cans/ tetra packs as per prescribed security code under the Track and Trace System.

Column II

Rule as hereby substituted

General and special conditions

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/F.L.2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Maximum retail price and strength shall be printed in visible **bold font** of 1x1 centimeter **on the right top of labels of bottles/ Aseptic Brick Pack** of foreign liquor, wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.
4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.
5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person.
6. The sale shall be made in sealed bottles/**Aseptic Brick Pack** of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack of foreign liquor, wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/ **Aseptic Brick Pack** as per prescribed security code under the Track and Trace System.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."	9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."
10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.	10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.	11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.
12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years.	12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years.
13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles /cans/tetrapacks in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.	13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles/**Aseptic Brick Pack** in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.
14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.	14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.
15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.	15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.	16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.
17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.	17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and up to 3 more days as notified by the Licensing Authority, he may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds**:** **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**
18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.	18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of foreign liquor for which licence is granted.
19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officerq for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.	19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.	20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.	21. No Country Liquor **and beer** should be stored in Foreign Liquor premises.
22. The licensee shall submit the list of salesman to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	22. The licensee shall submit the list of salesman to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall **accordingly issue** Naukarnama in prescribed form **after payment of fixed fee**.
Date………………………..	Date………………………..
District…………………….	District…………………….
Licensing Authority	Licensing Authority

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Column I

Existing rule

F.L.—5 D (1)

(FOR NEW LICENCE)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed Bottles/Cans/TetraPacks for consumption "off" the premises

Photo of applicant	Photo of shop

Latitude/Longitude of shop……….................................…

Licence No…………………………………..................……..

District………………………………................………

Name of shop …………….……….......................................

Licence fee Rs…… (in figures)…........……… (in words)

Security amount Rs….(in figures)….........…… (in words)

Description of premises (without boundaries)

North……………………………………................................…

South……………………………………...........................…

East……………………………………….............................

West…………………………………….............................…

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---

1……………s/o……………………R/o……................…

2……………s/o ……………………R/o……................…

Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/ Tetra Packs of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack ,wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder(s) …. at …………………… (place) in P.S. ………………. Tehsil ……………. in the District of ……………. w.e.f. …………… to March 31, 20 …………………… for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws

Column II

Rule as hereby substituted

F.L.—5 D (1)

(FOR NEW LICENCE)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed **Glass and PET Bottles/ Aseptic Brick Pack** for consumption "off" the premises

Photo of applicant	Photo of shop

Latitude/Longitude of shop ……….................................…

Licence No ……………………………………….................

District ………………………………………................…

Name of shop ………………………………..........................

Licence fee Rs…......… (in figures) ………… (in words)

Security amount Rs….(in figures) ….….......… (in words)

Description of premises (without boundaries)

North……………………………………….........................…

South………………………………………..........................

East……………………………………….................……..

West……………………………………….........................…

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---

1……………s/o……………………R/o……................…

2……………s/o ……………………R/o……...............

Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/**Aseptic Brick Pack** of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack ,wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder(s) …. at …………………… (place) in P.S. ………………. Tehsil ……………. in the District of ……………. w.e.f. …………… to March 31, 20 …………………… for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special & general conditions, the **infraction of any of which or these rules or a** conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
General and special conditions	**General and special conditions**
1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.	1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.	2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Maximum retail price and strength shall be printed in visible words of 1x1 centimeter on the lable of bottles/cans/ tetra packs of Foreign Liquor and wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.	3. Maximum retail price and strength shall be printed in visible **bold font** of 1x1 centimeter **on the right top of lables of bottles/Aseptic Brick Pack** of foreign liquor, wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.
4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.	4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.
5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person.	5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person.
6. The sale shall be made in sealed bottles /cans/ tetra packs of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack of Foreign liquor and Wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.	6. The sale shall be made in sealed bottles / **Aseptic Brick Pack** of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack of foreign liquor, wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.	7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/cans/ tetra packs as per prescribed security code under the Track and Trace System.	8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/ **Aseptic Brick Pack** as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."	9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."
10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.	10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.	11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.
12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years.	12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years.
13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles /cans/tetrapacks in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.	13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles / **Aseptic Brick Pack** in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.	14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.
15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.	15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.
16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.	16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.
17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.	17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Licensing Authority, he may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds**:** **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**
18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.	18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of foreign liquor for which licence is granted.
19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.	19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.	20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.	21. No Country Liquor **and beer** should be stored in Foreign Liquor premises.
22. The licensee shall submit the list of salesman to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	22. The licensee shall submit the list of salesman to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall **accordingly** issue Naukarnama in prescribed form after **payment of prescribed fees.**
Date………………………..	Date………………………..
District…………………….	District…………………….
Licensing Authority	Licensing Authority

By order,

(Senthil Pandian C.)

Excise Commissioner,

Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-7 असाधारण गजट-24.07.2023-127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

क्रम-संख्या–199(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०

डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 4 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग–2

संख्या-एस-2-1/438871 / दस-2023-1862-2021

लखनऊ, 4 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–49

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(दो) यह 01 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

नियम 17 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
17–**ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–दो** :– ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी दो में चयन, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी	17–**ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–दो** :– ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी दो में चयन, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया जाय, उस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगी :—	के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने कैलेण्डर वर्ष पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया गया हो, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगी :—
(i) सरकार के वित्त विभाग के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव ...... अध्यक्ष	(एक) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव — ...... अध्यक्ष
(ii) सरकार के कार्मिक विभाग के सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो— ...... सदस्य	(दो) कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव या उसके नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो— ...... सदस्य
(iii) कोषागार निदेशक, उ0 प्र0 ......सदस्य	(तीन) निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश— ...... सदस्य

परन्तु यह कि सरकार विशेष परिस्थितियों में ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी—दो में चयन के लिए नियत सेवा सीमा को शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 806 राजपत्र—2023—(2304)—599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

806 RPH 2023 (vitt Sirvices anu-2) (data 8e

ALLAHABAD HIGH COURT
JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–186(ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 नवम्बर, 2023

कार्तिक 10, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या 1569 / सत्रह-म-2023-17-1099-183-2019

लखनऊ, 1 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–53

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी;

(दो) यह 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

उप नियम 5 (1) का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1993 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम 5 (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान उप नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(1) **निदेशक**–मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशक जिन्होंने इस रूप में सात वर्ष की सेवा और कुल पच्चीस वर्ष की सेवा और उप निदेशक जिन्होंने इस रूप में दस	(1) **निदेशक**–मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशक जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा और कुल पच्चीस वर्ष की सेवा अथवा

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ–1 **वर्तमान उप नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
वर्ष की सेवा और कुल पच्चीस वर्ष की सेवा भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक जिन्होंने उप निदेशक के रूप में दस वर्ष की सेवा और कुल पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,
डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1569/XVII-M–2023-17-1099-183-2019, dated November 1, 2023 :

No. 1569/XVII-M–2023-17-1099-183-2019

Dated Lucknow, November 1, 2023

In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Governor is please to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Fisheries (Gazetted) Service Rules, 1993 :–

THE UTTAR PRADESH FISHERIES (GAZETTED) SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (i) These rules may be called the Uttar Pradesh Fisheries (Gazetted) service (Second Amendment) Rules, 2023;

(ii) They shall come into force with effect from July 1, 2023.

Substitution of sub-rule 5(1)

2. In Uttar Pradesh Fisherries (Gazetted) service rules, 1993, *for* existing sub-rule 5 (1) set out in Column-1 below, the rules as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub-rule as hereby substituted*
(1) Director-By promotion from amongst substantively appoint Joint Director who have completed seven years of service as such and a total service of twenty five years and Deputy Director, who have completed ten years of service as such and a total service of twenty-five years on the first day of the year of recruitment.	**(1) Director**-By promotion from amongst substantively appointed Joint Director who have completed seven years of service as such and a total service of twenty five years or Joint Director/ Deputy Director, who have completed ten years of service as Deputy Director and a total service of twenty-five years on the first day of the year of recruitment.

By order,
DR. RAJNEESH DUBE,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 21 राजपत्र–2024–(57)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 मत्स्य–2024–(58)–100 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–155(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 14 सितम्बर, 2023

भाद्रपद 23, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

––––––

संख्या 3116/86–2023-03(अधि0)-2017

लखनऊ, 14 सितम्बर, 2023

––––––

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–36

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली, 1987 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः–

उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, अधीनस्थ प्राविधिक सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिशिष्ट 'क' का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली, 1987 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में सर्वेक्षक और वरिष्ठ सर्वेक्षक के पद हेतु नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम 4 (2) में निर्दिष्ट विद्यमान परिशिष्ट 'क' के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया परिशिष्ट 'क' रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ—एक

(विद्यमान परिशिष्ट 'क')

{देखें नियम—4(2)}

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान (रू0)	स्थायी	अस्थायी	योग
8	सर्वेक्षक	पे मैट्रिक्स लेवल—4 25500—81100	12	1	13
9	वरिष्ठ सर्वेक्षक	पे मैट्रिक्स लेवल—6 35400—112400	0	08	08

स्तम्भ—दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 'क')

{देखें नियम—4(2)}

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल (रू0)	स्थायी	अस्थायी	योग
8	सर्वेक्षक	वेतन मैट्रिक्स लेवल—2—19900—63200	12	21	33
9	वरिष्ठ सर्वेक्षक	वेतन मैट्रिक्स लेवल—4—25500—81100	0	08	08

नियम— 5 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, सर्वेक्षक और वरिष्ठ सर्वेक्षक के पद हेतु नीचे स्तम्भ—एक में दिये गये विद्यमान नियम—5 के स्थान पर स्तम्भ—दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः—

भर्ती का स्रोत

श्रेणी 'क' के पद

स्तम्भ—एक

(विद्यमान नियम)

पद का नाम	भर्ती का स्रोत
(आठ) सर्वेक्षक	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
(नौ) वरिष्ठ सर्वेक्षक	(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त् सर्वेक्षकों में से, जिन्होने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सर्वेक्षक के रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्ति को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

वर्ग 'क' के पद

स्तम्भ—दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

पद का नाम	भर्ती का स्रोत
(आठ) सर्वेक्षक	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
(नौ) वरिष्ठ सर्वेक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त सर्वेक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परिशिष्ट—'ख' का संशोधन

4—उक्त नियमावली में, सर्वेक्षक और वरिष्ठ सर्वेक्षक की शैक्षणिक अर्हता हेतु नीचे स्तम्भ—एक में दिये गये नियम—8 में निर्दिष्ट परिशिष्ट —ख' के स्थान पर स्तम्भ—दो में दिया गया परिशिष्ट 'ख' रख दिया जायेगा, अर्थातः—

स्तम्भ—एक

(विद्यमान परिशिष्ट 'ख')

(देखें नियम—8)

सर्वेक्षक— शैक्षणिक अर्हताः— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आर्किट्रेक्चर (सर्वेक्षण) में डिप्लोमा।
वरिष्ठ सर्वेक्षक— शैक्षणिक अर्हताः— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियान्त्रिकी में 03 वर्षीय डिप्लोमा।

स्तम्भ—दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 'ख')

(देखें नियम—8)

सर्वेक्षक शैक्षणिक अर्हताः— हाई स्कूल या इसके समकक्ष के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेक्षण में दो वर्षीय प्रमाण—पत्र।
निकाल दिया गया।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

5–उक्त नियमावली में, सर्वेक्षक और वरिष्ठ सर्वेक्षक के पद हेतु नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–24 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः– नियम–24 का संशोधन

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)		स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)	
1–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिये अनुमन्य वेतनमान वही होंगे जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। 2–इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :–		1–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिये अनुमन्य वेतनमान वही होंगे जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। 2–इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :–	
वेतनमान		वेतनमान	
पद का नाम	पे मैट्रिक्स	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स
(8) सर्वेक्षक	लेवल–4–25500–81100	(8) सर्वेक्षक	लेवल–2–19900–63200
(9) वरिष्ठ सर्वेक्षक	लेवल–6–35400–112400	(9) वरिष्ठ सर्वेक्षक	लेवल–4–25500–81100

वेतनमान

आज्ञा से,

अनिल कुमार-III,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3116/LXXXVI–2023-03(Adhisthan)-2017, dated September 14, 2023 :

No. 3116/LXXXVI–2023-03(Adhisthan)-2017
Dated Lucknow, September 14, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with view to amending the Uttar Pradesh Directorate of Geology and Mining, Subordinate Technical Service Rules, 1987.

THE UTTAR PRADESH DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING
SUBORDINATE TECHNICAL SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2023

1. (1) These Rules may be called The Uttar Pradesh Directorate of Geology and Mining Subordinate Technical Service (Third Amendment) Rules, 2023 Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Directorate of Geology and Mining Subordinate Technical Service Rules, 1987, hereinafter referred to as the said rules, *for* existing Appendix 'A' referred to in rule 4 (2) *for* the post of Surveyor and Senior Surveyor set out in column-I below, the Appendix 'A' as set out in column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of Appendix 'A'

COLUMN-I *(Existing Appendix A)* *{See rule-4(2)}*						COLUMN-II *(Appendix A as here by substituted)* *{See rule-4(2)}*					
S. No.	Name of post	Pay scale Rs.	Perm.	Tem.	Total	S. No.	Name of post	Pay Matrix level Rs.	Perm.	Tem.	Total
8	Surveyor	Pay Matrix Level-4-25500-81100	12	1	13	8	Surveyor	Pay Matrix Level-2-19900-63200	12	21	33
9	Senior Surveyor	Pay Matrix Level-6-35400-112400	0	08	08	9	Senior Surveyor	Pay Matrix Level-4-25500-81100	0	08	08

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of rule 5

3. In the said rules, *for* existing rule 5 set out in column-I below, for the post of Surveyor and Senior Surveyor the rule as set out in column-II shall be *substituted*, namely:-

Source of recruitment

Category A posts — COLUMN-I *(Existing rule)* | **Category A posts** — COLUMN-II *(Rule as here by substituted)*

Name of Post	Source of recruitment	Name of Post	Source of recruitment
(viii) Surveyor	By Direct recruitment through the Commission	(viii) Surveyor	By Direct recruitment through the Commission
(ix) Senior Surveyor	(i) 50 per cent by Direct recruitment through the Commission. (ii) 50 per cent by promotion through the Departmental Selection Committee on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit, from amongst substantively appointed Surveyor who have completed Seven years of service as such on the first day of the year of recruitment	(ix) Senior Surveyor	By promotion through the Departmental Selection Committee on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit, from amongst substantively appointed Surveyor who have completed Seven years of service as such on the first day of the year of recruitment

Amendment of Appendix 'B'

4. In the said rules, Appendix 'B' referred to in rule 8, set out in column-I below for Academic Qualification of Surveyor and Senior Surveyor he Appendix 'B' as set out in column-II shall be *substituted,* namely:-

COLUMN-I *(Existing Appendix)* *(See rule 8)*	COLUMN-II *(Appendix B as here by substituted)* *(See rule 8)*
SURVEYOR **AcademicQualification:** Diploma in Architecture (Surveying) from a Institution recognised by All India Council for Technical Education (AICTE).	SURVEYOR **Academic Qualification:** High School or its equivalent with Two years certificate in Surveying from Government recognised Industrial Training Institute.
SENIOR SURVEYOR **Academic Qualification:** Three years diploma in civil engineering from a Institution recognised by all India Council for Technical Education (AICTE).	*Omitted*

Amendment of rule 24

5. In the said rules, for existing rule 24 set out in column-I below for the post of Surveyor and Senior Surveyor the rule as set out in column-II shall be *substituted*, namely:-

Scales of pay

COLUMN-I *(Existing rule)*		COLUMN-II *(Rule as herrby substituted)*	
(1) The Scales of pay admissible to person appointed to various categories of post in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The Scales of pay at the time of commencement of these rules are as follows:-		(1) The Scales of pay admissible to person appointed to various categories of post in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The Scales of pay at the time of commencement of these rules are as follows:-	
Scale of Pay		Scale of Pay	
Name of post	Pay Matrix	Name of post	Pay Matrix
(8) Surveyor	Level-4-25500-81100	(8) Surveyor	Level-2-19900-63200
(9) Senior Surveyor	Level-6-35400-112400	(9) Senior Surveyor	Level-4-25500-81100

By order,
ANIL KUMAR-III,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 557 राजपत्र–2023–(1749)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा0 भूतत्व एवं खनिकर्म–2023–(1750)–1500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

557 RPH (Bhotatva Avm Khanikram), 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–8 (ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 जनवरी, 2023

माघ 7, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 1193 / ग्यारह-2–22-9(42)-17-टी0सी0 64-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(262)-2023

लखनऊ, 27 जनवरी, 2023

अधिसूचना

प0आ0–26

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अट्ठावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अट्ठावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) इस नियमावली में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह तारीख 1 दिसम्बर, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 122, 124 तथा 125 का निकाला जाना

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) में, नियम 122, 124 तथा 125 निकाल दिये जायेंगे।

नियम 127 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम 127 में,–

(एक) पार्श्व शीर्षक में, शब्द ''कर्तव्य'' के स्थान पर शब्द ''कृत्य'' रख दिया जायेगा;

(दो) शब्द ''प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि'' के स्थान पर शब्द ''प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :–'' रख दिये जायेंगे।

नियम 134 तथा 137 का निकाला जाना

4–उक्त नियमावली में, नियम 134 तथा 137 निकाल दिये जायेंगे।

अध्याय पन्द्रह के स्पष्टीकरण का संशोधन

5–उक्त नियमावली में, नियम 137 के पश्चात्, अध्याय पन्द्रह के स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(क) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण से है;''।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण,

प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1193/XI-2–22-9(42)-17-T.C. 64-U.P. GST Rules-2017-Order(262)-2023, dated January 27, 2023 :

No. 1193/XI-2–22-9(42)-17-T.C. 64-U.P. GST Rules-2017-Order(262)-2023

Dated Lucknow, January 27, 2023

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, hereby makes the following rules to further amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :–

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (FIFTY-EIGHT AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fifty-Eighth Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of December, 2022.

Omission of rules 122, 124 and 125

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the "said rules"), rules 122, 124 and 125 shall be *omitted.*

Amendment of rule 127

3. In the said rules, in rule 127,–

(i) in the marginal heading, *for* the word "Duties", the word "Functions', shall be *substituted*;

(ii) *for* the words "It shall be the duty of the Authority,", the words "The authority shall discharge the following functions, namely :–" shall be *substituted.*

1191 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 262) (Niyamavali-58) Data-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

4. In the said rules, rules 134 and 137 shall be *omitted*. Omission of rules 134 and 137

5. In the said rules, *after* rule 137, in the Explanation to Chapter-XV, *for* clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely :– – Amendment of Explanation to Chapter-XV

"(a) "Authority" means the Authority notified under sub-section (2) of section 171 of the Act;".

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1191 राजपत्र–2023–(1937)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 34 सा0 राज्य कर–2023–(1938)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1191 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 262) (Niyamavali-58) Data-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–49 (क–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 20 मार्च, 2023

फाल्गुन 29, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 04/ग्यारह-2–23-9(42)-17-टी0सी0 65-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(267)-2023

लखनऊ, 20 मार्च, 2023

अधिसूचना

प0आ0–91

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनसठवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनसठवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह तारीख 26 दिसम्बर, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के नियम 2 के खण्ड (iv) एवं (v) के उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जैसा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियम 8 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 8 में ,–

(i) उपनियम (1) में, शब्द और अक्षर ''मोबाइल नम्बर, ई–मेल पता,'' निकाल दिये जायेंगे;

(ii) उपनियम (2) में, खण्ड (क) में, शब्द ''प्रत्यक्ष कर'' के पश्चात् शब्द ''और स्थायी लेखा संख्या से जुड़े मोबाइल नम्बर और ई–मेल पते पर भेजे गए पृथक् वन–टाइम पासवर्ड के माध्यम से भी सत्यापित किया जाएगा'' बढ़ा दिये जायेंगे;

(iii) उपनियम (2) में, खण्ड (ख) और (ग) को निकाल दिया जाएगा;

(iv) उपनियम (4क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

''(4क) धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपनियम (4) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन के पश्चात् जिसने आधार संख्या के अधिप्रमाणन का विकल्प चुना है और जो सामान्य पोर्टल पर, डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदण्डों के आधार पर, पहचाना जाता है, बायोमेट्रिक–आधारित आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा और आवेदक की फोटो ली जाएगी, जहाँ आवेदक एक व्यक्ति है या जहाँ आवेदक एक व्यक्ति नहीं है, आवेदक के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों की जो धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन अधिसूचित है, इस उपनियम के प्रयोजन के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से एक पर प्ररूप जीएसटी आरइजी–01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ, और इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन को पूर्ण समझा जाएगा।'';

(v) उपनियम (5) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''उपनियम (4)'' के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर ''या उपनियम (4क)'' रख दिये जाएंगे।

नियम 9 का संशोधन

3–उक्त नियमावली के नियम 9 में,–

(i) उपनियम (1) में, परन्तुक में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''(कक) ऐसा व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुज़रा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदण्डों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या'';

(ii) उपनियम (2) में, परन्तुक में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''(कक) ऐसा व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुज़रा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदण्डों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या''।

नियम 12 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नियम 12 में, उपनियम (3) में, शब्द ''जहां'' के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अंक ''किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर जिसे उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या'' रख दिये जाएंगे;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

5– 1 अक्टूबर, 2022 से उक्त नियमावली के नियम 37 में उपनियम (1) में,– नियम 37 का संशोधन

(i) शब्द ''ऐसी पूर्ति के मूल्य का'' के पश्चात्, शब्द ''चाहे पूर्णतः या अंशतः'' बढ़ा दिये जाएंगे;

(ii) शब्द ''भुगतान करेगा'' के पश्चात्, ''या उत्क्रम'' शब्द रख दिये जायेंगे;

(iii) शब्द ''ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में'' के पश्चात्, अक्षर और शब्द ''पूतिकर्ता को संदत न की गई धनराशि के अनुपात में'' रख दिये जाएंगे।

6–उक्त नियमावली में नियम 37 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :– नियम 37 का संशोधन

''37क–**पूर्तिकर्ता द्वारा कर अंसदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी और उसका पुनः उपभोग**–जहाँ एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया हो, ऐसे बीजक या डेबिट नोट के सम्बन्ध में, जिसका विवरण पूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर–1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए जावक पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया हो, किन्तु वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् 30 सितम्बर तक ऐसे पूर्तिकर्ता द्वारा उक्त कर अवधि के जावक पूर्ति के विवरण के अनुरूप प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत न किया गया हो, जिसमें ऐसे बीजक या डेबिट नोट के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया हो, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय की कथित धनराशि को, ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् 30 नम्बर या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर–3ख में रिटर्न दाखिल करते समय, वापस किया जाएगाः

परन्तु यह कि जहाँ इनपुट कर प्रत्यय की उक्त धनराशि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी में 30 नवम्बर को या उससे पहले ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् वापस न की जाती हो, जिसके दौरान इस तरह के इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया हो, ऐसी धनराशि उक्त व्यक्ति द्वारा धारा 50 के अधीन उस पर ब्याज सहित संदेय होगी :

परन्तु यह और कि जहाँ उक्त पूर्तिकर्ता, बाद में, उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके पश्चात् की कर अवधि के लिए प्रस्तुत प्ररूप जीएसटीआर–3ख विवरणी में इस तरह के प्रत्यय की धनराशि का पुनः उपभोग कर सकता है।''

7–उक्त नियमावली में नियम 46 के खण्ड (च) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :– नियम 46 का संशोधन

''परन्तु यह कि जहाँ कोई कर योग्य सेवा किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा या उसके माध्यम से या ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के पूर्तिकर्ता द्वारा एक प्राप्तिकर्ता को पूर्ति की जाती है, जो अरजिस्ट्रीकृत है, ऐसी पूर्ति के मूल्य के बावजूद, एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किये गये कर बीजक में प्राप्तिकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम अन्तर्विष्ट करना होगा और उक्त पते को प्राप्तिकर्ता के रिकॉर्ड पर पता समझा जाएगा।''

8–उक्त नियमावली में, नियम 46क में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :– नियम 46क का संशोधन

''परन्तु उक्त एकल ''पूर्ति का बीजक–सह–बिल'' में यथास्थिति नियम 46 या नियम 54 और नियम 49 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी'';

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियम 59 का संशोधन

9–उक्त नियमावली में, नियम 59 में उपनियम (6) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''(घ) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे कर अवधि के सम्बन्ध में नियम 88ग के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन सामान्य पोर्टल पर एक सूचना जारी की गई है, को धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के जावक पूर्ति के ब्यौरे, पश्चात्वर्ती कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या, जब तक कि उसने या तो उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट धनराशि जमा न की हो या किसी असंदत्त धनराशि के कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रत्युत्तर प्रस्तुत न किया हो जो नियम 88ग के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित है।''

नियम 87 का संशोधन

10–उक्त नियमावली के नियम 87 के उपनियम (8) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु जहाँ बैंक सामान्य पोर्टल पर चालान पहचान संख्या के विवरण को संप्रेषित करने में विफल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को उन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के ई–स्क्रॉल के आधार पर अपडेट किया जा सकता है जहाँ उक्त ई–स्क्रॉल की कॉमन पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06 में उत्पन्न चालान के ब्यौरे के साथ अनुरूपता है।

नियम 88ख का संशोधन

11–उक्त नियमावली में, नियम 88ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''**88ग–जावक पूर्तियों के ब्यौरों और विवरणी में रिपोर्ट किए गए दायित्व में अन्तर के सम्बन्ध की रीति**–जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय कर, उक्त कर अवधि के सम्बन्ध में, प्ररूप जीएसटीआर–1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए में, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरों के अनुसार, प्ररूप जीएसटीआर–3ख में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई उस अवधि के लिए विवरणी के अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय कर की धनराशि से अधिक है, ऐसी धनराशि या ऐसे प्रतिशत से, जो कि परिषद् द्वारा अनुशंसित किया जाए, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी डीआरसी–01ख के भाग क में इस तरह के अन्तर के सम्बन्ध में सूचित किया जाएगा और उक्त अन्तर को उजागर करते हुए ऐसी सूचना की एक प्रति, रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किए गए या समय–समय पर संशोधित किए गए, उसके ई–मेल पते पर भी भेजी जाएगी और उसे निदेशित किया जाएगा कि या तो,–

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03 के माध्यम से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, अन्तर कर देयता का संदाय करें, या

(ख) सामान्य पोर्टल पर संदेय कर में पूर्वोक्त अन्तर का सात दिनों की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण करें,

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस उपनियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो,–

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01ख के भाग क में विनिदिष्ट अन्तर कर देयता की धनराशि का संदाय पूर्णतः या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, फॉर्म जीएसटी डीआरसी–03 के माध्यम से करें और उसके विवरण को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी–1ख के भाग ख में प्रस्तुत करें; या

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ख) सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01 ख के भाग ख में असंदत्त कर देयता के उस हिस्से के सम्बन्ध में कारणों को शामिल करते हुए, जो असंदत्त रह गया है, यदि कोई हो, एक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें,

उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर।

(3) जहाँ उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना में निर्दिष्ट कोई भी राशि उस उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर असंदत्त रहती है और जहाँ कोई स्पष्टीकरण या कारण रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा डिफॉल्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहाँ स्पष्टीकरण या कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त राशि धारा 79 के उपबन्धों के अनुसार वसूली योग्य होगी।''।

12–उक्त नियमावली में, नियम 89 में, उपनियम (2) में,– नियम 89 का संशोधन

(i) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :–

''(टक) एक विवरण जिसमें बीजकों का विवरण अन्तर्विष्ट है, अर्थात् संख्या, तारीख, मूल्य, संदत्त कर और संदाय का ब्यौरा, जिसके सम्बन्ध में धन वापसी का दावा किया जा रहा है, ऐसे बीजकों की प्रति, पूर्तिकर्ता को इस तरह के संदाय का प्रमाण, समझौते या रजिस्ट्रीकृत समझौते या अनुबन्ध की प्रति, जो भी लागू हो, सेवा की पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ता के साथ दर्ज किया गया, पूर्तिकर्ता द्वारा सेवा की पूर्ति के लिए समझौते या करार को रद्द करने या समाप्त करने के लिए जारी किया गया पत्र, पूर्तिकर्ता से प्राप्त संदाय का विवरण, इस तरह के समझौते को रद्द करने या समाप्त करने के प्रमाण के साथ, किसी मामले में जहाँ किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धन वापसी का दावा किया जाता है जहाँ सेवा की आपूर्ति के लिए करार या संविदा को रद्द या समाप्त कर दिया गया है;

(टख) पूर्तिकर्ता द्वारा इस आशय से जारी किया गया कोई प्रमाण–पत्र कि उसने बीजक के सम्बन्ध में कर का संदाय किया है, जिस पर आवेदक द्वारा धन वापसी का दावा किया जा रहा है, कि उसने क्रेडिट नोट जारी करके इन बीजकों में अन्तर्विष्ट कर धनराशि को अपनी कर देयता के विरुद्ध समायोजित नहीं किया है, और यह भी, कि उसने इन बीजकों के सम्बन्ध में अन्तर्विष्ट कर की धनराशि की वापसी दावा नहीं किया है और न ही करेगा, ऐसे मामले में जहाँ किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धन वापसी का दावा किया जाता है जहाँ सेवा की पूर्ति के लिए करार या संविदा रद्द कर दी गई है या समाप्त कर दी गई है;''

(ii) खण्ड (ड) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तुक यह और कि उन मामलों में जहाँ ऐसे अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धन वापसी का दावा किया गया है जिसने कर भरना वहन किया हो, प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।''

13–उक्त नियमावली के नियम 108 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 108 का संशोधन

''(3) जहाँ उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया है, वहाँ एक अन्तिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपील प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल–02 में जारी की जाएगी और अनन्तिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा :

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परन्तु यह कि जहाँ उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, वहाँ अपीलार्थी, प्ररूप जीएसटी एपीएल–01 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर उक्त विनिश्चय या आदेश की एक स्व–अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अन्तिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपील प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल–02 में जारी की जाएगी, और अनन्तिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा :

परन्तु जहाँ विनिश्चय या आदेश की उक्त स्व–अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल–01 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।''

नियम 109 का संशोधन

14–उक्त नियमावली के नियम 109 के स्थान पर, निम्नलिखिज नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''**109 अपील प्राधिकारी को आवेदन**–(1) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्राधिकारी को एक आवेदन प्ररूप जीएसटी एपीएल–03 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ, या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, फाइल की जाएगी और अपीलार्थी को तुरन्त एक अनन्तिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।

(2) जहाँ उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया है, वहाँ एक अन्तिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपील प्राधिकारी या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल–02 में जारी की जाएगी और अनन्तिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा :

परन्तु यह कि जहाँ उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, वहाँ अपीलार्थी प्ररूप जीएसटी एपीएल–03 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर उक्त विनिश्चय या आदेश की एक स्व–अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अन्तिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपील प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल–02 में जारी की जाएगी, और अनन्तिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा :

परन्तु यह और कि जहाँ उक्त विनिश्चिय या आदेश की स्व–अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल–03 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।''

नियम 109ख का संशोधन

15–उक्त नियमावली में, नियम 109ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''**109ग अपील वापस लेना**–अपीलार्थी, धारा 107 की उपधारा (II) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व या उक्त उपधारा के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व, जो भी पहले हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल–01 या प्ररूप जीएसटी एपीएल–03 के सम्बन्ध में फाइल की गई किसी भी अपील को प्ररूप जीएसटी एपीएल–01/03W में एक आवेदन फाइल करके उक्त अपील को वापस ले सकेगा :

परन्तु यह कि जहाँ प्ररूप जीएसटी एपीएल–02 में अन्तिम अभिस्वीकृति जारी की गई है, वहाँ उक्त अपील की वापसी अपील प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी और अपील को वापस लेने के लिए ऐसे आवेदन को फाइल करने के सात दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी द्वारा आवेदन पर विनिश्चय किया जाएगा :

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परन्तु यह और कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी वापसी के अनुसरण में फाइल की गई कोई भी नई अपील धारा 107 की यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फाइल की जाएगी।

नियम 138 का संशोधन

16—उक्त नियमावली के नियम 138 में, उपनियम (14) में उपाबन्ध में, सारणी के स्तम्भ (2) में, क्रम संख्या 5, के समक्ष कोष्ठक, शब्द और अंक ''(अध्याय 71)'' के पश्चात्, शब्द कोष्ठक और अंक ''नकली आभूषण (7117) के सिवाय'' बढ़ा दिये जाएंगे।

नियम 161 का संशोधन

17—उक्त नियमावली के नियम 161 में, शब्द ''आदेश'' के स्थान पर, शब्द ''सूचना या नोटिस'' रख दिये जायेंगे।

प्ररूप जीएसटी आरईजी—01

18—उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी—01 में,—

(i) भाग—क में, टिप्पणी में, शब्द ''आवेदन फाइल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना मोबाइल संख्या और ई—मेल पता देना होगा।'', के स्थान पर, शब्द ''आवेदक के स्थायी लेखा संख्या से सहबद्ध ई—मेल आईडी और मोबाइल नम्बर आयकर डेटाबेस से स्वतः भरे जाएंगे।'' रख दिये जाएंगे;

(ii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जमा करने के अनुदेश में, पैरा 2 निकाल दिया जाएगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी—17

19—उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी—17 में, शब्द ''योग्यता के आधार पर'' के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

''कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज (दस्तावेजों) को देखें।'';

20—उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी—19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

'' **प्ररूप जीएसटी आरईजी—19**

[नियम 22(3) देखें]

संदर्भ संख्या तारीख

सेवा में,

नाम

पता

जीएसटीआईएन / यूआईएन

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) तारीख

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश

यह तारीख ———————— को जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में है

- चूँकि, कारण बताओं नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है;

और, चूँकि, इस कार्यालय के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने योग्य है; या

चूँकि, कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर <एआरएन नम्बर> तारीख .... द्वारा प्रस्तुत किया गया है;

और, चूँकि, कारण बताओं नोटिस के आपके प्रत्युत्तर की जाँच करने पर और इस कार्यालय के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने योग्य है; या

- और, चूँकि, कारण बताओं नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर, आप व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए;

और, चूँकि, इस कार्यालय के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है; या

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

और, चूँकि, कारण बताओ नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु आप/आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया और लिखित या मौखिक प्रस्तुति दी;

और, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान और इस कार्यालय के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर किए गए आपके लिखित या मौखिक प्रस्तुतीकरण की जाँच करने पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है; या

और, चूँकि, कारण बताओ नोटिस का उत्तर <एआरएन नम्बर> तारीख -------- द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किन्तु, आप या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित या विस्तारित तारीख पर व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित नहीं हुए;

और, चूँकि, कारण बताओ नोटिस के आपके प्रत्युत्तर की जाँच करने पर और इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है; या

कारण बताओ नोटिस का उत्तर <एआरएन नम्बर> तारीख ------------ द्वारा प्रस्तुत किया गया है और आप/आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान एक लिखित/मौखिक प्रस्तुति दी;

और, अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय की गयी प्रस्तुतियों की जाँच की है और उनकी राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है :

(i)

(ii)

आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की प्रभावी तारीख <<दिन/मास/वर्ष>> है।

2-कृपया मामला विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज (दस्तावेजों) देखें।

3-यह दृष्टव्य है कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी भरने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटीआर-10 में अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4-आपको अपनी सभी लम्बित विवरणी भरनी अपेक्षित है।

5-यह दृष्टव्य है कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य देयों का देयता या रद्द करने की तारीख से पूर्व किसी अवधि के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी दायित्व का निर्वहन करने की बाध्यता प्रभावित नहीं होगी चाहे ऐसे कर और अन्य देय रद्द करने की तारीख से पूर्व या पश्चात् अवधारित किए जाएं।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम)

पद

अधिकारिता''।

21-उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-1 में,-

(क) बॉक्स में,-

(i) शब्द ''वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''वित्तीय वर्ष'' रख दिये जायेंगे;

(ii) शब्द ''माह'' के स्थान पर शब्द ''कर अवधि'' रख दिये जायेंगे;

(ख) सारणी–3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रख दी जाएगी, अर्थात् :–

''3	(क)	एआरएन	<ऑटो>
	(ख)	एआरएन की तारीख	<ऑटो>

(ग) सारणी 4क में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द ''(i) प्रतिवर्ती प्रभार से सम्बन्धी और (ii) ई–वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से कृतिपूर्ति'' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''प्रतिवर्ती प्रभार से सम्बन्धी (ई–वाणिज्य प्रचालक से सम्बन्धी टीसीएस के माध्यम से कृत पूर्ति सहित)'' रख दिये जाएंगे;

(घ) सारणी 4ग और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ङ) सारणी 5क में, अंक, अक्षर, शब्द और कोष्ठक ''5क जावक पूर्तियाँ (ई–वाणिज्य प्रचालक दर वार के माध्यम से कृत पूर्तियों से भिन्न)'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अक्षर ''जावक पूर्तियाँ (ई–वाणिज्य प्रचालक दर–वार के माध्यम से कृत पूर्तियों सहित)'' रख दिये जाएंगे;

(च) सारणी 5ख और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(छ) सारणी 7 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रख दी जाएगी, अर्थात् :–

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	धनराशि			
		एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
7क–अन्तरराज्यिक पूर्तियाँ					
समेकित दर–वार जावक पूर्ति (टी सी एस सम्बन्धी ई–वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से कृत पूर्ति सहित)					
7ख–अन्तरराज्यिक पूर्तियाँ, जहाँ बीजक मूल्य 2.5 लाख रुपए तक हो (दर–वार) समेकित दर–वार जावक पूर्तियाँ (टी सी एस सम्बन्धी ई–वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई पूर्ति सहित)					
पूर्ति का स्थान (राज्य का नाम)					

(ज) सारणी 9 में,–

(i) शब्द ''नामे नोट, जमा पत्र, प्रतिदाय वाउचर'' के स्थान पर, शब्द ''नामें नोट और जमा पत्र'' रख दिये जाएंगे;

(ii) शब्द और अक्षर ''दस्तावेज का संशोधित ब्यौरे या मूल डेबिट या क्रेडिट नोट या प्रतिदाय वाउचर के ब्यौरे'' के स्थान पर, शब्द और अक्षर ''दस्तावेज का संशोधित ब्यौरा या मूल डेबिट या क्रेडिट नोट का ब्यौरा'' रख दिये जाएंगे;

(iii) उपशीर्षक के स्तम्भ–2 और स्तम्भ–3 में, ''बीजक'' शब्द निकाल दिया जाएगा;

(iv) उपशीर्षक के स्तम्भ–5 और स्तम्भ–6 में, शब्द ''बीजक'' के स्थान पर, शब्द ''दस्तावेज'' रख दिया जायेगा;

(झ) सारणी 9क में, शब्द ''यदि बीजक/पोत परिवहन पत्र में दिए गए ब्यौरे गलत थे'' के स्थान पर, शब्द ''पहले प्रस्तुत बीजक/पोत परिवहन–पत्र में दिए गए ब्यौरों का संशोधन'' रख दिये जायेंगे;

(ञ) सारणी 9 ख में, शब्द ''प्रतिदाय वाउचर'' निकाल दिये जायेंगे;

(ट) सारणी 9ग में, शब्द कोष्ठक ''नामे नोट/जमा पत्र/प्रतिदाय वाउचर (उसके संशोधन)'' के स्थान पर, शब्द और कोष्ठक ''नामे नोट/जमा पत्र (संशोधित)'' रख दिये जायेंगे;

(ठ) सारणी 10 में, शब्द ''माह'' के स्थान पर, शब्द ''माह/तिमाही'' रख दिये जायेंगे

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ड) सारणी 10क(1) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा;

(ढ) सारणी 10ख(1) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा;

(ण) सारणी 11 के शीर्षक में, शब्द ''पूर्वत्तर कर अवधि'' के पश्चात्, कोष्ठक और शब्द ''(शुद्ध प्रतिदाय वाउचर, यदि कोई हो)'' रख दिये जाएंगे;

(त) सारणी 12 के उपशीर्षक के स्तम्भ–3 में, कोष्ठक और शब्द ''(वैकल्पिक, यदि एचएसएन प्रदान किया गया हो)'' निकाल दिये जायेंगे;

(थ) सारणी 13 के पश्चात् और सत्यापन से पूर्व, निम्नलिखित सारणियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :–

''14–ई–वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से कृत पूतियों के ब्यौरे, जिस पर ई–वाणिज्य प्रचालक, अधिनियम की धारा 52 या धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है (रिपोर्ट करने के लिए पूर्तिकर्ता)

पूर्ति की प्रकृति	ई–वाणिज्य प्रचालन का जीएसटी आईएन	पूर्तियों का कुल मूल्य	कर की धनराशि			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
(क) पूर्ति, जिन पर ई–वाणिज्य प्रचालन धारा 52 के अधीन कर संग्रह करने का दायी है						
(ख) पूर्ति, जिन पर ई–वाणिज्य प्रचालन धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है						

14क–ई–वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई–वाणिज्य प्रचालन, अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर संग्रह करने के दायी है या धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं,–

पूर्ति की प्रकृति	मूल ब्यौरे		संशोधित ब्यौरे	पूर्तियों का कुल मूल्य	कर की धनराशि			
	माह/ तिमाही	ई– वाणिज्य प्रचालन का जीएसटी आईएन	ई– वाणिज्य आपरेटर का जीएसटी आईएन		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ) पूर्ति, जिन पर ई–वाणिज्य प्रचालन धारा 52 के अधीन कर संग्रह करने का दायी है								
(आ) पूर्ति, जिस पर ई–वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है								

15–ई–वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई पूर्तियों का ब्यौरा, जिस पर ई–वाणिज्य प्रचालक, धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं (ई–वाणिज्य प्रचालक की रिपोर्ट करने के लिए)

पूर्तिकर्ता का प्रकार	प्राप्तिकर्ता का प्रकार	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	प्राप्तिकर्ता का जी एसटी आई एन	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज तारीख	दर	की गई पूर्ति का मूल्य	कर की रकम				पूर्ति का स्थान
								एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकृत											
	अरजिस्ट्रीकृत											
अरजिस्ट्रीत	रजिस्ट्रीकृत											
	अरजिस्ट्रीकृत											

15क(I)–ई–वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई–वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं (ई–वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करने के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए)

पूर्तिकर्ता का प्रकार	मूल ब्यौरे				संशोधित ब्यौरे				दर	की गई पूर्ति का मूल्य	कर की धनराशि				पूर्ति का स्थान
	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	प्राप्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज तारीख	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	प्राप्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज तारीख			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
रजिस्ट्री–कृत															
अरजिस्ट्री-कृत															

15क(II)–ई–वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई–वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं (ई–वाणिज्य प्रचालन को रिपोर्ट करने के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए)

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

पूर्ति का प्रकार	मूल ब्यौरे		संशोधित ब्यौरे	दर	की गई पूर्ति का मूल्य	कर की धनराशि				पूर्ति का स्थान
	पूर्तिकर्ता का जीएसटी आईएन	कर अवधि	पूर्तिकर्ता का जीएसटी आईएन			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रजिस्ट्रीकृत										
अरजिस्ट्रीकृत										";

(द) अनुदेशों के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"**क–सामान्य अनुदेश–**

1–प्रयुक्त शब्द :–

(क) जी एस टी आई एन	:	माल और सेवा कर पहचान संख्या
(ख) यू आई एन	:	यूनीक पहचान संख्या
(ग) यू क्यू सी	:	यूनीक परिमाण कोड
(घ) एच एस एन	:	नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
(ङ) पी ओ एस	:	पूर्ति का स्थान (अपने–अपने राज्य क्षेत्र)
(च) टी सी एस	:	ई–वाणिज्य प्रचालक द्वारा स्रोत पर कर संग्रह
(छ) एस ई जेड	:	विशेष आर्थिक जोन
(ज) ई सी ओ	:	ई–वाणिज्य प्रचालक
(झ) डी टी ए	:	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
(ञ) बी से बी	:	एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति
(ट) बी से सी	:	एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति

2–तिमाही के पहले दो माह (महीनों) के लिए जीएसटीआर–1 या आईएफएफ के माध्यम से बीजक ब्यौरों को फाइल करने वाले तिमाही करदाता, तिमाही के जीएसटीआर–1 को फाइल करते समय ऐसे ब्यौरों को नहीं दुहराएंगे।

(ख) सारणी विनिर्दिष्ट अनुदेश–

क्रम संख्या	सारणी संख्या	अनुदेश
1	2	3
1	4क	(i) ई–वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई पूर्तियों सहित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति, धारा 52 के अधीन टी सी एस से सम्बन्धित, लेकिन रिवर्स चार्ज के आधार पर कर से सम्बन्धित पूर्ति को छोड़कर, रिपोर्ट की जाएगी। (ii) धारा 9(5) के अधीन पूर्ति, जिसके लिए ई–वाणिज्य आपरेटर कर देने के लिए दायी हैं, इस सारणी में रिपोर्ट नहीं की गई है। (iii) प्रवेश–पत्र के समावेशित होने पर एस ई जेड द्वारा की गई पूर्ति एस ई जेड इकाई / विकासकर्ता द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाएगी।
2	4ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति, रिवर्स चार्ज के आधार पर सम्बन्धित कर को रिपोर्ट किया जाएगा। धारा 9(5) के अधीन की गई पूर्ति, जिस पर ई–वाणिज्य प्रचालक कर देने के लिए दायी है, इस सारणी में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

1	2	3
3	5	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो 2.50 लाख रुपए से अधिक की बीजक रखते हों, द्वारा की गई अन्तरराज्यिक पूर्ति को रिपोर्ट किया जाएगा।
4	6क	आई जी एस टी के साथ या उसके बिना निर्यात को रिपोर्ट किया जाएगा। पोत पत्र के ब्यौरे, यदि लागू हों, बाद में सारणी 9 के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है, यदि ऐसा ब्यौरा, विवरण फाइल करते समय उपलब्ध नहीं है।
5	6ख	आई जी एस टी के साथ या उसके बिना, एस ई जेड इकाइयों या एस ई जेड विकासकर्ताओं को की गई पूर्ति रिपोर्ट की जाएगी।
6	6ग	मानित निर्यात पूर्ति की रिपोर्ट की जाएगी।
7	7	सारणी 5 में रिपोर्ट किए गए उन व्यक्तियों से अन्यथा अरजिस्ट्रीकृत व्यतियों को की गई पूर्ति को रिपोर्ट किया जाएगा। मूल्य को जमा पक्ष और नामे नोट का योग होगा।
8	8	ऐसी पूर्तियाँ जिनकी कोई कर देनदारी नहीं है (शून्य रेटेड, छूट प्राप्त और गैर–जीएसटी आपूर्तियाँ) सूचित की जाएंगी। धारा 9(5) के अधीन ई–वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई पूर्ति को पूर्तिकर्ता की छूट प्राप्त आपूर्ति के अधीन सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9	9क	सारणी 4क, 4ख, 5, 6क, 6ख, और 6ग में बताए गए मूल्यों में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
10	9ख	अवधि के दौरान जारी किए गए नामे क्रेडिट और जमा पत्र की सूचना दी जाएगी।
11	9ग	सारणी 9ख में रिपोर्ट किए गए क्रेडिट और डेबिट नोट्स में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
12	10	सारणी 7 में रिपोर्ट की गई अरजिस्ट्रीकृत पूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
13	11(I)क	प्राप्त अग्रिमों की सूचना दी जाएगी। मूल्य वापसी वाउचर, यदि कोई हो, का निवल होगा।
14	11(I)ख	अवधि के दौरान समायोजित अग्रिमों की सूचना दी जाएगी।
15	11(II)	प्राप्त या समायोजित अग्रिमों में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
16	12	सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एचएसएन विवरण की सूचना दी जाएगी।
17	13	अवधि के दौरान जारी किए गए दस्तावेजों के विवरण की सूचना दी जाएगी।
18	14(क)	ई–वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्ररूप 4 से 10 तक किसी सारणी में रिपोर्ट की गई पूर्ति का विवरण, जिस पर ईसीओ धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है, आपूर्तिकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा।
19	14(ख)	ईसीओ के माध्यम से की गई पूर्ति का विवरण, जिस पर ईसीओ धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, पूर्तिकर्ता द्वारा सूचित किया जाएगा। ऐसी आपूर्तियों पर कर का संदाय ईसीओ द्वारा किया जाएगा न कि आपूर्तिकर्ता द्वारा।
20	14क(अ)	पूर्व कर अवधि में सारणी 14(क) में रिपोर्ट की गई आपूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

1	2	3
21	14क(आ)	पूर्व कर अवधि में सारणी 14(ख) में रिपोर्ट की गई आपूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
22	15	(i) ईसीओ उसके माध्यम से की गई पूर्ति के विवरण की रिपोर्ट करेगा, जिस पर वह धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है।
		(ii) पूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत है, तो सूचित किया जाएगा।
		(iii) यदि प्राप्तकर्ता रजिस्ट्रीकृत है, तो ईसीओ द्वारा जारी दस्तावेजों के विवरण की सूचना दी जाएगी।
23	15क(I)	रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में पूर्व की कर अवधि में सारणी 15 में रिपोर्ट किए गए विवरण में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
24	15क(II)	अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती कर अवधियों में सारणी 15 में रिपोर्ट किए गए विवरण में संशोधन की सूचना दी जाएगी।''।

22–उक्त नियमों में, प्रपत्र जीएसटी आरएफडी–01 में उपाबन्ध 1 में कथन–7 के पश्चात, निम्नलिखित कथन बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''कथन–8 [नियम 89 (2)(टक)]

वापसी का प्रकार : अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए धन वापसी

क्रम संख्या	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	दस्तावेज/बीजक के ब्यौरे				कर का संदाय				पूर्तिकर्ता को चालान मूल्य के संदाय का विवरण		रद्दीकरण/समाप्ति के विरुद्ध प्राप्त संदाय का विवरण		दावा की गई वापसी की धनराशि (आई + सी + एस + उपकर)
		दस्तावेज का प्रकार	संख्या	तारीख	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर (आई)	केन्द्रीय कर (सी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (एस)	उपकर	तारीख	धनराशि	तारीख	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														''।

23–उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल–02 में, शीर्षक में, शब्द, अंक और कोष्ठक ''नियम 108(3)'' के पश्चात, शब्द, अंक और कोष्ठक ''और 109(2)'' बढ़ा दिये जाएंगे।

24–उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल–03 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''प्ररूप जीएसटी एपीएल–01/03 डब्ल्यू

[नियम 109ग देखें]

अपील आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन

1–जीएसटीआईएन :

2–व्यवसाय का नाम (विधिक) [यदि धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल की जाती है] :

3–अपीलार्थी का नाम और पदनाम [यदि धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल की जाती है] :

4–आदेश संख्या एवं तारीख :

5–अपील का एआरएन और तारीख :

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

6–निकासी के कारण :

(i) निर्णायक प्राधिकारी के आदेश की स्वीकृति।

(ii) समान विषय वस्तु पर उच्च अपील प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश की स्वीकृति।

(iii) फाईल अपील में गलतियों/चूक के सुधार के पश्चात् फिर से अपील फाईल करने की आवश्यकता है।

(iv) अपील में सम्मिलित धनराशि बोर्ड/आयुक्त द्वारा अपील के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम है।

(v) कोई अन्य कारण।

7–घोषणा [धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल होने की स्थिति में लागू] :

मैं/हम <करदाता का नाम> इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यहाँ दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

आवेदक/आवेदक
अधिकारी का नाम
पदनाम/प्रास्थिति''।

25–उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

''प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01ख

[नियम 88ग देखें]

भाग–ए (प्रणाली जनित)

जावक पूर्तियों के विवरण में रिपोर्ट की गई देनदारी और बदले में रिपोर्ट की गई देनदारी में अन्तर की सूचना

सन्दर्भ संख्या : तारीख :

जीएसटीआईएन :

विधिक नाम :

1–यह दृष्टव्य है कि आपके द्वारा संदेय कर प्ररूप जीएसटीआर–1 में या चालान प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, आपके द्वारा जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्न के अनुसार आपके द्वारा संदेय किए गए कर की धनराशि की अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3बी <से> <से> तक रुपये की राशि से अधिक है। .... का विवरण इस प्रकार है

प्ररूप का प्रकार	देयता घोषित/ संदेय (रुपये में)				
	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	उपकर	कुल
प्ररूप जीएसटीआर–1/ आईएफ एफ					
प्ररूप जीएसटीआर–3बी					
दायित्व में अन्तर					

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

2—नियम 88ग के उपनियम (1) के अनुसार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि या तो धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ उक्त अन्तर कर देयता का भुगतान प्ररूप जीएसटी डीआरसी—03 के माध्यम से करें और/या प्ररूप जीएसटी डीआरसी—01ख भाग—ख में उसका विवरण प्रस्तुत करें या, प्ररूप जीएसटी डीआरसी—01बी के भाग—बी में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें अन्तर कर देयता के उस हिस्से के सम्बन्ध में कारणों को सम्मिलित किया गया है, जो सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है।

3—यह ध्यान दिया जाए कि जहाँ कोई धनराशि सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है और जहाँ आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहाँ आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या कारण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त धनराशि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79 के उपबन्धों के अनुसार वसूली योग्य होगी।

4—यह एक प्रणाली जनित सूचना है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग—ख

देयता में अन्तर की सूचना के सम्बन्ध में करदाता द्वारा प्रतिउत्तर

सूचना की सन्दर्भ संख्या : तारीख :

(क) **मैंनें प्ररूप जीएसटी डीआरसी—01ख के भाग—क** में यथाविनिर्दिष्ट अन्तर कर देयता की धनराशि का संदेय पूर्णतः या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, प्ररूप **जीएसटी डीआरसी—03** के माध्यम से किया है, और उसके विवरण नीचे दिए गए हैं :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी—03 का एआरएन	शीर्ष के अधीन संदाय	कर अवधि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	उपकर

और/या

(ख) अन्तर कर देयता के उस हिस्से के सम्बन्ध में कारण जो संदेय नहीं किया गया है, निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	अन्तर के लिए संक्षिप्त कारण	विवरण (आज्ञापक)
1	**प्ररूप जीएसटीआर—3ख** में पूर्व कर अवधि में संदत्त की गई अतिरिक्त देयता	
2	पूर्व कर अवधि के कुछ लेनदेन जिन्हें उक्त कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर—1/आईएफएफ में घोषित नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिनके सम्बन्ध में कर का भुगतान पहले ही उक्त कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर—3ख में किया जा चुका है और जिन्हें अब विचाराधीन कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर—1/आईएफएफ में घोषित किया गया है।	
3	**प्ररूप जीएसटीआर—1/आईएफएफ** गलत विवरण के साथ फाईल किया गया है और अगली कर अवधि में संशोधित किया जाएगा (टाइपिंग त्रुटियों, गलत कर दरों आदि सहित)	
4	प्राप्त अग्रिमों की रिपोर्टिंग में त्रुटि और चालान के विरुद्ध समायोजित	
5	कोई अन्य कारण	

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

सत्यापन

मै .... सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि यहाँ ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम/प्रास्थिति :

स्थान :

तारीख :''।

26–उक्त नियमावली में, प्रपत्र जीएसटी डीआरसी–03 के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

''प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03

[नियम 142(2) और 142(3) देखें]

स्वैच्छिक रूप से किया गया संदाय की सूचना या किया गया कारण बताओं नोटिस (एससीएन) या विवरण या प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क के माध्यम से अभिनिश्चित कर की सूचना

1	जीएसटीआईएन		
2	नाम	<ऑटो >	
3	संदाय का कारण	<<ड्रॉप डाउन>>	
3क	गलत आईजीएसटी प्रतिदाय के लदान बिल के ब्यौरे (केवल विनिर्दिष्ट प्रवर्ग ड्राप डाउन मेन्यू में चुने जाने के लिए सक्षम है)।	(i) लदान बिल/निर्यात बिल की संख्या और तारीख : (ii) माल के निर्यात पर संदत्त आईजीएसटी की धनराशि : (iii) रियायती दर या छूट पर निवेश की उपाप्ति के लिए उपयोग की गई अधिसूचना संख्या : (iv) अधिसूचना की तारीख : (v) प्राप्त किए गए प्रतिदाय की धनराशि : (vi) निक्षेपित किए जाने वाले गलत प्रतिदाय की धनराशि : (vii) बैंक खाते में प्रतिदाय के प्रत्यय की तारीख :	
4	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है।	<<ड्रॉप डाउन>>	
5	कारण बताओ सूचना के ब्यौरे, यदि संदाय प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क के माध्यम से अभिनिश्चित कर के निर्गम, सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण, अन्वेषण, जीएसटी आरएफडी–01 के 30 दिन के भीतर किया जाता है, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	सन्दर्भ संख्या/एआरएन	जारी करने/फाईल करने की तारीख

6	वित्तीय वर्ष											
7	ब्याज और शास्ति सहित किए गए संदाय के ब्यौरे, यदि लागू हो (रुपये में धनराशि)											
क्रम संख्या	कर अवधि	अधिनियम	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	फीस	अन्य	योग	उपयोग किए गए खाते (नकद/प्रत्यय)	विकलन प्रविष्टि संख्या	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8—कारण, यदि कोई हो— << टेक्स्ट बॉक्स >>

9—सत्यापन —

मैं तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख ....

टिप्पणी :—

1—नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में प्राप्त एकीकृत माल और सेवा कर के गलत प्रतिदाय के निक्षेप के लिए और अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के गलत प्रतिदाय के निक्षेप के लिए, संदाय केवल नकद में ही किया जाना है।

2—प्ररूप जीएसटी आरएफडी—01 के एआरएन को अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए यदि संदाय का कारण चयनित किया गया है—''अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के गलत प्रतिदाय का निक्षेप''।

3—लदान बिल के ब्यौरे उसी पैटर्न में प्रविष्ट किए जाने चाहिए जिसमें प्रतिदाय के ब्यौरे प्रविष्ट किए गए है।''।

27—उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी डीआरसी—25 में,—

(i) शब्द ''पुनरीक्षण अधिकारी'' के पश्चात् शब्द और अक्षर ''दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी'' बढ़ा दिये जाएंगे;

(ii) शब्द ''अपील या पुनरीक्षण के निपटान के पहले'' के स्थान पर शब्द ''अपील या पुनरीक्षण या किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के निपटान के पहले'' रख दिये जाएंगे;

(iii) शब्द ''अपील पुनरीक्षण'' के पश्चात् अक्षर और शब्द ''या किन्हीं अन्य कार्यवाहियों को'' बढ़ा दिये जाएंगे।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण,

प्रमुख सचिव।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 04/XI-2–23-9(42)-17-T.C. 65-U.P. GST Rules-2017-Order(267)-2023, dated March 20, 2023 :

No. 04/XI-2–23-9(42)-17-T.C. 65-U.P. GST Rules-2017-Order(267)-2023

Dated Lucknow, March 20, 2023

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules to further amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :–

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(FIFTY-NINTH AMENDMENT) RULES, 2023

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fifty-Ninth Amendment) Rules, 2023. Short title and commencement

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from 26th day of December, 2022 :

Provided further that provisions of clause (iv) and (v) of rule 2 of this notification shall come into force with effect from such date as notificed by the Government.

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 in rule 8,– Amendment of rule 8

(i) in sub-rule (I), the words and letters, "mobile number, *e*-mail address,"shall be *omitte*d;

(ii) in sub-rule (2), in clause (a), *after* the words "Direct Taxes", the words "and shall also be verified through separate one-time passwords sent to the mobile number and *e*-mail address linked to the Permanent Account Number" shall be *inserted*;

(iii) in sub-rule (2), clause (b) and (c) shall be *omitted*;

(iv) for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be *substituted*. namely :–

"(4A) Every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6d) of section 25, who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, shall be followed by biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this sub-rule.";

(v) in sub-rule (5), *after* the words, brackets and figure "sub-rule (4)", the words, brackets, figure and letter "or sub-rule (4A)", shall be *inserted*.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of rule 9

3. In the said rules, in rule 9,–

(i) in sub-rule (I), in the proviso, after clause (a), the following clause shall be *inserted*, namely :–

"(aa) a person, who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, is identified on the common portal, based on data analysis and risk Parameters, for carying out physical verification of places of business; or";

(ii) in sub-rule (2), in the proviso, after clause (a), the following clause shall be *inserted*, nmely :–

"(aa) a person, who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, for carrying out physical verification of places of business; or".

Amendment of rule 12

4. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (3), *after* the word, "Where", the words, brackets and figure, "on a request made in writing by a person to whom a registration has been granted under sub-rule (2) or", shall be *inserted*.

Amendment of rule 37

5. In the said rules, in rule 37 in sub-rule (1), with effect from 1st day of October, 2022,–

(i) *after* the words, "value of such supply", the words, "whether wholly or partly," shall be *inserted*;

(ii) *after* the words, "shall pay", the words, "or reverse" shall be *inserted*;

(iii) *after* the words, "in respect of such supply", the letters and words, "Proportinate to the amount not paid to the supplier,"shall be *inserted*.

Amendment of rule 37

6. In the said rules, *after* rule 37, the following rule shall be *inserted*, namely :–

"37A. Reversal of input tax credit in the case of non-payment of tax by the supplier and re-availment thereof–Where input tax credit has been availed by a registered person in the return in FORM GSTR-3B for a tax period in respect of such invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, but the return in FORM GSTR-3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supplies has not been furnished by such supplier till the 30th day of September following the end of financial year in which the input tax credit in respect of such invoice or debit note has been availed, the said amount of input tax credit shall be reversed by the said registered person, while furnishing a return in FORM GSTR-3B on or before the 30th day of November following the end of such financial year :

Provided that where the said amount of input tax credit is not reversed by the registered person in a return in FORM GSTR-3B on or before the 30th day of November following the end of such financial year during which such input tax credit has been availed, such amount shall be payable by the said person along with interest thereon under section 50:

Provided further that where the said supplier subsequently furnishes the return in FORM GSTR-3B for the said tax period, the said registered person may re-avail the amount of such credit in the return in FORM GSTR-3B for a tax period thereafter."

7. In the said rules, in rule 46, in clause (f), the following proviso shall be *inserted*, namely :– Amendment of rule 46

"Provided that where any taxable service is supplied by or through an electronic commerce operator or by a supplier of online information and database access or retrieval services to a recipient who is unregistered, irrespective of the value of such supply, a tax invoice issued by the registered person shall contain the name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the Stae and the said address shall be deemed to be the address on record of the recipient."

8. In the said rules, in rule 46A, the following proviso shall be *inserted*, namely :– Amendment of rule 46A

"Provided that the said single "invoice-cum-bill of supply" shall contain the particulars as spedified under rule 46 or rule 54, as the case may be, and rule 49."

9. In the said rules, in rule 59, in sub-rule (6), *after* clause (c), the following clause shall *be inserted*, namely :– Amendment of rule 59

"(d) a registerd person, to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of sub-rule (1) of rule 88C in respect of a tax period, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility for a subsequent tax period, unless he has either deposited the amount specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reasons for any amount remaining unpaid, as required under the provisions of sub-rule (2) of rule 88C."

10. In the said rules, in rule 87, in sub-rule (8), the following proviso shall be *inserted*, namely :– Amendment of rule 87

"Provided that where the bank fails to communicate details of Challan Identification Number to the Common Portal, the Electonic Cash Ledger may be updated on the basis of e-Scroll of the Reserv Bank of India in cases where the details of the said e-Scroll are in conformity with the details in challan generated in FORM GST PMT-06 on the Common Portal."

11. In the said rules, *after* rule 88B, the following rule shall be *inserted*, namely :– Amendment of rule 88B

"88C. Manner of dealing with defference in liability reported in statement of outward supplies and that reported in return–(1) Where the tax payable by a registered person, in accordance with the statement of outward supplies furnished by him in FORM GSTR-1 of using the Invoice Furnishing Facility in respect of a tax period, exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with the return for that period furnished by him in FORM GSTR-3B, by such amount and such percentage, as may be recommended by the Council, the said registered person shall be intimated of such difference in Part A of FORM GST DRC-01B, electronically on the common portal, and a copy of such Intimation shall also be sent to his e-mail address provided at the time of registration or as amended form time to time, highlighting the said difference and directing him to –

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(a) pay the differential tax liability, along with interest under section 50, through FORM GST DRC-03; or

(b) explain the aforesaid difference in tax payable on the common portal, within a period of seven days.

(2) The registered person referred to sub-rule (1) sahll, upon receipt of the intimation referred to in that sub-rule, either,–

(a) pay the amount of the differential tax liability, as specified in Part A of FORM GST DRC-01B fully or partially, along with interest under section 50, through FORM GST DRC-03 and furnish the details thereof in Part B of FORM GST DRC-01B electronically on the common poratal; or

(b) furnish a reply electronically on the common portal, incorporating reasons in respect of that part of the differential tax liability that has remained unpais, if any, in Part B of FORM GST DRC-01B, within the period specified in the said sub-rule.

(3) Where any amount specified in the intimation referred to in sub-rule (1) remains unpaid within the period specified in that sub-rule and where no explanation or reason is furnished by the registered person in default or where the explanation or reason furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be recoverable in accordance with the provisions of sectioin 79."

Amendment of rule 89

12. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (2),–

(i) *after* clause (k), the following clause shall be *inserted*, namely :–

"(ka) a statement containing the details of invoices *viz.* number, date, value, tax paid and details of paymant, in respect of which refund is being claimed along with copy of such invoices, proof of making such payment to the suplier, the copy of agreement or registered agreement or contract, as applicable, entered with the supplier for supply of service, the letter issued by the supplier for cancellation or termination of agreement or contract for aupply of service, details of payment received from the supplier against cancellation or termination of such agreement along with proof thereof, in acase where the refund is claimed by an unregistered person where the agreement or contract for supply of service has been cancelled or terminated;

(kb) a certificate issued by the supplier to the effect that he has paid tax in respect of the invoices on which refund is beng claimed by the applicant, that he has not adjusted the tax amount involved in these invoices against his tax liability by issuing credit note, and slso, that he has not claimed and will not claim refund of the amount of tax involved in respect of these invoices, in a case where tha refund is claimed by an unregistered person where the agreement or contract for supply of service has been cancelled or terminated;";

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ii) In clause (m), *after* the proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :–

"Provided further that a certificate is not required to be furnished in cases where refund is claimed by an unregistered person who has borne the incidence of tax."

13. In the said rules, in rule 108, *for* sub-rule (3), the following sub-rule shall be *substituted*, namely :– Amendment of rule 108

"(3) Where the decision or order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgement, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the dtae of filing of appeal :

Provided that where the decisioin or order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit a self-certified copy of the said decision or order within a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-01 and a final acknowledgment, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf, and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal :

Provided further that where the said self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-01, the date of submission of such copy shall be considered as the date of filing of appeal."

14. In the said rules, *for* rule 109, the following rule shall be *substituted*, namely :– Amendment of rule 109

"109. Application to the Appellate Authority–(1) An application to the Appellate Authority under sub-section (2) of section 107 shall be filed in FORM GST APL-03, along with the relevant documents, either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner and provisional acknowledgment shall be issued to the appellant immemiately.

(2) Where the decision or order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgment, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal under sub-rule (1) :

Provided that where the decision or order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit a self-certified copy of the said decision or order within a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-03 and a final acknowledgment, indicating appeal unmber, shall be issued in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf, and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Provided further that where the said self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-03, the date of submission of such copy shall be considered as the date of filing of appeal."

Amendment of Rule 109B

15. In the said rules, *after* rule 109B, the following rule shall be *inserted*, namely :–

"109C. Withdrawal of Appeal–The appellant may, at any time before issuance of show cause notice under sub-section (11) of section 107 or before issuance of the order under the said sub-section, whichever is earlier, in respect of any appeal filed in FORM GST APL-01 or FORM GST APL-03, file an application for withdrawal of the said appeal by filing an application in FORRM GST APL-01/03W :

Provided that where the final acknowledgment in FORM GST APL-02 has been issued, the withdrawal of the said appeal would be subject to the approval of the appellate authority and such application for withdrawal of the appeal shall be decided by the appellate authority within seven days of filing of such application :

Provided further that any fresh appeal filed by the appellant pursuant to such withdrawal shall be filed within the time limit specified in sub-section (1) or sub-section (2) of section 107, as the case may be."

Amendment of rule 138

16. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (14), in the Annexure, in Column (2) of the table, against S. no. 5, *after* the brackets, word and figures "(Chapter 71)", the words, brackets and figures "excepting Imitation Jewellery (7117)" shall be *insrted*.

Amendment of rule 161

17. In the said rules, in rule 161, *for* the word, "order", the words, "intimation or notice" shall be *substituted*.

FORM GST REG-01

18. In the said rules, in FORM GST REG-01,–

(i) in PART A, in the note, *for* the words, "Authorised signatory filing the application shall provide his mobile number and *e*-mail address", the words, "*E*-mail ID and Mobile Number shall be auto-populated from Income Tax database as linked with the Permanent Account Number of the applicant" shall be *substituted*;

(ii) in the instructions for submission of application for Registration, paragraph 2 shall be *omitted*.

FORM GST REG-17

19. In the said rules, in FORM GST REG-17, *after* the words "on merits", the following shall be *inserted*, namely :–

"Kindly refer to the supportive document (s) attached for case specific details".

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

20. In the said rules, *for* FORM GST REG-19, the following form shall be *substituted*, namely :–

"FORM GST REG-19

[*See* rule 22(3)]

Reference Number Date

To

Name

Address

GSTIN/UIN

Application Reference Number (ARN) Date

Order for Cancellation of Registration

This has reference to show cause notice issued dated ----------------

WHEREAS no reply to the show cause notice has been *submitted*;

AND, WHEREAS, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason (s); or

WHEREAS reply to the show cause notice has been submitted *vide* <ARN Number> dated -----;

AND, WHEREAS, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s); or

WHEREAS no reply to the show cause notice has been submitted and on day fixed for personal hearing, you did not appear in person or through an authorised representative;

AND, WHEREAS, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s); or

WHEREAS no reply to the show cause notice has been submitted, but you/your authorised representative attended the personal hearing and made a written or verbal submission;

AND, WHEREAS, the undersigned on examination of your written or verbal submission made during personal hearing and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s); or

WHEREAS reply to the show cause notice has been submitted *vide* <ARN Number> dated -----. But you or your authorised representative did not attend the personal hearing on scheduled or extended date;

AND, WHEREAS, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s); or

WHEREAS reply to the show cause notice has been submitted *vide* <ARN Number> dated ------ and you/your authorised representative attended the personal hearing, made a written/oral submission during personal hearing;

AND, WHEREAS, the the undersigned has examined your reply to show cause notice as well as submissions made at the time of personal hearing and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s) :–

(i)

(ii)

1. The effective date of cancellation of your registration is <<DD/MM/YYYY>>.

2. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.

3. It may be noted that a registered person furnishing return under sub-section (1) of section 39 of the CGST Act, 2017 is required to furnish a final return in FORM GSTR-10 within three months of the date of this order.

4. You are required to furnish all your pending returns.

5. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

Place :

Date :

Signature
(Name of the officer)
Designation
Jurisdiction".

21. In the said rules, in FORM GSTR-1,–

(a) In the box–

(i) *for* the word, "Year", the words, "Financial Year" shall be *substituted*;

(ii) *for* the word, "Month", the words, "Tax period" shall be *substituted*;

(b) *for* Table 3, the following table shall *be substituted*, namely :–

"3	(a)	ARN	<Auto>
	(b)	Date of ARN	<Auto>"

(c) in Table 4A, *for* the brackets, letters and words, "(i) attracting reverse charge and (ii) supplies made through e-commerce operator", the words, brackets and letters, "attracting reverse charge (including supplies made through e-commerce operator attracting TCS)" shall be *substituted*;

(d) Table 4C and entries relating thereto shall be *omitted*;

(e) In Table 5A, *for* the figure, letters, words and brackets, "5A. Outward supplies (other than supplies made through e-commerce operator, rate wise)", the words, brackets, letters, "Outward supplies (including supplies made through e-commerce operator, rate wise)" shall be *substituted*;

(f) Table 5B and entries relating thereto shall be *omitted*;

(g) *for* the Table 7, the following table shall be *substitutied*, namely :–

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

Rate of tax	Total Taxable value	Amount			
		Integrated	Central	State Tax/ UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
7A. Inter-State supplies					
Consolidated rate wise outward supplies (including supplies made through e-commerce operator attracting TCS)					
7B. Inter-State Supplies where invoice value is upto Rs. 2.5 Lakh (Rate wise) - Consolidated rate wise outward supplies (including supplies made through e-commerce operator attracting TCS)					
Place of Supply (Name of State)					

(h) In Table 9,–

(i) in the heading, *for* the words and letters "debit notes, credit notes, refund vouchers", the words, "debit and credit noted" shall be *substituted*;

(ii) *for* the words and letter, "Revised details of document or details of original Debit or Credit Notes or refund vouchers", the words and letter, "Revised details of document or details of original Debit or Credit Notes" shall be *substituted*;

(iii) in the sub-heading, in Column no. 2 and 3, the word, "Inv." shall be *omitted*;

(iv) in the sub-heading, in Column no. 5 and 6, *for* the word, "Invoice", the word "Document" shall be *substituted*;

(i) In Table 9A, *for* the words, "If the invoice/Shipping bill details furnished earlier were incorrect", the word, "Amendment of invoice/Shipping bill details furnished earlier" shall be *substituted*;

(j) in Table 9B, the words, "Refund voucher" shall be *omitted*;

(k) in Table 9C, *for* the words and brackets, "Debit Notes/Credit Notes/Refund voucher (amendments thereof)", the words and brackets, "Debit Notes/Credit Notes (Amended)" shall be *substituted*;

(l) in Table 10, *for* the word, "Month", the words, "Month/Quarter" shall be *substituted*;

(m) Table 10A(1) and entries relating thereto shall be *omitted*;

(n) Table 10B(1) and entries relating thereto shall be *omitted*;

(o) in Table 11, in the heading, *after* the words, "earlier tax period", the brackets and words, "(Net of refund vouchers, if any)" shall be *inserted*;

(p) in Table 12, in the sub-heading, in Column no. 3, the brackets and word, "(Optional if HSN is provided)" shall be *omitted*;

(q) After Table 13 and before verification, the following tables shall be *inserted*, namely :–

"14. Details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operators are liable to collect tax under section 52 of the Act or liable to pay tax u/s 9(5) (Supplier to report)

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

Nature of supply	GSTIN of e-commerce operator	Net value of supplies	Tax Amount			
			Integrated Tax	Central Tax	State Tax/ UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
(a) Supplies on which e-commerce operator is liable to collect tax u/s 52						
(b) Supplies on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5)						

14A. Amendement to details of the supplies madr through e-commerce operators on which e-commerce operators are liable to collect tax under section 52 of the Act or liable to pay tax u/s 9(5) (Supplier to report)

Nature of supply	Original details		Revised details	Net value of supplies	Tax amount			
	Month/ Quarter	GSTIN of e-commerce operator	GSTIN of e-commerce operator		Integrated Tax	Central Tax	State Tax/ UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(a) Supplies on which e-commerce operator is liable to collect tax u/s 52								
(b) Supplies on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5)								

15. Details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5) (e-commerce operator to report)

Type of supplier	Type of recipient	GSTIN of supplier	GSTIN of recipient	Document no.	Document date	Rate	Value of supplies made	Tax amount				Place of supply
								Integrated Tax	Central Tax	State Tax/UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Registered	Registered											
	Unregistered											
Unregisteres	Registered											
	Unregistered											

15A (I). Amendment to details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5) (e-commerce operator to report, for registered recipients)

Type of supplier	Original details				Revised details				Rate	Value of supplies made	Tax amount				Place of supply
	GSTIN of supplier	GSTIN of recipient	Doc. no.	Doc. date	GSTIN of supplier	GSTIN of recipient	Doc. no.	Doc. date			Integrated Tax	Central Tax	State Tax/UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Registered															
Unregistered															

15A (II). Amendment to details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5) (e-commerce operator to report, for unregistered recipients)

Type of supplier	Original details		Revised details	Rate	Value of supplies made	Tax amount				Place of supply
	GSTIN of supplier	Tax period	GSTIN of supplier			Integrated Tax	Central Tax	State Tax/UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Registered										
Unregistered										

(r) For the instructions, the following shall be *substituted*, namely :–

"A. General Instructions ,–

1. Terms used :–

(a) GSTIN	:	Gooods and Services Tax Identification Number
(b) UIN	:	Unique Identity Number
(c) UQC	:	Unit Quantity Code
(d) HSN	:	Harmonized System of Nomenclature
(e) POS	:	Place of Supply (Respective State)
(f) TCS	:	Tax collection at source by e-commerce operator
(g) SEZ	:	Special Economic Zone
(h) ECO	:	E-commerce operator
(i) DTA	:	Domestic Tariff Area
(j) B to B	:	Supplies from one registered person to another registered person
(k) B to C	:	Supplies from registered person to unregistered person

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

2. Quarterly taxpayers filing invoice details through GSTR-1 or IFF for the first two month(s) of the quarter shall not repeat such details while filing GSTR-1 of the quarter.

B. Table specific instructions,–

Sr. no.	Table no.	Instructions
1	2	3
1	4A	(i) Supplies made to registrerd persons including supplies made through e-commerce operator attracting TCS u/s 52, but excluding supplies attracting tax on reverse charge basis, shall be reported. (ii) Supplies madr u/s 9(5) for which e-commerce operator is liable to pay tax shall not be reported in this table. (iii) The supplies made by SEZ on cover of a bill of entry shall not be reported by SEZ unit/developer.
2	4B	Supplies made to registered persons, attracting tax on reverse charge basis, shall be reported. supplies made u/s 9(5) for which e-commerce operator is liable to pay tax shall not be reported in this table.
3	5	Inter-State supplies madr to unregistered persons having invoice value more than Rs. 2.50 Lakh shall be reported.
4	6A	Exports with or without IGST shall be reported. Shipping bill details, if applicable, can be provided later through table 9 if such details are not available at the time of filing the statement.
5	6B	Supplies made to SEZ units or SEZ developers, with or without IGST, shall be reported.
6	6C	Deemed export supplies shall be reported.
7	7	Supplies made to unregistered perosns other than those reported in table 5 shall be reported. Values shall be net of credit and debit notes.
8	8	Supplies having no tax liability (Nil rated, exempted and non-GST supplies) shall be reported. Supplies made through E-commerce Operator under section 9(5) shall not be included under exempted supplies of supplier.
9	9A	Amendment of values reported in table 4A. 4B, 5, 6A, 6B and 6C shall be reported.
10	9B	Credit and debit notes issued during the period shall be reported.
11	9C	Amendment of credit and debit notes reported in table 9B shall be reported.
12	10	Amendment of unregistered supplies reported in table 7 shall be reported.
13	11(I)A	Advances received shall be reported. The values shall be net of refund vouchers, if any.
14	11(I)B	Advances adjusted during the period shall be reported.
15	11(II)	Amendment to advances received or adjusted shall be reported.
16	12	HSN details as per notifications issued by Government from time to time shall be reported.
17	13	Details of the documents issued during the period shall be reported.

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

18	14(a)	Details of the supplies reported in any table from 4 to 10, made through *e*-commerce operator on which ECO is liable to collect tax at source (TCS) under section 52, shall be reported by the supplier.
19	14(b)	Details of supplies made through ECO, on wihch ECO is liable to pay tax u/s 9(5), shall be reported by the supplier. Tax on such supplies shall be paid by the ECO and not by the supplier.
20	14A(a)	Amendment to supplies reported in table 14(a) in earlier tax period shall be reported.
21	14A(b)	Amendment to supplies reported in tabel 14(b) in earlier tax period shall be reported.
22	15	(i) ECO shall report details of the supplies made through him/her on which he/she is liable to pay tax u/s 9(5). (ii) GSTIN of supplier and recipient, if registered, shall be reported. (iii) Details of the documents issued by ECO shall be reported, if recipient is registered.
23	15A(I)	Amendment to the details reported in table 15 in earlier tax periods in respect of registered recipients shall be reported.
24	15A(II)	Amendment to the details reported in table 15 in earlier tax periods in respect of unregistered recipients shall be reported.".

22. In the said rules, in FORM GST RFD-01, in Annexure-1, *after* statement-7, the following statement shall be *inserted*, namely :–

Sl. no.	GSTIN of supplier	Document/Invoice Details				Tax paid				Details of payment of invoice value to the supplier		Details of payment received against cancellation/ termination		Refund Amount Claimed (I+C+ S+ C)
		Type of docu-ment	No.	Date	Taxa-ble Value	Inte-grated Tax (I)	Cen-tral Tax (C)	State/ UT Tax (S)	Cese	Date	Amount	Date	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

23. In the said rules, in FORM GST APL-02, in the heading, *after* the word, figures and brackets "rule 108(3)", the word, figures and brackets "and 109 (2)", shall be *inserted.*

24. In the said rules, *after* FORM GST APL-03, the following from shall be *inserted*, namely :–

"FORM GST APL-01/03W

(*See* rule 109C)

Application for Withdrawal of Appeal Application

1. GSTIN :

2. Name of Business (Legal) [in case appeal is filed under sub-section (1) of section 107] ;

3. Name and designation of the appellant [in case appeal is filed under sub-section (2) of section 107]:

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

4. Order No. and Date :

5. ARN of the Appeal and Date :

6. Reasons for Withdrawal :

(i) Acceptance of order of the adjudicating authority;

(ii) Acceptance of order of a Higher Appellate Authotity/Court on similar subject matter;

(iii) Need to file appeal again after rectification of mistakes/omission in the filed appeal;

(iv) Amount involved in appeal is less than the monetary limit fixed for Appeal by the board/commissioner;

(v) Any other reason.

7. Declaration [applicable in case appeal is filed under sub-section (1) of section 107)]:

I/We<Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place : Signature

Date Name of Applicant/Applicant Officer
Designation/Status.".

25. In the said rules, *after* FORM GST DRC-01A, the following form shall be *inserted*, namely :–

"FROM GST DRC-01B

(*See* rule 88C)

PART-A (System Generated)

Intimation of difference in liability reported in statement of outward supplies anf that reported in return

Ref No.: Date :

GSTIN

Legal Name :

1. It is noticed that the tax payable by you, in accordance with the statement of outward supplies furnished by you in FORM GSTR-1 or using the invioce furnishing facility, exceeds the amount of tax paid by you in accordance with the return furnished in FORM GSTR-3B for the period<from><to> by an amount of Rs. .... the details thereof are as follows :

Form Type	Liability declared/paid (in Rs.)				
	IGST	CGST	SGST/UTGST	Cess	Total
FORM GSTR-1/IFF					
FORM GSTR-3B					
Difference in liability					

2. In accordancr with sub-rule (1) of rule 88C, you are hereby requested to either pay the said differential tax liability, along with interest under section 50, through FORM GST DRC-03 and furnish the detail thereof in Part-B of FORM GST DRC-01B, and/or furnish the reply in Part-B of FORM GST DRC-01B incorporating reasons in respect of that part of the differential tax liability that has remained unpaid, within a period of seven days.

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

3. It may be noted that where any amount remains unpaid within a period of seven days and where no explanation or reason is furnished by you or where the explanation or reason furnished by you is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be recoverable in accordance with the provisions of sectiona 79 of the Act.

4. This is a system generated notice and does not repuire signature.

PATE-B

Reply by Taxpayer in respect of the intimation of difference in liability

Reference No. of Intimation : Date :

A. I have paid the amount of the differential tax liability, as specified in **Part A** of **FORM GST DRC-01B**, fully or partially, along with interest under sectiion 50, througth **FORM GST DRC-03**, and the details thereof are as below :

ARN of FORM GST DRC-03	Paid Under Head	Tax Period	IGST	CGST	SGST/UTGST	Cess

AND/OR

B. The reasons in respect of that part of the differential tax liability that has remained unpaid, are as under :

Sl. no.	Brief Reasons for Difference	Details (Mandatory)
1	Excess Liability paid in earlier tax periods in **FORM GSTR-3B**	
2	Some transactions of earlier tax period which could not be declared in the FORM GSTR-1/IFF of the said tax period bot in respect of which tax has already been paid in FORM GSTR-3B of the said tax period and which have now been declared in FORM GSTR-1/IFF of the tax period under consideration	
3	**FORM GSTR-1/IFF** filed with incorrect details and will be amended in next tax period (including typographical errors, wrong tax rates, *etc*.)	
4	Mistakes in reporting of advances received and adjusted against invoices	
5	Any other reasons	

Verification

I _______________________________________ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name :

Designation/Status :

Place :

Date :

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

26. In the said rules, *for* FORM GSTR DRC-03, the following form shall be *substituted*, namely :–

"FORM GST DRC-03

[*See* rules 142(2) and 142(3)]

Intimation of payment made voluntarily or made against the show cause notice (SCN) or statement or intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A

1	GSTIN		
2	Name	<Auto>	
3	Cause of payment	<<drop down>>	
3A	Shipping bill details of erroneous IGST refund (to be enabled only if the specified category is chosen in drop down menu)	(i) Shipping Bill/Bill of Export No. and Date : (ii) Amount of IGST paid on export of goods : (iii) Notificaition No. used for procuring inputs at concessional rate or exemption : (iv) Date of notification : (v) Amount of refund received : (vi) Amount of erroneous refund to be deposited : (vii) Date of credit of refund in Bank Account :	
4	Section under which voluntary payment is made	<<drop down>>	
5	Details of show cause notice, if payment is made within 30 days of its issue, scrutiny, intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A, audit, inspection or investigation, GST RFD-01, others (specify)	Referemce No./ARN	Date of issue/filing
6	Financial Year		
7	Details of payment made including interest and penalty, if applicable (Amount in Rs.)		

Sl. no.	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty, if applicable	Fee	Others	Total	ledger utilised (Cash/ Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8. Reasons, if any - <<Text box>>

9. Verification -

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been conecealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory

Name

Designation/Status

Date ....

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

NOTE :–

1. Payment to be made only in cash for deposit of erroneous refund of unutilised Input Tax Credit (ITC) and for deposit of erroneous refund of Integrated Goods and Services Tax (IGST), obtained in contravention of sub-rule (10) of rule 96.

2. ARN of FROM GST RFD-01`to be mentioned mandatorily if cause of payment is selected as – "'deposit of erroneous refund of unutilised ITC'.

3. Details of shipping bills to be entered in the same pattern in which the details have been entered in the returns.".

27. In the said rules, in FORM GST DRC-25,–

(i) *after* the words, "Revisional authority/", the words and letter, "Adjudicating authority or Appellate authority under Insolvency and Bankruptcy Code/" shall be *inserted*;

(ii) *for* the words, "before desposal of appeal or revision", the words, "before disposal of appeal or revision or any other proceedings" shall be *substituted*;

(iii) *after* the words, "giving effect of appeal/revision", the letters and words, "or any other proceedings" shall be *inserted*.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1277 राजपत्र—2023—(2137)—599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 39 सा0 राज्य कर—2023—(2138)—1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1277 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 267) (Niyamavali-59) Data-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–73 (क–8)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 24 अप्रैल, 2023

बैशाख 4, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 511/ग्यारह-2–23-9(42)-17-टी0सी0 66-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(274)-2023

लखनऊ, 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–16

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (साठवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (साठवां संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगी जैसाकि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियम 8 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, नियम 8 के उपनियम (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थातः–

''(4क) जहां धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न आवेदक उपनियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प का चयम करता है वहां उसे उपनियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार संख्या अधिप्रमाणित करानी होगी और ऐसे मामले में आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख, आधार संख्या अधिप्रमाणन की तारीख या उपनियम (4) के अधीन प्ररूप जीएसटीआरईजी–01 के भाग ख में आवेदन प्रस्तुत करने से पन्द्रह दिन पूर्व की तारीख, जो भी पहले हो, होगीः

परंतु यह कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति, जिसने आधार संख्या अधिप्रमाणन का विकल्प ग्रहण किया हो और जिसकी पहचान डाटा विश्लेषण तथा जोखिम मानदंडो के आधार पर सामान्य पोर्टल पर की गई हो, द्वारा उपनियम (4) के अधीनकृत प्रत्येक आवेदन के साथ उसका बायोमैट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन किया जायेगा। और जहां आवेदक कोई व्यक्ति हो, वहां आवेदक का फोटो लेकर संलग्न किया जाएगा या धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों का जहां आवेदक कोई व्यक्ति न हो, वहां इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से किसी एक सुविधा केन्द्र पर प्ररूप जीएसटीआरईजी–01 में आवेदन के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन सहित फोटो लेकर संलग्न किया जायेगा और इस परंतुक के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन पूरा हुआ समझा जाएगा।'';

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव।

―――――

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 511/XI-2–23-9(42)-17-T.C. 66-U.P. GST Rules-2017-Order (274)-2023, dated April 24, 2023 :

No. 511/XI-2–23-9(42)-17-T.C. 66-U.P. GST Rules-2017-Order (274)-2023
Dated Lucknow, April 24, 2023

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules to further amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :–

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(SIXTIETH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixtieth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from such date as notified by the Government.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of rule 8

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 *for* sub-rule (4A) of rule 8, the following sub-rule shall be *sustituted*, namely:-

"(4A) Where an applicant other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, opts for authentication of Aadhaar number he shall, while submitting the application under sub-rule (4), undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number, or fifteen days from the submission of the application in Part B of FORM GST REG-01 under sub-rule (4), whichever is earlier:

Provided that every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, shall be followed by biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this proviso.";

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Apar Mukhya *Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 295 राजपत्र–2023–(1138)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 सा0 राज्य कर–2023–(1139)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

295 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 274) data 8e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–193 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2023

कार्तिक 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 1165/ग्यारह-2–23-9(42)-17-टी0सी0 67-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(299)-2023

लखनऊ, 17 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–41

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इकसठवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इकसठवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह तारीख 4 अगस्त, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियम 9 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के नियम 9 में, उपनियम (1) में, परन्तुक में वृहत पंक्ति में शब्द "उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में" निकाल दिये जायेंगे ।

नियम 10क का संशोधन

3-उक्त नियमावली में, नियम 10क में शब्द और अंक "किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द "कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा" के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, या प्ररुप जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने से पहले, जो भी पूर्वतर हो, सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते के ब्यौरे के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा" ।

नियम 21क का संशोधन

4-उक्त नियमावली में, नियम 21क में,-

उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(i)" (2क) जहां-

धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक पूर्तियों के ब्यौरे या उसके पूर्तिकर्ता द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक पूर्तियों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक पूर्तियों के ब्यौरे, या ऐसे अन्य विश्लेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अध्यधीन बनायी गयी नियमावली के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, या

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है,

ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को उक्त अंतर और विसंगतियों या अननुपालनों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर संशोधित पते पर इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।";

(ii) उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि जहां नियम 10क के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (2क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को निलंबित किया गया है और नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को नियम 10क के उपबंधों के अनुपालन में प्रतिसंहरण किया हुआ माना जाएगा।"

नियम 23 का संशोधन

5-उक्त नियमावली में, नियम 23 में, उपनियम (1) में, तारीख 01 अक्टूबर, 2023 से-

(क) शब्द "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामिल की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामिल की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर" रख दिये जाएंगे;

(ख) पहले परंतुक में, शब्द "परन्तु" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

" परन्तु ऐसी अवधि का पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जो यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो, एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की किसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परन्तु यह और कि";

(ग) दूसरे परन्तुक में, शब्द "परन्तु यह और" के स्थान पर शब्द "परन्तु यह भी" रख दिये जायेंगे।

6-उक्त नियमावली में, नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:- नियम 25 का संशोधन

"25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन-

(1) जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो वह कारबार के स्थान का सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पंद्रह कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररुप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(2) जहां नियम 9 के उपनियम (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो समुचित अधिकारी कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट समयावधि के पूर्ण होने से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व प्ररुप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।"।

7-उक्त नियमावली में, नियम 43 में, उपनियम (5) के पश्चात्- नियम 43 का संशोधन

(क) स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) निकाल दिया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 3:- नियम 42 और इस नियम के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 के उप-पैरा (क) में उल्लिखित ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिन्हें अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों के मूल्य में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, का मूल्य अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तनों में आने वाले यात्रियों के लिए पहुंच टर्मिनल पर शुल्क रहित दुकानों से माल की पूर्ति का मूल्य होगा।"।

8-उक्त नियमावली में, नियम 46 में, खंड (च) में, परंतुक में, शब्द "प्राप्तिकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम शामिल करना होगा और उक्त पते को प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड पर पता समझा जाएगा" के स्थान पर शब्द "प्राप्तिकर्ता के राज्य का नाम और इसे प्राप्तिकर्ता के अभिलेख में पते के रुप में समझा जाएगा" रख दिये जायेंगे; नियम 46 का संशोधन

9-उक्त नियमावली में, नियम 59 में, उपनियम (6) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- नियम 59 का संशोधन

"(ङ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे किसी कर अवधि या अवधियों के संबंध में नियम 88घ के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन सामान्य पोर्टल पर कोई सूचना जारी की गई है, को प्ररुप जीएसटी-1 में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या किसी पश्चात्वर्ती कर अवधि के लिए बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह या तो उक्त सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अधिक इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम को संदत्त नहीं करता है या नियम 88घ के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित अधिक इनपुट कर प्रत्यय की रकम जिसका संदाय किया जाना अभी शेष है, के संबंध में कारणों को स्पष्ट करते हुए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है;

(च) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररुप जीएसटी-1 में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसने नियम 10क के उपबन्धों के अनुसार बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।"।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियम 64 का संशोधन

10–उक्त नियमावली में, नियम 64 में, 01 अक्टूबर 2023 से शब्द "भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधीनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" रख दिये जायेंगे।

नियम 67 का संशोधन

11–उक्त नियमावली में, नियम 67 में, उपनियम (2) में, 01 अक्टूबर, 2023 से शब्द, कोष्ठक और अंक "उपनियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "उपनियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर एकत्र कर के ब्यौरे" रख दिये जाएंगे।

नया नियम 88घ का बढ़ाया जाना

12–उक्त नियमावली में, नियम 88ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"88घ. इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय और जो विवरणी में उपलब्ध है, में भिन्नता से व्यवहार करने की रीति.-

(1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत कर अवधि या अवधियों के लिए विवरणी में उसके द्वारा उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम, उक्त कर अवधि या अवधियों की बाबत प्ररूप जीएसटीआर 2ख में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय, यथास्थिति, ऐसी रकम या ऐसे प्रतिशत जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, से अधिक है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में ऐसी भिन्नता की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना की एक प्रति उसे उक्त भिन्नता दर्शित करते हुए और यह निदेशित करते हुये कि--

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त प्ररूप जीएसटीआर-3ग में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य में समतुल्य रकम को सात दिन की अवधि के भीतर संदत्त करे, या

(ख) सामान्य पोर्टल इनपुट कर प्रत्यय में पूर्वोक्त भिन्नता के लिए कारणों को सात दिनों के भीतर स्पष्ट करे, रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किए गए या समय-समय पर यथा संशोधित उसके ई-मेल पते पर भी भेजी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपनियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो,

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज की रकम के साथ पूर्णत: या भागत: प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में यथा विनिर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य के समतुल्य रकम उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त करेगा और उसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग ख में प्रस्तुत करेगा, या

(ख) इनपुट कर प्रत्यय से अधिक की रकम जो अभी तक संदत्त किए जाने के लिए शेष है, यदि कोई हो, की बाबत कारण सम्मिलित करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग ख में इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट कोई रकम, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त किए जाने से शेष रह जाती है और ऐसी चूक के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो उक्त रकम, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार मांग के लिए दायी होगी ।"।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

13-उक्त नियमावली में, नियम 89 में,- नियम 89 का संशोधन

(क) उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक में शब्द "उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी में" के स्थान पर शब्द "इस प्रकार प्रस्तुत की गई उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी में" शब्द रख दिये जाएंगे ।

(ख) उपनियम (2) में, खंड (ट) में शब्द "ऐसा कथन जो कर" के पश्चात् शब्द "और ब्याज, यदि कोई हो, या संदत्त की गई किसी अन्य रकम" बढ़ा दिये जाएंगे ।"

14-उक्त नियमावली में, नियम 94 को 1 अक्टूबर, 2023 से उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- नियम 94 का संशोधन

"(2) निम्नलिखित अवधियां, उपनियम (1) के अधीन विलम्ब की अवधि में सम्मिलित नहीं की जाएंगी, अर्थात्:-

(क) नियम 92 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में सूचना की प्राप्ति से पंद्रह दिवस से आगे की कोई समय अवधि, जो आवेदक-

(i) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09 का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने, या

(ii) अतिरिक्त दस्तावेज या प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने, में लेता है; और

(ख) ऐसी कोई समयावधि, जो या तो आवेदक द्वारा उस बैंक खाते, जिसमें प्रतिदाय जमा किया जाना है, के सही ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए या इस प्रकार प्रस्तुत बैंक खाते के ब्यौरों को विधिमान्य करने के लिए ली गई, जहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते में स्वीकृत प्रतिदाय की रकम जमा नहीं हो सकी थी ।" ।

15-उक्त नियमावली में, नियम 96 में, उपनियम (2) में, दोनों परंतुक निकाल दिये जायेंगे । नियम 96 का संशोधन

16-उक्त नियमावली में, नियम 108 में, उपनियम (1) में,- नियम 108 का संशोधन

(क) शब्द "इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए" के स्थान पर शब्द "इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल की जाएगी" रख दिये जाएंगे ।

(ख) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में हस्तकृत रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि

(i) आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या

(ii) उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है,

और ऐसे मामले में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी ।"।

17-उक्त नियमावली में, नियम 109 में उपनियम (1) में नियम 109 का संशोधन

(क) शब्द "इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल किया जाएगा जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए" के स्थान पर शब्द "इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किया जाएगा" रख दिये जाएंगे ।

(ख) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में हस्तकृत रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि

आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या

उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है,

और ऐसे मामले में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी।"।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नया नियम 142ख का बढ़ाया जाना

18–उक्त नियमावली में, नियम 142क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

"142ख. अधिनियम की धारा 79 के अधीन वसूली किए जाने योग्य कतिपय रकम की सूचना–(1) जहां, नियम 88ग के साथ पठित धारा 75 के अनुसार या अन्यथा, कर या ब्याज की कोई रकम धारा 79 के अधीन वसूली योग्य हो और वह असंदत्त रह गई हो, तो उचित अधिकारी सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01घ में उक्त रकम के ब्यौरे सूचित करेगा, चूक करने वाले व्यक्ति को, रकम का संदाय, यथास्थिति, लागू ब्याज सहित या ब्याज की रकम का उक्त सूचना की तारीख से सात दिनों के भीतर संदाय करने का निदेश देगा और उक्त रकम प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के भाग-22 में पोस्ट की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को वसूली के लिए नोटिस माना जाएगा।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट कर या ब्याज की कोई भी रकम उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर संदाय नहीं की जाती है, वहां उचित अधिकारी उस रकम की वसूली, जो असंदत्त रह गई है, नियम 143 या नियम 144 या नियम 145 या नियम 146 या नियम 147 या नियम 155 या नियम 156 या नियम 157 या नियम 160 के उपबंधों के अनुसार करेगा।

नियम 162 का संशोधन

19–उक्त नियमावली में, नियम 162 में, 1 अक्टूबर, 2023 से --

(क) उपनियम (3) में, शब्द "उसके समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया है और" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(3क) आयुक्त, नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपनियम (3) के अधीन शमनीय रकम अवधारित करेगा:–

सारणी

क्र.सं.	अपराध	यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम	यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपराध	कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पचहत्तर प्रतिशत तक, ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के न्यूनतम पचास प्रतिशत के अध्यधीन।	कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के साठ प्रतिशत तक, ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के न्यूनतम चालीस प्रतिशत के अध्यधीन।
2	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अपराध		
3	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराध		
4	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट अपराध		

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

5	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध	कर अपवंचन के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम ।	कर अपवंचन के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम ।
6	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) में विनिर्दिष्ट अपराध		
7	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ज) में विनिर्दिष्ट अपराध		
8	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग) से खंड (च) और खंड खंड (ज) और (झ) में उल्लिखित अपराध करने का प्रयास या अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम ।	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम ।

परंतु यह कि जहां व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणी के अधीन आता है, वहां ऐसे मामले में, शमनीय रकम, उस अपराध के लिए अवधारित रकम, जिसके लिए उच्चतर शमनीय रकम विहित की गई है, होगी ।

20-उक्त नियमावली में, नियम 162 के पश्चात्, 1 अक्टूबर, 2023 से निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- नया नियम 163 का बढ़ाया जाना

"163. जानकारी का सहमति आधारित साझाकरण.- (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित में दी गई जानकारी साझा करने का विकल्प चुनता है-

(क) समय-समय पर यथासंशोधित प्ररूप जीएसटी आरईजी-01;

(ख) कतिपय कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी;

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित, उसके द्वारा जारी बीजकों, नामे नोट और जमापत्र से संबंधित कुछ कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर -1,

धारा 158क (जिसे आगे "अनुरोध प्रणाली" कहा गया है) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रणाली के साथ, अनुरोध करने वाली प्रणाली ऐसी जानकारी साझा करने के लिए उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति प्राप्त करेगी और सामान्य पोर्टल पर कर अवधि जहाँ लागू है ब्यौरों सहित सहमति संसूचित करेगी ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के खंड (ग) के अधीन जानकारी साझा करने के लिए अपनी सहमति अनुरोधकर्ता प्रणाली के साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए केवल तभी देगा जब वह उन सभी प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त कर लेगा, जिन्हें उसने उक्त कर अवधि के दौरान बीजक, जमापत्र और नामे नोट जारी किए हैं और जहां वह अपनी सहमति प्रदान करता है, वहां ऐसे प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त की गई मानी जाएगी।

(3) सामान्य पोर्टल उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी उक्त प्रणाली से प्राप्त होने पर अनुरोधकर्ता प्रणाली के साथ संसूचित करेगा-

(क) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति; और

(ख) यथास्थिति, कर अवधि या प्राप्तकर्ताओं का विवरण, जिसके संबंध में जानकारी अपेक्षित है ।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्ररूप जीएसटी आर-3क का संशोधन

21-उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-3क में, अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

" या

वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर व्यतिक्रमी को धारा 46 के अधीन विवरणी भरने का नोटिस-

वित्तीय वर्ष - विवरणी का प्रकार : जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9क

एक रजिस्ट्रीकृत करदाता होने के कारण, आपको की गई या प्राप्त की गई पूर्ति के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना होगा और/या पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक स्व-प्रमाणित समाधान विवरण सम्मिलित करना होगा। उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख समाप्त हो गई है और यह देखा गया है कि आपने आज तक उक्त विवरणी फाइल नही की है ।

2. अत:, आपसे अनुरोध है कि आप 15 दिनों के भीतर उक्त विवरणी फाइल करें, जिसके न होने पर, विधि के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने सहित समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

3. यदि ऊपर निर्दिष्ट विवरणी, शास्ति कार्यवाही का कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले आपके द्वारा फाइल की गई है, तो यह नोटिस वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

4. यह एक प्रणाली जनित नोटिस है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । "

प्ररूप जीएसटी आर-5क का संशोधन

22-उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-5क में, 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी,-

(i) शीर्षक में, शब्द "ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस अभिगमन का प्रदाय या भारत में और कराधेय व्यक्ति से भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा पुनः प्राप्ति सेवाओं के ब्यौरे" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक "भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता (एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में यथा परिभाषित) और भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्तियों के ब्यौरे" रख दिये जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्:-

"4. अवधि: महीना - .... वर्ष ....

4(क) एआरएन :

4(ख) एआरएन की तारीख : ....";

(iii) क्रम संख्या 5 में, शब्द "उपभोक्ता" के स्थान पर, शब्द "गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द रख दिये जाएंगे;

(iv) क्रम संख्या 5क में, शब्द "व्यक्तियों" के स्थान पर, शब्द "ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द रख दिये जाएंगे;

(v) क्रम संख्या 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

"5ख. गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त, भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई कराधेय जावक पूर्तियां जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ती भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है ।

(रकम रुपए में)

जीएसटीआईएन	कराधेय
1	2

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

5ग. गैर कराधेय योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त, भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई कराधेय जावक पूर्तियों में संशोधन, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ती भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है ।

(रकम रुपए में)

मास	मूल जीएसटीआईएन	संशोधित जीएसटीआईएन	कराधेय
1	2	3	4
			";

23–नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर–8 में, 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी,-- प्ररूप जीएसटी आर–8 का संशोधन

(क) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:--

"3.1. गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरे-

पूर्तिकर्ता की नामांकन संख्या	की गई पूर्तियों का सकल मूल्य	लौटाई गई पूर्तियों का मूल्य	पूर्तियों का शुद्ध मूल्य
1	2	3	4
			";

(ख) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:--

"4.1. गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरे में संशोधन-

मूल विवरण			पुनरीक्षित विवरण		
मास	पूर्तिकर्ता का नामांकन संख्या	पूर्तिकर्ता का नामांकन संख्या	की गई पूर्तियों का सकल मूल्य	लौटाई गई पूर्तियों का मूल्य	पूर्तियों का शुद्ध मूल्य
1	2	3	4	5	6
					"।

24-उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, शीर्षक 'अनुदेश' के अधीन,-- प्ररूप जीएसटी आर–9 का संशोधन

(क) पैरा 4 में,---

शब्द, अक्षर और अंक "या वित्तीय वर्ष 2021-22" के पश्चात्, शब्द, अक्षर और अंक "या वित्तीय वर्ष 2022-23" बढ़ा दिये जायेंगे;

सारणी में, दूसरे स्तंभ में,--

क्रम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के समक्ष, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

'वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पृथक रूप से गैर-जीएसटी पूर्ति (5च) रिपोर्ट करनी होगी और उसके पास अपनी पूर्तियों को पृथक रूप से छूट प्राप्त और शून्य रेटेड रिपोर्ट करने या केवल पंक्ति "छूट-प्राप्त" में इन दो छूट-प्राप्त और शून्य रेटेड **शीर्षों** के लिये समेकित जानकारी की पूर्ति रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।';

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम संख्या 5ज, 5झ और 5ञ और 5ट के समक्ष अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, अंक और शब्द क्रमशः "2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जायेंगे ;

(ख) पैरा 5 में, सारणी में दूसरे स्तंभ में,--

क. क्रम संख्या 6ख, 6ग, 6घ और 6 ङ के समक्ष अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22", के स्थान पर, अक्षर, अंक और शब्द क्रमशः "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जायेंगे ;

ख. क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के समक्ष अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जायेंगे ;

(ग) पैरा 7 में,--

क. शब्द और अंक "30 नवंबर, 2022 तक फाइल" के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :--

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, भाग V, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के **संव्यवहारों** का विवरण शामिल है, किन्तु अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक 30 नवंबर, 2023 तक फाइल किए गए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत किया गया है,";

(ख) सारणी में, दूसरे स्तंभ में,--

(I) क्रम संख्या 10 एवं 11 के समक्ष, अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से घोषित किसी भी पूर्ति में परिवर्धन या संशोधन के ब्यौरे, किन्तु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2023 से अक्टूबर तक जो 30 नवम्बर, 2023 तक फाइल किये गये थे, के **प्ररूप जीएसटीआर1** की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहाँ घोषित किये जायेंगे ।";

(II) क्रम संख्या 12 के समक्ष, -

शब्द अंक और कोष्ठक "30 नवंबर, 2022 तक" यहां घोषित किया जाएगा। **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(ख) इन ब्योरे को भरने के लिये उपयोग की जा सकेगी है।", के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किंतु अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । **प्ररूप जीएसटीआर-3ख की** सारणी 4 (ख) का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है।"

अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जायेंगे ;

(III) क्रम संख्या 13 के समक्ष, -

(i) शब्द, अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनः दावा किया गया, पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किये जाएंगे।" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:

वित्तीय वर्ष में, 2022-23 के लिये, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे किंतु जिनके लिये आईटीसी अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक फाइल किए गए विवरणी में लिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(क) का इन ब्योरों को भरने के लिये उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया था, किंतु जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः दावा किया गया था, ऐसे पुनः दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

2023-24 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किया जायेंगे। ";

(ii) अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23 रख दिये जायेंगे;

(घ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में,-

(क) II. 15क, 15ख, 15ग, और 15घ ; और

15ङ, 15च और 15छ के समक्ष-

अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर क्रमश: अक्षर, अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23 रख दिये जाएंगे ।";

(ख) क्रम संख्या 16क, 16ख और 16ग के समक्ष अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर क्रमश: अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23 रख दिये जाएंगे ।";

(ग) क्रम संख्या 17 एवं 18 के समक्ष शब्द, अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए" के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए" रख दिये जायेंगे ।

25-उक्त नियमावली में, प्ररुप जीएसटीआर -9ग में,- प्ररूप जीएसटीआर–9ग का संशोधन

(i) भाग क में, सारणी में

(क) क्रम संख्या 9 में, ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"ख-1	6%					I";

(ख) क्रम संख्या 11 में, वर्णन "5%" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

6%					I";

(ग) भाग 5 में वर्णन "5%" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात, :-

6%					I";

(ii) 'अनुदेश' शीर्ष के अधीन,-

(क) पैरा 4 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में क्रम संख्या 5ख के समक्ष अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जाएंगे ;

(ख) पैरा 6 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में क्रम संख्या 14 के समक्ष अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, अंक और शब्द "2020-21, 2021-22 और 2022-23" रख दिये जाएंगे ;

प्ररूप जीएसटी आर–एफ डी–01 का संशोधन

26-उक्त नियमों में, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में, उपाबंध 1 में विवरण-साक्ष्य के अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"

क्र.सं.	दस्तावेज/बीजक के ब्यौरे			संदत्त रकम के ब्यौरे						दावा किए गए प्रतिदाय के ब्यौरे					
	दस्तावेज का प्रकार	क्षेत्र सं.	तारीख	एकी-कृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उप कर	ब्याज	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट कर)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उप-कर	ब्याज	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट कर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

नया प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग और जीएसटी डीआरसी-01घ

27-उक्त नियमावली में, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग
[नियम 88घ देखें]
भाग - क (प्रणाली जनित)
इनपुट कर प्रत्यय और विवरणी में उपभोग किए जाने वाले ब्यौरे में अंतर्विष्ट स्वत: जनित कथन में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय में अंतर की जानकारी

सन्दर्भ संख्या: तारीख:
जीएसटीआईएन
विधिक नाम :

1-यह देखा गया है कि आपके द्वारा विवरणी में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में उपयोग करते हुए, ... रुपए की रकम द्वारा <> से <> तक की अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-2ख** में आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे में अंतर्विष्ट स्वत:जनित विवरण के अनुसार आपके लिए इनपुट कर प्रत्यय की उपलब्ध रकम अधिक है। जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है,-

प्ररुप प्रकार	उपलब्ध/उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय (रुपए में)				
	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटी जीएसटी	उपकर	कुल
प्ररुप जीएसटीआर-2ख					
प्ररुप जीएसटीआर-3ख					
अधिक उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय					

2. नियम 88घ के उपनियम (1) के अनुसार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि या तो धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ उक्त अंतर इनपुट कर प्रत्यय का संदाय प्ररूप जीएसटी डीआरसी -03 के माध्यम से करें और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग-ख में उसके ब्यौरे प्रस्तुत करें, और/या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग-ख में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें अंतर इनपुट कर प्रत्यय के उस भाग के संबंध में कारणों को सम्मिलित किया गया है, जो सात दिनों की अवधि के भीतर संदत्त न की गयी हो ।

3. यह ध्यान दिया जाए कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की कोई धनराशि सात दिनों की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् संदत्त नहीं की जाती है और जहां आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां आपके द्वारा दिया गया

721 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 299) (Niyamavali) Data-8e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्पष्टीकरण या कारण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, वहाँ उक्त धनराशि यथास्थिति, अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार मांग किये जाने हेतु दायी होगी ।

4. यह एक प्रणाली जनित सूचना है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग-ख

इनपुट कर प्रत्यय में अंतर की सूचना के संबंध में करदाता द्वारा उत्तर

सूचना की सन्दर्भ संख्या:

तारीख

क. मैंने, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग** के **भाग क** में यथाविनिर्दिष्ट आधिक्य इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम का, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित, पूर्णत: या भागत:, संदाय कर दिया है तथा उसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 का एआरएन	**शीर्ष के अधीन संदाय**	**कर अवधि**	**आईजीएसटी**	**सीजीएसटी**	**एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी**	**उपकर**	**ब्याज**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

और/या

ख. आधिक्य इनपुट कर प्रत्यय के उस भाग के संबंध में कारण, जो संदत्त किया जाना बाकी है, निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	**अंतर के संक्षिप्त कारण**	**ब्यौरे (आज्ञापक)**
1	उक्त कर अवधि में (जिसके अंतर्गत किश्तों में माल की प्राप्ति संबंधी मामला भी है) माल या सेवाओं की आवक पूर्तियों के प्राप्त न होने के कारण पूर्ववर्ती कर अवधि (यों) में उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
2	अनावधानता या त्रुटि या लोप के कारण पूर्ववर्ती कर अवधि (यों) में उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
3	आयात के संबंध में उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय जो **प्ररूप जीएसटीआर-2ख** में प्रतिबिम्बित नहीं है,	
4	एसईजेड से आवक पूर्तियां, जो **प्ररूप जीएसटी 2ख** में प्रतिबिम्बित नहीं हैं, के संबंध में उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
5	पूर्ववर्ती कर अवधियों में प्रतिवर्ती इनपुट कर प्रत्यय का आधिक्य, जिसका चालू कर अवधि में पुन: दावा किया जा रहा है	
6	पूर्तिकर्ता को पूर्ववर्ती कर अवधि में, नियम 37 के अनुसार प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का पुन: प्रत्यय	
7	पूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती कर अवधि में, नियम 37क के अनुसार प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में विवरणी फाइल करने पर इनपुट कर प्रत्यय का पुन: प्रत्यय	
8	गलत ब्यौरों के साथ फाइल किया गया **प्ररूप जीएसटी 3ख** और उसे अगली कर अवधि में संशोधित किया जाएगा (जिसमें टंकण संबंधी गलतियां, गलत कर दर, आदि सम्मिलित हैं)	
9	कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

सत्यापन

एतद्द्वारा मैं, ... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और यह घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम : ....
पदनाम/प्रास्थिति : ....

स्थान : ....
तारीख : ....

प्ररूप जीएसटी डीआरसी 01घ
(नियम 142ख देखे)
धारा 79 के अधीन वसूलनीय रकम की सूचना

सन्दर्भ संख्या : ....
तारीख : ....

1. सूचना के ब्यौरे :
(क) वित्तीय वर्ष :
(ख) कर अवधि : .... से............. तक

2. अधिनियम की धारा (धाराओं) या नियम (नियमों), जिनके अधीन सूचना जारी की जाती है : <धारा 79 के साथ पठित धारा 75(12) के लिए ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स प्रदान किया जाए>

3. संदेय कर, ब्याज या किसी रकम के ब्यौरे :

(रकम, रुपए में)

कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (पूर्ति का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

आपको सात दिवस के भीतर संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर अधिनियम की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार बकाया की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी ।

हस्ताक्षर : ....
नाम : ....
पदनाम : ....
अधिकारिता : ....
पता : ....

सेवा में,
जीएसटीआईएन/आईडी
नाम : ....
पता : ....

टिप्पणी :
I. केवल लागू क्षेत्र ही भरे जाएं ।" ....

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1165/XI-2–23-9(42)-17-T.C. 67-U.P. GST Rules-2017-Order(299)-2023, dated November 17, 2023 :

No. 1165/XI-2–23-9(42)-17-T.C. 67-U.P. GST Rules-2017-Order(299)-2023

Dated Lucknow, November 17, 2023

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules to further amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (SIXTY-FIRST AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixty-first Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 4th day of August, 2023.

Amendment of Rule 9

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the "said rules"), in rule 9, in sub-rule (1), in the proviso, in the longline, the words "in the presence of the said person" shall be *omitted*.

Amendment of Rule 10A

3. In the said rules, in rule 10A, for the portion beginning with the words and figure "as soon as may be, but not later than forty-five days" and ending with the words "in order to comply with any other provision" the following shall be *substituted*, namely:-

"within a period of thirty days from the date of grant of registration, or before furnishing the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using invoice furnishing facility, whichever is earlier, furnish information with respect to details of bank account on the common portal".

Amendment of Rule 21A

4. In the said rules, in rule 21A,–

for sub-rule(2A), the following sub-rule shall be *substituted*, namely:–

(i) "(2A) Where,-

(a) a comparison of the returns furnished by a registered person under section 39 with the details of outward supplies furnished in FORM GSTR-1 or the details of inward supplies derived based on the details of outward supplies furnished by his suppliers in their FORM GSTR-1, or such other analysis, as may be carried out on the recommendations of the Council, show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the Act or the rules made there under, leading to cancellation of registration of the said person, or

(b) there is a contravention of the provisions of rule10A by the registered person, the registration of such person shall be suspended and the said person shall be intimated in **FORM GST REG-31**, electronically, on the common portal, or by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said differences, anomalies or non-compliances and asking him to explain, within a period of thirty days, as to why his registration shall not be cancelled.";

(ii) in sub-rule(4), after second proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely: –

"Provided also that where the registration has been suspended under sub-rule (2A) for contravention of provisions of rule 10A and the registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon compliance with the provisions of rule10A.".

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of Rule 23

5. In the said rules, in rule 23, in sub-rule (1), with effect from the 1st day of October, 2023,–

(a) for the part beginning with the words "within a period of thirty days" and ending with the words and figures "section 30", the words "within a period of ninety days from the date of the service of the order of cancellation of registration" shall be *substituted*;

(b) in the first proviso, for the words "Provided that", the following shall be *substituted*, namely: –

"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended by the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of Additional Commissioner or Joint Commissioner, as the case may be, for a further period not exceeding one hundred and eighty days:

Provided further that";

(c) in the second proviso, for the words "Provided further", the words "Provided also" shall be *substituted*.

Amendment of Rule 25

6. In the said rules, for rule 25, the following rule shall be *substituted*, namely: –

"**25. Physical verification of business premises in certain cases. –**

(1) Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required after the grant of registration, he may get such verification of the place of business done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in **FORM GST REG- 30** on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.

(2) Where the physical verification of the place of business of a person is required before the grant of registration in the circumstances specified in the proviso to sub- rule (1) of rule 9, the proper officer shall get such verification of the place of business done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in **FORM GST REG-30** on the common portal at least five working days prior to the completion of the time period specified in the said proviso.".

Amendment of Rule 43

7. In the said rules, in rule 43, after sub-rule (5),–

(a) in *Explanation 1*, clause (c) shall be *omitted*;

(b) after *Explanation 2*, with effect from the 1st day of October, 2023, the following *Explanation* shall be *inserted*, namely:-

"*Explanation 3*:- For the purpose of rule 42 and this rule, the value of activities or transactions mentioned in sub-paragraph (a) of paragraph 8 of Schedule III of the Act which is required to be included in the value of exempt supplies under clause (b) of the *Explanation* to sub-section (3) of section 17 of the Act shall be the value of supply of goods from Duty Free Shops at arrival terminal in international airports to the incoming passengers.".

Amendment of Rule 46

8. In the said rules, in rule 46, in clause (f), in the proviso, for the words "name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the State and the said address shall be deemed to be the address on record of the recipient", the following words "name of the state of the recipient and the same shall be deemed to be the address on record of the recipient" shall be *substituted*;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

9. In the said rules, in rule 59, in sub-rule (6), after clause (d), the following clauses shall be *inserted*, namely:- Amendment of Rule 59

"(e) a registered person, to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of sub-rule (1) of rule 88D in respect of a tax period or periods, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility for a subsequent tax period, unless he has either paid the amount equal to the excess input tax credit as specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reasons in respect of the amount of excess input tax credit that still remains to be paid, as required under the provisions of sub-rule (2) of rule 88D;

(f) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the details of the bank account as per the provisions of rule 10A.".

10. In the said rules, in rule 64, with effect from the 1st day of October, 2023, for the words "person in India other than", the words "non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or to" shall be *substituted.* Amendment of Rule 64

11. In the said rules, in rule 67, in sub-rule (2), with effect from the 1st day of October, 2023, for the portion beginning with the words "The details" and ending with the words "suppliers", the words "The details of tax collected at source under sub-section (1) of section 52 furnished by the operator under sub-rule (1) shall be made available electronically to each of the registered suppliers" shall be *substituted.* Amendment of Rule 67

12. In the said rules, after rule 88C, the following rule shall be *inserted*, namely:- Insertion of new Rule 88D

"**88D. Manner of dealing with difference in input tax credit available in auto- generated statement containing the details of input tax credit and that availed in return**.-

(1) Where the amount of input tax credit availed by a registered person in the return for a tax period or periods furnished by him in FORM GSTR-3B exceeds the input tax credit available to such person in accordance with the auto-generated statement containing the details of input tax credit in FORM GSTR-2B in respect of the said tax period or periods, as the case may be, by such amount and such percentage, as may be recommended by the Council, the said registered person shall be intimated of such difference in Part A of FORM GST DRC-01C, electronically on the common portal, and a copy of such intimation shall also be sent to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said difference and directing him to—

(a) pay an amount equal to the excess input tax credit availed in the said FORM GSTR-3B, along with interest payable under section 50, through FORM GST DRC-03, or

(b) explain the reasons for the aforesaid difference in input tax credit on the common portal, within a period of seven days.

(2) The registered person referred to sub-rule (1) shall, upon receipt of the intimation referred to in the said sub-rule, either,

(a) pay an amount equal to the excess input tax credit, as specified in Part A of FORM GST DRC-01C, fully or partially, along with interest payable under section 50, through FORM GST DRC-03 and furnish the details thereof in Part B of FORM GST DRC-01C, electronically on the common portal, or

(b) furnish a reply, electronically on the common portal, incorporating reasons in respect of the amount of excess input tax credit that has still remained to be paid, if any, in Part B of FORM GST DRC-01C, within the period specified in the said sub-rule.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(3) Where any amount specified in the intimation referred to in sub-rule (1) remains to be paid within the period specified in the said sub-rule and where no explanation or reason is furnished by the registered person in default or where the explanation or reason furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provisions of section 73 or section 74, as the case may be.".

Amendment of Rule 89

13. In the said rules, in rule 89,-

(a) in sub-rule (1), in third proviso, for the words "in the last return required to be furnished by him" the words "only after the last return required to be furnished by him has been so furnished" shall be *substituted*;

(b) in sub-rule (2), in clause (k), after the words "payment of tax" the words "and interest, if any, or any other amount paid" shall be *inserted*.

Amendment of Rule 94

14. In the said rules, rule 94 shall, with effect from the 1st day of October, 2023, be renumbered as sub-rule (1) and after the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be *inserted*, namely:-

"(2) The following periods shall not be included in the period of delay under sub- rule (1), namely:-

(a) any period of time beyond fifteen days of receipt of notice in FORM GST RFD- 08 under sub-rule (3) of rule 92, that the applicant takes to-

(i) furnish a reply in FORM GST RFD-09, or

(ii) submit additional documents or reply; and

(b) any period of time taken either by the applicant for furnishing the correct details of the bank account to which the refund is to be credited or for validating the details of the bank account so furnished, where the amount of refund sanctioned could not be credited to the bank account furnished by the applicant.".

Amendment of Rule 96

15. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (2), both the provisos shall be *omitted.*

Amendment of Rule 108

16. In the said rules, in rule108, in sub-rule (1),–

(a) for the words "either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner", the word "electronically" shall be *substituted*;

(b) the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that an appeal to the Appellate Authority may be filed manually in FORM GST APL-01, along with the relevant documents, only if-

i. the Commissioner has so notified, or

ii. the same cannot be filed electronically due to non-availability of the decision or order to be appealed against on the common portal, and in such case, a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.".

Amendment of Rule 109

17. In the said rules, in rule 109, in sub-rule (1),–

(a) for the words "either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner", the word "electronically" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that an appeal to the Appellate Authority may be filed manually in FORM GSTAPL-03, along with the relevant documents, only if-

i. the Commissioner has so notified, or

ii. the same cannot be filed electronically due to non-availability of the decision or order to be appealed against on the common portal, and in such case, a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.".

Insertion of new Rule 142B

18. In the said rules, after rule 142A, the following rule shall be *inserted*, namely:-

"**142B. Intimation of certain amounts liable to be recovered under section 79 of the Act.-**(1) Where, in accordance with section 75 read with rule 88C, or otherwise, any amount of tax or interest has become recoverable under section 79 and the same has remained unpaid, the proper officer shall intimate, electronically on the common portal, the details of the said amount in **FORM GST DRC-01D**, directing the person in default to pay the said amount, along with applicable interest, or, as the case may the amount of interest, within seven days of the date of the said intimation and the said amount shall be posted in Part-II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01**.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) The intimation referred to in sub-rule (1) shall be treated as the notice for recovery.

(3) Where any amount of tax or interest specified in the intimation referred to in sub- rule (1) remains unpaid on the expiry of the period specified in the said intimation, the proper officer shall proceed to recover the amount that remains unpaid in accordance with the provisions of rule 143 or rule 144 or rule 145 or rule 146 or rule 147 or rule 155 or rule 156 or rule 157 or rule 160.”.

Amendment of Rule 162

19. In the said rules, in rule162, with effect from the 1st day of October, 2023,–

(a) in sub-rule(3), the words “has cooperated in the proceedings before him and” shall be *omitted*;

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be *inserted*, namely:-

“**(3A)** The Commissioner shall determine the compounding amount under sub-rule (3) as per the Table below:-

TABLE

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Offence</th><th>Compounding amount if offence is punishable under clause (i) of sub-section (1) of section 132</th><th>Compounding amount if offence is punishable under clause (ii) of sub- section (1) of section 132</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Offence specified in clause (a) of sub-section (1) of section 132 of the Act</td><td rowspan="4">Up to seventy-five per cent of the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken, subject to minimum of fifty per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.</td><td rowspan="4">Up to sixty per cent of the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken, subject to minimum of forty per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Offence specified in clause (c) of sub-section (1) of section 132 of the Act</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Offence specified in clause (d) of sub-section (1) of section 132 of the Act</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Offence specified in clause (e) of sub-section (1) of section 132 of the Act</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Offence specified in clause (f) of sub-section (1) of section 132 of the Act</td><td rowspan="3">Amount equivalent to twenty-five per cent of tax evaded.
.</td><td rowspan="3">Amount equivalent to twenty-five percent of tax evaded.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Offence specified in clause (h) of sub-section (1) of section 132 of the Act</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Offence specified in clause (i) of sub-section (1) of section 132 of the Act</td></tr>
</table>

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

8	Attempt to commit the offences or abets the commission of offences mentioned in clause (a), (c) to (f) and clauses (h) and (i) of sub-section (1) of section 132 of the Act	Amount equivalent to twenty-five per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.	Amount equivalent to twenty-five percent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.

Provided that where the offence committed by the person falls under more than one category specified in the Table above, the compounding amount, in such case, shall be the amount determined for the offence for which higher compounding amount has been prescribed.".

Insertion of new Rule 163

20. In the said Rules, after rule 162, with effect from the 1st day of October, 2023, the following rule, shall be *inserted*, namely:-

"**163.Consent based sharing of information.-** (1) Where a registered person opts to share the information furnished in—

(a) FORM GST REG-01 as amended from time to time;

(b) return in FORM GSTR-3B for certain tax periods;

(c) FORM GSTR-1 for certain tax periods, pertaining to invoices, debit notes and credit notes issued by him, as amended from time to time, with a system referred to in sub-section (1) of section 158A (hereinafter referred to as "requesting system"), the requesting system shall obtain the consent of the said registered person for sharing of such information and shall communicate the consent along with the details of the tax periods, where applicable, to the common portal.

(2) The registered person shall give his consent for sharing of information under clause(c) of sub-rule (1) only after he has obtained the consent of all the recipients, to whom he has issued the invoice, credit notes and debit notes during the said tax periods, for sharing such information with the requesting system and where he provides his consent, the consent of such recipients shall be deemed to have been obtained.

(3) The common portal shall communicate the information referred to in sub-rule (1) with the requesting system on receipt from the said system-

a. the consent of the said registered person, and

b. the details of the tax periods or the recipients, as the case may be, in respect of which the information is required.".

Amendment of Form GSTR-3A

21. In the said rules, in FORM GSTR-3A, the following shall be *inserted* at the end, namely:-

"

Or

Notice to return defaulter u/s 46 for not filing annual return

Financial year- Type of Return–GSTR-9/GSTR-9A

Being a registered taxpayer, you are required to furnish annual return for the supplies made or received and/or to include self-certified reconciliation statement for the aforesaid financial year by due date. The due date specified for filing annual return for the said financial year is over and it has been noticed that you have not filed the said return till date.

2. You are, therefore, requested to furnish the said return within 15days failing which appropriate action including imposition of penalty as per law will be taken.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

3. This notice shall be deemed to have been withdrawn in case the return referred above, is filed by you before issue of the show cause notice of penalty proceeding.

4. This is a system generated notice and does not require signature.”.

Amendment of Form GSTR-5A

22. In the said rules, in FORM GSTR-5A, with effect from 1st day of October, 2023;–

(i) in the heading, for the words “persons in India”, the words, brackets and figure “**online recipient (as defined in Integrated Goods and Services Tax Act, 2017) and to registered persons in India**” shall be *substituted*;

(ii) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be *substituted*, namely:-

“4. Perod: Month - ___Year–

4(a) ARN:

4(b) Date of ARN:”;

(iii) in serial number 5, for the word “consumers”, the words “non-taxable online recipient” shall be *substituted*;

(iv) in serial number 5A, for the word “persons”, the words “online recipient” shall be *substituted*;

(v) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be *inserted*, namely:

“5B.Taxable outward supplies made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

GSTIN	*Taxable Value*
1	*2*

5C. Amendments to the taxable outward supplies made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

Month	*Original GSTIN*	*Revised GSTIN*	*Taxable value*
1	*2*	*3*	*4*

”;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of Form GSTR-8

23. In the said rules, in **FORM GSTR-8,** with effect from the 1st day of October, 2023,-

(a) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries, shall be *inserted*, namely;-

"3.1.Details of supplies made through e-commerce operator by un- registered suppliers

Enrolment no. of supplier	Gross value of supplies made	Value of supplies returned	Net value of the supplies
1	2	3	4

(b) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries , shall be inserted, namely;-

"4.1.Amendments to details of supplies made through e-commerce operator by unregistered suppliers

Original details			Revised details		
Month	Enrolment no. of supplier	Enrolment no. of supplier	Gross value of supplies made	Value of supply returned	Net value of the supplies
1	2	3	4	5	6

".

Amendment of Form GSTR-9

24. In the said rules, in **FORM GSTR-9**, under the heading 'Instructions',-

(a) in paragraph 4, -

A. after the word, letters and figures "or FY 2021-22", the word, letters and figures "or FY 2022-23" shall be *inserted*;

B. in the Table, in second column,-

I. against serial numbers 5D, 5E and 5F, the following entries shall be *inserted* at the end, namely: –

'For FY 2022-23, the registered person shall report Non-GST supply (5F) separately and shall have an option to either separately report his supplies as exempted and nil rated supply or report consolidated information for these two heads in the "exempted" row only.';

II. against serial numbers 5H, 5-I and 5J & 5K, for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word "2020-21, 2021- 22 and 2022-23" shall respectively be *substituted*;

(b) in paragraph 5, in the Table, in second column,-

A. against serial numbers 6B, 6C, 6D and 6E, for the letters and figures "FY 2019-20, 2020-21 and 2021-22", the letters, figures and word "FY 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall respectively be *substituted*;

B. against serial numbers 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, for the

figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word "2020-21, 2021-22 and 2022-23"shall be *substituted*;

(c) in paragraph 7, -

A. after the words and figures "filed upto 30th November, 2022.", the following words, figures and letters shall be *inserted*, namely: -

"For FY 2022-23, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023.";

B. in the Table, in second column,-

I. against serial numbers 10 & 11, the following shall be *inserted* at the end, namely: -

"For FY 2022-23, details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of **FORM GSTR-1** of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here.";

II. against serial number 12,-

i. after the words, figures and brackets "upto 30th November, 2022 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.", the following shall be *inserted*, namely:-

"For FY 2022-23, aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.";

ii. for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word "2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall be *substituted*;

III. against serial number 13,-

i. after the words, letters and figures "reclaimed in FY 2022-23, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2022-23,", the following shall be *inserted*, namely: -

"For FY 2022-23, details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2022- 23 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2023-24, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2023- 24.";

ii. for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word "2020- 21, 2021-22 and 2022-23" shall be *substituted*;

(d) in paragraph 8, in the Table, in second column,-

(A) against serial numbers,-

II. 15A, 15B, 15C and 15D; and (II)15E, 15F and 15G,

for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the letters, figures and word "2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall respectively be *substituted*.";

(B) against serial numbers 16A, 16B and 16C, for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word "2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall respectively be *substituted*.";

(C) against serial number 17 & 18, for the word, letter and figures "For FY 2021- 22", the words, letter and figures "For FY 2021-22 and 2022-23" shall be *substituted*.".

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of Form GSTR-9C

25. In the said rules, in **FORM GSTR-9C**,-

(i) in Part A, in the table-

(a) in Sl no. 9, after B and the entries relating thereto, the following shall be *inserted*, namely: -

"B-1	6%					.";

(b) in Sl no.11,after description "5%", the following shall be *inserted*, namely: -

"6%					.";

(c) in Pt.V, after description "5%", the following shall be *inserted*, namely:-

"6%					.";

(ii) under the heading 'Instructions',-

(a) in paragraph 4, in the Table, in second column, against serial no. 5B, for the figures and word "2020-21 and 2021-22",the figures and word "2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall be *substituted*;

(b) in paragraph 6, in the Table, in second column, against serial number 14, for the figures and word "2020-21 and 2021-22", the figures and word"2020-21, 2021-22 and 2022-23" shall be *substituted.*

Amendment of Form GST RFD-01

26. In the said rules, in **FORM GST RFD-01**, in Annexure-1, under Statement-7, for the Table, the following Table shall be *substituted*, namely:-

"

S. l. No.	Document/ Invoice Details			Details of amount paid						Details of refund claimed					
	Type of docu-ment	ARN No.	Date	Integ-rated Tax	Central Tax	State /UT Tax	Cess	Inte-rest	Any other (please specify)	Integra-ted Tax	Central Tax	State /UT Tax	Cess	Interest	Any other (please specify)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

";

Insertion of new Form GST DRC-01C and GST DRC-01D

27. In the said rules, after FORM GST DRC-01B, the following forms shall be *inserted*, nmely: -

"FORM GST DRC-01C

[*See rule 88D*]

PART-A (System Generated)

Intimation of difference in input tax credit available in auto-generated statement containing the details of input tax credit and that availed in return

Ref No: **Date**:

GSTIN:

Legal Name:

1. It is noticed that the input tax credit availed by you in the return furnished in **FORM GSTR-3B** exceeds the amount of input tax credit available to you in accordance with the auto-generated statement containing the details of input tax credit made available to you in **FORM GSTR-2B** for the period<from><to> by an amount of Rs The details there of are as follows:

Form Type	Input tax credit available/ availed (in Rs.)				
	IGST	CGST	SGST/UTGST	Cess	Total
FORMGSTR-2B					
FORMGSTR-3B					
Excess input tax credit availed					

2. In accordance with sub-rule (1) of rule 88D, you are hereby requested to either pay an amount equal to the said excess input tax credit, along with interest payable under section 50, through **FORM GST DRC-03** and furnish the details thereof in **Part-B** of **FORM GST DRC-01C**, and/or furnish the reply in **Part-B** of **FORM GST DRC-01C** incorporating reasons in respect of that part of the excess input tax credit that has remained to be paid, within a period of seven days.

3. It may be noted that where any amount of the excess input tax credit remains to be paid after completion of a period of seven days and where no explanation or reason for the same is furnished by you or where the explanation or reason furnished by you is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, of the Act.

4. This is a system generated notice and does not require signature.

PART-B

Reply by Tax payer in respect of the intimation of difference in input tax credit

Reference No. of
Intimation: Date:

A. I have paid the amount equal to the excess input tax credit, as specified in **Part A** of **FORM GST DRC-01C**, fully or partially, along with interest payable under section 50, through **FORM GST DRC-03**, and the details thereof are as below:

ARN of FORM GST DRC-03	Paid Under Head	Tax Period	IGST	CGST	SGST/ UTGST	CESS	Interest
1	2	3	4	5	6	7	8

AND/OR

B. The reasons in respect of that part of the excess input tax credit that has remained to be paid are as under:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

S.No	Brief Reasons for Difference	Details (Mandatory)
1	Input tax credit not availed in earlier tax period(s) due to non-receipt of inward supplies of goods or services in the said tax period (including in case of receipt of goods in installments).	
2	Input tax credit not availed in earlier tax period(s) inadvertently or due to mistake or *omission*	
3	ITC availed in respect of import of goods, which is not reflected in **FORM GSTR-2B**	
4	ITC availed in respect of inward supplies from SEZ, which are not reflected in **FORM GSTR- 2B**	
5	Excess reversal of ITC in previous tax periods which is being reclaimed in the current tax period	
6	Recredit of ITC on payment made to supplier, in respect of ITC reversed as per rule 37 in earlier tax period.	
7	Recredit of ITC on filing of return by the supplier, in respect of ITC reversed as per rule 37A in earlier tax period.	
8	**FORM GSTR-3B** filed within correct details and will be amended in next tax period (including typographical errors, wrong tax rates, etc.)	
9	Any other reasons (Please specify)	

Verification

I ____hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name:

Designation/Status:

Place:

Date:

FORM GST DRC–01D

[See rule 142B]

Intimation for amount recoverable under section 79

Reference No.-

Date-

1. Details of intimation:

(a) Financial year:

(b) Tax period: From---To--------

2. Section(s) of the Act or rule (s) under which intimation is issued: < Drop down or check box for section 75 (12) r/w 79 may be provided>

3. Details of tax, interest or any amount payable: (Amount in Rs.)

Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
From	To								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

You are hereby directed to make the payment within seven days failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues as per the provisions of section 79 of the Act.

Signature:

Name:

Designation:

Jurisdiction:

Address:

To,

GSTIN/ID

Name

Address

Note -

1. Only applicable fields may be filled up.”

By order,

NITIN RAMESH GOKARN,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 721 राजपत्र–2023–(2132)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 40 सा0 राज्य कर–2023–(2133)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

721 RPH 2023 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 299) (Niyamavali) Data-8e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—29

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०/91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 27 फरवरी, 2024

फाल्गुन 8, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग—2

संख्या 207/ग्यारह-2—24-9(42)-17-टी0सी0 69-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(315)-2024

लखनऊ, 27 फरवरी, 2024

अधिसूचना

सा0प0नि0—9

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :—

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तिरसठवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तिरसठवां संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह तारीख 26 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

नियम 28 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 28 को उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

''(2) उपनियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता, जो एक सम्बंधित व्यक्ति है, को उक्त प्राप्तिकर्ता की ओर से किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था को कारपोरेट गारंटी प्रदान करके की गई सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य, ऐसी प्रस्तावित गारंटी या वास्तविक प्रतिफल, इनमें से जो भी अधिक हो, की रकम का एक प्रतिशत होना समझा जाएगा ।''।

नियम 142 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम 142 में, उपनियम (3) में शब्द ''**प्ररूप जीएसटी डीआरसी–05** में आदेश'' के स्थान पर शब्द ''**प्ररूप जीएसटी डीआरसी–05** में सूचना'' रख दिये जाएंगे।

नियम 159 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नियम 159 में, उपनियम (2) में, शब्द ''जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर'' के पश्चात् शब्द ''या उपनियम (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पहले हो'' बढ़ा दिये जाएंगे।

प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 का संशोधन

5–उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटी आरईजी–01** में, भाग–ख में, क्रम संख्या 2 में, खंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

''(xivक) एक व्यक्ति कंपनी''

प्ररूप जीएसटी आरईजी–08 का संशोधन

6–उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटी आरईजी–08** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

प्ररूप जीएसटी आरईजी–08

[नियम 12(3) देखें]

संदर्भ संख्या तारीखः

सेवा में,

नामः

पताः

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) तारीखः

स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश

यह, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए निम्नलिखित कारणों से पत्र/मेल तारीख .... द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में है, अर्थात्:–

i.

ii.

अधोहस्ताक्षरी की राय है कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख<<दिन/माह/वर्ष>> है।

2–आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी।

3–कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज देखें।

4–यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का संदाय करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तारीख से पूर्व या पश्चात् में अवधारित किए गए हों।

या

1142 RPH 2024 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 315) (Niyamavali-63) Data-1e

स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश

यह तारीख .... को जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ है।

- चूँकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है,

और चूँकि इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है; या

- चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तारीख .... द्वारा प्रस्तुत किया गया है,

और चूँकि कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किये जाने के लिए दायी हैः–

या

- चूँकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर आप व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए थे,

और चूँकि इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है; या

- चूँकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित हुए और लिखित या मौखिक निवेदन किया,

और चूँकि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए आपके लिखित या मौखिक निवेदन की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किये जाने के लिए दायी है; या

- चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तारीख .... द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन, आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियत या विस्तारित तारीख पर व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित नहीं हुए थे,

और चूँकि कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किया जा सकता है; या

- चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर तारीख .... के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित हुए थे, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिखित/मौखिक निवेदन किया था,

और चूँकि अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर के साथ–साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय किए गए निवेदन की परीक्षा की है और उसकी राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किये जाने के लिए दायी है;

i.

ii.

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख <<दिन/माह/वर्ष>> है।

2–कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज देखें।

3–आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी।

1142 RPH 2024 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 315) (Niyamavali-63) Data-1e

4–यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का संदाय करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तारीख से पूर्व या पश्चात् में अवधारित किए गए हों।

स्थानः

तारीखः

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता'';

प्ररूप जीएसटी आर–8 का संशोधन

7–उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर–8 में,–

(क) क्रम संख्या–5 निकाल दिया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या–7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्:–

''7–देय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस

वर्णन	देय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) **निम्नलिखित के सम्बन्ध में टीसीएस के लेखे पर ब्याज**		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
(II) **विलम्ब फीस**		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		

'';

(ग) क्रम संख्या–9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्:–

''9–टीसीएस, ब्याज और विलंब फीस संदाय के लिए नकद खाते में विकलन प्रविष्टियां (विवरण दाखिल करने के पश्चात् समष्टित)

वर्णन	कर	ब्याज	विलंब फीस
1	2	3	4
(क) एकीकृत कर			
(ख) केन्द्रीय कर			
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर			

'';

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्ररूप जीएसटी पीसीटी–01 का संशोधन

8–उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी 01** में, भाग–ख में, क्रम संख्या–4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्:–

4	चाहा गया नामांकन	(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट (2) कंपनी सचिव (3) लागत एवं प्रबंधन लेखाकार (4) विधि में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (5) वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (6) उच्च संपरीक्षा सहित बैंकिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (7) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (8) बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (9) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा (10) सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी (11) विद्यमान विधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विक्रय कर व्यवसायी (12) विद्यमान विधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए करविवरणी तैयार करने वाला (13) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा

टिप्पणी :– सारणी की क्रम संख्या (4) से (8) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से होने चाहिए।

प्ररूप जीएसटी डीआरसी–22 का संशोधन

9–उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–22** में, अंतिम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

''यह आदेश, आयुक्त द्वारा **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–23** में आदेश जारी किए जाने की तारीख को या इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रहेगा।''।

आज्ञा से,

डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 207/XI-2–24-9(42)-17-T.C. 69-U.P. GST Rules-2017-Order(315)-2024, dated February 27, 2024 :

No. 207/XI-2–24-9(42)-17-T.C. 69-U.P. GST Rules-2017-Order(315)-2024

Dated Lucknow, February 27, 2024

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules to further amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (SIXTY-THIRD AMENDMENT) RULES, 2024

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixty-third Amendment) Rules, 2024.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force from the 26th day of October, 2023.

Amendment of Rule 28

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), rule 28 shall be renumbered as sub-rule (1) and *after* the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be *inserted*, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the value of supply of services by a supplier to a recipient who is a related person, by way of providing corporate guarantee to any banking company or financial institution on behalf of the said recipient, shall be deemed to be one per cent of the amount of such guarantee offered, or the actual consideration, whichever is higher.".

Amendment of Rule 142

3. In the said rules, in rule 142, in sub-rule (3), *for* the words "proper officer shall issue an order", the words "proper officer shall issue an intimation" shall be *substituted.*

Amendment of Rule 159

4. In the said rules, in rule 159, in sub-rule (2), *after* the words "Commissioner to that effect", the words "or on expiry of a period of one year from the date of issuance of order under sub-rule (1), whichever is earlier," shall be *inserted.*

Amendment of FORM GST REG-01

5. In the said rules, in **FORM GST REG-01**, in PART-B, in serial number 2, *after* clause (xiv), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(xiva) One Person Company".

Insertion of FORM GST REG-08

6. In the said rules, *for* **FORM GST REG-08**, the following form shall be *substituted*, namely:-

FORM GST REG-08

[*See* rule 12(3)]

Reference No. Date:

To

Name:

Address:

Application Reference No.(ARN) Date:

Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source

This is in reference to the request raised *vide* letter/mail dated .... for cancellation of registration under the Act due to the following reason, namely:-

1142 RPH 2024 (Rajya kar anu.-2) (Order no. 315) (Niyamavali-63) Data-1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

i.

ii.

The undersigned is of opinion that the effective date of cancellation of registration is <<DD/MM/YYYY>>.

2. You are required to furnish pending returns immediately.

3. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.

4. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

OR

Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source

This has reference to the show-cause notice issued dated ....

• WHEREAS no reply to the show cause notice has been submitted,

AND, WHEREAS, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s); or

• WHEREAS reply to the show cause notice has been submitted *vide* letter dated .... ;

AND, WHEREAS, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) ; or

• WHEREAS no reply to the show cause notice has been submitted and on day fixed for personal hearing, you did not appear in person or through authorised representative;

AND, WHEREAS, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s); or

• WHEREAS no reply to the show cause notice has been submitted, but you or authorised representative attended the personal hearing and made a written or verbal submission;

AND, WHEREAS, the undersigned on examination of your written or verbal submission made during personal hearing and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s); or

• WHEREAS reply to the show cause notice has been submitted *vide* letter dated .... But, you or authorised representative did not attend the personal hearing on scheduled or extended date;

AND, WHEREAS, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s); or

• WHEREAS reply to the show cause notice has been submitted vide letter dated .... and you or authorised representative attended the personal hearing, made a written/oral submission during personal hearing;

AND, WHEREAS, the undersigned has examined your reply to show cause notice as well as submissions made at the time of personal hearing and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s);

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

i.

ii.

The effective date of cancellation of registration is<<DD/MM/YYYY>>.

2. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.

3. You are required to furnish pending returns immediately.

4. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

Place:

Date:

Signature

Name of the Officer

Designation

Jurisdiction";

Amendment of FORM GSTR-8

7. In the said rules, in FORM GSTR-8,-

(a) serial number 5 shall be *omitted*;

(b) *for* serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be *substituted*, namely :-

"7. Interest, late fee payable and paid

Description	Amount payable	Amount paid
1	2	3
(I) Interest on account of TCS in respect of		
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(II) Late Fee		
(a) Central Tax		
(b) State/UT Tax		

";

(c) for serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"9. Debit entries in cash ledger for TCS, interest and late fee payment (to be populated after filing of statement)

Description	Tax	Interest	Late fee
1	2	3	4
(a) Integrated Tax			
(b) Central Tax			
(c) State/UT Tax			

";

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

8. In the said rules, in **FORM GST PCT-01**, in PART-B, *for* serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number 4 and entries shall be *substituted*, namely:- Amendment of FORM GST PCT-01

"

4	Enrolment sought	(1) Chartered Accountant (2) Company Secretary (3) Cost and Management Accountant (4) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Law (5) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Commerce (6) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Banking including Higher Auditing (7) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Business Administration (8) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Business Management (9) Degree examination of any Foreign University recognized by any Indian University (10) Retired Government Officials (11) Sales Tax practitioner under existing law for a period of not less than five years (12) Tax return preparer under existing law for a period of not less than five years (13) Any other examination notified by Government

NOTE :– Sr. No. (4) to (8) of the table should be from an Indian University established by any law for the time being in force.

";

9. In the said rules, in FORM GST DRC-22, *after* the last paragraph, the following paragraph shall be *inserted*, namely:- Amendment of FORM GST DRC-22

"This order shall cease to have effect, on the date of issuance of order in FORM GST DRC-23 by the Commissioner, or on the expiry of a period of one year from the date of issuance of this order, whichever is earlier.".

By order,
Dr. NITIN RAMESH GOKARN,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1142 राजपत्र–2024–(3164)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 47 सा0 राज्य कर–2024–(3165)–1000 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—49 (क—1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 20 मार्च, 2023

फाल्गुन 29, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग—4

संख्या 182/दो-4—2023-36(1)-2005 टी0सी0

लखनऊ, 20 मार्च, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—7

संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1)—यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023'' कही जायेगी।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषा

2—''नियमावली'' का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975'' से है।

नियम 7 में संशोधन

3—उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1

विद्यमान नियम

7—**अनुसूचित जातियों आदि के लिए पदों का आरक्षण**—सेवा में महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण उच्च न्यायालय द्वारा यथा अंगीकृत आरक्षण के लिए सरकारी आदेशों के अनुसार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में बार से सेवा में सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए पदों का बीस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपयुक्तता के अधीन होगा, अर्थात् यदि पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो और उस स्थिति में आरक्षण ऐसी अनुपलब्धता की सीमा तक किसी रूप में प्रवृत्त नहीं होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि महिलाओं के लिए आरक्षण को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

7—**नियुक्तियों का आरक्षण**—सेवा में महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण उच्च न्यायालय द्वारा यथा अंगीकृत आरक्षण के लिए शासनादेशों के अनुसार होगा :

परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में 'बार' से सेवा में सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए पदों का बीस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपयुक्तता के अधीन होगा, अर्थात् यदि पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो और उस स्थिति में आरक्षण ऐसी अनुपलब्धता की सीमा तक किसी रूप में प्रवृत्त नहीं होगा :

परन्तु यह और कि महिलाओं के लिए आरक्षण अग्रनीत नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह कि चार प्रतिशत रिक्तियाँ ''मानक दिव्यांगता'' वाले निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, अर्थात् :—

(एक) चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) की श्रेणी के अधीन एक प्रतिशत निम्नलिखित श्रेणी वाले दिव्यांगजनों के लिए :—

(क) एक भुजा, एक पैर और दोनों पैरों की चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता;

(ख) कुष्ठ उपचारित व्यक्ति;

(ग) बौनापन;

(घ) एसिड अटैक पीड़ित;

(दो) (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) 'दृष्टिह्रास' श्रेणी के अधीन 'निम्न दृष्टि' वाले व्यक्तियों के लिये एक प्रतिशत;

(तीन) (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) 'श्रवण शक्ति का ह्रास' श्रेणी के अधीन 'ऊंचा सुनने वाले' वाले व्यक्तियों के लिये एक प्रतिशत;

(चार) चक्रानुक्रम के आधार पर उपर्युक्त खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में उल्लिखित व्यक्तियों के लिये शेष एक प्रतिशत।

1267 RPH 2023 (Samanya Niyukti Anubhag-4) date-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	स्पष्टीकरणः–उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) और (ङ) में उल्लिखित मानक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिये तात्पर्यित रोस्टर बिन्दु ऊपर उल्लिखित श्रेणियों (एक) से (तीन) में अभ्यर्थियों के लिये उसी क्रम में आवंटित किये जायेंगेः परन्तु यह और कि निम्नलिखित शारीरिक क्रिया कलाप करने में समर्थ अभ्यर्थी ही पात्र हैं :– (क) बैठकर निष्पादित कार्य; (ख) खड़े होकर निष्पादित कार्य; (ग) चलकर निष्पादित कार्य; (घ) देखकर निष्पादित कार्य; (ङ) श्रवण कर निष्पादित कार्य; (च) लिख और पढ़कर निष्पादित कार्य; (छ) संसूचित करना (संसूचना के अन्तर्गत मौखिक या गैर मौखिक संसूचना सम्मिलित है)।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 182/Two-4–2023-36(1)-2005 T.C., dated March 20, 2023:

No. 182/Two-4–2023-36(1)-2005 T.C.
Dated Lucknow, March 20, 2023

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 *read* with Article 233 of the Constitution, the Governor in accordance with the recommendations of High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975.

THE UTTAR PRADESH HIGHER JUDICIAL SERVICE
(FOURTEENTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules shall be called "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Fourteenth Amendment) Rules, 2023".

(3) These rules shall come into force from the date of publication in the official *Gazette*.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Definition

2. The "Rules" means "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975".

Amendment of rule 7

3. In the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975, *for* existing rule 7 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely:–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
7. **Reservation of posts for Scheduled Caste, *etc*.**-Reservation to posts in the service for the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories including women shall be in accordance with orders of the Government for reservation as adopted by the High Court:	7. **Reservation of appointments**-Reservation to posts in the service for the member of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories including women shall be in accordance with orders of the Government reservation as adopted by the High Court:
Provided that twenty per cent horizontal reservation for women to posts in service in direct recruitment from Bar in Uttar pradesh Higher Judicial Service shall be subject to suitability *i.e.* if the sufficient number of women candidates is not available, then and in that event the reservation shall not have any operation to the extent of such unavailability:	Provided that twenty per cent horizontal reservation for women to posts in service in direct recruitment from Bar in Uttar pradesh Higher Judicial Service shall be subject to suitability *i.e.* if the sufficient number of women candidates is not available, then and in that event the reservation shall not have any operation to the extent of such unavailability:
Provided further that there shall be no carry forward of reservation for women.	Provided further that there shall be no carry forward of reservation for women:
	Provided that four per cent of vacancies shall be reserved for the following persons with "Benchmark Disabilities", namely :–
	(i) One percent for the persons in the following category of disabilities under the category of 'Locomotor disability' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016):-
	(a) Locomotor disability of One Arm, One Leg and Both Legs;
	(b) Leprosy cured person;
	(c) Dwarfism;
	(d) Acid attack victims;
	(ii) One percent for the persons with 'Low vision' under the category of 'Visual Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016);

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*

(iii) One percent for the persons with 'hard of hearing' under the category of 'Hearing Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016);

(iv) Remaining One percent for the persons mentioned in the above clauses (i), (ii) and (iii), on rotation basis.

Explanation :– The roster points meant for the candidates with benchmark disabilities mentioned in clauses (d) and (e) of sub-section (1) of section 34 of the said Central Act, shall be allotted to the candidates in categories (i) to (iii) mentioned above, in the same order:

Provided further that the candidates who are able to perform the following physical activities alone are eligible:-

(a) Work performed by Sitting;

(b) Work performed by Standing;

(c) Work performed by Walking;

(d) Work performed by Seeing;

(e) Work performed by Hearing;

(f) Work performed by Reading and Writing;

(g) Communicating (Communicating would also include verbal or non-verbal communication).

By order,
DR. DEVESH CHATURVEDI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1267 राजपत्र–2023–(2122)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा0 नियुक्ति–2023–(2123)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

1267 RPH 2023 (Samanya Niyukti Anubhag-4) date-4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—196(क—3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 नवम्बर, 2023

अग्रहायण 9, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग—4

संख्या 656/दो-4—2023-36(1)-2005 टी0सी0

लखनऊ, 30 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—44

संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उच्च न्यायालय इलाहाबाद की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:—

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (पंद्रहवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (पंद्रहवां संशोधन) नियमावली, 2023'' कही जायेगी।

(2) यह नियमावली 1 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परिभाषा

2–इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ''नियमावली'' का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975'' से है।

नियम 27 का संशोधन

3–उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 27 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
27–**सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति**–सेवा में सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर (जिला न्यायाधीश के काडर पदों के 25 प्रतिशत की सीमा तक) न्यायालय द्वारा सेवा के ऐसे सदस्यों में से, जिन्होंने काडर में 5 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा की हो, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।	27–**चयन श्रेणी में नियुक्ति**–सेवा में चयन श्रेणी के पदों पर (जिला न्यायाधीशों के संवर्ग पदों के 35 प्रतिशत की सीमा तक) न्यायालय द्वारा सेवा के ऐसे सदस्यों में से, जिन्होंने संवर्ग में 5 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा की हो, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

नियम 27-क का संशोधन

4–उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 27–क के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
27–क–अतिकाल वेतनमान में नियुक्ति–सेवा में अतिकाल वेतनमान के पदों पर (जिला न्यायाधीशों की स्वीकृत काडर संख्या के 10 प्रतिशत की सीमा तक) न्यायालय द्वारा सेवा के ऐसे सदस्यों में से जो सेलेक्शन ग्रेड पदों के धारक हों और जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड जिला न्यायाधीशों के रूप में 3 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।	**27–क–अतिकाल वेतनमान में नियुक्ति**–सेवा में अतिकाल वेतनमान के पदों पर (जिला न्यायाधीशों की स्वीकृत संवर्ग संख्या के 15 प्रतिशत की सीमा तक) न्यायालय द्वारा सेवा के ऐसे सदस्यों में से, जो चयन श्रेणी पदों के धारक हों और जिन्होंने चयन श्रेणी जिला न्यायाधीशों के रूप में 3 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा की हो, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

आज्ञा से,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 656/Two-4–2023-36(1)-2005T.C., dated November 30, 2023:

No. 656/Two-4–2023-36(1)-2005T.C.

Dated Lucknow, November 30, 2023

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 *read* with Article 233 of the Constitution, the Governor in accordance with the recommendations of High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975.

THE UTTAR PRADESH, HIGHER JUDICIAL SERVICE (FIFTEENTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Fifteenth Amendment) Rules, 2023".

(2) These Rules shall be deemed to have come into force with effect from January 1, 2020.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

2. In these Rules, unless the context otherwise requires, 'Rules' mean "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975". Definition

3. In the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975, *for* Rule 27 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely:– Amendment of Rule 27

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
27. Appointment to the selection grade-Appointment to the Selection grade posts (to the extent of 25% of the cadre posts of District Judges) in Service shall be made by the Court from amongst the members of the Service who have put in not less than 5 years of continuous service in the cadre on the basis of merit-cum-seniority.	**27. Appointment to the selection grade-**Appointment to the Selection grade posts (to the extent of 35% of the cadre posts of District Judges) in Service shall be made by the Court from amongst the members of the service who have put in not less than 5 years of continuous service in the cadre on the basis of merit-cum-seniority.

4. In the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975, *for* Rule 27-A set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of Rule 27-A

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
27-A. Appointment to Super Time Scale-Appointment to Super Time Scale posts (to the extent of 10% of scanctioned cadre strength of the District Judges) in the Service shall be made by the Court from amongst the members of the service holding Selection Grade posts and who have put in not less than 3 years of continuous service as Selection Grade District Judges on the basis of merit-cum-seniority.	**27-A. Appointment to the Super Time Scale-** Appointment to the Super Time Scale posts (to the extent of 15% of scanctioned cadre strength of the District Judges) in the Service shall be made by the Court from amongst the members of the service holding Selection Grade posts and who have put in not less than 3 years of continuous service as Selection Grade District Judges on the basis of merit-cum-seniority.

By order,
DR. DEVESH CHATURVEDI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 783 राजपत्र–2023–(2247)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 नियुक्ति–2023–(2248)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

783 Sa Niyukti RPH Adhi 2023 date-7E

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–1 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 जनवरी, 2024

पौष 21, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या 30/दो-4–2024-36(1)-2005 टी0सी0

लखनऊ, 11 जनवरी, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–5

संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1)–यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023'' कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियम 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान उप—नियम (ग) के स्थान पर स्तम्भ —2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम 5—भर्ती का स्रोत— सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :— (ग) आवेदन—पत्र जमा करने की नियत अन्तिम तिथि को न्यूनतम सात वर्षों का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा।	**नियम 5—भर्ती का स्रोत—** सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :— (ग) आवेदन—पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत अंतिम दिनांक को न्यूनतम सात वर्षों से एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वाराः परन्तु यह कि ऐसे अधिवक्ताओं को ही परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दी जायेगी, जो किसी न्यायालय के समक्ष भर्ती हेतु विज्ञापन के प्रकाशन वर्ष से, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अनारक्षित श्रेणियों के लिए 30 मामले (सामूहिक मामलों से भिन्न) और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 24 मामले (सामूहिक मामलों से भिन्न) से अन्यून मामले को संचालित करने में स्वतंत्र रूप से लगे हुए हों। ऐसे स्वतंत्र विनियोजन का प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के महानिबन्धक/निबन्धक या उच्चतम न्यायालय के महासचिव द्वारा जारी किया जायेगा।

नियम—16 में नये उपनियम का बढ़ाया जाना

3—उक्त नियमावली में, नियम—16 के उपनियम—2 के पश्चात् एक नया उपनियम (3) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :—

(3) चयन समिति, मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से नियम—18 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) और (ग), नियम—20 के उपनियम (1) और नियम—21 के उपनियम (1) और (4) के अधीन संचालित की जाने वाली परीक्षा का पैटर्न और पाठ्य विवरणों को विहित करेगी।

नियम—17 में नये उपनियम का बढ़ाया जाना

4—उक्त नियमावली में, नियम—17 के उपनियम (1) के पश्चात, एक नया उपनियम (1—क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :—

(1—क) चयन समिति द्वारा यथाविहित पैटर्न और पाठ्य विवरण उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना के भाग होंगे।

नियम—18 का संशोधन

5—उक्त नियमावली में, नियम18 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम 18–चयन प्रक्रिया– (1) नियम–16 में निर्दिष्ट चयन समिति प्राप्त हुए आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और तत्पश्चात् अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए परिशिष्ट 'छ' में यथाविहित लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। समिति ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जिन्होंने, संवीक्षा और लिखित परीक्षा के पश्चात् उसकी राय में साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली हो।	**नियम 18– चयन प्रक्रिया–** (1) नियम–16 में निर्दिष्ट चयन समिति : (क) प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी; (ख) यदि पात्र आवेदकों की संख्या रिक्तियों की संख्या से दस गुना अधिक हो तो लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए एक प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित कर सकती है। प्रारम्भिक परीक्षा में नियम–16 के अधीन यथाविहित पाठ्य विवरणों से दो घंटे अवधि के 100 अंकों का एक प्रश्न-पत्र सम्मिलित होगाः परन्तु यह कि वे अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा के लिए पात्र माने जायेंगे जो श्रेणीवार जैसे सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्तियों की संख्या के बीस गुना के अध्यधीन प्रारम्भिक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। (ग) नियम–16 के अधीन यथाविहित पाठ्य विवरणों के अनुसार अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। (घ) ऐसे आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जिन्होंने लिखित परीक्षा में उसकी राय में साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली हो।

6–उक्त नियमावली में, नियम–18 (1–क) को निकाल दिया जायेगा। *नियम–18 (1–क) का निकाला जाना*

7–उक्त नियमावली में, नियम–20 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– *नियम–20 का संशोधन*

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम 20–नियम–5(क) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति (1) न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता के सिद्धान्त पर और परिशिष्ट ''छ (एक)'' में यथाविहित ऐसी उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, चयन द्वारा की जायेगी।	**नियम 20–नियम–5(क) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति** (1) न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता के सिद्धान्त पर और नियम–16 के अधीन यथाविहित ऐसी उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, चयन द्वारा की जायेगी।

नियम–21 का संशोधन

8–उक्त नियमावली में, नियम–21 में नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये विद्यमान उपनियम (1) और (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम–21, नियम–5(ख) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति	**नियम–21, नियम–5(ख) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति**
(1) नियम–5(ख) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के ऐसे सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती परिशिष्ट 'ज' में यथाविहित एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर सदस्यों के पदोन्नति सर्वथा चयन द्वारा किया जायेगा।	(1) नियम–5(ख) में यथा निर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम–16 के अधीन यथाविहित एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर सर्वथा चयन द्वारा की जायेगी।
(4) नियम–16 में निर्दिष्ट चयन समिति, प्राप्त किये गये आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और परिशिष्ट 'ज' में यथाविहित एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आवेदित करेगी।	(4) नियम–16 में निर्दिष्ट चयन समिति, प्राप्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम–16 के अधीन यथाविहित एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगी।

परिशिष्ट 'क' में संशोधन

9–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–4 (3) के साथ संलग्न विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ –2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2	
विद्यमान परिशिष्ट		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**	
परिशिष्ट 'क' [नियम–4(3) देखिए]		**परिशिष्ट 'क' [नियम–4(3) देखिए]**	
सेवा के स्थायी पदों की वर्तमान संख्या जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय होगी, निम्नलिखित है:–		सेवा के पदों की संख्या दिनांक 31.03.2019 तक निम्नलिखित है :–	
जिला तथा सेशन न्यायाधीश, अपर जिला तथा सेशन न्यायाधीश (जिसके अन्तर्गत वे पद भी हैं जिन पर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अपर सेशन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है)	150	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वाणिज्यिक विवादों, भूमि अर्जन, मोटर दुर्घटना दावा, याचिकाएँ आदि जैसे विशिष्ट मामलों के विचारण हेतु समय–समय पर सृजित विशेष न्यायालयों सहित)	
		(क) स्थायी	799
		(ख) अस्थायी	541
		योग	**1340**

परिशिष्ट 'छ' का निकाला जाना

10–उक्त नियमावली में, नियम–18 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'छ' को निकाल दिया जायेगा।

परिशिष्ट 'छ–(1)' का निकाला जाना

11–उक्त नियमावली में, नियम–20 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'छ–(1)' को निकाल दिया जायेगा।

परिशिष्ट 'ज' का निकाला जाना

12–उक्त नियमावली में, नियम–21 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ज' को निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

1060 RPH 2023 (Niyukti -22 folder) data-8

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 30/Two-4–2024-36(1)-2005 T.C., dated January 11, 2024:

No. 30/Two-4–2024-36(1)-2005 T.C.
Dated Lucknow, January 11, 2024

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 *read* with Article 233 of the Constitution, the Governor in accordance with the recommendations of High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975.

THE UTTAR PRADESH HIGHER JUDICIAL SERVICE
(SIXTEENTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Sixteenth Amendment) Rules, 2023".

(2) They shall come into force at once.

Amendment in rule 5

2. In the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975, hereinafter referred to as the said rules, in rule 5 *for* existing sub-rule (c) as setout in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be *substituted* namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Rule 5. Sources of Recruitment,- The recruitment to the service shall be made- (c) By direct recruitment from amongst the Advocates of not less than seven years standing as on the last date fixed for the submission of application forms.	**Rule 5. Sources of Recruitment,-** The recruitment to the service shall be made- (c) By direct recruitment from amongst Advocates who have been, for not less than seven years, practicing as an Advocate, as on the last date fixed for the submission of application forms: Provided that only such advocates shall be permitted to appear in the examination process who have been engaged independently for conducting not less than 30 cases (other than bunch cases) for Unreserved categories and 24 cases (other than bunch cases) for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the preceding three years, from the year of publication of advertisement for recruitment, before any Court. The certificate of such independent engagement may be issued by District & Sessions Judge of the District or Registrar General/ Registrar of High Courts or Secretary General of Supreme Court, as the case may be.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Insertion of new sub-rule in Rule 16

3. In the said rules, *after* sub-rule(2) of rule 16, a new sub rule (3) shall be *inserted* namely:-

(3) The Selection Committee shall, with the approval of Chief Justice, prescribe pattern and syllabus of examination to be conducted under clause (b) and (c) of sub- rule (1) of rule 18, sub-rule (1) of rule 20 and sub-rule (1) and (4) of rule 21.

Insertion of new sub-rule in rule 17

4. In the said rules, *after* sub rule(1) of rule 17, a new sub rule (1-A) shall be *inserted* namely:-

(1-A) Pattern and syllabus as prescribed by Selection Committee shall be part of the notice mentioned in sub-rule (1).

Amendment in rule 18

5. In the said rules, in rule 18 *for* existing sub-rule (1) as setout in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be *substituted* namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Rule 18. Procedure of selection,- (1) The Selection Committee referred to in Rule 16 shall scrutinise the applications received and shall thereafter hold a written examination as prescribed in Appendix 'G' for judging the suitability of the candidates. The Committee shall call for interview such of the applicants who in its opinion have qualified for interview after scrutiny and written examination.	**Rule 18. Procedure of selection,-** (1) The Selection Committee referred to in Rule 16:- (a) shall scrutinise the applications received; (b) may, if number of eligible applicants exceed 10 times of the number of vacancies, hold a preliminary examination for judging suitability of candidates to be admitted in written examination. The preliminary examination shall consist of one paper of 100 marks of two hours duration from the syllabus as prescribed under Rule 16: Provided that only those candidates shall be treated to be eligible for the main written examination who secure minimum 45% marks in the preliminary examination subject to 20 times of the number of vacancies category-wise *i.e.,* General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. (c) shall hold a written examination in accordance with the syllabus as prescribed. under Rule 16 for judging suitability of the candidates. (d) shall call for interview such applicants who, in its opinion, have qualified in written examination.

6. In the said rules, the rule 18 (1-A) shall be *omitted*. — Omission of rule 18 (1-A)

7. In the said rules, in rule 20 *for* existing sub-rule (1) as setout in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be *substituted* namely:- — Amendment in rule 20

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Rule 20. Promotion of members of the Nyayik Sewa as referred to in rule 5(a)- (1) Recruitment by promotion of the members of the Nyayik Sewa shall be made by selection on the principle of merit-*cum*-seniority and on passing such a suitability test, as prescribed in Appendix 'G(1)'.	**Rule 20. Promotion of members of the Nyayik Sewa as referred to in rule 5(a)-** (1) Recruitment by promotion of members of the Nyayik Sewa shall be made by selection on the principle of merit-*cum*-seniority and on passing such a suitability test, as prescribed under rule 16.

8. In the said rules, in rule 21, *for* existing sub-rule (1) and (4) as setout in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be *substituted* namely:- — Amendment in rule 21

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Rule 21. Promotion of such members of the Nyayik Sewa as referred to in rule 5(b)- (1) Recruitment by promotion of the members of Nyayik Sewa as referred to in Rule 5(b) shall be made by selection, strictly on the basis of merit through a limited competitive examination as prescribed in Appendix "H" (4) The selection Committee referred to in Rule 16 shall scrutinize the applications received and shall hold a limited competitive examination, as prescribed in Appendix 'H'.	**Rule 21. Promotion of such members of the Nyayik Sewa as referred to in rule 5(b)-** (1) Recruitment by promotion of members of Nyayik Sewa as referred to in rule 5(b) shall be made by selection, strictly on the basis of merit through a limited competitive examination as prescribed under rule 16. (4) The selection Committee referred to in rule 16 shall scrutinize the applications received and shall hold a limited competitive examination, as prescribed under rule 16.

9. In the said rules, *for* existing Appendix appended with the rule 4 (3) as setout in column-1 below, the Appendix as setout in column-2 shall be *substituted* namely:- — Amendment in Appendix 'A'

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Appendix	*Appendix as hereby substituted*
Appendix 'A' [*See* Rule 4(3)]	**Appendix 'A' [*See* Rule 4(3)]**
The present permanent strength of the service, which shall on the commencement of these rules is as follows,-	The strength of the service as on 31.03.2019 is as follows-

District and Sessions Judges, Additional District and Sessions Judge (including the posts against which Judicial Magistrates are to be appointed as Additional Sessions Judges).	150	**District and Sessions Judge, Additional District and Sessions Judge (including Special Courts created from time to time for trying specific cases such as Commercial Disputes, Land Acquisition, Motor Accident Claim Petitions, etc.)**	
		(a) Permanent	799
		(b) Temporary	541
		Total	**1340**

10. In the said rules, the Appendix 'G' appended with rule 18 shall be *omitted*. Omission of Appendix 'G'

11. In the said rules, the Appendix 'G-(1)' appended with rule 20 shall be *omitted*. Omission of Appendix 'G(1)

12. In the said rules, the Appendix 'H' appended with rule 21 shall be *omitted*. Omission of Appendix 'H'

By order,
Dr. DEVESH CHATURVEDI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1060 राजपत्र–2024–(2947)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा0 नियुक्ति–2024–(2948)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

संख्या–119(ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 जुलाई, 2023

आषाढ़ 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 09 / 2023 / 217 / 80-1—2023-80-1001-318-2019

लखनऊ, 13 जुलाई, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–33

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। *संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ*

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उक्त नियमावली में, नियम 2 में खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (तीन-क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- *नियम 2 का संशोधन*

"(3-क) 'डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स' का तात्पर्य ऐसे लाइसेन्स से है जिसके द्वारा कोई लाइसेन्सधारी राज्य के समस्त मण्डी क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के व्यापार के लिए ऑनलाइन/डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराने तथा प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत होगा। निदेशक, मण्डी, जो इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस जारी/नवीकृत करने हेतु प्राधिकृत है, द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स निर्गत/नवीकृत किया जायेगा।"

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियम 50-क (1) का संशोधन

3-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965, जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 50-क के उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उप-नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**
(1) मण्डी समिति, मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को निकासी के लिए प्रपत्र संख्या में 5-क में गेट-पास जारी करेगी। गेट-पास की मांग करने वाला व्यक्ति प्रपत्र संख्या-5 में आवेदन करेगा। उक्त प्रपत्र में वह यह घोषणा देगा कि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर राज्य में किस मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क या विकास सेस उद्ग्रहीत किया जा चुका है। सचिव या समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी घोषणा में दी गयी सूचना की शुद्धता के बारे में प्रपत्र संख्या-5 पर अपना प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित करेगा और गेट-पास जारी करेगा।	(1) मण्डी समिति, मण्डी क्षेत्र से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के निकासी के लिए प्रपत्र संख्या पाँच-क में गेट-पास जारी करेगी। गेट-पास की मांग करने वाला व्यक्ति प्रपत्र संख्या-पाँच में आवेदन करेगा। उक्त प्रपत्र में वह यह घोषणा देगा कि ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय सौदों पर राज्य में किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क या विकास उपकर उद्गृहीत किया जा चुका है। सचिव या समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी घोषणा में दी गयी सूचना की शुद्धता के सम्बन्ध में प्रपत्र संख्या-पाँच पर अपना प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित करेगा। यदि कोई लाइसेंसधारी या व्यापारी मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर का भुगतान ऑनलाइन करता है और गेट-पास की मांग हेतु प्रपत्र-पाँच में दी गयी शर्तों के पूर्ण होने की घोषणा करता है तो गेट-पास स्वत: जारी हो जायेगा।

नया नियम 58-ङ का बढ़ाया जाना

4-उक्त नियमावली में, नियम 58-घ के पश्चात नया नियम 58-ङ बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"अधिनियम की धारा 7(2)(ख) के अधीन निदेशक, मण्डी द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता हेतु लाइसेन्स प्रदान किया जाना/नवीकरण -

58-ङ (1) कोई व्यक्ति [अधिनियम की धारा 2 (ड-1) में यथा उल्लिखित] तथा कोई कृषक सहकारी समूह/कृषक उत्पादक संगठन, जो मुख्य मण्डी स्थल/उप-मण्डी स्थल/मण्डी उप-स्थल/निजी मण्डी स्थल से बाहर डिजिटल प्लेटफार्म के प्रचालन का इच्छुक हो, अधिनियम की धारा 7(2)(ख) के अधीन प्रपत्र-सत्रह में निदेशक, मण्डी को प्लेटफार्म का ब्यौरा और प्रपत्र में विहित अन्य सूचनाओं के साथ डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स हेतु आवेदन करेगा।

(2) आवेदक, वित्तीय प्रास्थिति, सहायक दस्तावेजों सहित संसाधनों का ब्यौरा, बैंक-विवरण, गत तीन वर्षों की आयकर विवरणी, स्थायी परिसम्पत्तियाँ एवं देयताओं की सूची और कम्पनी के मामले में संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद प्रस्तुत करेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(3) निदेशक, मण्डी, किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारियों जिन्हें वह उचित समझे, के परामर्श से प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दे सकता है तथा स्वयं का समाधान करने के पश्चात् प्रपत्र-सत्रह-क में लाइसेन्स स्वीकृत कर सकता है।

(4) डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र-सत्रह में निदेशक, मण्डी परिषद को प्रस्तुत करेगा और ऐसा अधिकारी शर्तों के पूर्ण होने पर आवश्यक पूछताछ, जिन्हें वह उचित समझे, करने के पश्चात् डिजिटल प्लेटफार्म का लाइसेन्स नवीकृत कर सकता है।

(5) ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता के प्रत्येक लाइसेन्स के लिए लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति क्रमशः 25,000 रूपये प्रति वर्ष और पहले वर्ष के लिए एक लाख रूपये होगी। पश्चातवर्ती वर्ष के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु प्रतिभूति धनराशि एक लाख रूपये या पिछले वर्ष में किये गये व्यापार मूल्य का 1.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी।

(6) विनिर्दिष्ट कृषि वस्तु के लिए ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म के प्रचालन हेतु लिए गये लाइसेन्स को "डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स" के नाम से जाना जायेगा।

(7) डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स केवल एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। अग्रतर, कारबार हेतु कम्पनी को प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

(8) यदि कोई डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्सधारी क्रय/विक्रय के भण्डारण/प्रेषण/संग्रहण हेतु कोई स्थान चिन्हित करता है तो उसकी सूचना मण्डी परिषद को उपलब्ध करानी होगी।

(9) डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी प्रकार के स्टोर/केन्द्र स्थापित करने पर इसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति को देनी होगी। इस प्रकार के भण्डार/केन्द्र का उपयोग केवल कृषि उत्पाद के संग्रह/परिदान/प्रेषण हेतु जो डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से क्रय/विक्रय की जाती हो किया जायेगा।

(10) अनुमोदित/नवीकृत डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता के लाइसेंसों को निलम्बित तथा रद्द करने का अधिकार निदेशक, मण्डी में निहित होगा। यदि लाइसेंसधारी विहित निर्बंधन एवं शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो निदेशक, मण्डी द्वारा उसे निलम्बित/रद्द किया जा सकता है।

(11) निदेशक, मण्डी, उत्तर प्रदेश किसी पृथक आदेश के माध्यम से प्रारूप तथा शर्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते हैं।"

5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 69 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:- नियम 69 का संशोधन

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) मण्डी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा शुल्क या विकास सेस वसूल किया जायेगा और इस नियमावली तथा उप-विधियों के अधीन अपने वसूल किये गये शुल्कों या	(1) शुल्क या विकास उपकर, इस निमित्त समिति द्वारा प्राधिकृत मण्डी समिति के कर्मचारी द्वारा संगृहीत किया जायेगा और इस नियमावली तथा उपविधियों के अधीन उससे संगृहीत शुल्क

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
विकास सेस के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र संख्या-7 में एक रसीद देगा जिस पर उसकी यथास्थिति हस्ताक्षर होंगे।	या विकास उपकर के सम्बंध में प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र संख्या सात में उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रसीद दिया जायेगा।
(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो शुल्कों या विकास सेस की वसूल करने के लिए मण्डी समिति द्वारा प्राधिकृत हो, रसीदें भुगतानकर्ताओं को देगा और इस प्रकार दी गयी रसीदों के प्रतिपर्ण अपने पास रख लेगा और समस्त प्राप्तियों का लेखा दिन में कम से कम एक बार उस व्यक्ति को देगा जो मण्डी समिति द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत हो।	(2) मण्डी समिति द्वारा शुल्क या विकास उपकर संग्रह किये जाने हेतु प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भुगतानकर्ताओं को रसीदें देगा तथा इस प्रकार प्रदत्त रसीदों का प्रतिपर्ण अपने पास रखेगा और समस्त रसीदों का लेखा, मण्डी समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति को दिन में कम से कम एक बार देगा।
	(3) डिजिटल/ऑन-लाइन भुगतान की दशा में बैंक द्वारा अभिस्वीकृति दिये जाने पर प्रपत्र-सात स्वत: जारी हो जायेगा।

नये प्रपत्रों सत्रह तथा सत्रह-क का बढ़ाया जाना

6-उक्त नियमावली में, प्रपत्र सोलह-ख के पश्चात निम्नलिखित नया प्रपत्र सत्रह तथा प्रपत्र सत्रह-क बढ़ा दिये जायेंगे:-

"प्रपत्र-सत्रह

[नियम 58 (ङ) (1) देखिए]

(डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता के लाइसेन्स की मंजूरी/नवीकरण हेतु आवेदन)

सेवा में,

निदेशक,

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं/हम...(नाम, पिता का नाम सहित), पता..एतद्द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु नियमों के अनुसार लाइसेन्स की स्वीकृति/नवीकृत किये जाने निमित्त अनुरोध करता हूँ/करते हैं। अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज इसके साथ संलग्न हैं। मैं/हम उपरोक्त लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवश्यक लाइसेन्स शुल्क और प्रतिभूति का संदाय करने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ/ हैं।

मैं/ हम आपसे लाइसेन्स की स्वीकृति /नवीकरण हेतु अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

स्थान....................................

दिनांक................................

(भवदीय) ....

नाम......................

फर्म की मुहर...............

(जो लागू न हो उसे काट दें)

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

इस आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज-

(1) कम्पनी, सहकारी समिति/संस्था, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में निगमन या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र ।

(2) प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और प्रवर्तनात्मक तथा कार्यकारी दिशा-निर्देश (यथाप्रयोज्य)।

(3) समस्त निदेशकों और स्वामियों तथा भागीदारों इत्यादि के नाम और पूर्ण पता और दूरभाष संख्या (वे तत्काल अनुवर्ती परिवर्तन, यदि कोई हो, सूचित करेंगे)।

(4) कम्पनी, सहकारी समिति/संस्था, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के संबंध में मण्डी समिति का लाइसेन्सी होने का प्रमाण पत्र।

(5) सहायक दस्तावेजों यथा बैंक विवरण, आयकर विवरणी, स्थायी खाता संख्या, आस्तियों और देयताओं का विवरण सहित आवेदक की वित्तीय प्रास्थिति और उनका किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी किया गया मूल्यांकन प्रमाण-पत्र।

(6) लाइसेन्स शुल्क/प्रतिभूति का संदाय कर दिये जाने के समर्थन में बैंक ड्राफ्ट।

(7) प्रवर्तनात्मक एवं कार्यकारी दिशा-निर्देश कि कैसे डिजिटल प्लेटफार्म संचालित, नियंत्रित तथा प्रचालित किया जायेगा।

(8) डिजिटल प्लेटफार्म पर उपयोग की जाने वाली समस्त सुविधाओं जैसे सर्वर, एप्लिकेशन और तकनीक का विवरण।

(9) बैंक प्रत्याभूति जैसा कि इस नियमावली में उप-बंधित हैं, वचन-पत्र और शपथ-पत्र जिनका आवेदक, अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के समस्त उपबंधों का अनुपालन करेगा और उल्लंघन की दशा में वह/वे विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा/होंगे, जिसमें लाइसेन्स का रद्दकरण और समस्त देयकों की संग्रहण सम्मिलित है।

(10) निदेशक, मण्डी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना/दस्तावेज जैसा कि उपविधि में विहित किया गया हो।

(11) कोई अन्य सुसंगत सूचना/दस्तावेज जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करने का इच्छुक हो।

(भवदीय) ....
नाम.........................
फर्म की मुहर

प्रपत्र सत्रह (क)

[नियम 58 (ङ) (3) देखिए]

(डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स)

एतदद्वारा मेसर्स...को उसके प्रबन्ध निदेशक/फर्म के भागीदार श्री..पुत्र श्री......................पता..................के माध्यम से डिजिटल प्लेटफार्म की स्थापना/उसके कृत्य के लिए दिनांक............से.................... तक की अवधि के लिए लाइसेन्स स्वीकृत/नवीकृत किया जाता है।

निदेशक
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
मुहर

शर्तें-

1-लाइसेन्सधारी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समय-समय पर यथाअपेक्षित सूचना उपलब्ध करायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

2-डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेंसधारी उपबन्धित किये जाने वाले समस्त नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे।

3-डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्सधारी द्वारा राज्य की विभिन्न अभिकरणों/ विभागों की विधि के अनुसार, समस्त कर, शुल्क, उप-कर और प्रभार संदेय होंगे।

4-डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता लाइसेन्स केवल एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। कारबार जारी रखने के लिये कम्पनी को प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

5-ई-नीलामी ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म के प्रचालन हेतु आवेदक मण्डी अधिनियम 1964 की धारा-2 (ङ-1), नियम-70(1) और नियम 70(3) के अनुसार परिभाषित होंगे।

6-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता का विधिक एवं भौतिक कार्यालय उत्तर प्रदेश में होना अनिवार्य होगा।

7-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता का कंपनी अधिनियम, 1956 या किसी अन्य विद्यमान में प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य होगा।

8-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता का पिछले 02 वर्षों का औसत वार्षिक व्यापार न्यूनतम रू० 50 लाख होना चाहिये।

9-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म पर केवल प्राथमिक व्यापार की अनुज्ञा होगी।

10-प्रत्येक प्रदाता द्वारा प्रचालित मण्डी परिषद के साथ ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म पोर्टल का एकीकरण करने के लिए अनिवार्य होगा अर्थात् दैनिक रूप से कारबार की सूचना ऑनलाइन ही परिषद को उपलब्ध करानी होगी। साथ ही लाइसेन्सधारी के पोर्टल पर मण्डी परिषद का अभिगमन (Access) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

11-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म पर प्राथमिक कारबार करने वाला विक्रेता कोई भी हो सकता है, परन्तु क्रेता के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह होगा कि क्रेता का मण्डी समिति, उत्तर प्रदेश का लाइसेन्सधारी होना अनिवार्य होगा। क्रेता अपनी लाइसेंस की सीमा के अन्तर्गत ही डिजिटल प्लेटफार्म पर उत्पाद क्रय कर सकेगा।

12-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13-प्रदाता द्वारा किसी कृषक के रजिस्ट्रीकरण/व्यापार हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, परन्तु व्यापारियों/आढ़तियों के रजिस्ट्रीकरण/व्यापार हेतु शुल्क लिये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा।

14-प्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट/गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों का व्यापार किया जा सकेगा परन्तु विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद व्यापार करने हेतु प्रदाता को मण्डी समिति, उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य होगा।

15-ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म का पोर्टल या एप एमईआईटीवाई द्वारा अनुमोदित क्लाउड सर्वर पर होना अनिवार्य होगा।

16-डिजिटल प्लेटफार्म का पोर्टल या एप मल्टी डोमेन नहीं होना चाहिए तथा इस पर केवल कृषि उत्पाद का व्यापार करने की ही अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी।

17-डिजिटल प्लेटफार्म में ई-नीलामी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

18-ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता द्वारा किया गया व्यापार यद्यपि ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा परन्तु भौतिक रूप से व्यापार अर्थात् क्रय/विक्रय का स्थल विक्रेता का स्थल, जहाँ पर उत्पाद वास्तविक रूप में रखा हो, ही माना जायेगा। व्यापार से जुड़े किसी भी विवाद की स्थिति में क्रय/विक्रय का स्थल सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा मण्डी अधिनियम, नियमावली, उपविधि तथा अन्य लागू आदेशों के अधीन ही विवाद का निपटारा किया जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

19-प्रत्येक व्यापार पर मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर संदेय होगा तथा देय मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर की देयता पूर्ण रूप से डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता की होगी।

20-डिजिटल प्लेटफार्म सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी प्रकार के स्टोर/केन्द्र स्थापित करने पर इसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति को देनी होगी। इस प्रकार के स्टोर/ केन्द्र का उपयोग केवल डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से हुए कृषि उत्पाद के क्रय विक्रय के संग्रहण/डिलीवरी/प्रेषण के लिए ही किया जायेगा। इस प्रकार के स्टोर/केन्द्र पर प्रदाता को न्यूनतम सुविधायें जैसाकि उपविधि में उल्लिखित हो प्रदान करनी होगी। इस प्रकार के केन्द्र/स्टोर पर प्रयोग डिजिटल प्लेटफार्म के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से हुए क्रय विक्रय के संग्रहण/डिलीवरी/प्रेषण के लिए नहीं किया जायेगा।

21-प्रदाता द्वारा मण्डी शुल्क और विकास उपकर का भुगतान किये जाने के पश्चात् ही गेट-पास जारी किया जा सकेगा।

22-निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पृथक से आदेश के माध्यम से उक्त प्ररूप तथा शर्तें आवश्यकतानुसार संशोधित की जा सकती हैं।

23-ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म पर क्रय-विक्रय के पश्चात् उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग, छंटाई/ग्रेंडिंग, डिलीवरी, तौल, दर एवं भुगतान इत्यादि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्लेटफार्म प्रचालक की होगी। इस सम्बन्ध में यदि क्रेता-विक्रेता के मध्य विवाद होता है तो प्लेटफार्म प्रचालक उसका निपटारा करायेगा।"

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 09/ 2023/ 217/ LXXX-1-2023-80-1001/318-2019, dated July 13, 2023:

No: 09 /2023/217/ LXXX -1-2023-80-1001/318-2019

Dated Lucknow, July 13, 2023

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 40 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964), *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (CHHABBEESWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Chhabbeeswan Sanshodhan) Niyamawali, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 2

2. In the said rules, in rule 2 *after* clause (iii) the following new clause (iii-a) shall be *inserted*, namely:-

"(iii-a) 'Digital Platform Service Provider Licence' means a licence by which a licencee will be authorized to provide and operate an online/ digital platform for trading of specified agricultural produce in all market areas of the state. The Digital Platform Service Provider Licence shall be issued/renewed by the Director of Mandis, who is authorized to issue/renew the licence, as per the procedure laid down in these rules."

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Amendment of rule 50-A(1)

3. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 hereinafter referred to as the "said rules" *for* sub-rule (1) of rule 50-A set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub-rule as hereby substituted*
(1) The Market Committee Shall issue gate-pass in Form No. V-A for exit of the Specified agricultural produce from the Market Area. The person asking for the gate pass shall apply for the same in Form No. V. He shall give a declaration in the said form that market fee or development cess has been levied on transactions of sale of such specified agricultural produce in a Market Area in the State. The Secretary or any other official authorised by the committee shall endorse on Form No.V. its certificate regarding correctness of the information so given.	(1) The Market Committee shall issue gate-pass in Form No. V-A for exit of the Specified agricultural produce from the Market Area. The person asking for the gate pass shall apply for the same in Form No. V. He shall give a declaration in the said form that market fee or development cess has been levied on transactions of sale of such specified agricultural produce in a Market Area in the State. The Secretary or any other official authorised by the committee shall endorse on Form No. V. its certificate regarding correctness of the information so given. If any licensee or trader pays the market fee and development cess online and declares the fulfilment of the conditions given in Form No. V. for the demand of gate pass, then the gate pass shall be issued automatically.

Insertion of new rule 58-E

4. In the said rules, after rule 58-D, the following new rule-58-E shall be *inserted,* namely:-

"Granting/renewal of licence for Digital Platform Service Provider under section 7(2)(b) of the Act by the Director of Mandis–

58 E(1) Any person [as mentioned in section 2 (m-1) of the Act] and any Farmer Co-operative Group/Farmer Producer Organization, who are desirous of operating a Digital Platform outside the Principal Market Yard/Sub-Market Yard/Market Sub-Yard/Private Market Yard, shall apply in the Form XVII under section 7(2)(b) of the Act to the Director of Mandis for Digital Platform Service Provider Licence, along with the details of the platform and other information prescribed in the form.

(2) Applicant shall submit financial status, details of resources including supporting documents, Bank statement, income tax statement of last three years, list of fixed assets and liabilities, and in case of company, Memorandum of Association and Articles of Association.

(3) The Director of Mandis shall examine the proposal in consultation with such person or authorities as he may deem fit and may suggest necessary measures for improvement and after satisfying himself, he may grant licence in Form XVII-A.

(4) The Digital Platform Service Provider Licensee shall submit an application for renewal of licence in Form XVII to the Director of Market Board and such officer may renew the licence for Digital Platform after making necessary inquiries, as he may deem fit or fulfilment of conditions.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(5) The licence fee and security for each licence of e-auction or Digital Platform Service Provider shall be respectively 25,000 Rs. per annum and One lakh rupees for the first year. For the renewal of the licence for subsequent year, the security shall be One lakh rupees or 1.5% of the trade value done in the previous year, whichever is higher.

(6) The licence taken for the operation of e-auction or digital platform for Specified Agriculture Commodity will be known as "Digital Platform Service Provider Licence".

(7) Digital Platform Services Provider Licence will be valid for only one year. To do business further, it will be mandatory for the company to renew the licence every year.

(8) If any Digital Platform Service Provider Licencee choses a place for storage/dispatch/collection of purchase/sale, then its information shall have to be made available to the Markets Board.

(9) On the establishment of any type of store/centre by Digital Platform Service Provider, its information shall have to be given to the concerned Market Committee. This type of store/centre shall be used only for the Collection/Delivery/Dispatch of agricultural produce which are purchased/sale through Digital Platform.

(10)The right to suspend and cancel the approved/renewed Digital Platform Service Provider Licence shall be vested in the Director of Mandis. If the licencee does not work according to the prescribed terms and conditions, then it can be suspended/cancelled by the Director of Mandis.

(11)Director of Mandis, Uttar Pradesh can amend the format and conditions as per the requirement through a separate order."

5. In the said rules, for rule 69 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 69

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(1) The fees or development cess shall be collected by the servant of the market committee authorised by the Committee in this behalf and receipt in Form No. VII duly signed by him shall be granted to every person in respect of fees or development cess collected from him under these rules or the bye-laws.	(1) The fees or development cess shall be collected by the servant of the market committee authorised by the Committee in this behalf and receipt in Form No. VII duly signed by him shall be granted to every person in respect of fees or development cess collected from him under these rules or the bye-laws.
(2) Every person authorised by the Market Committee to collect fees or development cess shall grant receipts to the payers keepings counter-foils of the receipts so granted and shall render account of all receipts at least once a day to the person duly authorised in this behalf by the Market Committee.	(2) Every person authorised by the Market Committee to collect fees or development cess shall grant receipts to the payers keepings counter-foils of the receipts so granted and shall render account of all receipts at least once a day to the person duly authorised in this behalf by the Market Committee.
	(3) In case of digital/online payment, Form No. VII shall be issued automatically on the acknowledgement of the bank.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Insertion of New Forms XVII and XVII-A

6. In the said rules, *after* Form XVI-B the following new Form XVII and Form XVII-A shall be *inserted*, namely:-

"Form XVII

[*See* Rule 58(e)(1)]

[Application for grant/renewal of Licence for Digital Platform Service Provider]

To,

The Director,
State Agricultural Produce Market Board,
Uttar Pradesh, Lucknow.

Sir,

I/We.. (Name with father's name)..., address................................, hereby request for the grant/renewal of licence for Digital Platform Service Provider as per rules. The necessary documents as required under the provisions of the Act and Rules are enclosed herewith. I am/we are ready and willing to pay the necessary licence fee and security as per rules for obtaining the above licence.

I/We request you to grant/renew the licence.

Yours faithfully,
(Applicant)
Name:
Firm seal.

Place:

Date:

(Strike out whichever not applicable)

Documents submitted with this application.

(1) Certificate of incorporation or Registration in respect of Company, Co-operative Society/ Institution, Trust, Corporation, Partnership, *etc*.

(2) Memorandum of Association and Articles of Association and operational and working guidelines of the proposed Digital Platform Service Provider (as applicable).

(3) Names and full address and telephone number of all the Directors and owners and partners *etc*. (They shall inform immediately subsequent changes if any).

(4) Certificate of Licensee of Market committee in respect of Company, Co-operative Society/ Institution, Trust, Corporation, Partnership, *etc*.

(5)Financial Status of the applicant with supportive document such as bank statements, Income-tax returns, PAN, assets and Liability statement and its valuation certificate issued by a recognized chartered accountant.

(6) Demand Draft in support of having paid the Licence fee/Security.

(7) Operational and working guidelines as to how Digital Platform shall be conducted, controlled and operated.

(8)Detail of all facilities such as server, Application and Technology which are used on Digital Platform.

(9) A Bank guarantee as provided in these rules undertaking and affidavit that the applicant shall abide by all the provisions of the Act and rules made thereunder and in case of violation he/they shall be liable for legal action including cancellation of licence and recovery of all dues.

(10) Any other information/document required by the Director of Mandis as prescribed in the bye-laws.

(11) Any other relevant information/documents that the applicant desires to furnish.

Yours faithfully,
(Applicant)
Name:
Firm seal.

Form XVII (A)

[*See* Rule 58(e) (3)]

[Digital Platform Service Provider Licence]

Licence is hereby granted/ renewal to M/S ---------- through its Managing director/Partner of the firm Mr.----------- S/O----------- address------------------ for the establishment/function of Digital Platform for the period from----------- to-----------.

Director

State Agricultural Produce Market Board

Seal

Conditions-

1. The Licensee shall provide information to the Director of State Agricultural Produce Market Board, UP or to the authorized officer as may be required by him time to time.

2. The Digital Platform Service Provider Licensee shall comply with all the rules and regulation as to be provided.

3. All taxes, fees, cess and charges shall be payable by the Digital Platform Service Provider Licensee as per the law of various agencies/departments of the State.

4. Digital Platform Service Provider licence shall be valid for only one year. For continuing the business, It will be mandatory for the company to renew the licence every year.

5. Applicant for the operation of e-auction or online trading platform will be defined as per the section of 2(m-1), rule 70(1) and rule 70(3) of Market Act 1964.

6. It will be mandatory for e-auction or Digital Platform Service Provider to have a legal & physical office in Uttar Pradesh.

7. It will be mandatory for e-auction or Digital Platform Service Provider to be registered under the Companies Act 1956 or any other existing law in force.

8. The average annual turnover of e-auction or Digital Platform Service Provider for last 2 years should be 50 lakh rupees minimum.

9. Only primary trading shall be permitted on e-auction or Digital Platform.

10. It will be mandatory for each provider to integrate e-auction or digital platform with Market Board, operated by him or it means the information of daily business will have to be made available online to the Board. Along with this, the access of Market Board on the Licence's portal should be mandatory.

11. The seller who is doing primary business on e-auction or digital platform can be anyone, but the restriction regarding the buyer shall, is that, the buyer should be a Licensee of Market Committee of Uttar Pradesh. The buyer shall purchase the produce on digital platform only to the extent of his licence.

12. It will be mandatory for e-auction or Digital Platform Service Provider to follow the rules laid down by the State Govt. time to time.

13. No fee will be charged by the provider for the registration/trade of any farmer, but the company will have the right to charge fee for the registration and trade of traders or commission agents.

14. Specified/non-specified agricultural produce can be traded by the provider, but it will be mandatory for the provider to be registered in the Market Committee of Uttar Pradesh to do the trade of specified agricultural produce.

15. It will mandatory for the portal or app of the online trade platform to be on a cloud server, approved by the MEITY.

16. The portal or app of the Digital Platform should not be multi domain and the permission will be granted for only the trade of agricultural produce.

17. There should be a system of e-auction in Digital Platform compulsorily.

18. Although the trade done by e-auctioner or Digital Platform Service Provider will be done through online medium, but the place of physical trade i.e. purchase/sale will be considered as the seller's place, where the produce is actually kept. In case of any trade related dispute, the place of

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

purchase/ sale will be settled by the Mandi Committee concerned under the Market Act, rules, bye-laws and other applicable orders.

19. Market fee and development cess shall be payable on every trade and the liability of paying Market Fee & Development cess will be completely of Digital Platform Service Provider.

20. On the establishment of any store/centre by the Digital Platform Service Provider, its information will have to be given to the concerned Market Committee. Such kind of store/centre shall be used only for the collection/delivery/dispatch of the traded agricultural produce through digital platform. At such kind of store/centre, the provider will have to provide the minimum facilities as mentioned in the bye-laws. This type of store/centre should not be used for the collection/delivery/dispatch of any other kind of traded produce of other than Digital Platform.

21. Gatepass can be issued only after the payment of Market fee & Development cess by the provider.

22. The said format or conditions can be amended as per requirement through a separate order by the director of Rajya Krishi Utpadan Mani Parishad, U.P. .

23. It will be responsibility of the platform operator to ensure the quality of produce, packaging sorting/grading, delivery, weighing, rate & payments *etc*. after the trading of that produce on the online/digital platform. In this regard, if there is a dispute between the seller & buyer, the Platform Operator will settle down it."

By order,
DR. DEVESH CHATURVEDI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 457 राजपत्र–2023–(1479)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार–2023–(1480)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

457 RPH 2023 (Krishi Vipran Anubhag-1) data 4e

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्याः10/2023/313/80-1-2023-80-1099/18/2023

लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रतिबंध यह है कि गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होगी।

नियम 67 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में नियम 67 में-

(क) उप-नियम (1) की सारणी में, क्रम संख्या 6 की प्रविष्टियॉ निकाल दी जायेंगी;

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(4) थोक व्यापारी एवं आढ़तिया या थोक व्यापारी या आढ़तिया के रूप में मण्डी समिति में कार्य करने के लिए नया लाइसेंस जारी करने के या लाइसेंस के नवीकरण के प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ मण्डी समिति के पक्ष में	(4) थोक व्यापारी सह आढ़तिया अथवा थोक व्यापारी या आढ़तिया के रूप में कार्य करने के लिए नया लाइसेंस जारी करने या लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ मण्डी समिति के पास सम्यक् रूप से गिरवी रखकर मण्डी

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्यक् रूप से बन्धक कराकर, बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत के रूप में 1,000 रूपये और एकीकृत लाइसेंस के मामले में 1,00,000 (एक लाख रूपये) प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा।	समिति के खाते में, बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत पत्र या डिजिटल भुगतान के रूप में 1,000 रूपये प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा।

नियम 139, 140 और 141 का बढ़ाया जाना

3. उक्त नियमावली में, नियम-138 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्:-

''खाद्य प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाए गए विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर से छूट [धारा 17-क(1)(ग)]

139. राज्य के बाहर से, खाद्य प्रसंस्करण के लिए लाये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की छूट के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी-

(एक) राज्य के बाहर से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन को लाने से पहले, प्रसंस्करणकर्ता, राज्य के बाहर भुगतान किये गये शुल्क (यदि कोई हो) के विवरण सहित ई-मण्डी पोर्टल पर यथा उपलब्ध प्रारूप में प्रि-अराइवल स्लिप ऑनलाइन जारी करेगा।

(दो) सुसंगत दस्तावेज अर्थात् कृषि उत्पादन के क्रय का बिल, बिल्टी और उस राज्य में लागू मण्डी शुल्क तथा अधिभार के भुगतान की रसीद (यदि कोई हो) उस वाहन पर रखी जायगी जिसके द्वारा उत्पादन का परिवहन किया जा रहा हो।

(तीन) प्रसंस्करण इकाई में ऐसे कृषि उत्पादन के पहुॅचने पर, प्रसंस्करणकर्ता द्वारा इसे "प्रसंस्करण के लिए स्टॉक" में ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा।

(चार) जब कभी मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित हो, प्रसंस्करणकर्ता; उप खण्ड (दो) में यथा वर्णित दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य के कृषक-उत्पादक से सीधे क्रय किये गये विनिर्दिष्ट

140- खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य के कृषक-उत्पादक से सीधे क्रय किये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर से छूट के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(एक) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक उत्पादक से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन का क्रय, प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, मण्डी उप स्थल, निजी मण्डी स्थल, सीधे विपणन लाइसेंस में उल्लिखित क्रय-स्थल या धारा-7 में यथावर्णित मण्डी क्षेत्र में किसी अन्य स्थान से करेगा।

(दो) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक-उत्पादक के निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

उत्पादन पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर से छूट [धारा 17-क(1)(घ)]	करते हुए प्रपत्र सं०-6 जारी करेगा:- (क) कृषक-उत्पादक का नाम (ख) पिता का नाम (ग) ग्राम, तहसील (घ) जिला (ड.) खसरा संख्या व क्षेत्रफल (च) कृषक-उत्पादक का मोबाइल संख्या

(तीन) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक-उत्पादक को निदेशक द्वारा यथा विहित भुगतान रसीद जारी करेगा तथा ई-मण्डी पोर्टल पर रसीद की विवरणियों को भरेगा। प्रसंस्करणकर्ता, रसीद की प्रति मण्डी समिति को जब कभी अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगा।

(चार) प्रत्यक्ष विपणन के स्थान से क्रय करने के मामले में प्रसंस्करणकर्ता सम्बंधित मण्डी समिति को क्रय से पूर्व निदेशक द्वारा विहित और ई-मण्डी पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में ऑनलाइन सूचित करेगा।

(पाँच) किसी विशिष्ट कृषि वर्ष में, नियम 139 और नियम 140 के अधीन किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिये मण्डी शुल्क व विकास उपकर से छूट प्राप्त विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन की कुल मात्रा, उस वर्ष के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई की क्षमता से अधिक नही होगी।

(छः) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक-उत्पादक के खाता में धनराशि का भुगतान करेगा तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख प्रपत्र-6 के माध्यम से रखेगा।

(सात) भुगतान का ब्यौरा 15 दिनों के भीतर मण्डी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

(आठ) प्रसंस्करणकर्ता द्वारा कृषक-उत्पादक को 10 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में भुगतान करना होगा। यदि प्रसंस्करणकर्ता पूर्व उल्लिखित कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो मण्डी शुल्क और विकास उपकर की छूट अविधिमान्य हो जाएगी।

(नौ) प्रसंस्करणकर्ता द्वारा 15 दिनों के भीतर मण्डी पोर्टल पर भुगतान का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। यदि प्रसंस्करणकर्ता पूर्व उल्लिखित कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो मण्डी शुल्क और विकास उपकर की छूट अविधिमान्य हो जाएगी।

मण्डी समितियों की आय में होने	141	(1) वित्तीय वर्षों 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2022-23 के लिये (वर्ष 2020-21 और 2021-22; जब कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन तथा सरलीकरण) अधिनियम, 2020

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

वाली कमी की प्रतिपूर्ति [धारा 17-क(1)(ड.)]

(अधिनियम संख्या 21 सन् 2020) प्रवृत्त था अथवा कोविड महामारी फैली हुई थी, को अपवर्जित करके) राज्य के समस्त ए.पी.एम.सी. के लिए प्रपत्र 6 के अनुसार व्यापार पर देय जिन्सवार मण्डी शुल्क और विकास उपकर को जोड़कर पृथकत: गणना की जायेगी। अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गयी जिन्सवार, मण्डी शुल्क और विकास उपकर से छूट के कारण प्रतिपूर्ति या अधित्यजित धनराशि, यदि कोई हो, को भी उस वित्तीय वर्ष के लिए संगणित की जायेगी और प्रपत्र-6 के आधार पर गणित धनराशि से इसको घटा दिया जायेगा। इस प्रकार संगणित धनराशि राज्य की समस्त ए.पी.एम.सी. की उस वित्तीय वर्ष की जिन्सवार वार्षिक आय होगी।

(2) सभी ए.पी.एम.सी. की आय में, जिन्सवार, वार्षिक वृद्धि की औसत दर की गणना, पिछले पाँच वर्षों की उपर्युक्त रीति से संगणित आय के आधार पर की जायेगी।

वार्षिक वृद्धि की इस गणना के लिए, जिस दर पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहीत किया गया है, उसे ध्यान में रखा जाएगा और गणना इस प्रकार की जाएगी मानो कि मण्डी शुल्क ऐसी अवधि के लिए 1 प्रतिशत हो, जब व्यापार पर 2 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क उद्ग्रहीत किया गया हो।

(3) किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए समस्त ए.पी.एम.सी. की कुल आय, जिन्सवार कुल आय की वार्षिक वृद्धि की औसत दर के साथ अनुमानित की जायेगी। एक वर्ष में प्राप्त जिन्सवार मण्डी शुल्क और विकास उपकर की संसूचना प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दी जायेगी। उपर्युक्त रीति से गणना की गई अनुमानित आय और उस वित्तीय वर्ष में ए.पी.एम.सी. द्वारा प्राप्त वास्तविक आय में अन्तर की प्रतिपूर्ति उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के वार्षिक आय-व्ययक के माध्यम से की जायेगी।''

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

<u>संख्या-10/2023/313(1)/80-1-2023-80-1099/18/2023</u>

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3- अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, लखनऊ।

5- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।

6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति दिनांक 16 अगस्त, 2023, इस आशय से प्रेषित कि असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'क' में प्रकाशित कराकर अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम-संख्या–1 (ङ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०-
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 1 जनवरी, 2024

पौष 11, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 01 / 2024 / 558 / 80-1-2023-80-1003(002)-3-2023
लखनऊ, 1 जनवरी, 2024

अधिसूचना

सा0प0नि0–1

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 70 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 70 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(एक) नियम 67 के अधीन नियत शुल्क की धनराशि के साथ ऐसा प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर मण्डी समिति उसे प्रार्थित लाइसेंस जारी कर सकती है यदि,–	(एक) नियम 67 के अधीन नियत शुल्क की धनराशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, मण्डी समिति आवेदक को लाइसेंस जारी कर सकती है यदि,–

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) उसका यह समाधान हो जाये कि प्रार्थी ऋण दिवालिया नहीं है;	(क) उसका यह समाधान हो जाये कि आवेदक ऋण दिवालिया नहीं है;
(ख) उसका यह समाधान हो जाये कि प्रार्थी उपयुक्त व्यक्ति है और उसे लाइसेंस दिया जा सकता है :	(ख) उसका यह समाधान हो जाये कि आवेदक उपयुक्त व्यक्ति है जिसे लाइसेंस दिया जा सकता है :
प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (क) के उपबन्ध तौलक, मापक, पल्लेदार, ट्रक चालक एवं ठेला वालों पर लागू नहीं होंगे।	प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (क) के उपबन्ध तौलक, मापक, पल्लेदार, ट्रक चालक एवं ठेला वालों पर लागू नहीं होंगे।
(ग) लाइसेंस हेतु आवेदन–पत्र, नियमों एवं उपविधियों द्वारा यथाविहित फीस एवं संलग्नकों सहित प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर समिति ऐसे लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में लिखित रूप में सकारण आदेश द्वारा निर्णय लेगी और उसके सम्बन्ध में आदेश को संसूचित करेगी।	(ग) लाइसेंस हेतु संलग्नक तथा शुल्क और ऐसी विशिष्टियाँ जैसा कि, नियमों/ उपविधियों द्वारा विहित की जायं, सहित आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर समिति, आवेदन–पत्र प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर ऐसे लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए लिखित रूप में सकारण आदेश द्वारा निर्णय लेगी और इसे आवेदक को संसूचित करेगी : प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियम के उपनियम (1), (2), (3) एवं (4)(1)(क), (ख) तथा (ग) अन्य राज्य के व्यापरियों पर लागू नहीं होंगे और यदि किसी अन्य राज्य के व्यापारी, जो उस राज्य की किसी मण्डी समिति के वैध लाइसेंसधारी हैं, राष्ट्रीय पोर्टल (ई–एन0ए0एम0 पोर्टल या केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य पोर्टल) के माध्यम से लाइसेंस हेतु आवेदन करता है तथा उस राज्य की मण्डी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है; तो मण्डी समिति किसी अन्य दस्तावेजों की माँग किये बिना या किसी लाइसेंस शुल्क तथा अग्रिम धनराशि को जमा कराये बिना 03 दिन के भीतर लाइसेंस जारी करेगी। ऐसे लाइसेंसधारकों के सम्बन्ध में अग्रतर मार्गदर्शी सिद्धान्त, राज्य सरकार की अनुज्ञा से सम्बन्धित राज्यों के मण्डी परिषद तथा निदेशक मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश की सहमति के आधार पर, हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के माध्यम से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2024/558/ LXXX-1-2023-80-1003(002)-3-2023, dated January 1, 2024 :

No. 01/2024/558/ LXXX-1-2023-80-1003(002)-3-2023

Dated Lucknow, January 1 , 2024

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 40 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Ahdhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh Generel Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (ATTHAISWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Atthaiswan Sanshodhan) Niyamawali, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 70

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, *for* clause (i) of sub-rule (4) of rule 70 set out in column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing clause*	COLUMN-2 *Clause as hereby substituted*
(i) On receipt of such application together with the amount of fee prescribed under Rule 67, the Market Committee may issue him the license applied for, if,–	(i) On submission of application along with the fixed amount of fee under Rule 67, the Market Committee may issue a license to the applicant if,–
(a) it is satisfied that the applicant is solvent;	(a) it is satisfied that the applicant is solvent;
(b) it is satisfied that the applicant is a desirable person to whom a license may be granted:	(b) it is satisfied that the applicant is a suitable person to whom a license may be granted:
Provided that the provisions of sub-clause (a) shall not apply to Weighment, Measures, Palledars, Truck plyers and Thela plyers.	Provided that the provisions of sub-clause (a) shall not apply to the Weighman, Measures, Palledars, Truck driver and Vendors.
(c) On receipt of an application for license alongwith enclosures and fee and such particulars as may be prescribed by the rules/bye-laws the committee shall take decision within 30 days from the date of receipt thereof, to either grant or refuse to grant such license by a reasoned order in writing and communicate the same to the applicant.	(c) On receipt of an application for license alongwith enclosures and fee and such particulars as may be prescribed by the rules/bye-laws the committee shall take decision within 30 days from the date of receipt thereof, to either grant or refuse to grant such license by a reasoned order in writing and communicate the same to the applicant:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing clause	*Clause as hereby substituted*
	Provided also that sub-rules (1), (2), (3) and (4) (1) (a), (b) and (c) of this rule shall not apply to the traders of other States and if a trader of another State, who is a legal licencee of any market committee of that State, applies for the licence through National Portal (e-NAM portal or any other portal run by Central Government) and recommended by the market committee of that State; then the market committee shall issue the licence within 3 days without demanding any other documents or without depositing licence fee and any earnest money. In respect of such licences, further guidelines shall be issued through MOU signed on the basis of consensus of Market Boards of respective States and Director of Market Board, Uttar Pradesh with the permission of the State Government.

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 952 राजपत्र–2023–(2708)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 6 सा0 कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार–2023–(2709)–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

952 RPH 2023 (Krishi Anubhag-1) data 1e

क्रम-संख्या–156(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 19 सितम्बर, 2023

भाद्रपद 28, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

———————

संख्या 13 / 2023 / 380 / 80-1–2023-600(20)-1994
लखनऊ, 19 सितम्बर, 2023

———————

अधिसूचना

प0 आ0–477

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17 के खण्ड (तीन) के उपखण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (क्रशर इकाईयाँ गुड़ और खाण्डसारी)
(मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (क्रशर इकाईयाँ गुड़ और खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह चीनी वर्ष के प्रारम्भ होने के दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा और 30 सितम्बर, 2023 तक प्रभावी रहेगा।

परिभाषायें

2–इस आदेश में,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) से है;

(ख) ''कृषि वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ग) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस आदेश से संलग्न किसी प्रपत्र से है;

(घ) ''चीनी वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के अक्टूबर के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ङ) ''क्रशर इकाई'' का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित एक या उससे अधिक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का उत्पादन या प्रसंस्करण करने वाली और मण्डी समिति द्वारा इस रूप में लाइसेन्स प्राप्ति किसी इकाई से है।

3—इस आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यापारी, जिसके पास क्रशर इकाई के रूप में, मण्डी समिति का विधिमान्य लाइसेन्स हो, मण्डी शुल्क की ऐसी धनराशि, जो उसके प्रति चीनी वर्ष 2022—2023 तक के लिए देय हो, के बदले में एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है:

परन्तु यह कि यह योजना किसी मण्डी समिति द्वारा वहाँ कार्यान्वित की जायेगी जहाँ मण्डी क्षेत्र में स्थित कम से कम तीस प्रतिशत इकाईयां उक्त योजना के लिए विकल्प दें।

4—क्रशर इकाई के रूप में लाईसेन्स प्राप्त किसी व्यापारी, जो एकमुश्त धनराशि के भुगतान का विकल्प दे, को इस आदेश के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर मण्डी समिति को प्रपत्र संख्या 1 में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

5—''खण्ड—4'' में उल्लिखित आवेदन प्राप्त होते ही मण्डी समिति को इसमें विहित रीति से देय मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की एकमुश्त संदेय धनराशि का निर्धारण करना होगा।

6—चीनी वर्ष 2022—2023 में क्रय—विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर मण्डी शुल्क के बदले में किसी क्रशर इकाई से संग्रह की जाने वाली एकमुश्त धनराशि निम्नवत् होगी:—

क्रम संख्या	क्रशर इकाई (गुड़, खाण्डसारी आदि) का आकार और प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2022—2023 के लिए प्रशमन धनराशि (रू० में)		
			मण्डी शुल्क	विकास उपकर	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	20x25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	2,30,488.00	1,15,244.00	3,45,732.00
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्ति युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			
2	20x25.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 25.5x30.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	3,15,903.00	1,57,951.00	4,73,854.00
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त् युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			
3	25.5x30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28x35.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	4,69,111.00	2,34,555.00	7,03,666.00
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	8,56,872.00	4,28,436.00	12,85,308.00
4	28x35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00x46.00 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	9,30,094.00	4,65,047.00	13,95,141.00
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	13,25,989.00	6,62,994.00	19,88,983.00
5	33.00x46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	26,35,710.00	13,17,855.00	39,53,565.00
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			

7—यदि क्रशर इकाई टरबाइन युक्त है, तो वर्ष 2022—2023 के लिए प्रत्येक आकार हेतु उल्लिखित प्रशमन धनराशि पूर्ववर्ती धनराशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

8—यदि क्रशर इकाई के रूप में लाइसेन्स प्राप्त किसी व्यापारी ने चीनी वर्ष 2022—2023 के सम्बन्ध में मण्डी शुल्क की किसी धनराशि का संदाय कर दिया हो और मण्डी शुल्क जो उसके द्वारा संदेय हो, के बदले में

574 RPH (Krishi Viparan-1), 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

वह एकमुश्त धनराशि संदाय करने का विकल्प देता है तो संदत्त मण्डी शुल्क की धनराशि, इस अधिसूचना के अनुसार अवधारित एकमुक्त धनराशि से घटा दी जायेगी।

9–घटाये जाने के पश्चात्, यदि कोई धनराशि अतिशेष रह जाती है तो उसका समायोजन अगले वर्ष में किया जायेगा, यदि इसके पश्चात भी कोई धनराशि अतिशेष में रह जाती है तो इसका समायोजन आगामी वर्षों में किया जायेगा। मण्डी समिति द्वारा उसे नही दिया जायेगा।

10–क्रशर इकाई अपने उत्पादन का गेटपास मण्डी समिति से आनलाईन प्राप्ति करेगी। क्रशर इकाई के आनलाईन आवेदन पर अधिकतम दो घण्टे के भीतर मण्डी समिति गेटपास जारी करेगी।

11–योजना के विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात् चीनी वर्ष 2022–2023 के अन्त तक एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त कोई मण्डी शुल्क संदेय नहीं होगा। यदि कोई व्यापारी अपनी क्रशर इकाई द्वारा उत्पादित या प्रसंस्कृत मात्रा के अलावा अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय–विक्रय करने में संलिप्त रहता है तो उसे उस मात्रा के क्रय–विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर का संदाय वर्तमान दर पर करना होगा। यह धनराशि एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त होगी।

12–(1) वर्ष के अन्त में, मण्डी समिति यह अवधारित करेगी कि व्यापारी ने अपनी इकाई की उत्पादन क्षमता के अनुसार ही गेट पास जारी किया है। इस प्रयोजनार्थ, क्रशर इकाई को भण्डारण की मासिक स्थिति, सम्बन्धित समिति को प्रत्येक माह प्रस्तुत करनी होगी।

(2) पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ, मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए व्यापारीगण बाध्य होगें। मण्डी समिति किसी उचित समय पर क्रशर इकाई का निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत होगी।

13–(एक) यदि किसी एकमुश्त धनराशि के संदाय के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी सकारण आदेश द्वारा उसका विनिश्चय किया जायेगा।

(दो) मण्डी समिति के विनिश्चय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर या ऐसे समय के भीतर जिसे समुचित मामलों में निदेशक द्वारा बढाया जा सकता है, अधिनियम की धारा 32 के अधीन पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है।

14–ऐसा व्यापारी जो इस योजना का विकल्प दिया है, वह अपेक्षित एकमुश्त धनराशि का संदाय वर्ष में दो बराबर किश्तों में करेगा। प्रथम किश्त आवेदन के समय जमा की जायेगी तथा द्वितीय किश्त 30 दिनों के भीतर जमा की जायेगी।

15–इसके देय होने के पश्चात् यदि कोई एकमुश्त धनराशि असंदत्त रह जाती है तो इसकी वसूली, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार की जायेगी।

अनुसूची

[खण्ड 2 (ङ) देखिये]

विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादः–

1–गुड़

2–खाण्डसारी

3–राब

4–शक्कर

5–ताड़ गुड़ (जगरी)

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्रपत्र–1

(खण्ड 4 देखिये)

सेवा में,

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति.........

जिला..................................

महोदय,

मेरे पास विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद गुड़/खाण्डसारी/राब/शक्कर/ताड़ गुड़ (जगरी) के उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए क्रशर इकाई के लिए कृषि उत्पादन मण्डी समिति........... जिला......... का विधिमान्य लाइसेन्स है। लाईसेन्स का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1– लाईसेन्स प्राप्त व्यापारी का नाम व पता	....
2– (क) लाईसेन्स संख्या	....
(ख) लाईसेन्स जारी किये जाने/नवीकरण का दिनांक	....
(ग) लाईसेन्स की समाप्ति का दिनांक	....
3– चीनी वर्ष 2022–2023 में क्रशर इकाई का आकार, स्वरूप और उत्पादन क्षमता	....
4–स्थान, जहां क्रशर इकाई स्थित हैः	....
(क) ग्राम	....
(ख) नगर	....
(ग) तहसील	....
(घ) जिला	....

मैं एतदद्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (क्रशर इकाइयॉ गुड़ और खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2023 के अनुसार चीनी वर्ष 2022–2023 के संबंध में संदेय मण्डी शुल्क के बदले में एकमुश्त धनराशि में मण्डी शुल्क के भुगतान का विकल्प देता हूं।

अतः यह प्रार्थना है, कि पूर्वोक्त चीनी वर्ष (2022–2023) के लिए उक्त आदेश के उपबंधों के अनुसार, एकमुश्त भुगतान की जाने वाली मण्डी शुल्क की धनराशि की गणना करने और स्वीकार करने की कृपा करें। गन्ना विभाग द्वारा जारी विधिमान्य लाईसेन्स की प्रति भी इसके साथ संलग्न की जाती है।

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं......................पूर्वोक्त आवेदक का स्वामी/भागीदार एतदद्वारा सत्यापित करता हूॅ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

....

हस्ताक्षर

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव।

574 RPH (Krishi Viparan-1), 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/2023/380/ LXXX-1–2023-600(20)-1994, dated September 19, 2023 :

No. 13/2023/380/ LXXX-1–2023-600(20)-1994

Dated Lucknow, September 19, 2023

IN exercise of the powers under sub-clause (b) of clause (iii) of section 17 of the Uttar Pradesh Krishi Utapadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXV of 1964), the Governor is pleased to make the following order:-

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (CRUSHER UNITS GUR AND KHANDSARI)(COMPOUNDING OF MARKET FEE) ORDER, 2023

Short title and commencement

1. (1) This order may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Crusher Units Gur and Khandsari) (Compounding of Market Fee) Order, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the beginning of the sugar year dated 1st October, 2022 and shall be effective up to 30th September, 2023.

Defenitions

2. In this order-

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXV of 1964) ;

(b) "Agricultural Year" means a Period of twelve months commencing from the first day of july of a calendar year;

(c) "Form" means a form appended to this order;

(d) "Sugar Year" refers to a period of twelve months commencing from the first day of October of a calendar year;

(e) "Crusher Unit" means a unit producing or processing one or more of the specified agricultural produce mentioned in the schedule and licensed as such by the Market Committee.

3.Subject to the provisions of this order, any trader who has a valid licence of market committee, as a crusher unit, may exercise his option for payment of lump-sum amount *in lieu* of such an amount of market fee which may be due against him in the sugar year 2022-2023:

Provided that this scheme shall be implemented by any Market Committee where at least thirty-percent units situated in the market area opt for the scheme.

4.Any trader licenced as crusher unit, who opts to pay the lump-sum amount shall submit his application in Form no.1 to the market committee within 30 days from the date of publication of this order in the *Gazette*.

5.As soon as the application mentioned in clause 4 is received, the market committee shall assess the lump-sum amount of the due market fee and development cess payable in the manner prescribed herein.

6. The lump-sum amount to be collected from a crusher unit *in lieu* of market fee on each transaction of sale and purchase in the sugar year 2022-23 shall be as follows:-

S.No.	Size and type of Crusher Unit (Gur, khandsari *etc.*)	Type of unit	Compounding Amount for the Sugar Year 2022-2023 (Rs.)		
			Market fee	Development cess	Total Amount
1	2	3	4	5	6
1	Not more than 20x25.5 cm	(A) Non Hydraulic (without Turbine) (B) Hydraulic/ Non Hydraulic with spring loaded device (without Turbine)	2,30,488.00	1,15,244.00	3,45,732.00
2	More than 20x25.5 cm but not more than 25.5x30.5 cm	(A) Non Hydraulic (without Turbine) (B) Hydraulic/ Non Hydraulic with spring loaded device (without Turbine)	3,15,903.00	1,57,951.00	4,73,854.00

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

S.No.	Size and type of Crusher Unit (Gur, khandsari *etc.*)	Type of unit	Compounding Amount for the Sugar Year 2022-2023 (Rs.)		
			Market fee	Development cess	Total Amount
1	2	3	4	5	6
3	More than 25.5x30.5 cm but not more than 28.00x35.5 cm	(A) Non Hydraulic (without Turbine)	4,69,111.00	2,34,555.00	7,03,666.00
		(B) Hydraulic/ Non Hydraulic with spring loaded device (without Turbine)	8,56,872.00	4,28,436.00	12,85,308.00
4	More than 28.00x35.5 cm but not more than 33.00x46.00 cm	(A) Non Hydraulic (without Turbine)	9,30,094.00	4,65,047.00	13,95,141.00
		(B) Hydraulic/ Non Hydraulic with spring loaded device (without Turbine)	13,25,989.00	6,62,994.00	19,88,983.00
5	more than 33.00x46.00 cm	(A) Non Hydraulic (without Turbine)	26,35,710.00	13,17,855.00	39,53,565.00
		(B) Hydraulic/ Non Hydraulic with spring loaded device (without Turbine)			

7. If the crusher unit is turbine-equipped, then the compounding amount will be 10 percent more than the previous amount mentioned for each size for the year 2022-2023.

8. If any crusher unit licencee trader has paid any amount of market fee in respect of sugar year 2022-2023 and he opts to pay a lump-sum amount *in lieu* of market fee that may be payable by him, then the amount of market fee paid shall be deducted from the amount of lump-sum determined as per this notification.

9. After deduction, if any amount remains in balance then that will be adjusted in the next year, and after that if any amount remains in balance then its adjustment will be made in forthcoming years. It will not be given by the market committee.

10.The crusher unit shall get the gate pass of its production online from the market committee. On online application of crusher unit, the market committee shall issue the gate pass within maximum two hours.

11. After exercising the option for the scheme, no market fee except the lump-sum amount shall be payable till the end of the sugar year 2022-2023. If any trader indulges in the sale and purchase of the specified agricultural produce mentioned in the schedule, apart from the quantity produced or processed in his crusher unit, he shall have to pay market fee and development cess at the prevailing rate on each transaction of sale and purchase of that quantity. This amount shall be in addition to the lump-sum amount.

12. (1) At the end of the year, the Market Committee shall determine that the trader has issued gate passes according to the production capacity of his unit. For this purpose, the crusher unit shall have to furnish the monthly stock position to the respective committee every month.

(2) For the aforesaid purpose, traders shall be bound to submit the records, required by the Market Committee. Market committee is authorized to inspect crusher unit at any reasonable time.

13. (i) If any dispute arises in respect of payment of any amount of lump-sum, it shall be decided by the concerned market committee, by a speaking order, after giving the parties reasonable opportunity of being heard.

(ii) A revision under section 32 of the Act may be filed within 30 days or within such time as may be extended in appropriate cases by the Director against the decision of the market Committee.

14. The trader who has opted for this scheme, shall pay the required lump-sum amount of the year in two equal installments. First installment shall be deposited at the time of application and second installment shall be deposited within 30 days.

15. If any amount of lump-sum remains unpaid after it becomes due, it shall be recovered in accordance with section 20 of the Act.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

SCHEDULE

[*See* Clause 2 (e)]

Specified Agricultural Produce:-

1-Gur

2-Khandsari

3-Rab

4-Shakkar

5-Jaggery

FORM-1

(*See* Clause 4)

To,

The Secretary,
Krishi Utpadan Mandi Samiti,
District..................

Sir,

I have a valid licence of Krishi Utpadan Mandi Samiti...........,District................ for a crusher unit for producing/processing the specified agricultural produce Gur/ Khandsari/Rab/ Shakkar/ Jaggary. The details of the licence are as follows:-

1. Name and address of the licenced Trader	....
2. (a) Licence no	....
(b) Date of issue/renewal of the licence	....
(c) Date of expiry of the licence	....
3. Size, form and production capacity of the crusher unit in the sugar year 2022-2023	....
4. Place where the crusher unit situated	
(a) Village	....
(b) City	....
(c) Tehsil	....
(d) District	....

I hereby exercise my option of payment of market fee in lump-sum *in lieu* of the market fee that may be payable in respect of the sugar year 2022-23 accordance with the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Crusher Unit Gur and Khandsari) (Compounding of Market fee) order, 2023.

It is therefore, prayed that the amount of Market fee to be paid in lump-sum be calculated and accepted as per provision of the said order for the aforesaid sugar year (2022-23). The copy of valid licence, issued by sugarcane department is also attached herewith.

Yours faithfully

Signature of the Applicant.

Verification

I..................owner/partner...............of aforesaid applicant do hereby verify that the information given above is true to my personal knowledge and belief.

....

Signature

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 574 राजपत्र—2023—(1776)—599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

574 RPH (Krishi Viparan-1), 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

म-संख्या–114

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 जून, 2023

आषाढ़ 9, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायतीराज अनुभाग–2

————

संख्या 1548 / 33-2–2023-80 जी-2000

लखनऊ, 30 जून, 2023

————

अधिसूचना

सा0प0नि0–24

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 237 की उपधारा (1) और धारा 117 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य (**द्वितीय** संशोधन) नियमावली, 2023

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी; संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- नियम-16 का संशोधन

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) यथास्थिति, परिषद या क्षेत्र समिति द्वारा	(1) यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अनुमोदित निर्माण-कार्य का ब्योरेवार अनुमान जिला अभियंता के निर्देशन में तैयार किया जाएगा और ऐसे अनुमानों के लिए प्राविधिक स्वीकृति निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी :-

निर्माण कार्य की अनुमानित लागत	अधिकारी जो प्राविधिक स्वीकृति के लिए सक्षम हों
(एक) 50,000 रूपये से अधिक न हो	जिला अभियंता
(दो) 50,000 रूपये से अधिक किन्तु 5,00,000 रूपये से अधिक न हो	मुख्य अधिकारी
(तीन) 5,00,000 रूपये से अधिक किन्तु 10,00,000 रूपये से अधिक न हो	अध्यक्ष
(चार) 10,00,000 रूपये से अधिक	राज्य सरकार

अनुमोदित निर्माण-कार्य का ब्योरेवार अनुमान, जिला अभियंता के निर्देशन में तैयार किया जाएगा और ऐसे अनुमानों के लिए स्वीकृति निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत	प्राविधिक स्वीकृति देने के लिये सक्षम अधिकारी	वित्तीय स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी	प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी
(एक)	रू0 50,000 से अधिक न हो	जिला अभियंता	अपर मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष, जिला पंचायत
(दो)	रू0 50,000 से अधिक किन्तु रू0 5,00,000 से अधिक न हो	जिला अभियंता	अपर मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष, जिला पंचायत
(तीन)	रू0 5,00,000 से अधिक किन्तु रू0 25,00,000 से अधिक न हो	जिला अभियंता	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष, जिला पंचायत
(चार)	रू0 25,00,000 से अधिक किन्तु रू0 40,00,000 से अधिक न हो	अधिशासी अभियंता	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष, जिला पंचायत
(पांच)	रू0 40,00,000 से अधिक किन्तु रू01,00,00,000 से अधिक न हो	अधीक्षण अभियंता	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष, जिला पंचायत
(छः)	रू01,00,00,000 से अधिक	मुख्य अभियंता सृतर-2	अध्यक्ष, जिला पंचायत	राज्य सरकार

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

IN Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is Pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1548/XXXIII-2–2023-80G-2000, dated June 30, 2023 :

No. 1548/XXXIII-2–2023-80G-2000

Dated Lucknow, June 30, 2023

IN exercise of the powers under sub-section (i) of Section 237 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam , 1961 (U.P. Act no. XXXIII of 1961) *read* with sub-section (2) of section 117 of the said Adhiniyam and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Work Rules, 1984 :

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS WORK (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Work (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 16

2. In the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Work Rule, 1984, *for* the existing sub- rule (1) of rule 16 set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- I

Existing sub-Rule

(1) Detailed estimates of the work approved by a Parishad or Kshettra Samiti, as the case may be, shall be prepared under the guidance of the Zila Abhiyanta and technical sanction to such estimates shall be accorded by the authorities as mentioned below :-

Estimated Cost of the Work	Officer competent to accord technical sanction
(One) not exceeding Rs. 50,000	Zila Abhiyanta
(Two) Exceeding Rs. 50,000 but not exceeding Rs. 5,00,000	Apar Mukhya Adhikari
(Ttree) Exceeding Rs. 5,00,000 but not exceeding Rs. 10,00,000	Adhyaksha
(Four) above Rs. 10,00,000	State Government

COLUMN- II

Sub-rule as hereby substituted

(1) Detailed estimates of the work approved by a Zila Panchayats or Kshettra Panchayats, as the case may be, shall be prepared under the guidance of the Zila Abhiyanta and sanction to such estimates shall be accorded by the authorities as mentioned below :-

Sl. No.	Estimated Cost of the Work	Officer competent to accord Technical sanction	Officer competent to accord Financial sanction	Officer competent to accord Administ-rative sanction
(1)	Does not Exceed Rs. 50,000	Zila Abhiyanta	Apar Mukhya Adhikari	Adhyaksha, Zila Panchayat
(2)	Exceeds Rs. 50,000 but dose not exceed Rs. 5,00,000	Zila Abhiyanta	Apar Mukhya Adhikari	Adhyaksha, Zila Panchayat
(3)	Exceeds Rs. 5,00,000 but dose not exceed Rs. 25,00,000	Zila Abhiyanta	Adhyaksha, Zila Panchayat	Adhyaksha, Zila Panchayat
(4)	Exceeds Rs. 25,00,000 but dose not exceed Rs. 40,00,000	Executive Engineer	Adhyaksha, Zila Panchayat	Adhyaksha, Zila Panchayat
(5)	Exceeds Rs. 40,00,000 but dose not exceed Rs. 1,00,00,000	Superinten-dent Engineer	Adhyaksha, Zila Panchayat	Adhyaksha, Zila Panchayat
(6)	Above Rs. 1,00,00,000	Chief Engineer level-2	Adhyaksha, Zila Panchayat	State Government

By order,

MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 433 राजपत्र–2023–(1424)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 11 सा0 पंचायतीराज–2023–(1425)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–86(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0 / एल0-
डब्लू / एन0पी0–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 मई, 2023

बैशाख 29, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–4

संख्या 17 / 2023 / 715 / तीस-4–2023-30-4099 / 22-2022

लखनऊ, 19 मई, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–17

चूंकि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 65, 95, 96 तथा 111 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की **दृष्टि** से, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन **निम्नलिखित** नियमावली का प्रारूप, अधिसूचना संख्या 8/2023/458/तीस-4-2023-30-4099/22/2022, दिनांक 05 अप्रैल, 2023 गजट में प्रकाशित किया गया था;

और, चूंकि प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में विहित अवधि के भीतर किसी से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 65, 95, 96 तथा 111 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की **दृष्टि** से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (उनतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (उनतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी;

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 39 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 39 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ—1

विद्यमान नियम

39-ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत और जारी करना-

(1) धारा 56 के प्रयोजनार्थ, विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी होगा। ठीक हालात में होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र एस0आर0 12 में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को जिसके कार्यक्षेत्र में यान रखा जाता हो या जिसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उस मार्ग या क्षेत्र का जिस पर यान से सम्बन्धित परमिट का विस्तार हो, प्रमुख भाग भी है, किया जायेगा।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

39-ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत और जारी करना-

(1)(क) धारा 56 के प्रयोजनार्थ, विहित प्राधिकारी, राज्य के किसी जिले का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा स्वचालित परीक्षण केन्द्र होगा, जहाँ ऐसा यान प्रचालित किया जा रहा हो। अन्य राज्य में यान प्रचालित किये जाने की दशा में विहित प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश के निकटतम जिले का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा स्वचालित परीक्षण केन्द्र होगा:

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 में विनिर्दिष्ट परीक्षणों का संचालन किसी जिला, जहाँ यान रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, से भिन्न किसी जिला में, किसी निरीक्षणकर्ता अधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा किया जाता है वहाँ निरीक्षणकर्ता अधिकारी, जिसने परीक्षण संचालित किया हो, उसी दिवस या अनुवर्ती कार्यदिवस में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र 38क में parivahan.gov.in/vahan पोर्टल पर अपलोड करेगा और यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा यान, अधिनियम तथा नियमावली के उपबंधों के अनुपालन के अनुरूप पाया जाता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु अपने हस्ताक्षर तथा मुहर से निरीक्षण रिपोर्ट, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर स्पीड पोस्ट से प्रेषित भी करेगा और उसकी एक प्रति यान चालक को दी जायेगी:

परन्तु यह और कि ठीक हालत में होने का अगला प्रमाण-पत्र निरीक्षणकर्ता अधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के जिला, जहाँ यान रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, के किसी प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र से प्राप्त किया जायेगा।

(ख) किसी यान को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 तथा **तद्धीन** बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत करेगा।

(ग) स्वामी, यान के निरीक्षण हेतु ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के दिनांक से अनधिक 60 दिन पूर्व किसी कार्यदिवस में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के समक्ष केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट परीक्षण फीस के साथ यान प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) यदि यान परीक्षण में असफल हो जाता है तो पुनः परीक्षण हेतु यान-स्वामी केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षण शुल्क जमा कर यान को किसी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकता है।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(ङ) निरीक्षणकर्ता अधिकारी अथवा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र एस0आर0-12 में तैयार किया जायेगा। (च) यदि यान के ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात् किसी दिनांक को यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है तो नवीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगाः परन्तु यह कि जहां यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के पूर्व किसी दिनांक को यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है वहाँ नवीकरण यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के दिनांक से प्रभावी होगा।
(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया था उस पर यान के अगले निरीक्षण के लिये दिनांक पृष्ठांकित कर सकता है और तद्नुसार स्वामी यान को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करायेगा।	(2) निकाल दिया गया।
(3) यदि उपनियम (2) में यथा व्यवस्थित प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित नहीं किया गया है तो स्वामी प्रमाण-पत्र की समाप्ति के कम से कम एक माह के भीतर प्रपत्र एस0आर0-13 में आवेदन-पत्र देगा और ऐसे दिनांक को और ऐसे समय और स्थान पर जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी तत्पश्चात् युक्तियुक्त नोटिस पर नियत करे, यान को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करायेगा।	(3) निकाल दिया गया।
(4) यदि स्वामी उपनियम (2) के अधीन नियत दिनांक को या उपनियम (3) के अधीन नियत दिनांक, समय और स्थान पर यान को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह सेन्ट्रल रूल्स के नियम 81 के सारणी के क्रम संख्या-11 पर विनिर्दिष्ट फीस की धनराशि और उसके बराबर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।	(4) यदि स्वामी यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के पूर्व निरीक्षण हेतु यान प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट फीस की धनराशि और उसके बराबर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।

द्वितीय अनुसूची में संशोधन

उक्त नियमावली में, द्वितीय अनुसूची में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस0आर0-12 तथा प्रपत्र एस0आर0-13 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ—1

विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र एस0आर0-12

नियम 39(1) देखिये,

ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र देने/नवीकरण करने के लिये आवेदन-पत्र

भाग-क

(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र..........................

मैं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 56 द्वारा यथा अपेक्षित **एतद्द्वारा** नीचे वर्णित यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र को जारी/नवीकरण करने के लिये आवेदन करता हूँ-

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह....................................

स्वामी का नाम..स्थान जहाँ गाड़ी साधारणतया रखी जाती है........................यान के विनिर्माता का नाम....................................विनिर्माता का माडल या यदि ज्ञात नहीं है तो व्हील बेस................यान का प्रकार....................चेसिस संख्या..........................इंजन संख्या.......................

यान के सम्बन्ध में दिये गये किसी पूर्ववर्ती ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र का विवरण.................

प्राधिकारी जिसके द्वारा दिया गया/नवीकृत किया गया...........दिनांक, जब ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त होगी.................विधिमान्यता की समाप्ति के कारण..........................मैं केन्द्रीय नियमावली के नियम 73 के अधीन अपेक्षित कर शोधन प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ।

दिनांक................................

आवेदक के हस्ताक्षर

या अंगूठे का निशान

भाग-ख

(निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

परिवहन यान संख्या ....

की निरीक्षण रिपोर्ट सम्भागीय/उप-सम्भागीय कार्यालय.......................निरीक्षण का स्थान....................... दिनांक..........................क्रम संख्या............................रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता.....................यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या.......................ढाँचे का प्रकार........................

यान के विनिर्माता का नाम......................................

विनिर्माण का वर्ष...

व्हील बेस...

चेसिस संख्या...

इंजन संख्या..

अश्वशक्ति..

यान का लदान रहित भार.......................................

सकल यान भार...

टायरों की संख्या और आकार........अगली धुरी.............पिछली धुरी................कोई अन्य धुरी...............टैडम धुरी........................

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र एस0आर0-12

नियम **39(1)**(ङ) देखिये,

ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र देने/नवीकरण करने के लिये आवेदन पत्र

(निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

परिवहन यान संख्या ....की निरीक्षण रिपोर्ट सम्भागीय/उप-सम्भागीय अधिकारी.........

निरीक्षण का स्थान.....................दिनांक................ क्रम संख्या..........

रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता................................

रजिस्ट्रीकरण संख्या..

ढाँचे का प्रकार...

यान के विनिर्माता का नाम..

विनिर्माण का वर्ष..

व्हील बेस...

चेसिस संख्या...

इंजन संख्या...

अश्वशक्ति..

यान का लदान रहित भार...

सकल यान भार.. टायर की संख्या और आकार........अगली धुरी....................................

पिछली धुरी.............................कोई अन्य धुरी.................

टैंडम धुरी..

स्तम्भ—1

विद्यमान प्रपत्र

1- यान का ढाँचा-

(क) ढाँचे की सामान्य दशा.............................

(ख) रंगाई कार्य..

(ग) पोशिशसाजी..

(घ) यान की लम्बाई......................सेन्टीमीटर

(ङ) यान की चौड़ाई.......................सेन्टीमीटर

(च) यान की ऊँचाई(भूमि से मापी गयी) ....सेन्टीमीटर

(छ) खड़े होने का स्थान..................सेन्टीमीटर

(ज) गैंगवे...सेन्टीमीटर

(झ) दो सीटों के पीछे के मध्य की दूरी..सेन्टीमीटर

(ञ) सीट की चौड़ाई........................सेन्टीमीटर

(ट) सीट की गहराई........................सेन्टीमीटर

(ठ) ओवर हैंग................................सेन्टीमीटर

(ड) ड्राइवर की सीट और स्टियरिंग के बीच की दूरी.......................................सेन्टीमीटर

(ढ) सीढ़ियों की दूरी भूमि से सबसे निचली सीढ़ी के सिरे तक.....................सेन्टीमीटर

(ण) दरवाजा..........चौड़ाई............सेन्टीमीटर

(त) ग्रैव रेल...

2- अगली धुरी और स्टीयरिंग-

(क) स्टीयरिंग लाक......................................

(ख) पहियों का स्वतंत्र संचालन.....................

(ग) स्टीयरिंग कनेक्शन................................

(घ)स्टीयरिंग टर्निल सर्किल और बैकलैश.......

(ङ) किंग पिन और बुश्ड...........................

(च) सामने की पहिया की वियरिंग................

(छ) सामने की पहिया का एलाइनमेन्ट...................

3- संप्रेषण-

(क) क्लच...

(ख) गियर बाक्स..

(ग) यूनिवर्सल ज्वाइन्ट..................................

(घ) प्रोपेलर शैफ्ट...

(ङ) डिफरिन्शयल..

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

1- यान का ढाँचा:

(क) ढाँचे की सामान्य दशा..........................

(ख) रंगाई कार्य...

(ग) पोशिशसाजी...

(घ) यान की लम्बाई...............................सेन्टीमीटर

(ङ) यान की चौड़ाई................... सेन्टीमीटर

(च) यान की ऊँचाई(भूमि से मापी गयी)..................................सेन्टीमीटर

(छ) खड़े होने का स्थान...................................सेन्टीमीटर

(ज) गैंगवे......................................सेन्टीमीटर

(झ) दो सीटों के पीछे के मध्य की दूरी......................................सेन्टीमीटर

(ञ) सीट की चौड़ाई....................सेन्टीमीटर

(ट) सीट की गहराई.....................सेन्टीमीटर

(केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम 125 ग के उपनियम (1), (2), (5), (6) व (7) का अनुपालन जैसा कि ए0आई0एस0 में विनिर्दिष्ट है।)

(ठ) सीट संख्या/स्लीपर संख्या ....

(ड) ओवर हैंग...............................सेन्टीमीटर

(ढ) ड्राइवर की सीट और स्टियरिंग के बीच की दूरी.............................सेन्टीमीटर

(ण) सीढ़ियों की दूरी भूमि से सबसे निचली सीढ़ी के सिरे तक.....................................सेन्टीमीटर

(त) दरवाजा..........चौड़ाई.............सेन्टीमीटर

(थ) आपातकालीन निकास द्वार-

(एक) पीछे की ओर................................

(दो) प्रवेश द्वार के विपरीत साइड...........

(तीन) छत में..

(द) ग्रैव रेल...................................सेन्टीमीटर

(ध) यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा पैनिक बटन.......

2- अगली धुरी और स्टीयरिंग:

(क) स्टीयरिंग लॉक..

(ख) पहियों का स्वतंत्र संचालन........................

(ग) स्टीयरिंग कनेक्शन...................................

(घ) स्टीयरिंग टर्निंग सर्किल और बैकलैश.........

(ङ) किंग पिन और बुश्ड.................................

(च) सामने पहिया की वियरिंग..........................

(छ) सामने पहिया का एलाइनमेन्ट...................

3- पारेषण:

(क) क्लच...

(ख) गियर बाक्स.......................................

(ग) यूनिवर्सल ज्वाइन्ट.................................

(घ) प्रोपेलर शैफ्ट..

(ङ) डिफरिन्शयल...

स्तम्भ—1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
4- इंजन-	4-इंजन-
(क) ईंधन प्रणाली..	(क) ईंधन प्रणाली..
(ख) निष्कासक प्रणाली..................................	(ख) निष्कासक प्रणाली..................................
(ग) ज्वलन प्रणाली..	(ग) ज्वलन प्रणाली(स्पार्क प्लग/सप्रेसरकैप/उच्च टेंशन केबल)..........
(घ) धुआँ उत्सर्जन का घनत्व.........................	(घ) धुआँ उत्सर्जन का घनत्व.......................
	(ङ) वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र............
5- लैम्प और बिजली प्रणाली-	5- लैम्प और बिजली प्रणाली-
(क) हैड लाइट...	(क) हैड लाइट तथा हैड लाइट फोकस........ (बल्व वोल्टेज नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय।)
(ख) साइड लाइट..	(ख) इन्ड-ऑउट लाइन मार्कर लाइट..........
(ग) बैक लाइट..	(ग) पार्किंग लाइट..
(घ) स्टाप लाइट...	(घ) स्टाप लाइट...
(ङ) **सिगनल** इन्डीकेटर................................	(ङ) दिशा सूचक इन्डीकेटर.........................
(च) डिपर...	(च) डिपर...
(छ) आन्तरिक प्रकाश प्रणाली........................	(छ) आन्तरिक प्रकाश प्रणाली..................
(ज) हार्न..	(ज) फॉग लैम्प (यदि लगा है)......................
	(झ) एम्बुलेंस में चेतावनी के लिए लाइट.......
	(ट) हैजार्ड वार्निंग लाइट.............................
	(ठ) नम्बर प्लेट लाइट.................................
	(ड) बैटरी..
6- साइलेन्सर-	6- साइलेन्सर.. (साइलेन्सर का लीकेज न होना सुनिश्चित किया जाय।)
7-ब्रेक्स-	7- ब्रेक्स-
(क) पैर का..	(क) पैर का..
(ख) हाथ का...	(ख) हाथ का..
(ग) बूस्टर प्रणाली...	(ग) बूस्टर प्रणाली...................................... (केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम 96(8) के अनुपालन में).........
8- स्प्रिंगिंग प्रणाली की दशा-	8- सस्पेंशन प्रणाली की दशा-
9- आवश्यक उपस्कर-	9- आवश्यक उपस्कर-
(क) बल्ब हार्न..	(क) इलेक्ट्रिक हॉर्न..
(ख) विण्ड शील्ड वाइपर.................................	(ख) विण्डशील्ड वाइपर.....................................
(ग) पृष्ठ भाग देखने वाला शीशा....................	(ग) पृष्ठ भाग देखने वाला शीशा.........................
(घ) स्पीडोमीटर..	(घ) स्पीडोमीटर...
(ङ) औजार...	(ङ) औजार..
(च) अतिरिक्त पहिया....................................	(च) अतिरिक्त पहिया..
(छ) प्राथमिक चिकित्सा बाक्स.......................	(छ) प्राथमिक चिकित्सा बाक्स..........................
(ज) तिरपाल..	(ज) तिरपाल...
(झ) परावर्तक..	(झ) परावर्तक..
10- टायरों की दशा..	(ञ) विण्डशील्ड शीशा..................................
11- चेसिस फ्रेम की दशा......................................	(ट) डैशबोर्ड सयंत्र...
12- सफाई..	(ठ) परावर्ती टैप (मानक के अनुरूप)..............
13- कोई अन्य संप्रेक्षण या खराबी.......................	(एक) आगे-सफेद रंग-..................................
'उपरिलिखित खराबी के कारण ठीक हालत में होने से इन्कार करने की संस्तुति की जाती है।	(दो) पीछे-लाल रंग-......................................
..............................अवधि के लिये ठीक हालत में होने की संस्तुति की जाती है।	(तीन) साइड-पीले रंग-................................
निरीक्षक का नाम और उसका हस्ताक्षर प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र	
भाग-ग (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)	
यान संख्या...	
परमिट संख्या..............................तक के लिए विधिमान्य बीमा पालिसी....................................	
बीमा कम्पनी का नाम..................................तक के	

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ—1

विद्यमान प्रपत्र

लिए बीमा विधिमान्य................................तक मार्ग-कर जमा किया गया......................तक माल-कर/यात्री-कर जमा किया गया

रसीद संख्या...........दिनांक.............द्वारा..........रुपये निरीक्षण फीस वसूल की गयी।

*यान के सम्बन्ध में ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र से इन्कार किया जाता है.....................

............................से...................तक के लिये जारी किया जाता है।

यान के अगले निरीक्षण के लिए दिनांक....................

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
का नाम और उसका
हस्ताक्षर

....

प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र

*जो लागू न हो उसे काट दें।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

(ड) गति नियंत्रक- मेक............यूनिक नं0..........

(ढ) रेयर अण्डर रन सुरक्षा डिवाइस(एन2, एन3, टी3 एवं टी4 के लिए)........................

(ण) लेटरल साइड सुरक्षा डिवाइस (एन2, एन3, टी3 एवं टी4 के लिए).................

(त) फास्ट टैग..

(थ) सीट बेल्ट ....

(द) अग्निशामक यन्त्र ....

(ध) सीसीटीवी (स्कूल बस हेतु)...........................

(न) वाहन-एसी/नॉन एसी.............................

10-टायरों की दशा(घिसाव सूचक के अनुसार)..............

11- वायरिंग हारनेस..

12- डोर एवं ग्लास ....

13- इंस्पेक्शन लैम्प की उपलब्धता....................

14-दोनों ओर पंजीयन चिन्ह् की मार्किंग...........................

15-हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ....

16-चेसिस फ्रेम की दशा...............................

17-विभिन्न रूप से योग्य यात्रियों तथा कम गतिशीलता वाले यात्रियों हेतु प्राथमिकतावाली सीटों, संकेत सहारों/बेंत/वॉकर, हैन्ड रेल/स्टैंच का सुरक्षित होना और प्राथमिकता वाली सीटों पर नियन्त्रण..................................

18- विभिन्न रूप से योग्य यात्रियों तथा कम गतिशीलता वाले यात्रियों हेतु व्हील चेयर, इन्ट्री/रखने/लॉकिंग अरेंजमेन्ट का होना...................

19- फुआरा निरोध युक्ति (मडफ्लैप, फेन्डर लाइनिंग).........

20- **विद्युत** यानों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण [जीएसआर652(इ), दि0 23.09.2021 के अनुसार]-

(क) **विद्युत** अघात से सुरक्षा यदि प्रणाली का वोल्ट 60 V DC या 30 V DC हो....................................

(ख) इंसुलेशन रेजिस्टेंस माप परीक्षण यदि प्रणाली का वोल्ट 60 V DC या 30 V DC हो......................

(ग) डैशबोर्ड पर चार्ज की अवस्था का इंडीकेटर........

21- प्राधिकृत स्वचालित परीक्षण केन्द्र में स्थापित निम्नलिखित मशीनों /उपकरणों में टेस्ट की स्थिति-

[जीएसआर652(इ), दि0 23.09.2021 के अनुसार]-

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ—1

विद्यमान प्रपत्र

भाग-घ

(निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा और स्वामी को हस्तान्तरित किया जायेगा)

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....................................

मेक और मॉडल..

यान का प्रकार...ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र......................द्वारा जारी किया गया......................द्वारा........................... को अन्तिम बार नवीकरण किया गया।

निरीक्षण का दिनांक..

स्वामी का नाम और पता...

उपर्युक्त वर्णित यान मेरी राय में मोटरयान अधिनियम, 1988 और **तद्धीन** बनाये गये नियमों के उपबन्धों का निम्नलिखित खराबियों के कारण अनुपालन करने में विफल है-

....

....

अतएव मैंने ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जब्त कर लिया है। गाड़ी को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है।

(1)..

(2)..

यान को दिनांक........................को या उसके पूर्व मरम्मत के लिये.......................................को उसके पश्चात्..को चलाकर ले जाया जा सकता है।

यह..................................किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक पर नहीं चलायी जायेगी और उसमें कोई यात्री या माल नहीं ले जाया जायेगा। ठीक हालत में होने की स्वीकृति दी जाती है।

दिनांक................................

प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

1-यहाँ स्थान दर्ज करें।

2-यहाँ दिनांक दर्ज करें।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

(क) उत्सर्जन टेस्ट..

(ख) बेक्रिंग सिस्टम...

(ग) स्टीयरिंग गियर..

(घ) साइड स्लिप टेस्ट....................................

(ड) सस्पैंशन टेस्ट(हल्के वाहन हेतु)..............

(च) ज्वाइंट प्ले..

(छ) स्पीड गवर्नर...

(ज) हेड लाईट फोकस....................................

(झ) सांउड टेस्ट...

22- सफाई..

23- कोई अन्य खराबी...

1...

2...

3..

4...

24- संस्तुतिः

(एक) दिनांक.........से ....दिनांक........तक फिटनेस प्रदान किया गया।

(दो) क्रमांक ....में उल्लिखित कमियां सुधार करायें।

(तीन) फिटनेस अस्वीकृत (कारण का उल्लेख)

निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी,

प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र

का नाम तथा हस्ताक्षर (मुहर)

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ—1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
प्रपत्र एस0आर0-13 नियम 39(3) देखिये, निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन-पत्र जब प्रपत्र एस0आर0-12 में उसे पृष्ठांकित न किया गया हो भाग-क (आवेदक द्वारा भरा जायेगा) सेवा में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, ... मैं, **एतद्द्वारा** नीचे वर्णित यान के मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अधीन अपेक्षित निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन करता हूँ- 1-यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह...................... 2-दिनांक जब ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र विधिमान्य नहीं रह जायेगा.................... 3-ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम............................. दिनांक...................................... आवेदक का नाम और उसका हस्ताक्षर भाग-ख (रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा और स्वामी को हस्तान्तरित किया जायेगा) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.............................. स्वामी का नाम और पता.................................. चूंकि उपरिलिखित यान का ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र दिनांक ....को समाप्त होने वाला है, अतएव उसे.............(दिनांक, समय और स्थान का उल्लेख किया जायेगा) पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। दिनांक...................................... रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर और उसका पदनाम	निकाल दिया गया।

आज्ञा से,
एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 17/2023/715/XXX-4-2023-30-4099/22-2022 dated May 19, 2023:

sNo. 17/2023/715/XXX-4-2023-30-4099/22-2022

Dated Lucknow, May 19, 2023

WHEREAS in exercise of the powers under sections 65, 95, 96, 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897) the following draft rules were published in the *Gazette*, *vide* notification no. 8/2023/458/XXX-4-2023-30-4099/22/2022, dated April 05, 2023, as required under sub section (1) of section 212 of the said Act of 1988 with a view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules, 1998;

AND WHEREAS no objections and suggestions were received from anyone within the prescribed period with respect to the proposed rules;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under sections 65, 95, 96, 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLE (TWENTY-NINTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicle (Twenty-ninth Amendment) Rules, 2023;

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 39

2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules, 1998 (hereinafter referred to as the "said rules"), for rule 39 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
39. Certificate of fitness-Grant and issue -	**39. Certificate of fitness-Grant and issue –**
(1) For the purpose of section-56, the prescribed authority shall be the registering authority. An application for the issue of a certificate of fitness shall be made in Form SR-12 to the registering authority or the authorised testing station, in whose functional area the vehicle is kept or whose functional area includes the major portion of the route or area to which the permit relating to the vehicle extends.	**(1)(a)** For the purpose of section 56, the prescribed authority shall be the registering authority or Automated Testing Station of any district of the State, where such vehicle is being operated. In case the vehicle is operating in other state, the prescribed authority shall be the registering authority or Automated Testing Station of the nearest district of Uttar Pradesh: Provided that if the tests specified in Rule 62 of Central Motor vehicle Rules, 1989, are conducted by an Inspecting Officer or authorised testing station in any district other than the district, where the vehicle is registered, the Inspecting Officer who conducted the tests shall, on the same day or on the following working day, upload his inspection report in Form 38A at the

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing clause	*Rule as hereby substituted*
	portal parivahan.gov.in/vahan and also send the inspection report signed under his hand and seal to the registering authority by speed post for issue of certificate of fitness by the registering authority within fifteen days from the date of the inspection report, if the vehicle is found by the Inspecting Officer to be in compliance with the provisions of the Act and rules and a copy shall be given to the driver of the vehicle:
	Provided further that the next fitness certificate is obtained from the inspecting officer or an authorised testing station in the district of the registering authority where the vehicle is registered.
	(b) The registering authority or the authorised testing station shall grant certificate of fitness when a vehicle is produced for the inspection and complies with the provision of the Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under.
	(c) The owner may produce the vehicle for inspection before the registering authority or the authorised testing station on any working day not more than 60 days before expiry of fitness certificate along with test fee specified in rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
	(d) If the vehicle fails in the test, the owner may produce the vehicle for retest along with test fee as specified in rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
	(e) The inspection and test report shall be made in Form SR-12 by the inspecting officer or authorized testing station.
	(f) If the vehicle fitness certificate is renewed on any date after the expiry of fitness certificate, the renewal shall be effective from the date of issue of the certificate:
	Provided that where the vehicle fitness certificate is renewed on any date before the expiry of the fitness certificate, the renewal shall be effective from the date of expiry of the fitness certificate.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing clause	*Rule as hereby substituted*
(2) The registering authority or the authorized testing station, by whom certificate of fitness was issued, may endorse thereon the date, appointed for the next inspection of the vehicle and the owner shall cause the vehicle to be produced for inspection accordingly.	(2) Omitted
(3) If the certificate has not been endorsed as provided in sub-rule (2), the owner shall, not less than one month before the date of expiry of the certificate, make an application on Form SR-13 and cause the vehicle to be produced for inspection on such date and at such time and place as the registering authority may thereafter, upon reasonable notice, appoint.	(3) Omitted
(4) If the owner fails to produce the vehicle on the date appointed under sub-rule (2) or on the date, time and place as appointed under sub-rule (3) he shall be liable to pay an amount equivalent to and in addition to the amount of fee specified at Serial 11 of the Table of Rule 81 of the Central Rules.	(4) If the owner fails to produce the vehicle for inspection before expiry of fitness certificate, he shall be liable to pay an amount equivalent to and in addition to the amount of the fee specified in rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

Amendment in Second Schedule

3- In the said rules, in the Second Schedule, for Form SR-12 and Form SR-13 set out in Column-I below, the Forms as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Forms	*Forms as hereby substituted*
FORM SR-12	**FORM SR-12**
[*See* Rule 39(1)**]**	**[***See* Rule 39(1)(e)**]**
Application for certificate of fitness grant/renewal	Application for certificate of fitness grant/renewal
PART-A (To be filled in by the applicant)	(To be filled in by the Inspecting Officer)
To, The Registering Authority/ Authorised Testing Station……………………	Inspection report of Transport vehicle No….……… Regional/Sub-Regional Officer…………………………......
I hereby apply for the issue/renewal of certificate of fitness as required by Section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 of the Vehicle described below.	Place of inspection……............… date…..........Serial No………… Name and address of the registered owner...................……
Registration mark of vehicle…………..	Registration No……………….....
Name of owner…………………………	Type of body…………………..

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

COLUMN-I

Existing Forms

Place where the vehicle is ordinarily kept………
Name of manufacturer of vehicle………
Manufacturers model, or if not knowledge wheel base….
Type of Vehicle………………………
Chassis number…………………………
Engine number…………………………
Particulars of any previous certificate of fitness granted in respect of vehicle……
Authority by which granted/renewed….
Date when certificate of fitness ceased to be valid…………
Reasons for cessation of validity………
I enclose herewith tax clearance certificate required under Rule 73 of the Central Rules.
Dated…………

Signature of thumb-impression of applicant

PART-B

(To be filled in by the Inspecting Officer)

Inspection report of Transport vehicle No…..………

Regional/Sub-RegionalOfficer ………………….
Place of inspection………..................
date…...................… Serial No………..
Name and address of the registered owner…..…
Type of body…………………
Name of manufacturer of vehicle…………
Year of manufacturer……………
wheel base………………………
Chassis No. ……………
Engine No. ...
Horse Power……………………
Unladen weight of the vehicle………
Gross vehicle weight……………
Number and size of Tyre……………
front axle………………rear axle……
another axle………..........tandem axle.........

COLUMN-II

Forms as hereby substituted

Name of manufacturer of vehicle……
Year of manufacturer……………
Wheel base………………………
Chassis No....……………………
Engine No. ………………………
Horse Power……………………..
Unladen weight of the vehicle…..
Gross vehicle weight……………
Number and size of Tyre………..
Front axle…………Rear axle…..
any otheraxle……………......tandem axle……

1. Body of the vehicle:
   a. General condition of the body……...
   b. paint work……………
   c. Upholstery………
   d. Length of the vehicle ....cms.
   e. Width of the vehicle ……cms.
   f. Height of the vehicle ……cms. (Measures from ground)
   g. Head room……..…cms.
   h. Gangway…………......cms.
   i. Distance between back of two seats……………cms.
   j. Width of seat……….cms.
   k. Depth of seat.............cms.

   (In compliance with sub-rule (1), (2), (5), (6) and (7) of Rule 125C of CMVR as specified in AIS)

   l. No. of Seat/Sleeper
   m. Overhang………….cms
   n. Distance between driver's seat and steering……cms.
   o. Steps distance from ground to the top of the lowest step..……cms.
   p. Door…………...width……….cms.
   q. Emergency Exit/Gate –
      (i) Back side……………
      (ii) Opposite side of the entrance…………..
      (iii) In rooftop……………
   r. Grab rail………..…cms.
   s. Vehicle Location Tracking Device and Panic button………..................
2. Front axle and steering:
   a. Steering lock……………
   b. Wheel free movement.......
   c. Steering connection……....
   d. Steering turning circle and back lash……

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

COLUMN-I

Existing Forms

1. Body of the vehicle:
    a. General condition of the body….
    b. paint work…………………
    c. Upholstery…………………
    d. Length of the vehicle..…cms.
    e. Width of the vehicle……cms.
    f. Height of the vehicle……cms. (Measures from ground)
    g. Head room………cms.
    h. Gangway……………cms.
    i. Distance between back of two seats ……cms.
    j. Width of seat…………….cms.
    k. Depth of seat….…cms.
    l. Overhang…………..cms.
    m. Distance between driver's seat and steering…….. cms.
    n. Steps distance from ground to the top of the lowest step…………cms.
    o. Door…………width………. …cms.
    p. Grab rail…………cms.
2. Front axle and steering:
    a. Steering lock………………
    b. Wheel free movement……
    c. Steering connection………
    d. Steering turning circle and back lash…………
    e. King pin and bushed………
    f. Front wheel bearings……
    g. Front wheel alignment……
3. Transmission:
    a. Clutch……………………
    b. Gear Box…………………
    c. Universal joint……………
    d. Propellar shaft…………
    e. Differential………………
4. Engine:
    a. Fuel system……………
    b. Exhaust system…………
    c. Ignition system…………
    d. Smoke emission density…......

COLUMN-II

Forms as hereby substituted

e. King pin and bushed……
f. Front wheel bearings.....
g. Front wheel alignment…

3. Transmission:
    a. Clutch…………
    b. Gear Box……………
    c. Universal joint………
    d. Propeller shaft………
    e. Differential…………
4. Engine:
    a. Fuel system……………
    b. Exhaust system…………
    c. Ignition system (Spark plug/suppressor cape/high-tension cable)………………
    d. Smoke emission density ……....
    e. Valid PUC certificate......
5. Lamps and Electric system:
    a. Head light and head light focus ……………
    b. (Bulb voltage to be ensured as per rules.)
    c. End-out line marker light……
    d. Parking light…………
    e. Stop light……………
    f. Signal indicator………
    g. Dipper………………
    h. Internal lightening system …..…………
    i. Fog lamp (if fitted)…...
    j. Warning light in ambulance……………
    k. Hazard warning light…
    l. Number Plate light
    m. Battery………………
6. Silencer…………………
    (ensure that there is no leakage in the silencer)
7. Brakes:
    a. Foot……………
    b. Hand…………………
    c. Booster system………
    (in compliance with Rule 96(8) of CMVR.)
8. Condition of Suspension system
9. Compulsory equipments:

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Forms	*Forms as hereby substituted*

COLUMN-I — Existing Forms

5. Lamps and Electric system:
   a. Head light………………
   b. Side light………………
   c. Back light………………
   d. Stop light………………
   e. Signal indicator…………
   f. Dipper…………………
   g. Internal lightening system ……
   h. Horn…………………
6. Silencer
7. Brakes:
   a. Foot……………………
   b. Hand……………………
   c. Booster system…………
8. Condition of springing system
9. Compulsory equipments:
   a. Bulbs………………………
   b. Windshield wiper…………
   c. Rear view mirror…………
   d. Speedometer………………
   e. Tools………………………
   f. Spare wheel………………
   g. First aid box………………
   h. Tarpaulin…………………
   i. Reflector……………………
   j. Condition of tyres…………
   k. Condition of chassis frame…
   l. Cleanliness………………
   m. Any other defects…………
   *Recommended refusal of fitness because of above mentioned defect………………
   *Recommended grant of fitness for period of…………………

Name and signature of
Inspectoring authority.
Authorised Testing Station
(Seal)

COLUMN-II — Forms as hereby substituted

a. Electric Horn……………
b. Windshield wiper
c. Rear view mirror……
d. Speedometer……….
e. Tools…………………
f. Spare wheel…………
g. First aid box……….
h. Tarpaulin……………
i. Reflector…………
j. Windshield glass……………..
k. Dashboard epuipment ……….
l. Reflecting tape(as per standard)......
   (i) In front – white color…
   (ii) Back – red color……
   (iii) Side – yellow color…
m. Speed governor……………..
   Make…Unique no…...
n. Rear under run protection device (for N2, N3, T3&T4)…
o. Lateral side protection device (for N2, N3, T3&T4)…..
p. Fastag………………
q. Seat Belt…..……Fire extinguisher………
r. CCTV (For School bus)……
s. Vehicle – AC/Non AC………

10. Condition of tyres (as per wear indicator)…………
11. Wiring Harness…………
12. Door and Glass…………
13. Availability of Inspection Lamp…………..
14. Marking of Registration mark on both the sides…
15. High Security Registration Plate........
16. Condition of chassis frame……
17. Priority Seats, Signs, securing of crutches/ canes/walker, hand rail/stanchions, controls at priority seats for differently abled passengers and passengers with reduced mobility…………………
18. Wheel chair entry/housing/ locking arrangement for wheel chair for differently abled passengers and passengers with reduced mobility……

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Forms	*Forms as hereby substituted*

PART-C

(To be filled in by the office)

Vehicle No……………………………

Permit No…………..Valid upto…

Insurance Policy………………………

Name of Insurance Company…………

Insurance valid upto…………………

Road Tax paid upto………………Good

Tax/Passenger Tax paid upto…………

Inspection Fee ………………realised

Vide Receipt No……….date…………

Fitness certificate of the *vehicle is refused/issued from…………to………

Next date for inspection of the vehicle is………………

Date………

Name and signature of Registering. Authority/Authorised Testing Station

*Strike out whichever is inapplicable.

PART-D

(To be filled in by the inspecting Officer and handed over to the owner)

Registration mark of the vehicle………

Make and model………………………

Type of vehicle…………………………

Certificate of fitness……………………

Issued by………………………………

Last renewed on………………………

by………………………………………

Date of inspection……………………

Name and address of owner………..

The vehicle described above fails in my opinion to comply with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made there under because of the following defects:………

I have, therefore, impounded the certificate of fitness. The vehicle may

---

19. Spray Suppression Devices (Mudflap, Fender lining)…………………
20. Additional Tests to be conducted on Electric Vehicles [as per GSR 652(e), dated 23-09-2021]-
    a. Protection against electric shock if system voltage is 60 V DC or 30 V AC……
    b. Insulation Resistance Measurement Test if system voltage is 60 V DC or 30 V AC…………
    c. State of Charge (SOC) Indicator on Dashboard…......
21. Test Condition in following machines/ equipments in established Authorised Automated Testing Station. [as per GSR 652(e), dated 23-09-2021]-
    a. Smoke Density Test…
    b. Braking System………
    c. Steering Gear…………
    d. Side Slip Test ………
    e. Suspension Test (for LMV)………………
    f. Joint Play………….
    g. Speed Governor ……
    h. Head light focus ……
    i. Sound Test ………….
22. Cleanliness……………
23. Any other defects………….
    (1)…………………………
    (2)…………………………
    (3)…………………………
    (4)…………………………

14. Recommendation:

(i) Fitness granted from............ to……………..

(ii) Rectify defects as mentioned serial No……

(iii) Fitness refused (mention reason)………...

Name and signature of Inspectoring authority.

Authorised Testing Station(Seal)

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Forms	*Forms as hereby substituted*

be produced for examination at:

1. …………………………
2. ……………………………

(1)	Here enter the place
(2)	Here enter the date

On or before the ………………day of ………… the vehicle may be driven to ……………..for the repairs and thereafter to…………………………

I shall not be driven at a speed in excess of ………………….kilometers per hour and no passenger and goods shall be carried.

Fitness is granted…………………

Date………

Name, Signature and Designation
of the Authority

FORM SR-13

[*See* Rule 39(3)**]**

Application for the date of inspection when the same is not endorsed on Form SR-12

PART-A

(To be filled in by the applicant)

To,

The Registering Authority/
Authorised Testing Station……

I hereby apply for the date of inspection under section 56 of Motor Vehicles Act, 1988 of the vehicles described below:-

1. Registration mark of vehicle………
2. Date when certificate of fitness ceased to be valid……………………
3. Name of the fitness certificate issuing authority…………….

Dated…………

Name and Signature
of the applicant

Omitted

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Forms	*Forms as hereby substituted*

PART-B

(To be filled in by the registering authority and handed over to the owner)

Registration mark of vehicle…………………

Name and address of the owner………

Whereas the certificate of fitness is to expire on …………of the above mentioned vehicle it may be produced for inspection on……………………... (date, time and place shall be mentioned)

Dated…………

Signature and Designation
of the Registering Authority.

By order,
L. VENKATESHWAR LU,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 319 राजपत्र–2023–(1178)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 सा0 परिवहन–2023–(1179)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

319 RPH Parivahan 2023 (Niyamavali-4) data 8e

क्रम-संख्या–100

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 12 जून, 2023

ज्येष्ठ 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–4

संख्या 21/2023/814/तीस-4–2023-8(19)-2018 टीसी

लखनऊ, 12 जून, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–18

चूंकि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 211 और धारा 65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित नियमावली का प्रारूप अधिसूचना संख्या 10/2023/457/तीस-4-2023-8(19)/2018टीसी, दिनांक 5 अप्रैल, 2023 द्वारा गजट में प्रकाशित किया गया था;

और, चूंकि, प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में विहित अवधि के भीतर किसी से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 211 और धारा 65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 50 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 50 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ-2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
50–रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट- निम्नलिखित विवरणों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगीः-	50–रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट- निम्नलिखित विवरणों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण अर्थात् रजिस्ट्रीकरण, पुनः रजिस्ट्रीकरण एवं ठीक हालत में होने (परीक्षण तथा प्रमाण-पत्र निर्गमन) के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगीः-
(एक) कृषि प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर और लोकोमोटिव,	(एक) कृषि प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त ट्रैक्टर और लोकोमोटिव;
(दो) पूर्त संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और केवल बीमारों या घायलों के परिवहन के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले मोटर एम्बुलेन्स,	(दो) पूर्त संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और बीमारों या घायलों के परिवहन के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त मोटर एम्बुलेन्स;
(तीन) ऐसे मोटर वाहन जो सरकार के स्वामित्वाधीन हों या तत्समय सरकार की सेवा में हों,	(तीन) ऐसे मोटर यान, जो या तो सरकार के स्वामित्वाधीन हों या तत्समय सरकार की सेवा में हों;
	(चार) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अधीन जारी मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्र में स्क्रेप किये गये मोटर यानों पर इस अधिसूचना के दिनांक से एक वर्ष के लिए।
	(पांच) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अधिसूचित किये जाने के दिनांक अर्थात् 14.10.2022 से 03 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत किसी इलेक्ट्रिक यान (ईवी) पर।
	(छः) दिनांक 14.10.2022 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रयकृत तथा रजिस्ट्रीकृत उप नियम (5) के अधीन आच्छादित किसी इलेक्ट्रिक यान (ईवी) पर।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	स्पष्टीकरण :– उपनियम (पांच) में, इलेक्ट्रिक यानों (ईवी) का तात्पर्य बैटरी, अल्ट्राकेपेसिटर या ईधन सेल द्वारा चालित इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले समस्त ऑटोमोबाइलों से है। इसमें समस्त 2-व्हीलर, 3-व्हीलर एवं 4-व्हीलर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (एचईवी), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक यान (बीईवी), तथा ईधन सेल इलेक्ट्रिक यान (एफसीईवी) सम्मिलित हैं।

आज्ञा से,
एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव ।

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 21/2023/814/XXX-4–2023-8(19)-2018 TC, dated June 12, 2023 :

No. 21/2023/814/XXX-4–2023-8(19)-2018 TC

Dated Lucknow, June 12, 2023

WHEREAS in exercise of the powers under clause (h) of sub-section (2) of the section 65 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the following draft rules were published in the *Gazette*, *vide* notification no. 10/2023/457/XXX-4–2023-8(19)-2018 TC, dated April 5, 2023 as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act of 1988 with a view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998;

AND, WHEREAS, no objections and suggestions were received from anyone within the prescribed period with respect to the proposed rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (h) of sub-section (2) of the section 65 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (THIRTIETH AMENDMENT) RULES, 2023

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Thirtieth Amendment) Rules, 2023. Short title and commencement

(2) It shall come into force with effect from the date of publication in the official *Gazette*.

Amendment of rule 50

2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, *for* the existing rule 50 set out in Column-I below the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :–

Column- I	Column- II
(Existing rule)	**(Rule as hereby substituted)**
50. Exemption from payment of registration fees- No fee shall be charged for the registration of motor vehicles of the following descriptions-	50. Exemption from payment of registration fees- No fee shall be charged for the registration i.e., registration, re-registration and fitness (test and issuance of certificate) of motor vehicles of following descriptions :-
(i) Tractors and locomotives used solely for agricultural purposes;	(i) Tractors and locomotives used solely for agricultural purposes;
(ii) Motor ambulances owned by charitable institutions and used solely for the conveyance of sick or injured;	(ii) Motor ambulances owned by charitable institutions and used solely for the conveyance of sick or injured;
(iii) Such motor vehicles as are owned by Government or are for the time being in the service of the Government.	(iii) Motor vehicles either owned by Government or for the time being in the service of the Government;
	(iv) Motor vehicles scrapped in the Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under Motor Vehicles (Registration and functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 issued under the Central Motor Vehicle Rules, 1989 for one year from the date of this notification.
	(v) any electric vehicle (EV) purchased and registered in the State of Uttar Pradesh over a period of 03 years from the date of notification of Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022,i.e., 14.10.2022;
	(vi) any electric vehicle (EV) manufactured, purchased and registered in Uttar Pradesh in the fourth and fifth year of effective period of Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022 notified on 14.10.2022 covered under sub-rule (v).
	Explanation :– In sub-rule (v), Electric vehicles (EV) means all automobiles using an electric motor that are driven by either batteries, ultra-capacitors or fuel cells. This includes all 2-wheeler, 3-wheeler and 4-wheeler Strong Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Battery Electric Vehicle (BEV) and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV).

By order,

L. VENKATESHWAR LU,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 408 राजपत्र–2023–(1320)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 8 सा0 परिवहन–2023–(1321)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–3 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 17 जनवरी, 2024
पौष 27, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9

संख्या 108 / नौ–9-2024-42 ज-2023
लखनऊ, 17 जनवरी, 2024

अधिसूचना

सा०प०नि०–10

चूँकि उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023 को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सरकारी अधिसूचना संख्या 1131 / नौ–9–2023-42ज-2023, दिनांक 30 जून, 2023 द्वारा पूर्वोक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सात दिनों के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने के लिए प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिसूचना संख्या 1131 / नौ-9–2023-42ज-2023, दिनांक 30 जून, 2023 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर कार्यालय–ज्ञाप संख्या 1648 / नौ-9–2023-42ज-2023, दिनांक 15 सितम्बर, 2023 द्वारा विचार किया गया;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश, नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों के लिये लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियम 4क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में नियम 4क के उपनियम (2) की अनुसूची में,–

(एक) नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी क्रम संख्या 6 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक विद्यमान प्रविष्टि			स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि		
श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की किराए की दर	श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर
6	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 6 गुना	6	माल्स, पर्यटन विभाग से अरजिस्ट्रीकृत होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा परोसी जाती है	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का छः गुना

(दो) नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी क्रम संख्या 8 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात :–

स्तम्भ–एक विद्यमान प्रविष्टि			स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि		
श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की किराए की दर	श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर
8	औद्योगिक इकाइयाँ, सरकारी अर्द्ध सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना	8	औद्योगिक इकाइयाँ, स्टार श्रेणी के होटल एवं रिसार्ट्स एवं पात्र पर्यटन इकाइयां जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रीकृत हों, सरकारी अर्द्ध सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना

आज्ञा से,

अमृत अभिजात,

प्रमुख सचिव।

1166 RPH 2024 (Nagar Vikas-9) Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 108/IX-9-2024-42J-2023, dated January 17, 2024:

No. 108/IX-9-2024-42J-2023

Dated Lucknow, January 17, 2024

WHEREAS the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023 which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sections 174, 207, 207A and 227 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) (hereinafter referred to as the "said Act") *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) was published, as required under sub-section (2) of section 540 of the said Act, *vide* Government notification no. 1131/IX-9-2023-42J-2023, dated 30th June, 2023 inviting objections and suggestions in respect thereof within seven days from the date of publication of the aforesaid notification in the *Gazette*;

AND, WHEREAS, objections and suggestions received in pursuance of the aforesaid notification no. 1131/IX-9-2023-42J-2023, dated 30th June, 2023, were considered *vide* Office memorandum no. 1648/IX-9-2023-42J-2023, dated 15th September, 2023;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sections 174, 207, 207A and 227 of the said Act, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000, namely :–

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX) (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be applicable to all Municipal Corporations of the state of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette.*

Amendment of rule 4-A

2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000 in the schedule to sub-rule (2) of rule 4-A :-

(i) *for* the existing entries at serial no. 6 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I *Existing entry*			COLUMN-II *Entry as hereby substituted*		
Category	Details of Property	Rate of monthly rent of non-residential building	Category	Details of Property	Rate of monthly rent of non-residential building
6	Malls, Hotels of four stars and above, pubs, bars, lodging house where wine is served with food	Six times of the rate fixed under sub rule (1)	6	Malls, hotels not registered with Tourism Department; pubs, bars, lodging house where wine is served with food	Six times of the rate fixed under sub-rule (1)

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ii) *for* the existing entries at serial no. 8 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I *Existing entry*			COLUMN-II *Entry as hereby substituted*		
Category	Details of Property	Rate of monthly rent of non-residential building	Category	Details of Property	Rate of monthly rent of non-residential building
8	Industrial units, offices of Govt., Semi Government and public undertakings	Three times of the rate fixed under sub rule (1)	8	Industrial units, star category Hotels and resorts, and eligible tourism units registered with Uttar Pradesh Tourism Department, offices of Government, Semi-Government and public undertakings	Three times of the rate fixed under sub-rule (1)

By order,

AMRIT ABHIJAT,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1166 राजपत्र—2024—(3209)—599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 4 सा0 नगर विकास—2024—(3210)—100 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

1166 RPH 2024 (Nagar Vikas-9) Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—77 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 26 अप्रैल, 2023

बैशाख 6, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग—1

संख्या 826 / छः-पु0से0-1—2023
ई फाइल संख्या 6—17001(011) / 177—2020
लखनऊ, 26 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—15

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली, 2016 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली, 2016 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 5(1)(दो) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
भर्ती का स्रोत :—	**भर्ती का स्रोत :—**
5—(1)(दो) पचास प्रतिशत, नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के ऐसे निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और उक्त पद पर स्थायी भी हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :	5—(1)(दो) पचास प्रतिशत पद, जिनमें 89 प्रतिशत नागरिक पुलिस निरीक्षकों और 11 प्रतिशत सशस्त्र पुलिस कम्पनी कमाण्डरों / प्रतिसार निरीक्षकों के पद सम्मिलित हैं, नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे निरीक्षकों में से

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
	जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और उक्त पद पर स्थायी भी हों, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :
परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष हेतु रिक्तियों का दो प्रतिशत भाग सरकार की विशिष्ट संस्तुतियों पर आयोग के माध्यम से बिना पारी पदोन्नति द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के ऐसे पुलिस निरीक्षकों/कम्पनी कमाण्डरों में से भरा जायेगा जिन्होंने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किया हो :–	परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष हेतु रिक्तियों का दो प्रतिशत भाग सरकार की विशिष्ट संस्तुतियों पर आयोग के माध्यम से बिना पारी पदोन्नति द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के ऐसे पुलिस निरीक्षकों/ कम्पनी कमाण्डरों में से भरा जायेगा जिन्होंने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किया हो :–
(क) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात विश्व चैम्पियनशिप में, चाहे किसी दल में या व्यक्ति खेल में, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो;	(क) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात पी0जे0ओ0एम0 चैम्पियनशिप में, चाहे किसी दल में या वैयक्तिक खेल में, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो;
अथवा	अथवा
(ख) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त ओलंपिक खेलों में अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो;	(ख) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त ओलंपिक खेलों में अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो;
अथवा	अथवा
(ग) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात एशियन खेलों/एशियन चैम्पियनशिप में, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत पदक अवश्य प्राप्त किया हो;	(ग) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात एशियन खेलों/एशियन चैम्पियनशिप/कॉमन वेल्थ गेम एवं कॉमन वेल्थ चैम्पियनशिप में, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण पदक अवश्य प्राप्त किया हो;
अथवा	अथवा
(घ) यदि उसने खेलों में देश का सर्वोच्च पुरस्कार या उत्कृष्टता, ''अर्जुन पुरस्कार''/''राजीव गाँधी खेल रत्न'' अर्जित किया हो। यदि नागरिक पुलिस या सशस्त्र पुलिस का कोई निरीक्षक पदोन्नति के लिए दिये गये मानदण्डों को पूर्ण करता है तो ऐसी दशा में अपनी स्पष्ट संस्तुतियों के साथ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा और राज्य	(घ) यदि उसने खेलों में देश का सर्वोच्च पुरस्कार या उत्कृष्टता, ''अर्जुन पुरस्कार''/''राजीव गाँधी खेल रत्न'' अर्जित किया हो। यदि नागरिक पुलिस या सशस्त्र पुलिस का कोई निरीक्षक पदोन्नति के लिए दिये गये मानदण्डों को पूर्ण करता है तो ऐसी दशा में अपनी स्पष्ट संस्तुतियों के साथ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा और राज्य

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
सरकार द्वारा आयोग की सहमति से बिना पारी पदोन्नति प्रदान की जायेगी। यदि इस परन्तुक के अधीन बिना पारी पदोन्नति के लिए ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियाँ इस नियमावली में विहित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।	सरकार द्वारा आयोग की सहमति से बिना पारी पदोन्नति प्रदान की जायेगी। यदि इस परन्तुक के अधीन बिना पारी पदोन्नति के लिए ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियाँ इस नियमावली में विहित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

नियम 16 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
साधारण श्रेणी हेतु आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :–	**साधारण श्रेणी हेतु आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :–**
16–साधारण श्रेणी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के निरीक्षकों में से विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी उनकी संयुक्त ज्येष्ठता सूची के अनुसार योग्यता के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।	16–साधारण श्रेणी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त 89 प्रतिशत नागरिक पुलिस निरीक्षकों और 11 प्रतिशत सशस्त्र पुलिस कम्पनी कमाण्डरों/प्रतिसार निरीक्षकों में से विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी उनकी पृथक–पृथक ज्येष्ठता सूची के अनुसार योग्यता के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी। तथापि भविष्य में पदों की वृद्धि की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रत्येक तीन वर्ष पर समीक्षा की जायेगी।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

272 RPH 2023 [Grih (Police) anu-1 (Niyamavali-II) Data 4 e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 826/VI-P.S.-1–2023, dated April 26, 2023:

No. 826/VI-P.S.-1–2023

E-file no. 6-17001(011)/177-2020

Dated Lucknow, April 26, 2023

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Service Rules, 2016.

THE UTTAR PRADESH POLICE SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Service (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Police Service Rules, 2016, hereinafter referred to as the said rules, in rule *for* existing rule 5(1)(ii) set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
Source of recruitment :– 5. (1)(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Inspectors of Civil Police and Armed Police who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and are also confirmed in the said Post:	**Source of recruitment :–** 5. (1)(ii) Fifty percent which inclueds 89% Inspectors of Civil Police and 11% Company Commander/Reserve Inspector of Armed Police by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Inspectors of Civil Police and Armed Police who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and are also confirmed in the said Post:
Provided that two percent of the vacancies for a year of recruitment may be filled by out of turn promotion through the Commission on the specific recommendation of the Government from amongst such Police Inspectors/Company Commanders of Uttar Pradesh Police Force who have achieved the following awards :–	Provided that two percent of the vacancies for a year of recruitment may be filled by out of turn promotion through the Commission on the specific recommendation of the Government from amongst such Police Inspectors/ Company Commanders of Uttar Pradesh Police Force who have achieved the following awards :–
(a) After having been selected to the Indian team should have participated in World Championship, either in a team or individual event, which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place;	(a) After having been selected to the Indian team should have participated PJOM Championship, either in a team or individual event, which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place;
Or	**Or**

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
(b) After having been selected to the Indian team should have participated in Olympic Games which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place;	(b) After having been selected to the Indian team should have participated in Olympic Games which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place;
Or	**Or**
(c) After having been selected to the Indian team should have participated in Asian Games/Asian Championship which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver Medal;	(c) After having been selected to the Indian team should have participated in Asian Games/Asian Championship/ Common Wealth Game and Common Wealth Championship which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold Medal;
Or	**Or**
(d) If he/she has earned country's highest award or excellence in sports "Arjuna Award"/"Rajeev Gandhi Khel Ratna". If any Inspector of Civil Police or Armed Police qualifies the criterion laid down for promotion in such case then a proposal would be forwarded to the Government by the Director General of Police, Uttar Pradesh with clear recommendation and the out of turn promotion will be awarded by the State Government with the concurrence of the Commission. If such person or sufficient number of such persons are not available for out of turn promotion under this proviso, the remaining vacancies shall be filled in accordance with the general procedure prescribed in this rule.	(d) If he/she has earned country's highest award or excellence in sports "Arjuna Award"/"Rajeev Gandhi Khel Ratna". If any Inspector of Civil Police or Armed Police qualifies the criterion laid down for promotion in such case then a proposal would be forwarded to the Government by the Director General of Police, Uttar Pradesh with clear recommendation and the out of turn promotion will be awarded by the State Government with the concurrence of the Commission. If such person or sufficient number of such persons are not available for out of turn promotion under this proviso, the remaining vacancies shall be filled in accordance with the general procedure prescribed in this rule.

3. In the said rules, for existing rule 16 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :– Substitution of rule 16

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
Procedure for recruitment by promotion through the Commission to Ordinary Grade :–	**Procedure for recruitment by promotion through the Commission to Ordinary Grade :–**
16. Recruitment by promotion to the Ordinary Grade shall be made on the basis of merit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service	16. Recruitment by promotion to the Ordinary Grade shall be made on the basis of merit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service

272 RPH 2023 [Grih (Police) anu-1 (Niyamavali-II) Data 4 e

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time, from amongst substantively appointed Inspectors of Civil Police and Armed Police as per their combined seniority list to be prepared by Head of Department.	Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time, from amongst substantively appointed 89% Inspectors of Civil Police and 11% CC/RI Armed Police as per their seprate seniority list to be prepared by Head of Department. However, in view of the possibility of increase of posts in future, they will be reviewed every three years.

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 272 राजपत्र—2023—(1075)—599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 2 सा0 गृह (पुलिस)—2023—(1076)—500 प्रतियां (कम्प्यूट / टी0 / ऑफसेट)।

272 RPH 2023 [Grih (Police) anu-1 (Niyamavali-II) Data 4 e

क्रम-संख्या–116(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 5 जुलाई, 2023

आषाढ़ 14, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

संख्या 615/77-2–2023-3(मुद्रण)-2017

लखनऊ, 5 जुलाई, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–26

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उक्त विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री सुरक्षा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री सुरक्षा सेवा नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री सुरक्षा सेवा नियमावली, 2023 कही जायेगी;

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तर प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री सुरक्षा सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परिभाषाएं

3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) **'अधिनियम'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) **'नियुक्ति प्राधिकारी'** का तात्पर्य परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ संख्या 7 में प्रत्येक पद के सापेक्ष इस रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है;

(ग) **'भारत का नागरिक'** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) **'संविधान'** का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) **'राज्यपाल'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज़्यपाल से है;

(च) **'सरकार'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(छ) **'आयोग'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ज) **'निदेशक'** का तात्पर्य निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश से है;

(झ) **'संयुक्त निदेशक'** का तात्पर्य संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश से है;

(ञ) **'उप निदेशक'** का तात्पर्य उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश से है;

(ट) **'सेवा का सदस्य'** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ठ) **'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'** का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ड) **'सेवा'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री सुरक्षा सेवा से है;

(ढ) **'मौलिक नियुक्ति'** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ण) **'भर्ती का वर्ष'** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय;

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

परन्तु यह कि –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

भाग—तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत

5—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती प्रत्येक पद के सापेक्ष उल्लिखित स्रोतों से की जायेगी जैसा कि परिशिष्ट 'ख' के स्तम्भ 4 में दर्शाया गया है।

आरक्षण

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय—समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग—चार—अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि, श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि, यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी— ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस बात के अध्यधीन अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हता एवं पात्रता

8—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ख' में पद के सापेक्ष स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता धारित करना आवश्यक है।

अधिमानी अर्हता

9—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

वैवाहिक प्रास्थिति

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड—2, भाग—4 के अध्याय तीन में अन्तर्विष्ट फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु यह कि, पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण—पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग—पांच—भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम—6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियो की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना अधीनस्थ आयोग को देगा।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15—सेवा में गेटमैन के पद पर सीधी भर्ती, समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसरण में की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16—(1) गेट जमादार के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर ऐसी चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;

(दो) समूह 'ख' अधिकारी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, राजकीय मुद्रणालय की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी/चयन किये जाने वाले पद पर पर्यवेक्षणीय नियंत्रण रखने वाले नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस उपाधीक्षक की श्रेणी से अनिम्न प्रान्तीय पुलिस सेवा का अधिकारी;

(तीन) एक राजपत्रित अधिकारी :

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो प्रतिनिधित्व न दिये गये ऐसी जातियो/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को समूह 'ख' का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के मध्य से नियुक्ति प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ;

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ;

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

भाग—छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम—15 अथवा 16, यथास्थिति के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्ति करेगा;

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामो का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में उल्लिखित किया जायेगा जैसा चयन में अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा

18—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा;

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में विफल हो गया है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं;

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो प्रतिवर्तित किया गया हो अथवा जिसकी सेवायें समाप्त की गयी हों, उप नियम (2) के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

19—(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक बताया जाय ;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

20—सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग—सात—वेतन, इत्यादि

वेतनमान

21—(1) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय;

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 3 में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि, यदि संतोष प्रदान करने में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो ऐसे विस्तार की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें;

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो ऐसे विस्तार की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें;

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत किसी सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों पर विनियमन

24–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

25–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह कि, जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

26–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

नरेन्द्र भूषण,

प्रमुख सचिव,

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

परिशिष्ट ''क''

[नियम 3 (क) 4 (2) और 22 (2) देखें]

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतन बैण्ड, ग्रेड वेतन एवं मैट्रिक्स (रूपया)	पदों की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी
			स्थायी	अस्थायी	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	गेटमैन	वेतन बैण्ड–1 5,200–20,200 ग्रेड वेतन 1,900 वेतन मैट्रिक्स लेवल–2 वेतन मैट्रिक्स– 19,900–63,200	93	–	93	उप निदेशक
2	गेट जमादार	वेतन बैण्ड–1 5,200–20,200 ग्रेड वेतन 2,000 वेतन मैट्रिक्स लेवल–3 वेतन मैट्रिक्स– 21,700–69,100	05	–	05	संयुक्त निदेशक

आज्ञा से,

नरेन्द्र भूषण,

प्रमुख सचिव,

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

441 RPH 2023 (Audyogic Vikas Anu-21 folder) data 8e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

परिशिष्ट ''ख''
(नियम 5 और 8 देखें)

क्रम संख्या	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता और शारीरिक मानक	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4
1	गेटमैन	1—माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। 2—पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक— **(क) ऊँचाई**— (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिये; (दो) अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिये। **(ख) वक्ष**— सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वक्ष की माप बिना फुलाये 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिये और अनुसूचित जनजातियों के लिए बिना फुलाये 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर अन्यून 82 सेंटीमीटर होनी चाहिये। **टिप्पणी**—न्यूनतम 5 सेंटीमीटर वक्ष फुलाना आवश्यक है। 2—महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक— **(क) ऊँचाई**— (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिये; (दो) अनुसूचित जनजातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिये; **(ख) वजन**— महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम।	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती
2	गेट जमादार	--	मौलिक रूप से नियुक्त गेटमैनों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,

नरेन्द्र भूषण,
प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

441 RPH 2023 (Audyogic Vikas Anu-21 folder) data 8e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 615/LXXVII-2–2023-3(mudran)-2017, dated July 5, 2023

No. 615/LXXVII-2–2023-3(mudran)-2017

Dated Lucknow, July 5, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of all existing rules and orders on the subject, Governor is pleased to make the following rules regulating and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Printing and Stationery Security Service Rules, 2023 :

THE UTTAR PRADESH PRINTING AND STATIONERY SECURITY SERVICE RULES, 2023

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called 'The Uttar Pradesh Printing and Stationery Security Service Rules, 2023'.

(2) They shall come into force at once.

Status of the service

2. Uttar Pradesh Printing and Stationery Security Service Comprises Group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) "Appointing Authority" means the authority specified as such against each post in column no. 7 of Appendix "A";

(c) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under Part-II of the Constitution;

(d) "Constitution" means the Constitution of India;

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;

(h) "Director" means the Director, Printing and Stationery, Uttar Pradesh;

(i) "Joint Director" means the Joint Director, Printing and Stationery, Uttar Pradesh;

(j) "Deputy Director" means the Deputy Director, Printing and Stationery, Uttar Pradesh;

(k) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(l) "Other Backward Classes of Citizens" means the backward classes of citizens specified in schedule 1 of the Act, as amended from time to time;

(m) "Service" means the Uttar Pradesh Printing and Stationery Security Service;

(n) "Substantive appointment" means an appointment not being and *adhoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(o) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

PART-II-CADRE

Cadre of Service

4. (1) The Strength of the Service and of each Category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Strength of the Service and of each category of posts therein shall, untill orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix A :

Provided that :–

(1) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance and vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(2) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III-RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the sources mentioned against each post as shown in column 4 of the Appendix "B"

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and *Ex*-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV-QUALIFICATION

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be :

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (Burma), Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE–A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification and Eligibility

8. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must possess the academic qualification and eligibility as mentioned in Column-3 against post in Appendix "B".

Preferential Qualification

9. A candidate who has ,–

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(ii) obtained 'B' Certificate of National Cadet Corps, shall other thing being equal, be given preference in the matter of direct recruiment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies for direct recruitment are advertised :

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE–Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he/she be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Handbook Vol. II, Part IV:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART–V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine and intimate to the sub-ordinate commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule-6.

Procedure for direct recruitment through the Commission

15. Direct recruitment to the Post of Gate Man in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recrutment to Group ‘C’ Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015, as amended from time to time.

Procedure for recruitment by promotion

16. (1) Recruitment by promotion to the post of Gate Jamadar shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through Selection Committee comprising :–

(i) Appointing authority;

(ii) An Officer not below the rank of group 'B' Officer**,** Chief Security Officer**,** Government Press/an officer of Provincial Police Service not below rank of Dy. S.P. level nominated by the appointing authority having supervisory control over the post for which selection is to be made;

(iii) One *Gazetted* Officer .

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes then the persons belonging to such castes/tribes and classes as are not represented shall be nominated as a member of the appointing authority from amongst persons holding Group 'B' posts.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986 as amended from time to time and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper .

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2) and if it considers necessary, if may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted and forward the same to the appointing authority.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authoritry shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 or 16, as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection. A combined order shall also be issued, mentioning the names of persons in order of seniority as determined in the selection.

Probation

18. (1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation in accordance with the U.P. Government Servant Probation Rules, 2013, as amended from time to time.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, his/her services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

19. Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his/her appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if,--

(*a*) his work and conduct are reported to be satisfactory ;

(b) his integrity is certified; and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

20. The seniority of persons substantively appointed in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII-PAY, *Etc.*

Scales of pay

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in Column-3 of Appendix "A".

Pay during probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he/she has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he/she has completed the probationary period and is also confirmed :

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

24. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of Service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requiretment of the rule are despensed with or relaxed.

Saving

26. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
NARENDRA BHOOSAN,
Pramukh Sachiv,
Infrastructure & Industrial,
Development Department,
Government of Uttar Pradesh.

441 RPH 2023 (Audyogic Vikas Anu-21 folder) data 8e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

APPENDIX "A"

[*See* rules 3 (a), 4 (2) and 22(2)]

Serial No.	Name of Post	Pay Band, Grade pay and Pay matrix (Rs.)	Number of Posts			Appointing Authority
			Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gateman	Pay Band-1 5,200--20,200 Grade Pay-1,900 Pay Matrix Level-2 Pay Matrix - 19,900-63,200	93	-	93	Deputy Director
2	Gate Jamadar	Pay Band-1 5,200--20,200 Grade Pay-2,000 Pay Matrix Level-3 Pay Matrix - 21,700-69,100	05	-	05	Joint Director

By order,
NARENDRA BHOOSAN,
Pramukh Sachiv,
Infrastructure & Industrial,
Development Department,
Government of Uttar Pradesh.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

APPENDIX "B"

(*See* rules 5 and 8)

Sl. no.	Name of Post	Academic Qualification And Physical Standard	Source of Recreuitment
1	2	3	4
1	Gateman	1. Must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalant thereto. 2. Minimum Physical Standards for male candidates– **(a) Height–** (one) for General/Other Backward Classes and Scheduled Castes male candidates minimum height should be 168 centimetre. (two) for Scheduled Tribe male candidates minimum height should be 160 centimetre. **(b) Chest–** for the candidates belonging to General/Other Backward Classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 79 centimetres without expansion and at least 84 centimetres with expansion and for the Scheduled Tribes 77 centimetres without expansion and not less than 82 centimetres on expansion. **NOTE:**–Minimum 5 centimetre chest expansion is essential. 3-Minimum Physical Standards for female candidates– **(a) Height–** (one) for General/Other Backward Classes and Scheduled Castes female candidates minimum height should be 152 centimetre. (two) for Scheduled Tribes female candidates minimum height should be 147 centimetre. **(b) Weight–** Minimum 40 Kg. for female candidates.	direct recruitment through the Commission.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

1	2	3	4
2	Gate Jamadar	--	By promotion through the selection comittee from amongst substantively appointed Gateman who have completed seven years service subject to rejection of unfit as such on the first day of the year of recruitment.

By order,

NARENDRA BHOOSAN,

Pramukh Sachiv,

Infrastructure & Industrial,

Development Department,

Government of Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 441 राजपत्र—2023—(1437)—599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1 औद्योगिक विकास—2023—(1438)—100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

441 RPH 2023 (Audyogic Vikas Anu-21 folder) data 8e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–186 (क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 2 नवम्बर, 2023

अग्रहायण 11, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–2

संख्या 1822 / 6-पु0-2–2023-1100(60)-2021

लखनऊ, 2 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–46

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2009 (अधिसूचना संख्या 1462 / छः-पु0-2–08-700(131)-07, दिनांक 31 जुलाई, 2009) का, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके, जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या किये जाने हेतु लोपित किया गया हो राज्यपाल प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों का संचालन विनियमित करने और अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया तथा तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) से है;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ख) ''अभिकरण'' का तात्पर्य प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण से है;

(ग) ''नियंत्रक प्राधिकारी'' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में उसके लिए समनुदेशित है;

(घ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(ङ) ''अनुज्ञप्ति'' का तात्पर्य अधिनियम के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्ति से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन

3–(1) अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी को प्रपत्र–एक में आवेदन करते समय प्रत्येक अभिकरण को अपने पूर्ववृत्त के सत्यापनार्थ प्रपत्र–दो भी संलग्न करना होगा।

(2) यदि आवेदक कोई कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों का संगम हो तो प्रपत्र–एक में आवेदन के साथ कम्पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक हेतु प्रपत्र–दो संलग्न किया जायेगा, मानों वे भी आवेदक हों। इसके अतिरिक्त उसे अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों से सम्बन्धित ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्रपत्र–तीन में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी को प्रपत्र–एक, प्रपत्र–दो, प्रपत्र–तीन प्राप्त किये जाने पर आवेदन की विषयवस्तु और आवेदक की विशिष्टियों का सत्यापन करने के लिए ऐसी जाँच, जो वह आवश्यक समझे, करनी होगी।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदक के पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के प्रयोजनार्थ अपराध और अपराधियों के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस यथा अपराध और दाण्डिक ट्रैकिंग प्रणाली और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर–संचालन दाण्डिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) का उपयोग करना होगा। तथापि विशेष परिस्थितियों में जहाँ अपराध और अपराधियों के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस यथा अपराध और दाण्डिक ट्रैकिंग प्रणाली और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर–संचालन दाण्डिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) कार्य न कर रहे हों वहाँ नियंत्रक प्राधिकारी प्रपत्र–तीन की विषयवस्तु और आवेदक की विशिष्टियों का सत्यापन करने के लिये ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझे, करा सकता है।

(5) जब कभी किसी आवेदक के पूर्ववृत्त, पहले ही किसी अन्य राज्य में सत्यापित कर लिये गये हों और अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर दिया गया हो तब नियंत्रक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नए सिरे से पूर्ववृत्तों का सत्यापन करे परंतु यह कि अनुज्ञप्ति जिसके लिए पूर्ववृत्त सत्यापित किये गये हों, वैधता अवधि के अन्तर्गत हो। नियंत्रक प्राधिकारी सम्बन्धित अन्य राज्य से सत्यापन प्रपत्र आदि मंगा सकता है जिससे कि वह राज्य इलेक्ट्रानिक अपराध और अपराधी डाटाबेस के अन्तर्गत मूल निवास के जिला से आवेदक के पूर्ववृत्त की जाँच कर सके। इस प्रयोजनार्थ अपराध और दाण्डिक ट्रैकिंग प्रणाली और तंत्र (सीसीटीएनएस) और अंतर–संचालनीय दाण्डिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) का उपयोग किया जा सकता है।

(6) जहाँ आवेदन किया जा रहा हो वहाँ सम्बन्धित राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी को संदेय अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन यथा विहित फीस संदाय को दर्शाते हुए डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रपत्र–एक के साथ संलग्न किया जायेगा।

(7) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों यथा ई–मेल, फैक्स इत्यादि से उसे प्रेषित किया जाएगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(8) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त किये जाने पद नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक को उस पर टिप्पणी लिखने के पश्चात् आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

(9) नियंत्रक प्राधिकारी, प्रपत्र–एक में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् प्रपत्र–चार में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण ने पहले ही किसी अन्य राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया हो तब अनुज्ञप्तिधारी का प्रशिक्षण आवश्यक रूप में अपेक्षित नहीं होगा।

(10) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अभिकरण द्वारा दिए गए पते या पतों पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर को सत्यापित करेगा।

(11) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन में यथा उल्लिखित सम्बन्धित राज्य में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के प्रधान कार्यालय को जारी करने के पन्द्रह दिनों के भीतर डाक द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञप्ति की भौतिक प्रति तैयार करेगा जिसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने कारबार के स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होगा।

(12) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में कोई अस्वीकृति आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि :–

(क) आवेदक को सुने जाने का युक्ति–युक्त अवसर न दिया गया हो;

(ख) आधार, जिन पर अनुज्ञप्ति अस्वीकृत किया गया हो, आदेश में उल्लिखित न कर दिये जायं।

(13) नियंत्रक प्राधिकारी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात पूर्वोक्त क्रम के अनुसार प्रपत्र–एक प्राप्त किये जोन के दिनांक से साठ दिवस के भीतर प्रपत्र–एक में आदेश पारित करेगा।

अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने की शर्तें

4–(1) अनुज्ञप्तिधारी, को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित समय–सीमा के भीतर यथा विहित प्राइवेट सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्य विवरण सृजित करना होगा।

(3) प्रशिक्षण, न्यूनतम छः कार्य दिवस का होगा और इसमें व्यापक रूप में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(क) वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा,–

(एक) वीआईपी सुरक्षा

(दो) आंतरिक सुरक्षा

(तीन) संस्थागत सुरक्षा

(ख) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली,–

(एक) अग्नि शमन

(दो) आपदा/आपातकालीन प्रबंधन प्रोटोकॉल

(तीन) सुरक्षा कर्तव्य

(चार) विभिन्न दस्तावेजों की जाँच

(पाँच) सूचना सुरक्षा

(छः) अभिगम नियंत्रण

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(सात) विस्फोटक आईईडीएस

(आठ) एंटी सबोटेज चेक (एएससी)

(नौ) सुरक्षा सम्बन्धी उपस्कर

(दस) संसूचना उपस्कर

(ग्यारह) पेट्रोलिंग

(बारह) चौकी ड्यूटी

(ग) विधिक उपबन्ध,—

(एक) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) और उससे सम्बन्धित राज्य नियम

(दो) सुसंगत श्रमिक विधियाँ

(घ) सुरक्षा अभिकरणों का प्रबन्धन,—

(एक) वर्दी

(दो) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के कार्मिकों का प्रशिक्षण

(तीन) दस्तावेजीकरण तथा अभिलेखीकरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा

(चार) डाटा साझाकरण प्रोटोकॉल

(ङ) जनसाधारण, पुलिस और अन्य विभागों के साथ इंटरफेस,—

(एक) जनसाधारण के साथ इंटरफेस

(दो) पुलिस और अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों के साथ सम्पर्क

(च) प्राइवेट सुरक्षा कार्मिक—क्या करना है और क्या नहीं करना है (आचरण नियम)

(4) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति प्राप्त किये जाने के पंद्रह दिनों के भीतर अभिकरण सृजित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता—पिता का नाम, जन्मतिथि, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता और प्रधान वृत्ति को संसूचित करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण सृजित करने वाले व्यक्तियों के पते में परिवर्तन या प्रबन्धन में परिवर्तन के सम्बन्ध में, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्यों को निर्वहन करने के प्रक्रम में, अभिकरण सृजित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध या अभिकरण द्वारा अभिनियोजित या नियोजित प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट या विरचित किये गये आपराधिक आरोप के सम्बन्ध में तत्काल सूचित करेगा। ऐसी संसूचना की एक प्रति, उस थाने के प्रभारी अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी जहाँ व्यक्ति जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया हो, निवास करता हो।

(7) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी इस नियमावली में अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने की शर्तों के रूप में यथा विहित प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के शारीरिक मानकों और उनके प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

(8) इस नियमावली में यथा उपबन्धित के सिवाय, अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के छः माह के भीतर अपना क्रिया—कलाप प्रारम्भ करेगा।

(10) क्रिया—कलापों को प्रारम्भ किए जाने में, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबन्धित और नियम 10 के अनुसार कार्यालय परिसर की स्थापना किया जाना और पर्यवेक्षकों की अभिनियोजित किया जाना सम्मिलित होगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अनुज्ञप्ति नवीकरण

5–(1) प्रत्येक अभिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी को प्रपत्र–दो और प्रपत्र–तीन के साथ प्रपत्र–एक में अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि समाप्त होने के दिनांक से अन्यून पैंतालीस दिन पूर्व और अधिनियम की धारा 8 की अन्य शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) यदि आवेदक कोई कम्पनी, कोई फर्म या कोई व्यक्ति संगम हो तो प्रपत्र–एक में आवेदन के साथ कम्पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक हेतु प्रपत्र–दो संलग्न किया जायेगा।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के पूर्ववृत्त का उसी रीति से जैसा कि नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित हो, सत्यापन करेगा।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी प्रपत्र–एक में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् प्रपत्र–4 में अनुज्ञप्ति नवीकरण प्रदान करेगा।

(5) उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन प्राप्त न किये जाने की स्थिति में, अनुज्ञप्ति समाप्त होने के पश्चात् अभिकरण को गैर अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण के रूप में माना जाएगा।

(6) अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अभिकरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नये सिरे से लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकता है।

(7) अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वही होगी, जैसा कि नियम 3 के उपनियम (6) में उल्लिखित अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु फीस है।

(8) उपनियम (1) में उपदर्शित अवधि के पश्चात् और अनुज्ञप्ति के अवसान होने से पूर्व प्राप्त किए गए आवेदन पर अनुज्ञप्ति नवीकरण को प्रक्रियागत नहीं किया जायेगा।

(9) नियंत्रक प्राधिकारी, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्रपत्र–एक में अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन पर आदेश पारित करेगा।

(10) नवीकृत अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की गणना पूर्व अनुज्ञप्ति समाप्त होने के दिनांक से की जाएगी और उसके नवीकरण के दिनांक पर ध्यान दिये बिना पाँच वर्ष तक के लिये होगी। विद्यमान अनुज्ञप्ति समाप्त होने के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का विनिश्चय किए जाने की दशा में मध्यवर्ती अवधि विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन समझी जाएगी।

(11) नियंत्रक प्राधिकारी और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, मानव नियंत्रक से परे की परिस्थितियों, जिनमें सिविल या सैन्य प्राधिकारी के कृत्य, राष्ट्रीय आपात, दंगा एवं दैवीकृत्य सम्मिलित हैं, किन्तु वे वहीं तक सीमित न हों, के कारण होने वाले विलम्ब के लिए दायी नहीं होंगे।

अनुज्ञप्ति नवीकरण की शर्तें

6–अनुज्ञप्ति नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी की अधिकारिता में अपने प्रधान कारबार स्थल को अनुरक्षित रखना जारी रखेगा;

(ख) आवेदक इस नियमावली के नियम 8 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखेगा;

(ग) आवेदक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखेगा;

(घ) आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त न हो (जो अपराध और आपराधिक डाटा से सत्यापित किया जा सकता है)।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन

7—(1) अभिकरण, किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या अभिनियोजित करने से पूर्व स्वयं को निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्तियों के सम्बन्ध में स्वयं समाधान करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र पर निर्भर होकर :

परन्तु यह कि चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र विधिमान्य रहेगा और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो;

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी या पुलिस के माध्यम से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग प्रणाली और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर—संचालनीय दाण्डिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) जैसे अपराध तथा आपराधिक डेटाबेस के अभिगम द्वारा।

(2) सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या अभिनियोजित होने के इच्छुक व्यक्ति को रखता है अभिकरण को प्रपत्र—पाँच प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, उसे अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबन्धों से सम्बन्धित ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए प्रपत्र—छः में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) राज्य सरकार चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा की जाने वाली फीस प्रतिग्रहण करने की व्यवस्था करेगी।

(4) प्राधिकरण, जिसे आवेदन किया जाय, को यह सुनिश्चित करना होगा कि चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट, चरित्र और पूर्ववृत्त प्रपत्र प्राप्त किये जाने के पंद्रह दिनों के भीतर जारी की जाय।

(5) एक बार जारी की गई चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट, नियोजक की प्रास्थिति में परिवर्तन हो जाने पर ध्यान दिये बिना पाँच वर्ष तक के लिए विधिमान्य रहेगी।

(6) अभिकरण, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के आधार पर प्रपत्र—सात में चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र जारी करेगा और यह प्रमाणपत्र ऐसे अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा भले ही उक्त व्यक्ति अभिकरण का कर्मचारी न हो।

सुरक्षा प्रशिक्षण

8—(1) नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के अनुसार, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। प्रारम्भिक स्तर के लिए यह प्रशिक्षण न्यूनतम सौ घंटों की अवधि का कक्षा शिक्षण और साथ घंटों का फील्ड प्रशिक्षण होगा जो बढ़कर न्यूनतम बीस कार्य दिवस तक हो सकता है। भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कार्मिकों से न्यूनतम पैंतालीस घंटों के कक्षा शिक्षण और साठ घंटों के फील्ड प्रशिक्षण, जो बढ़कर न्यूनतम साठ कार्य दिवस तक हो सकता है, से सम्बन्धित किसी संघनित पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, नियंत्रक प्राधिकारी उन प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त और विनिर्देश जारी कर सकता है तथा उनका अनुपालन किये जाने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) भी जारी कर सकता है।

(3) मार्गदर्शी सिद्धान्तों/विनिर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी, जब चाहे पुलिस उपाधीक्षक व उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा ऐसे प्रशिक्षण संस्थान का सुरक्षा सम्बन्धी लेखा परीक्षा हेतु आदेश प्रदान कर सकता है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(4) प्रशिक्षण संस्था या संगठन नियंत्रक प्राधिकारी को निम्नलिखित विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगा :–

(क) संस्था का नाम और पता;

(ख) प्रशिक्षु गार्ड के विवरण;

(ग) प्रशिक्षण की अवधि;

(घ) प्रशिक्षु द्वारा प्राप्त अंक और पठित पाठ्यक्रम;

(ङ) प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने के पश्चात् प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(च) प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध प्रशिक्षकगण की सूची।

(5) प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना;

(ख) शारीरिक स्वस्थता प्रशिक्षण;

(ग) शारीरिक सुरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा, भवन/अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;

(घ) अग्नि शमन;

(ङ) भीड़ नियंत्रण;

(च) पहचान–पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों का परीक्षण;

(छ) अभ्यर्थी को अंग्रेजी वर्णमाला तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए, जैसा कि सामान्यतः पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्तियों, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण पत्रक में आते हैं;

(ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान;

(झ) प्राथमिक चिकित्सा;

(ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;

(ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र यान के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);

(ठ) अप्रतिषिद्ध आयुधों तथा अग्नेयास्त्रों को उठाना–रखना और संचालित करना (वैकल्पिक);

(ड) भारतीय दण्ड संहिता का प्रारम्भिक ज्ञान, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं);

(ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बैज;

(ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान;

(त) सुरक्षा उपकरणों और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण); और

(थ) नेतृत्व और प्रबन्धन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)।

(6) सुरक्षा गार्ड को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

(7) प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रपत्र–आठ में एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(8) एक राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों से गार्डों/पर्यवेक्षकों हेतु जारी किये गये प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अन्य राज्य में भी स्वीकार किये जायेंगे।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(9) नियंत्रक प्राधिकारी समय–समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा कार्य प्रणाली का निरीक्षण करेगा। सामान्यतः ऐसा निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।

(10) समस्त प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी को उसके द्वारा विहित की गई रीति से सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रस्तुत करेंगे।

(11) प्रशिक्षण पूर्ण होने और रोजगार की अपेक्षा के आधार पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण स्वयं को पदाभिहित कर सकते हैं परन्तु यह कि कोई अभिकरण, सशस्त्र बलों, अर्द्ध सैनिक बलों या राज्य पुलिस बलों के किसी रैंक को अंगीकृत नहीं करेगा।

(12) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राइवेट प्रशिक्षण अभिकरण के प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण और कौशल को सत्यापित कर सकता है।

(13) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति जारी रखने या अन्यथा रूप में रखने हेतु समीक्षा कर सकता है जिन्होंने अपनी नामावली में प्रशिक्षित कार्मिकों की शर्तों का अनुपालन न किया हो।

सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक स्वस्थता का मानदण्ड

9–(1) कोई व्यक्ति, सुरक्षा गार्ड के रूप में अभिनियोजित या नियोजित किये जाने के लिए अर्ह होगा, यदि वह नीचे यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक स्वस्थता के मानकों को पूरा करता है :–

(क) ऊँचाई पुरुषों के लिए 160 से0मी0 तथा महिलाओं के लिये 150 से0मी0, वजन : ऊँचाई–वजन की मानक सारणी के अनुसार, सीना 80 सी0मी0 जो 04 से0मी0 फूलना चाहिए (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है);

(ख) नेत्र दृष्टि–दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्में अथवा इसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी वर्णमाला तथा प्रदर्श में अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए;

(ग) संहतजानुक और चिपटा पैर से मुक्त और छः मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य होना चाहिये;

(घ) श्रवण : दोष से मुक्त हो ; सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो;

(ङ) अभ्यर्थी तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो।

(2) अभ्यर्थी किसी छुआ–छूत की या संक्रामक बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो। वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए।

(3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षण के प्रत्येक 12 माह पश्चात् उसका अंतिम ऐसा स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जाय ताकि उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदंड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यवेक्षकों के लिए उपबन्ध

10–(1) अनधिक पंद्रह प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक होगा।

(2) यदि प्राइवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हों, और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना एक पर्यवेक्षक हेतु व्यवहार्य न हो तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्त करेगा ताकि कम से कम प्रत्येक छः प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के लिए एक पर्यवेक्षक सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध हो।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

अपील और प्रक्रिया

11–अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील प्रपत्र–9 में की जाएगी और उस पर व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा तथा उसे अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषित किया जाएगा।

अभिकरण द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला रजिस्टर

12–अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा अनुरक्षित किये जाने हेतु अपेक्षित रजिस्टरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रपत्र–दस में अनुरक्षित किया जाएगा। नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियत दिनांक तथा समय पर उसके समक्ष इसे प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकरण दायी होगा।

फोटो पहचान पत्र

13–(1) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान–पत्र प्रपत्र–ग्यारह में होगा।

(2) फोटो पहचान–पत्र में पूरा चेहरे का रंगीन फोटो, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा उस व्यक्ति की कर्मचारी संख्या होगी, जिसे फोटो पहचान–पत्र जारी किया गया हो।

(3) फोटो पहचान–पत्र में व्यक्ति की अभिकरण में प्रास्थिति और वह दिनांक जिस तक फोटो पहचान–पत्र विधिमान्य हो, स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जायेगी।

(4) फोटो पहचान–पत्र को अद्यतन रखा जाएगा और विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उसमें प्रविष्ट किया जाएगा।

(5) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी फोटो पहचान–पत्र को उसे जारीकर्ता अभिकरण को तब वापस कर दिया जाएगा जब प्राइवेट सुरक्षा गार्ड आगे नियोजन में नहीं रहता है या उसके द्वारा नियोजित नहीं किया जाता है।

(6) फोटो पहचान–पत्र के गुम हो जाने या चोरी हो जाने को उस अभिकरण की जानकारी में तुरंत लाया जाएगा, जिसने उसे जारी किया हो।

अन्य शर्तें

14–(1) इस बात के होते हुए भी अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर यूनिफार्म पहनना अनिवार्य करता है, या नहीं करता है, प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अपने सुरक्षा गार्डों के लिए निम्नलिखित को जारी करेगा और उन्हें धारण करने के लिए अनिवार्य करेगा :–

(क) अभिकरण को सुभिन्न करने वाला बाजू पर पहनने वाला बैज ;

(ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज ;

(ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी, जो बॉंयी जेब में रखी जाएगी ;

(घ) फीते और सूराख सहित जूते ;

(ङ) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक चिन्ह भी हो सकता है ;

(2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह ड्यूटी पर हो, द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसकी दक्षतापूर्ण कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न न करें। विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हों और न ही बहुत ढीले हों, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगों को मोड़ने में बाधा हो।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट–बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा।

(4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो, अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान–पत्र, अपने शरीर पर किसी सहज दृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

आज्ञा से,

संजय प्रसाद,

प्रमुख सचिव।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्रपत्र–एक

(नियम 3, नियम 5 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने/अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी,

....

....

अद्योहस्ताक्षरी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में सेवा करने का कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करता है –

1–आवेदक का पूरा नाम :

2–आवेदक की राष्ट्रीयता :

3–पुत्र/पत्नी/पुत्री :

4–निवास स्थान का पता :

5–पता, जहां आवेदक अपना अभिकरण आरंभ करने की वांछा करता है :

6–प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम :

7–प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के अतिरिक्त ब्यौरे (यदि लागू हों) :

(क) सीआईएन नंबर :

(ख) ईएसआई नंबर :

(ग) ईपीएफ नंबर :

(घ) श्रम अनुज्ञप्ति नंबर :

(ङ) श्रम रजिस्ट्रीकरण नंबर :

(च) जीएसटी नंबर :

(छ) कोई अन्य सूचना :

(ज) क्या अभिकरण के पास एफडीआई है (हां/नहीं) : ....

यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(i) एफडीआई का देश : ....

(ii) विदेशी शेयरधारक का नाम : ....

(iii) विदेशी शेयरधारक का पता : ....

(iv) विनिधान का वर्ष : ....

(v) शेयरों की संख्या : ....

(vi) विदेशी शेयर धारण की प्रतिशतता : ....

(vii) एफडीआई के अनुमोदन के ब्यौरे : ....

(कृपया एफडीआई अनुमोदन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)

8–अभिकरण के स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष का नाम और पता :

क्रम–संख्या	प्रबंधन किस्म (स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष)	नाम	पता	डीआईएन नंबर (यदि हो)	नंबर सहित पहचान का सबूत

9—उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार :

10—(क) क्या आवेदन के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है या वह इसे आउटसोर्सिंग आधार पर लेगा ? ....

(ख) यदि आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है तो कृपया निम्नलिखित सूचना दें :

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम :

प्रशिक्षण अभिकरण का पता :

प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे : ....

11—सुरक्षा सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपस्कर —

(क) डोर फ्रेम्ड मेटल डिक्टेक्टर (डीएफएमडी)

(ख) हैंड हेल्ड मेटल डिक्टेक्टर (एचएचएमडी)

(ग) माइन डिक्टेक्टर

(घ) अन्य उपस्कर —

(i) बेतार दूरभाष

(ii) अलार्म युक्तियां

(iii) बख्तरबंद वाहन

(iv) आयुद्ध

12—वर्दी की विशिष्टयां, जिसके अंतर्गत उसका रंग भी है (कृपया वर्दियों का रंगीन फोटो संबद्ध करें) :

13—क्या आवेदक एक से अधिक जिलों में प्रचालन करने की वांछा रखता है ? यदि हां तो जिलों का नाम 1. .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 ....

14—क्या आवेदक संपूर्ण राज्य में प्रचालन की वांछा रखता है ? हां/नहीं

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

आवेदक का दूरभाष नंबर

आवेदन की तारीख

संलग्नक :

1—अभिकरण के परिसर का फोटो।

2—सभी प्रबंधकीय कार्मिकों की पहचान का सबूत।

3—प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे (यदि लागू हों)।

4—वर्दियों का रंगीन फोटो।

5—ऊपर पैरा 7 में दिए गए अभिकरण ब्यौरों के अधीन दस्तावेज (यदि लागू हों)।

6—वर्तमान आय—कर निकासी प्रमाण—पत्र की प्रति।

7—अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन यथाविहित शपथ—पत्र।

8—अन्य संलग्नक।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्रपत्र–दो

(नियम 3 और 5 देखिए)

आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रपत्र

टिप्पण :– यदि आवेदक कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई व्यक्तियों का संगम है तो यह प्रपत्र कंपनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक, जैसे कि वे भी आवेदक है, द्वारा भरा जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर ——————————————————

केवल कार्यालय के उपयोग हेतु		
प्रपत्र संख्या	पूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता	तारीख

फीस की धनराशि रु0 ——————— नगद/मांगदेय ड्राफ्ट—————— बैंक का नाम———————

मांगदेय ड्राफ्ट सं0 ———————— जारी करने की तारीख—————————

कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें : (सावधान : कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्रपत्र में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से उम्मीदवार अनुज्ञप्ति की अनुदत्त के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है।)

1–आवेदक का (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

अंतिम नाम ——————————————— प्रथम नाम——————————————————

2–यदि आपने अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें ——————————————————————————————————————

3–लिंग (पुरुष/महिला) ——————————————————

4–जन्म तिथि : ——————————————————————

5–आधार संख्या————————————————————

6–पैन संख्या ——————————————————————

7–जन्म का स्थान–गांव/कस्बा ———————————————

जिला ———————— राज्य और देश ————————

——————————————————————————————————————

8–पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है) ——————————————————————————————————

9–माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है) ———————
——————————————————————————————————————

10–यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर नहीं है) ——————————————————————————————————

11–वर्तमान आवासीय पता, गली/सड़क सं0 पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें) ——————————————————————————————————
——————————————————————————————————————

दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या ——————————————————————

12–उपर्युक्त पते पर किस दिनांक से निवास कर रहे है, लिखिए :(तिथि/मास/वर्ष) ———————
——————————————————————————————————————

13–स्थायी पता गली संख्या/थाना–ग्राम और जिला (पिन कोड सहित) ——————————
——————————————————————————————————————

14–यदि आपने स्तंभ (11) में दिए गये पते पर लगातार पाँच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख करिए।

से..........................तक.............................. पता...

....

....

15–विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात आप जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो————————————————————————————————

16–अन्य ब्यौरे :

(क) शैक्षणिक अर्हताएं ;

(ख) पूर्व में यदि किस पद पर रहे हों तो नियोक्ता का नाम और पता ;

(ग) पिछले नियोजन छोड़ने का कारण ;

(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह ;

(ङ) पिछले तीन वर्ष की आय कर विवरणी ;

क्रमांक संख्या	निर्धारण वर्ष	आईटीआर की प्रति संलग्न है (हाँ/नहीं)
1–	——————————	——————————————————
2–	——————————	——————————————————
3–	——————————	——————————————————

(च) अधिनियम की धारा 6 के उपबंध सम्मिलित करते हुए शपथ–पत्र संलग्न है : हां/नहीं

17–क्या आपने किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को पहले परिचालित किया था या इसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक या निदेशक थे ? यदि हां तो अभिकरण का नाम, पता और इसकी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां दीजिए ।———————————————————————————————————

18–क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं। यदि आप के पास अन्य कोई नागरिकता थी तो कृपया पूर्व नागरिकता का उल्लेख करें ——————————————————

19–क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किए गए है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या, और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न करें) ————————————————————————————————

20–क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही (कार्यवाहियाँ) लंबित है ? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और अपराध का विवरण दीजिए। ———————

21–स्वघोषणा :–

इस प्रपत्र तथा संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूं।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख ——————————

स्थान ——————————

संलग्नक :–

——

——

(आवेदक के हस्ताक्षर)

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्रपत्र–तीन

[नियम 3 (2)/नियम 5 (1) देखिए]

शपथ–पत्र

मैं–––––––––––––––––––––– पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/सुश्री–––––––––––––––––––– निवासी––––––––––––––––––––– मैसर्स–––––––––––––––––––––––– (फर्म/अभिकरण/कंपनी का नाम) स्थित––––––––––––––– (फर्म/अभिकरण/कंपनी का पता) का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक हूं। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि :–

1–यह कि अभिसाक्षी भारत का नागरिक है।

2–यह कि अभिसाक्षी ने 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली है।

3–यह कि स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे (कृपया सभी भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे उपदर्शित करें) जो निम्नानुसार है :

क्रम–संख्या	स्वत्वधारी/भागादारों/निदेशकों के नाम	फर्म/अभिकरण/कंपनी का पदनाम स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक	निवास का पता

4–यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक कंपनी के अभिवृद्धि, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए (फर्म/अभिकरण/कंपनी के संबंध में उसके द्वारा कृत कोई कपट का अपकरण) सिद्धदोष किया गया है जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है।

5–यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से कम का कारावास नहीं है।

6–यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदारी/निदेशक –

(क) किसी संगठन या संगम से संबंध नहीं रखते है जिनको उनके क्रियाकलापों जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते हैं, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित किया गया गया है ; या

(ख) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है।

7–अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत या हटाया नहीं गया है।

8–फर्म/अभिकरण/कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है और उसके पास स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है।

9–अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक उसके यथा विहित प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके या उन्हें ऐसा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

10–अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) की धारा 11 के अधीन यथा नियत निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे।

(एक) विहित प्रशिक्षण जिसे अनुज्ञाप्तिधारी को करना है ;

(दो) अभिकरण बनाने वाले व्यक्त या व्यक्तियों के ब्यौरे ;

(तीन) नियंत्रक प्राधिकारी को समय–समय पर अपने पते, प्रबंधन के किसी परिवर्तन के संबंध में सूचना देने की बाध्यता ;

(चार) नियंत्रक प्राधिकारी को समय–समय पर उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राईवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरूद्ध किसी भी दांडिक आरोप के संबंध में सूचना देने की बाध्यता ;

(पाँच) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण की जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, अनुज्ञप्ति को जारी रखने का या अन्यथा के पुनर्विलोकन करने का उपबंध कर सकेगा।

11–यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित है। (ब्यौरों को संलग्न करें)

12–अभिसाक्षी और फर्म/अभिकरण/कंपनी के सभी भागीदार/निदेशक अनुज्ञप्ति की शर्तों का और प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2005) और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित सुसंगत नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे और ––––––––––––––– मैसर्स –––––––––––––––––– नाम एवं शीर्षक वाले प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध करते हुए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का भी अनुपालन करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन :– मैं, ... दिनांक .... को एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि यह शपथ–पत्र उपर्युक्त अंतर्वस्तु मेरे वैयक्तिक ज्ञान के अनुसार सही है और विश्वास से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

टिप्पण :– (एक) बिंदु संख्या 4 से 8 अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से संबंधित है।

(दो) बिंदु संख्या 9 अधिनियम की धारा 9 (2) के अनुपालन से संबंधित है।

(तीन) बिंदु संख्या 10 और 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपालन से संबंधित है।

(चार) बिंदुओं को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

795 RPH 2023 (Grih Police Anubhg-2) Data-1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्रपत्र–चार

[नियम 3(10) देखिए]

—————————————— सरकार

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने की अनुज्ञप्ति

क्रम संख्या ————————

दिनांक ——————————

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम ——————————————————

श्री———————————————————————————————————(आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री ——————————— निवासी ——————————— को ———————————— पते पर स्थित कार्यालय से ——————————— जिले/राज्य जो (जो लागू न हो उसे काट दें) में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार के प्रचालन के लिए ——————————— राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति–अनुदत्त की जाती है।

जारी करने का स्थान :

जारी करने की दिनांक :

यह अनुज्ञप्ति ———————————————————— तक वैध हैं।

हस्ताक्षर

अनुदत्त प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

नवीकरण

[नियम 5(4) देखिए]

क्रम संख्या	नवीकरण का दिनांक	अवसान की तारीख
1–		
2–		
3–		
4–		

हस्ताक्षर

नवीकरण प्राधिकारी का नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

प्रपत्र–पाँच

[नियम 7(2) देखिए]

सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रारूप

आवेदक के हस्ताक्षर ——————————————————

केवल कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए		
प्रपत्र संख्या	चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन जारीकर्ता	दिनांक

फीस धनराशि रु0 ——————————— नकद/मांगदेय ड्राफ्ट ————— बैंक का नाम ———— मांगदेय ड्राफ्ट सं0 ———————— जारी करने का दिनांक —————————

(सावधान : कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्रपत्र में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से अभ्यर्थी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में नियोजन/काम पर लगाने के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।)

1–आवेदक का नाम जैसा फोटो पहचान पत्र में प्रतीत हो (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

अंतिम नाम ———————————————— प्रथम नाम —————————————

2–यदि अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो पिछले पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें।

3–लिंग (पुरुष/महिला)

4–जन्म का दिनांक (दिन/माह/वर्ष) —————————————

5–आधार सं0 ——————————————————————

6–जन्म का स्थान-ग्राम/नगर ——————————————

जिला —————— राज्य और देश ——————————

7–पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुज्ञात नहीं है)

8–माता का नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

9–यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

10–वर्तमान आवासीय पता, गली संख्या/पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें) ——————————————————————————————————————

दूरभाष नं0/मोबाइल नं0 ———————————————————————————— ——

11–कृपया उपर्युक्त उल्लिखित पते पर किस दिनांक से निवास कर रहे हैं: दिन/माह/वर्ष ————— ———————————————————————————————————

12–स्थायी पता गली नं0/पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड सहित) ———————— ———————————————————————————————————

13–यदि आपने स्तंभ (10) में दिए गए पते पर लगातार पांच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख करिए।

से ———————————— तक —————— पता

—————————————————— ——————————————

—————————————————— ——————————————

14–विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो; उनका ब्यौरा दीजिए : ——————————————————— ———————————————————————————————————

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

15—अन्य ब्यौरे :—

(क) शैक्षिक अर्हताएं

(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहे हों तो नियोक्ता का नाम और पता ————————————————
——

(ग) पिछले नियोजन छोड़ने के कारण ——————————————————————————

(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह— ——————————————————————————

(ङ) ऊँचाई (से0मी0) ——————————————————————————————

(च) अधिनियम की धारा 10(1) और (2) के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए शपथ—पत्र संलग्न हैं: हां / नहीं

16—क्या आप केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / पब्लिक सेक्टर उपक्रम / कानूनी निकाय में सेवारत है। हां / नहीं

17—क्या आप जन्म / विरासत / रजिस्ट्रीकरण / देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं? यदि आप के पास अन्य कोई नागरिकता थी, तो कृपया पूर्व की नागरिकता का उल्लेख करें ——————————————
——

18—क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किए गए हैं? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए) ————————————————————————————————
——

19—क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लंबित है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए ——————————————
——

20—क्या किसी न्यायालय द्वारा कोर्ट वारंट या उपस्थिति के लिए समन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा भारत से बाहर जाने की संजात जारी की गई है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए ————————————————————————————————————

21—स्वतः घोषणा :—

इस प्रारूप और संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूं।

22—अंगुलियों के निशान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक ————————————

स्थान ————————————

संलग्नक :

——

——

(आवेदक के हस्ताक्षर)

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्रपत्र—छः

[नियम 7(2) देखिए]

शपथ—पत्र

मैं ———————————————— पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/सुश्री ———————————————— निवासी ———————————————————— (आवासीय पता) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण मैसर्स ———————————————————— (फर्म/अभिकरण/कंपनी का नाम) स्थित ———————————————————— (फर्म/अभिकरण/कंपनी का पता) में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में रोजगार के लिए स्वयं प्रस्थापना करता हूं। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/घोषणा करता हूं–

1–यह कि मैं भारत का नागरिक हूं।

2–यह कि मैने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है लेकिन 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। मेरे जन्म का दिनांक ———————————————— है।

3–यह कि मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

4–यह कि मुझे संघ के किसी सशस्त्र बल, राज्य पुलिस संघठन, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते हुए अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर पदच्युत या हटाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन : मैं ———————————————— (दिनांक) ———————————————— को सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि इस शपथ-पत्र में उपर दिए गए तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच और सही हैं और इनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी

टिप्पणी :– प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 10(2) के उपबंध अभिसाक्षी की जागरूकता के लिए शपथ-पत्र के पृष्ठ भाग पर मुद्रित किए जा सकेंगे जो निम्न प्रकार हैः "धारा 10 : प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होने के लिए अर्हताएं।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल, किसी राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में, सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा।"

795 RPH 2023 (Grih Police Anubhg-2) Data-1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्रपत्र–सात

[नियम 7(6) देखिए]

चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण–पत्र

(यह प्रमाण-पत्र प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के नियम में सम्मिलित किए गए उपबंधों के अधीन जारी किया गया है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ———————————————————————— पुत्र/पुत्री ———————————————————————————————— जिसका ब्यौरे निम्नलिखित है, अच्छे नैतिक चरित्र और अच्छी ख्याति के हैं, और पिछले एक वर्ष से निम्न पते पर लगातार निवास कर रहा है।

जन्म तिथि :

जन्म स्थान :

शैक्षिक अर्हता :

व्यवसाय :

वर्तमान पता :

स्थायी पता :

यह प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्र के स्रोत) ———————————— के आधार पर जारी किया गया है और जारी करने की दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक वैध होगा।

जारीकर्ता प्राधिकारी

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

पता/दूरभाष नं0 :

जारी करने की दिनांक :

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्रपत्र—आठ

[नियम 8(5) देखिए]

प्रशिक्षण प्रमाण—पत्र

क्रम संख्या

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम

प्रशिक्षण अभिकरण का पता

प्रशिक्षण अभिकरण मान्यता संख्या ———————

[इस अभिकरण की मान्यता दिनांक ———————————————— तक वैध है]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ————————————————————————————————————— पुत्र/पुत्री/श्री ——— निवासी ——————————————————— ने ————————————————— से ———————————————— तक राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एन0एस0क्यू0एफ0) के मानक अनुसार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति या काम पर रखे जाने के लिए विहित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है ।

उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित हैं।

प्रमाण—पत्र धारी के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

जारी करने का स्थान :

जारी करने की दिनांक :

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्रपत्र—नौ

(नियम 11 देखिए)

अपील के लिए प्ररूप

अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील

अपीलकर्ता ——————————————————————————————

पुत्र/पुत्री ———————————— निवासी ———————————————

बनाम

नियंत्रक प्राधिकारी ——————————————————————————

दिनांक ———————————— के ——————————————— (नियंत्रक प्राधिकारी के) के आदेश, और ———————— (प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम) के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति अस्वीकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध, उपर्युक्त अपीलकर्ता ————————————— (राज्य के गृह सविच) को अपील करते हैं, और आदेश के विरुद्ध आपत्ति के निम्न आधार दिए गए हैं।

1— ——————————————————————

2— ——————————————————————

3— ——————————————————————

4— ——————————————————————

संलग्नक दस्तावेजों की सूची :

——————————

हस्ताक्षर

अपीलकर्ता का नाम एवं पदनाम

दिनांक :

स्थान :

प्रपत्र–दस

(नियम 12 देखिए)

विशिष्टियां–रजिस्टर

(रजिस्टर–क : प्रबंधन विवरण)

क्रम–संख्या	अभिकरण का प्रबंध देखने वाले व्यक्ति/ व्यक्तियों के नाम	माता–पिता/ पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्ति/ छोड़ने का दिनांक

(रजिस्टर–ख : प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक)

क्रम–संख्या	गार्ड/ पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	अभिकरण में नियुक्ति/ छोड़ने का दिनांक	स्थायी पता	फोटोग्राफ	अंगुलियों के निशान	कर्मचारी संख्या	दिनाक सहित वेतन, ईएसआई, ईपीएफ संख्याएं और बैंक/शाखा जिसके माध्यम से संदत्त है।
1									
2									

(रजिस्टर–ग : ग्राहक)

क्रम–संख्या	ग्राहक का नाम और फोन नंबर	स्थान का नाम जहाँ सुरक्षा प्रदान की जाती है	उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड की संख्या और रैंक	सेवा प्रारंभ करने का दिनांक	सेवा समाप्त का दिनांक

(रजिस्टर–घ : ड्यूटी रोस्टर)

क्रम–संख्या	प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी स्थान का पता	क्या कोई शस्त्र/ गोला–बारूद उपलब्ध कराए गए हैं	ड्यूटी प्रारंभ करने का दिनांक और समय	ड्यूटी समाप्त करने का दिनांक और समय

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

प्रपत्र–ग्यारह

(नियम 13 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के लिए फोटो पहचान–पत्र

(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम)

पहचान–पत्र सं0 ——————————————————————

नाम———————————————————————————

रंगीन फोटो

कार्यालय पदनाम ——————————————————————————

कर्मचारी सं0 ——————————————————————————

रक्त समूह ——————————————————————————

जारी करने का दिनांक ————————————————————————

———————————————————————————— तक वैध है।

पहचान–पत्र धारक के हस्ताक्षर ————————————————————

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1822/VI-Pu-2–2023-1100(60)-2021 , dated November 2, 2023 :

No. 1822/VI-Pu-2–2023-1100(60)-2021

Dated Lucknow, November 2, 2023

IN exercise of the powers conferred by section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act no. 29 of 2005) and in supersession of the Uttar Pradesh Private Security Agencies Rules, 2009 (Notification no.1462/Six-po-2-08-700(131)-07, Dated July 31, 2009), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to make the following rules, with a view to regulate the operation of private security agencies and ensure the procedure of licences and trainings thereto.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE SECURITY AGENCIES RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Private Security Agencies Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official *Gazette*.

Definitions

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005);

(b) “Agency” means the Private Security Agency;

(c) “Controlling Authority” shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Act;

(d) “Form” means a Form appended to these rules;

(e) “Licence” means a licence granted under the Act;

(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

Application for grant of licence

3. (1) Every agency while making an application in Form I to the Controlling Authority for the grant of licence shall also enclose the Form II for verification of his antecedents.

(2) If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application in Form I shall be accompanied by Form II for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants. In addition, he shall submit an Affidavit in Form III incorporating the details in relation to the provisions contained in sub-section (2) of section 7 of the Act.

(3) On receipt of Form I, Form II, Form III, the Controlling Authority shall make such inquiries, as it considers necessary to verify the contents of the application and the particulars of the applicant.

(4) The Controlling Authority shall utilise electronic databases of crime and criminals like the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for the purpose of verification of antecedents of the applicant. However, in special circumstances where electronic databases of crimes and criminals such as Crime and Criminal Tracking Networks and System (CCTNS), Interoperable Criminal Justice Systems (ICJS) are not functioning, the Controlling Authority may constitute such inquiry as he may consider necessary to verify the particulars of the applicant and contents of Form-III.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(5) Wherever any applicant's antecedents have been verified in any other State earlier and licence is granted, it shall not be necessary for the Controlling Authority to verify the antecedents afresh provided that the licence for which antecedents are verified is under period of validity. The Controlling Authority may call for verification forms *etc*, from the other State concerned to check the antecedents of the applicant from the district of domicile within the State electronic database of crime and criminal. For this purpose, Crime and Criminal Tracking Network and System (CCTNS) and Interoperable Criminal Justice System (ICJS) may be used.

(6) Form I shall be accompanied by a demand draft or banker's cheque or electronic evidence showing the payment of fees as prescribed under sub-section (3) of section 7 of the Act, payable to the Controlling Authority of the State concerned where the application is being made.

(7) The application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to it by registered post or through electronic means i.e. e-mail, Fax *etc*.

(8) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after noting there on the date of receipt by him of the application, grant an electronic or digital acknowledgement to the applicant.

(9) The Controlling Authority, after receiving an application in Form I shall grant a licencee to the private security agency in Form IV after making such enquiry as it considers necessary , and after compliance with the provisions of the Act:

Provided that if the private security agency has already obtained a licencee from the Controlling Authority of any other State then requirement of training of the licencee shall not be necessary.

(10) The Controlling Authority either by himself or through any other officer subordinate to him or by other means shall verify the premises of the private security agency at the address or addresses provided by the agency.

(11) The Controlling Authority shall prepare a physical copy of the licence to be delivered by post within fifteen days of issue to the principal office of the private security agency in the State concerned as mentioned in the application for grant of licence which the private security agency shall be bound to display at its place of business.

(12) In case of rejection of the application for grant of licence, no order of refusal shall be made unless,-

(a) the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard; and

(b) the grounds on which licence is refused are mentioned in the order.

(13) The Controlling Authority shall pass an order on Form I within sixty days from the date of receipt of it aforesaid cyclication after completely all the formalities.

Conditions for grant of licence

4. (1) The licencee shall successfully undergo a training relating to the private security as prescribed by the Controlling Authority within the time frame prescribed by it.

(2) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training of the licencee.

(3) The training shall be for a minimum period of six working days. The training shall broadly include the following subjects, namely:-

(a) Present security scenario:

(i) VIP Security;

(ii) Internal Security;

(iii) Institutional Security.

(b) Role and Functioning of Private Security Agencies:

(i) Fire Fighting;

(ii) Disaster/ Emergency Management protocol;

(iii) Security Duties;

(iv) Checking of various documents;

(v) Information security;

(vi) Access Control;

(vii) Explosives, IEDs;

(viii) Anti Sabotage Checks (ASC);

(ix) Security related equipments;

(x) Communication Equipments;

(xi) Patrolling;

(xii) Post duties.

(c) Legal provisions:

(i) The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and its associated State Rules;

(ii) Relevant Labour Laws.

(d) Management of Security Agencies:

(i) Uniform;

(ii) Training of personnel of private security agencies;

(iii) Documentation and records to be maintained by the licence;

(iv) Data Sharing Protocol.

(e) Interface with public, Police and other departments:

(i) Interface with Public;

(ii) Liaison with police and other concerned Government Departments.

(f) Private Security Personnel – DO's and DON'Ts (Conduct Rules).

(4) The licencee shall intimate the name, parentage, date of birth, permanent address, address for correspondence and the principal profession of each person forming the Agency within fifteen days of receipt of the licence to the Controlling Authority.

(5) The licencee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the Agency or change of management within thirty days of such change.

(6) The licencee shall immediately intimate the Controlling Authority about any FIR registered or criminal charge framed against the persons forming the Agency or against a private security guard or supervisor engaged or employed by the Agency, in the course of performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the person charged against resides.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(7) Every licencee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guards and their training as prescribed in these rules as the condition on which the licence is granted.

(8) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of licence shall be non-refundable.

(9) The licencee shall commence its activities within six months of obtaining the licence.

(10) Commencement of activities shall include establishment of office premises and engagement of supervisors as provided under sub-section (3) of section 9 of the Act and in accordance with rule 10.

Renewal of licence

5. (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the licence in Form I along with Form II and Form III not less than forty-five days before the date of expiry of the period of validity thereof and after complying other conditions of section 8 of the Act.

(2) If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application in Form I shall be accompanied by Form II for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants.

(3) The Controlling Authority shall verify the antecedents of the applicant in the same manner as mentioned in sub-rule (4) of rule 3.

(4) The Controlling Authority, after receiving an application in Form I shall grant a renewal of licence in Form IV after making such enquiry as it considers necessary and after compliance with the provisions of the Act.

(5) In case of non-receipt of the application for renewal of licence within the period mentioned in sub-rule (1), the agency shall be treated as un-licenced agency after the expiry of licence.

(6) After expiry of period of applying for renewal of licence, the Agency may apply for fresh licence as per section 7 of the Act.

(7) The fees chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant of licence as mentioned in sub-rule (6) of rule 3.

(8) Applications received after the period stipulated in sub-rule (1) and before the expiry of licence shall not be processed for renewal of licence.

(9) The Controlling Authority shall pass an order on application for renewal of licence in Form I within thirty days from the date of receipt of application complete in all respects.

(10) The validity of renewed licence shall be counted from the date of expiry of the previous licence and shall be upto a period of five years irrespective of its date of renewal. In case the application is decided by the Controlling Authority after expiry of the existing licence, the intervening period shall deem to be under valid licence.

(11) The Controlling Authority and the Private Security Agencies shall not be liable for delays occurring by reason of circumstances beyond human control, including but not limited to acts of civil or military authority, national emergencies, riot, acts of God.

Conditions for renewal of licence

6. The renewal of the licence shall be granted subject to the following conditions, namely:-

(a) the applicant continues to maintain his principal place of business in the jurisdiction of the Controlling Authority;

(b) the applicant continues to ensure the availability of the training for its private security guards and supervisors required under sub-rule (2) of rule 8 of these rules;

(c) the applicant continues to adhere to the licence conditions;

(d) the applicant has no criminal antecedents (the same may be verified from a database of crime and criminals).

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Verification of character and antecedents of the private security guard and supervisor

7. (1) Before any person is employed or engaged as a security guard or supervisor, the Agency shall satisfy itself about the character and antecedents of such person in any one or more of the following manner, namely:-

(a) by relying upon the character and antecedents verification certificate produced by the person:

Provided that the character and antecedent certificate shall be valid and the Agency does not have any adverse report regarding the person's character and antecedents from any other source;

(b) by accessing electronic databases of crime and criminal like the Crime and Criminal Tracking Networks and Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for verification of the character and antecedents through the Controlling Authority or the Police.

(2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit Form V to the Agency. In addition, he shall submit an Affidavit in Form VI incorporating the details in relation to the provisions contained in sub-section (2) of section 10 of the Act.

(3) The State Government shall arrange to accept the fee to be deposited electronically for character and antecedent verification.

(4) The authority to which the application is made shall ensure that character and antecedent verification report is issued within fifteen days of the receipt of the character and antecedent form.

(5) Character and antecedents' verification report once issued shall remain valid for five years irrespective of the change in employer status.

(6) On the basis of character and antecedents' verification, the Agency shall issue in Form VII a character and antecedents certificate and this certificate shall not be taken back by such Agency even if the person ceases to be the employee of that Agency.

Security Training

8. (1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the security guards in accordance with National Skill Qualification Frame work. For entry level, this training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The ex-servicemen and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over at least seven working days.

(2) For the purpose of providing training as per Syllabus, the Controlling Authority may issue guidelines and specifications for those training institutions and may also issue a Standard Operating Procedure (SOP) for their compliance.

(3) To ensure compliance with the guidelines/specifications and standard operating procedure, the Controlling Authority may, whenever it is desires, order security audit of such training institute by an officer of the rank of Deputy Superintendent of Police and above.

(4) The training institution or organization shall submit to the Controlling Authority the following particulars-

(a) the name and address of the institution;

(b) details of Trainee Guard;

(c) duration of training;

(d) courses covered and marks obtained by the trainee;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(e) the name and designation of the person authorized to issue the certificate after completion of training;

(f) list of Trainers available in the Training Institute;

(5) The training shall include the following subjects, namely:-

(a) conduct in Public and correct wearing of uniform;

(b) physical fitness training;

(c) physical security, security of the assets, security of the building/apartment, personnel security, household security;

(d) fire fighting;

(e) crowd control;

(f) examining identification papers including identity cards, passports and smart cards;

(g) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered in the identification documents, arms licence, travel documents and security inspection sheet;

(h) identification of improvised explosive devices;

(i) first-Aid;

(j) crisis response and disasters management;

(k) defensive driving (compulsory for the driver of Armoured vehicle and optional for others);

(l) handling and operation of non-prohibited weapons and firearms (optional);

(m) rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the police station, Arms Act (only operative sections), Explosives Act (operative sections);

(n) badges of rank in police and military forces;

(o) identification of different types of arms in use in Public and Police;

(p) use of security equipments and devices (for example: security alarms and screening equipments); and

(q) leadership and management (for supervisors only).

(6) The security guard shall have to successfully undergo the training prescribed by the Controlling Authority.

(7) On completion of the training each successful trainee shall be awarded a certificate in Form VIII by the training institute.

(8) The training certificates issued to the guards/supervisors from Training Institutes in one State shall be accepted in other State also.

(9) The Controlling Authority shall inspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection shall be conducted at least two times every year.

(10) All the training agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in the manner prescribed by it.

(11) Based on training completed and requirement of the job, private security agency may have their own designations provided that no agency shall adopt any of the ranks of the armed forces, paramilitary forces or State Police Forces.

(12) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors of any private training agency.

(13) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of licence of such security agencies which may not have adhered to the conditions of trained personnel on its rolls.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Standard of physical fitness for security guards

9. (1) A person shall be eligible for being engaged or employed as security guard if he fulfills the standards of physical fitness as specified below:-

(a) Height: 160 cms for males (Female 150 cms); Weight according to standard table of height and weight; Chest 80 cms with an expansion of 4 cms (for females no minimum requirement for chest measurement);

(b) Eye sight: Far sight vision 6/6, near vision 0.6/0.6 with or without correction; free from color blindness; should be able to identify and distinguish color display in security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals;

(c) Free from knock knee and flat foot and should be able to run one kilometer in six minutes;

(d) Hearing: Free from defect; should be able to hear and respond to the spoken voice and the alarms generated by security equipments;

(e) The candidate should have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.

(2) A candidate should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.

(3) Agency shall ensure that every private security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination so as to ensure his continued maintenance of physical standard as prescribed for the entry level.

Provision for Supervisors

10. (1) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.

(2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practical to supervise their work by one supervisor, the agency shall depute more number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.

Appeals and procedure

11. Every appeal under sub-section (1) of section 14 of the Act shall be preferred in Form IX signed by the aggrieved person or his authorized representative and Government of Uttar Pradesh shall be presented to the Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Home Department, in person or in electronic or digital form or sent to him by registered post.

Register to be maintained by the Agency

12. The register required to be maintained under the Act by the Agency shall be maintained electronically in Form X. Agency shall be liable to produce the same before the Controlling Authority on a desired date and place.

Photo identity card

13. (1) Every photo identity card issued by the Agency under sub-section (2) of section 17 of the Act shall be in Form XI.

(2) The photo identity card shall convey a full-face image in color, full name of the private security guard, name of the Agency and the employee number of the individual to whom the photo identity card is issued.

(3) The photo identity card shall clearly indicate the individual's position in the Agency and the date up to which the photo-identity card is valid.

(4) The photo identity card shall be maintained up to date and any change in the particulars shall be entered therein.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(5) The photo identity card issued to the private security guard shall be returned to the Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.

(6) Any loss or theft of photo identity card shall be immediately brought to the notice of the Agency that issued it.

Other conditions

14. (1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency shall issue and make it obligatory for its security guards to put on:

(a) an arm badge distinguishing the Agency;

(b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;

(c) whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket;

(d) shoes with eyelet and laces;

(e) a headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency.

(2) The clothes worn by the private security guard while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In particular they shall neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.

(3) Every private security guard shall carry a notebook and a writing instrument with him.

(4) Every private security guard while on active security duty shall wear and display photo identity card issued under section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in conspicuous manner.

By order,

SANJAY PRASAD,

Pramukh Sachiv.

795 RPH 2023 (Grih Police Anubhg-2) Data-1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

FORM-I

(*See rule* 3, 5)

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE /RENEWAL OF LICENCE TO ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY

To

The Controlling Authority

____

____

The undersigned hereby applies for obtaining a licence to run the business of operating services in the area of Private Security Agencies:-

1. Full name of the applicant:
2. Nationality of the applicant:
3. Son/wife/daughter of:
4. Residential Address:
5. Address ,where the applicant desires to start his Agency:
6. Name of the Private Security Agency:
7. Additional details of the Private Security Agency (if applicable):-

(a) CIN No. ………………………...

(b) ESI No. …………………………...

(c) EPF No. ………………………...

(d) Labour Licence No. ……………………..

(e) Labour Registration No. …………………...

(f) GST No. ………………………………..

(g) Any other information ....………...

(h) Whether the Agency has FDI? (Yes/No) ....……...

If Yes, Give the following information-

(i) Country of FDI : ………………………………...

(ii) Name of foreign shareholder: …………………..

(iii) Address of foreign shareholder : ………………...

(iv) Year of investment: ……………………………..

(v) No. of shares: ……………………………………..

(vi) Percentage of foreign shareholding: ………………...

(vii) Approval details of FDI: ………………………………..

(Please attach the relevant document of FDI approval.)

8. Name and addresses of Proprietor, partner, Majority shareholder, Director and Chairman of the Agency:

Sl. No.	Management Type (Proprietor/partner/Majority shareholder/Director/Chairman)	Name	Address	DIN No. (if held)	ID Proof with no.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

9. Name and extent of facilities available:

10. (a) Does the applicant possesses the training facility in its own or will get it on outsourcing basis? ....……..

(b) If the applicant has own training facility, please provide the following information:

Name of training agency:

Address of Training agency:

Recognition details of Training agency: ……………………………………………..........................

11. Equipments which will be used for Security services-

(a) Door Framed Metal Detector (DFMD)

(b) Hand Held Metal Detector (HHMD)

(c) Mine Detector

(d) Other Equipments:

(i) Wireless Telephones

(ii) Alarm Devices

(iii) Armoured Vehicles

(iv) Arms

12. The particulars of the uniform including color. (Please attach color photo of uniforms).

13. Does the applicant intends to operate in more than one districts ? If so the name of the Districts 1. ___________ 2. ___________ 3. ____________ 4. _____________ 5. _____________

14. Does the applicant intend to operate in the entire state ? Yes/No

Signature

Name of the applicant

Address of the application

Telephone number of the applicant

Date of application

Enclosure:–

1. Photo of the premises of the Agency.
2. ID Proof of all Management personnel.
3. Recognition details of training agency (if applicable).
4. Colour photo of uniforms.
5. Documents (if applicable) under the agency details given in Para 7 above.
6. Copy of current Income tax Clearance Certificate.
7. Affidavit as prescribed in Section 7 sub-section (2) of the Act.
8. Other enclosures.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

FORM-II

(*See rule* 3 and 5)

Form for verification of Antecedents of Applicant

NOTE :– If the applicant is a company, a firm or an association of persons, this form shall be filled up by every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they are also the applicants.

Signature of the Applicant ---

For official use only		
Form number	Antecedents verification issued by :	Date

Fee Amount Rs. -------------- Cash /D.D. -------------- Name of Bank ---------------- D.D. No. ----------------
Date of Issue --------------------------

Please fill in BLOCK LETTERS : (CAUTION : Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any factual information in the form will render the candidate unsuitable for grant of licence)

1. Name of applicant (Initials not allowed)

 Last name ------------------------------- First name------------------------------

2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name(s) in full ----------------
----

3. Sex (male / female): ---

4. Date of Birth (DD/MM/YYYY): ---

5. Aadhaar No. --

6. PAN No. ---

7. Place of Birth: Village / Town --

 District --------------------------- State and Country ------------------- ------------------------------

8. Father's Full Name/ Legal Guardian's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) --

9. Mother's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) ---------------------------
----

10. If married, Full Name of Spouse (including surname, if any): (Initials not allowed) ------------
----

11. Present Residential Address, including Street No./Police Station, village and District (with PIN code) ---
----

 Telephone No./Mobile No. ---

12. Please give the date since residing at the above-mentioned address:
(DD/MM/YYYY) ---

13. Permanent Address including Street No./Police Station, village and District (with PIN code) --
----

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

14. If you have not resided at the address given at COLUMN (11) continuously for the last five years, please furnish the other address (addresses) with duration(s) resided.

From ……………. To …………… Address

__________________________ ____________________________

__________________________ ____________________________

15. In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years. ---

16. Other Details:

(a) Educational Qualifications :

(b) Previous positions held if any along with name and address of employers :

(c) Reason for leaving last employment :

(d) Visible Distinguishing Mark :

(e) Last 3 years IT Return :

S.No.	Assessment Year	Copy of ITR enclosed (Yes/No)
1.	……………..........	……………………........................
2.	……………..........	……………………........................
3.	…………………..	………………………...................

(f) Affidavit incorporating the provisions of Section 6 of the Act enclosed: Yes/No

17. Did you earlier operated any Private Security Agency or were its partner, majority shareholder or Director ? If yes then furnish the name, address of the Agency and its licence particulars. ………………………………………………………………..

18. Are you a citizen of India by: Birth/ Descent/Registration/Naturalisation: If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship ………………………......................

19. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence and sentenced to imprisonment ? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment) ………………………………………………………………………………...................................

20. Is/Are any criminal proceeding(s) pending against you before a court in India ? If so, give name of court, case number and offence ....

21. Self- Declaration :

The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.

(Signature of applicant)

Date …………...............................

Place …………............................

Enclosures :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….........

(Signature of applicant)

FORM-III

[*See* rule 3(2)/rule 5(1)]

Affidavit

I ……………………........……… S/o/D/o/W/oMr./Ms. ……………..........……….. resident of ………………………….................….. is a Proprietor/Partner/Director of M/s ………………………….. (Name of firm/agency/company) at ………………...............………. (Address of firm/agency/company). I do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That the deponent is a citizen of India.

2. That the deponent has attained the age of 18 years.

3. That the details of the Proprietor/ Partners/ Directors (Please indicate the details of all the Partners/ Directors) are as under:

Sl. No.	Name of the Proprietor/ Partners/ Directors	Designations in the firm/agency/company (Proprietor/ Partner/ Director)	Residential Address

4. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been convicted of any offence in connection with promotion, formation or management of a company (any fraud or misfeasance committed by him in relation to the firm/agency/company), including an undischarged insolvent.

5. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been convicted by a competent court for an offence, the prescribed punishment for which is imprisonment of not less than two years.

6. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been -

(a) keeping links with any organisation or association which is banned under any law on account of their activities which pose threat to national security or public order; or

(b) indulging in activities which are prejudicial to national security or public order.

7. That the deponent or any of the Proprietor/ Partner/ Director has not been dismissed or removed from Government service on grounds of misconduct or moral turpitude.

8. That the firm/agency/company is registered in India and does not have a proprietor or a majority shareholder, partner or director, who is not a citizen of India.

9. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company shall comply with the provisions of sub-section (2) of section 9 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) by ensuring availability/imparting of such training and skills to its private security guards and supervisors as prescribed.

10. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company shall fulfill the following conditions of licence as stipulated under section 11 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005).

(i) prescribed training which the licensee is to undergo;

(ii) details of the person or persons forming the agency;

(iii) obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority regarding any change in their address, change of management;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(iv) obligation as to the information to be provided from time to time to the Controlling Authority about any criminal charge made against them in the course of their performance of duties of the private security agency or as the case may be, a private security guard employed or engaged by them.

(v) Competent authority in the State Government/UT administration may verify about imparting of required training by the private security agency under sub-section (2) of section 9 of the Act and may review continuation or otherwise of licence of the private security agency if the agency have not adhered to the condition of ensuring the required training.

11. That there are no cases registered with police or pending in court of law against the deponent.

Or

That there are cases registered with police or pending in court of law against the deponent. (Details shall be enclosed)

12. That the deponent and all the Partner/ Director of the firm/agency/company will comply, conditions of licence and in letter and spirit, with the provisions of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and the relevant rules notified by the State Government/UT administration under the Act and also comply with the instructions issued from time to time by the Controlling Authority appointed under the Act, while managing private security agency with the name and title M/s ……………………………………...

Deponent

Verification :– I, …………………………. hereby solemnly affirm on ……..................….. (date) that the contents of above this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief nothing has been concealed therein.

Deponent

NOTE : (i) Point No. 4 to 8 relates to compliance of section 6 of the Act.

(ii) Point No. 9 relates to compliance of section 9(2) of the Act.

(iii) Point No. 10 and 11 relates to compliance of section 11 of the Act.

(iv) Strike the points which are not applicable.

FORM-IV

[See rule 3(10)]

GOVERNMENT OF______________

Licence to engage in the business of Private Security Agency

Serial No---------

Date-------------

Name of the Private Security Agency: ………………………………...

Shri --- (name of the Applicant)
S/o --- r/o ---
-- (Full Address) --
----------------------------------- is granted the licence by the Controlling Officer for the State of --------------
-- to run the business of Private Security Agency in the district(s) of/
State of (strike of the inapplicable words) ---
---------------------------- with office at --- (address of the office).

Place of Issue --

Date of issue ---

This license is valid up to ---------------------------------

Signature
Name of granting authority
Designation
Official Address

RENEWAL

[*See* rule 5(4)]

Sl. No.	Date of Renewal	Date of expiry
1.		
2.		
3.		
4.		

Signature
Name of renewing authority
Designation
Official Address

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

FORM-V

[*See* rule 7(2)]

Form for verification of Character and antecedents of Security Guard and Supervisor

Signature of the Applicant --------------------------------

For official use only		
Form number	Character and antecedents verification issued by :	Date

Fee Amount Rs. --------------- Cash /D.D. ---------------- Name of Bank --------------- D.D. No. --------------- Date of Issue -----------------------------

Please fill in BLOCK LETTERS: (CAUTION: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any factual information in the form will render the candidate unsuitable for employment /engagement in the Private Security Agency.)

1. Name of applicant as should appear in the photo-identity card (Initials not allowed)

Last name ________________________ First name ____________________________

2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name(s) in full ___________

____

3. Sex (male/female) ____

4. Date of Birth (DD/MM/YYYY) ____

5. Aadhaar No.____

6. Place of Birth: Village/Town ____

District _____________________________ State and Country __________________________________

7. Father's Full Name/ Legal Guardian's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) ____

8. Mother's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) ___________________

____

9. If married, Full Name of Spouse (including surname, if any): (Initials not allowed) _________

____

10. Present Residential Address, including Street No. /police station, village and District (with PIN code) ____

____

Telephone No./Mobile No. ____

11. Please give the date since residing at the above mentioned address: DD/MM/YYYY _______

____

12. Permanent Address including Street No./police station, village and District (with PIN code) ____

13.If you have not resided at the address given at COLUMN (10) continuously for the last five years, please furnish the other address (addresses) with duration(s) resided.

From ……………To…………… Address

___________________________ _______________________________

___________________________ _______________________________

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

14. In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years. ____

15. Other Details:

(a) Educational Qualifications: ____

(b) Previous posts held along with name and address of employer: ______________________

____

(c) Reason for leaving last employment: ____

(d)Visible Distinguishing Mark on body: ____

(e) Height (cms): ____

(f) Affidavit incorporating the provisions of Section 10 (1) and (2) of the Act enclosed: Yes/ No

16. Are you working in Central Government/ State Govt/ PSU/ Statutory Bodies: Yes/ No

17. Are you a citizen of India by: Birth/Descent/Registration/Naturalisation: If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship _______________________________

18. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence & sentenced to imprisonment ? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgement) ____

19. Is/Are any criminal proceeding(s) pending against you before a court in India ? If so, give name of court, case number and offence ____

____

20. Has any court issued a warrant or summons for appearance or warrant for arrest or an order prohibiting your departure from India ? If so, give name of court, case number and offence ____

21. Self Declaration:

The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.

22. Finger Prints :

(Signature of applicant)

Date ________________________

Place _______________________

Enclosures :

____

____

(Signature of applicant)

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

FORM-VI

[*See* rule 7(2)]

Affidavit

I …………………………........… S/o/D/o/W/oMr./Ms. ….................…………………. resident of …………………………..........................….. (Residential Address) offer myself for employment as a private security guard/supervisor in the private security agency M/s …………………….............……….. (Name of firm/agency/company) at ……………................………… (Address of firm/agency/company). I do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That I am a citizen of India.

2. That I have attained the age of 18 years but have not attained the age of 65 years. My date of birth is ………………...

3. That I have not been convicted by a competent court.

4. That I have not been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency.

Deponent

Verification :– I, …………………………. hereby solemnly affirm on ……....................….. (date) that the contents of above this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief nothing has been concealed therein.

Deponent

Note: The provisions of section 10(2) of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) may be printed at the back of affidavit for awareness of deponent as follows:

"Section 10. Eligibility to be a private security guard.

(2) No person who has been convicted by a competent court or who has been dismissed or removed on grounds of misconduct or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organisations, Central or State Governments or in any private security agency shall be employed or engaged as a private security guard or a supervisor."

FORM-VII

[*See* rule 7(6)]

CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE

(This certificate is issued under the provisions incorporated in the rules of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005.)

This is to certify that Mr./Ms. -----------------------------, Son/Daughter of ------------------------ whose particulars are given below has good moral character and reputation and that the applicant has been staying at the following address(es) continuously for the last one year --- --

Date of Birth :

Place of Birth :

Educational Qualification :

Profession :

Present Address :

Permanent Address :

This certificate is issued on the basis of --- (Source of certificate) and shall be valid upto a period of five years from its date of issue.

Issuing Authority
Signature
Name
Designation
Address/Tel. No.

Date of Issue

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

FORM-VIII

[*See* rule 8(5)]

Training Certificate

Serial number

Name of the Training Agency

Address of the Training agency

Training Agency Recognition No. ____________________

[The recognition of this agency is valid upto ______________________ (date)]

Certified that ____________________________ son/daughter of _______________________ resident of _______________________ has completed the prescribed training for the engagement or employment as a Private Security Guard/Supervisor confirming to National Skill Qualification Framework (NSQF) standards from ________________________ till ______________________.

His signature is attested below.

Signature of the Certificate Holder

Signature of issuing authority

Designation

Place of issue

Date of issue

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

FORM-IX

(*See* rule 11)

Form for Appeal

An Appeal under section 14 of the Act

Appellant _______________________________

S/o ____ r/o _______________________________

Versus

Controlling authority/____

The ______________________ above named appeal to the ________________________ (State Home Secretary) _______________________________ from the order of (Controlling Authority) dated ________________ day of _______________ and against refusal of licence to run Private Security Agency _____________________________________ and sets forth the following grounds of objection to the order appeal from namely ____

1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. _________________

Enclosed list of documents

____

Signature

Name and Designation of the Appellant

Date ______________________

Place ______________________

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

FORM-X

(*See* rule 12)

Register of Particulars

(Register-A: Management details)

Sl. No.	Name of person(s) managing the Agency	Parent's/ Father's name	Present address& phone no.	Permanent Address	Nationality	Date of joining/leaving the agency
1						

(Register-B: Private Security Guards and Supervisor)

Sl. No.	Name of Guard/ Supervisor	Father's name	Present address and phone no.	Date of Joining/ leaving the Agency	Permanent Address	Photo-graph	Finger Prints	Employee No.	Salary with date, ESI, EPF numbers and Bank/Branch through which paid
1									
2									

(Register-C: Customers)

Sl. No.	Name of the Customer and phone no.	Address of the place where Security is provided	Number and ranks of Security Guards provided	Date of commencement of services	Date of discontinuation of services

(Register D: Duty Roster)

S.No.	Name of the Private Security Guard/ Supervisor	Address of the place of duty	Whether provided with any arms/ammunition	Date and time of commencement of duty	Date and time of ending of duty

FORM-XI

(*See* rule 13)

PhotoIdentity card for Private Security Guard/Supervisor

(Name of the Private Security Agency)

Colour Photo

Identity Card no. ____________________

Name ____________________

Official Designation ____________________

Employee no. ____________________

Blood Group ____________________

Date of issue ____________________

Valid up to ____________________

Signature of the cardholder ____________________

Signature of the
issuing authority
Official seal

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 795 राजपत्र–2023–(2272)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 6 सा0 गृह (पुलिस) अनुभाग–2023–(2273)–110 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

795 RPH 2023 (Grih Police Anubhg-2) Data-1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–4 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 जनवरी, 2024

पौष 28, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग–4

संख्या 1/2024/1451/23-4–2023-33 एन0जी0-2015

लखनऊ, 18 जनवरी, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–6

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जाएगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नये नियमों का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 3 में उपनियम (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे :–

(ट) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ठ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

1090 RPH 2024 (Lok Nirman Anubhg-4) Data 1e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
भर्ती का स्रोत,—	**भर्ती का स्रोत,**—
सेवा में किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी :	सेवा में किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी :
(एक) 51.67 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(दो) 40 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (यॉँत्रिक) में से उनके अपने—अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(दो) 50 प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (यॉँत्रिक) में से, उनके अपने—अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(तीन) 8.33 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (यॉँत्रिक) में से जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियंत्रण या यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या जो विद्युत अभियंत्रण शाखा या यांत्रिक अभियंत्रण शाखा में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के एसोसिएट मेम्बर्स हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथत दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :	
परन्तु यदि अपेक्षित अर्हता रखने वाले उपयुक्त पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो रिक्तियां खण्ड (दो) में उल्लिखित स्रोतों से भरी जा सकती हैं।	

नियम 6 का प्रतिस्थापन

4—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
आरक्षण—	**आरक्षण**—
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय—समय पर यथा—संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 एवं भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

5—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु—	**आयु—**
सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :	सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 19 का प्रतिस्थापन

6—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवीक्षा—	**परिवीक्षा—**
(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :	(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
परन्तु अद्यावधिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।	किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।	(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रकार का हकदार नहीं होगा।	(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई हैसियत से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
(5) नियुक्ति प्राधिकारी संदर्भ में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	

नियम 22 का प्रतिस्थापन

7–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
वेतनमान– (1) सेवा में पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।	**वेतनमान**– (1) सेवा में पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसाकि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार दिए गये हैं :— सहायक अभियंता (विद्युत / यांत्रिक) रु0 2200—75—2800—द0रो0—100—4000 रुपये	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :— <table><tr><th>पदनाम</th><th>वेतनमान</th></tr><tr><td>सहायक अभियंता (विद्युत / यांत्रिक)</td><td>मैट्रिक्स लेवल—10 रु0 56100—177500</td></tr></table>

8—उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 24 निकाल दिया जायेगा। नियम 24 का निकाला जाना

आज्ञा से,
अजय चौहान,
प्रमुख सचिव।

———

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2024/1451/XXIII-4–2023-33N.G.-2015, dated January 18, 2024 :

No. 1/2024/1451/XXIII-4–2023-33N.G.-2015

Dated Lucknow, January 18, 2024

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar pradesh Public Works Department Assistant Engineers (Electrical and Mechanical Branch) Service Rules, 1993.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT ASSISTANT ENGINEERS (ELECTRICAL AND MECHANICAL BRANCH) SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (i) These rules may be called the Uttar Pradesh Public Works Department Assistant Engineers (Electrical and Machanical Branch) Service (Second Amendment) Rules, 2023.

(ii) They shall come into force at once.

Insertion of new rule

2. In the Uttar Pradesh Public Works Department Assistant Engineers (Electrical and Machanical) Service Rules, 1993 hereinafter referred as said rules in rule 3 *after* sub-rule (j) the following sub-rules shall be *inserted* :–

(k) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(l) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Act as amended from time to time.

Substitution of rule 5

3. In the said rules, *for* existing rule 5 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be *substituted* :–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Source of recruitment – Recruitment to a post in the Service shall be made from the following sources :–	**Source of recruitment** – Recruitment to a post in the Service shall be made from the following sources :–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(i) 51.67 per cent by direct recruitment through the Commission.	(i) 50 per cent by direct recruitment through the Commission.
(ii) 40 per cent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical) and Junior Engineers (Mechanical) in the proportion of their respective cadre strength who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment.	(ii) 50 per cent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical) and Junior Engineers (Mechanical) in the proportion of their respective cadre strength who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment.
(iii) 8.33 per cent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical) and Junior Engineers (Mechanical) who possess bachelor's degree in Electrical Engineering or Mechanical Engineering from a University established by law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto, or who are Associate Member of the Institution of Engineers (India) in Electrical Engineering Branch or Mechanical Engineering Baranch and who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment : Provided that if suitable or eligible persons are not available for promotion under this clause the Vacancies may be filled from the source mentioned in Clause (ii).	

Substitution of rule 6

4. In the said rules, *for* existing rule 6 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Reservation– Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.	**Reservation**– Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other categories, shall be in accordance with the Act, and the Uttar Prdesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	and also in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Section Classes) Act, 2020 as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of recruitment.

5. In the said rules, *for* existing rule 10 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :– Substitution of rule 10

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Age–	**Age**–
A candidate for direct rrecruitment to the post must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than thirty two years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised :	A candidate for direct rrecruitment to the post must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:
Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Triebs and such other categories as may be notified by the Govenment from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

6. In the said rules, *for* existing rule 19 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :– Substitution of rule 19

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Probation–	**Probation**–
(1) A person substantively appointed to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two years.	(1) A person substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.
(2) The appointing authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted : Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year, and in no circumstances beyond two years.	(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.

1090 RPH 2024 (Lok Nirman Anubhg-4) Data 1e

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at end of the period of probation or extended period of probatoin that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, it any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.	(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.
(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.	(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
(5) The appointing authiority may allow continuous service rendered in a post, included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.	

Substitution of rule 22

7. In the said rules, *for* existing rule 22 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Scale of Pay–	**Scale of Pay**–
(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.	(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The scale of pay at the time of commencement of these rules are given as follows :– Assistant Engineer (Electrical/ Machanical) Rs. 2200-75-2800-E.B.-100-4000	(2) The scale of pay at the time of commencement of these rules are given as follows :– <table><tr><th>Name of Post</th><th>Scale of Pay</th></tr><tr><td>Assistant Engineer (Electrical/ Machanical)</td><td>Matrix Level-10 Rs. 56100-177500</td></tr></table>
Crossing of efficiency bar :–	

Omittion of rule 24

8. In the said rules, existing rule 24 shall be *omitted.*

By order,

AJAY CHAUHAN,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1090 राजपत्र–2024–(3023)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 लोक निर्माण–2024–(3024)–1,000 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–135(ग–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 3 अगस्त, 2023

श्रावण 12, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–1

———

संख्या 16 / 2023 / 732 / एक-1–2023-1-1099-34-2023

लखनऊ, 3 अगस्त, 2023

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–37

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 94 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 (जिसे "आगे उक्त" नियमावली कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 94 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
94(1)राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि के अर्जन के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन–	94(1)राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि के अर्जन के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन–
(क) दान अथवा औद्योगिक उद्देश्य हेतु; और	(क)पूर्त अथवा औद्योगिक उद्देश्य हेतु; और

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

(ख) रजिस्टर्ड समिति या कम्पनी या अन्य निगम या शैक्षणिक संस्थान या पूर्त संस्थान के पक्ष में; और

(ग) उसकी राय में सार्वजनिक हित में हो।

(2)यदि किसी विशेष प्रकरण में, कोई व्यक्ति धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि को अर्जित करना चाहता है, तो वह राजस्व विभाग में सचिव, राज्य सरकार को निम्नलिखित विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगाः–

(क) आवेदक का नाम एवं पता (यदि आवेदक विधिक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा/विवरण);

(ख) अर्जन की जाने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा;

(ग) व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे भूमि अर्जन की जानी है;

(घ) अर्जन की रीति (विक्रय, दान आदि);

(ङ) विक्रय प्रतिफल, यदि कोई हो;

(च) अर्जन का प्रयोजन;

(छ) कोई अन्य सूचना जो सुसंगत समझी जाय।

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पर राज्य सरकार जांच कर सकती है और यदि वह इस राय का हो कि धारा 89(3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूर्ण हैं, तो वह अपेक्षित अनुमति शर्तों या प्रतिबंधों के साथ अथवा उसके बिना दे सकती है।

(4) यदि राज्य सरकार धारा 89(3) के अन्तर्गत अनुमति देती है तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को भेजेगी।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ख) रजिस्टर्ड समिति या कम्पनी या अन्य निगम या शैक्षणिक संस्था या पूर्त संस्थान के पक्ष में; और

(ग) उसकी राय में सार्वजनिक हित में हो।

(2) यदि किसी विशेष प्रकरण में, कोई व्यक्ति धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि अर्जित करना चाहता है, तो वह राजस्व विभाग में सचिव, राज्य सरकार को निम्नलिखित विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगाः–

(क) आवेदक का नाम एवं पता (यदि आवेदक विधिक व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा/विवरण);

(ख) अर्जित किये जाने हेतु वांछित सम्पत्ति का ब्यौरा;

(ग) अर्जन की रीति (विक्रय, दान आदि);

(घ) विक्रय प्रतिफल, यदि कोई हो;

(ङ) अर्जन का प्रयोजन;

(च) कोई अन्य सूचना, जो सुसंगत समझी जाय।

(3) उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने पर राज्य सरकार जांच कर सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि धारा 89(3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूर्ण हैं तो वह अपेक्षित अनुमति, शर्तों या प्रतिबंधों के साथ अथवा उसके बिना दे सकती है।

(4) यदि राज्य सरकार धारा 89(3) के अधीन अनुमति देती है तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी।

परिशिष्ट–1 का संशोधन–

3–उक्त नियमावली में परिशिष्ट–1, में नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी विद्यमान प्रविष्टि 13 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दी गयी प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–1					स्तम्भ–2				
विद्यमान प्रविष्टि					एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि				
क्रम संख्या	धारा	वाद की प्रकृति आवेदन और कार्यवाही	सीमा अवधि	उपयुक्त न्यायालय शुल्क	क्रम संख्या	धारा	वाद की प्रकृति आवेदन और कार्यवाही	सीमा अवधि	उपयुक्त न्यायालय शुल्क
13	80(1)	उद्घोषणा के लिए आवेदन	शून्य	संहिता के नियम 85(2) के उपबन्धों के अनुसार	13	80(1)	उद्घोषणा के लिए आवेदन	शून्य	(उद्घोषणा रद्द करने के लिए आवेदन के संबंध में) क्रम संख्या 14 के समक्ष उचित न्यायालय शुल्क के रूप में उल्लिखित धनराशि

आज्ञा से,

सुधीर गर्ग,

अपर मुख्य सचिव।

575 RPH Rajswa-1, 2023 Data 7e

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 16/2023/732/ I-1–2023-1-1099-34-2023, dated August 3, 2023 :

No. 16/2023/732/ I-1–2023-1-1099-34-2023

Dated Lucknow, August 3 , 2023

IN exercise of the powers under section 233 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE
(FIFTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called Uttar Pradesh Revenue Code (Fifth Amendment) rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016 (hereinafter referred to as the "said rules"), *for* the existing rules 94 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
94.(1) The State Government may be a general or special order, authorise any person to acquire land in excess of the limits specified in section 89 (2), if such acquisition is-	94.(1) The State Government may be a general or special order, authorise any person to acquire land in excess of the limits specified in section 89 (2), if such acquisition is-
(a) for a charitable or industrial purpose; and	(a) for a charitable or industrial purpose; and
(b) in favour of a registered society or a company or other corporation or an educational institution or a charitable institution; and	(b) in favour of a registered society or a company or other corporation or an educational institution or a charitable institution; and
(c) in its opinion in public interest.	(c) in its opinion in public interest.
(2) If in any special case, any person wants to acquire land in excess of the limit specified in section 89(2), then he shall submit an application to the Secretary to the State Government, in the Revenue Department, specifying therein the following particulars:-	(2) If in any special case, any person wants to acquire land in excess of the limit specified in section 89(2), then he shall submit an application to the Secretary to the State Government, in the Revenue Department, specifying therein the following particulars:-
(a) Name and address of the applicant. (if the applicant is a juristic person, the detailed particulars of such person);	(a) Name and address of the applicant. (if the applicant is a juristic person, the detailed particulars of such person);
(b) The details of the property sought to be acquired;	(b) The details of the property sought to be acquired;
(c) The name and address of the person from whom the land is sought to be acquired;	(c) The mode of acquisition (sale, gift *etc*.);
(d) The mode of acquisition (sale, gift *etc*.);	(d) Sale consideration, if any;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(e) Sale consideration, if any;

(f) Purpose of acquisition;

(g) Any other information which may be considered relevant.

(3) On receipt of the application under sub-rule (2), the State Government may make an inquiry, and if it is of opinion that the conditions specified in section 89(3) are fulfilled, it may grant the requisite permission with or without any conditions or restrictions.

(4) If the State Government grants the permission under section 89(3), a copy therof shall be sent to the Collector of the district concerned.

(e) Purpose of acquisition;

(f) Any other information which may be considered relevant.

(3) On receipt of the application under sub-rule (2), the State Government may make an inquiry, and if it is of opinion that the conditions specified in section 89(3) are fulfilled, it may grant the requisite permission with or without any conditions or restrictions.

(4) If the State Government grants the permission under section 89(3), a copy therof shall be sent to the Collector of the district concerned.

Amendment of Appendix-I

3. In the said rules, in Appendix-I *for* the existing entry 13 set out in Column-1 below, the entry as set out in Column-2 shall be *subsituted*, namely:-

Column-1 *Existing entry*					Column-2 *Entry as hereby substituted*				
Sl. No.	Section	Nature of suit, application and proceedings	Period of limitation	Proper Court Fee	Sl. No.	Section	Nature of suit, application and proceedings	Period of limitation	Proper Court Fee
13	80(1)	Application for declaration	Nill	As per the provisi-ons of rule 85(2) of the code	13	80(1)	Application for declaration	Nill	Amount mentioned as proper Court fee against serial number 14 (regarding 'Application for cancellation of declaration)

By order,
SUDHIR GARG,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 575 राजपत्र–2023–(1777)=599 प्रतियां (क0 / टी0 / ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 राजस्व–2023–(1778)=500 प्रतियां (क0 / टी0 / ऑफसेट)।

575 RPH Rajswa-1, 2023 Data 7e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–77

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 26 अप्रैल, 2023

वैशाख 6, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3

———

संख्या 133 / 65-3–2023-01-2017

लखनऊ, 26 अप्रैल, 2023

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–12

चूँकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सम्भाव्य रूप में प्रभावित होने वाले समस्त संबंधित व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 का प्रारूप सरकारी अधिसूचना संख्या 26 / 65-3–2023-01-2017, दिनांक 03 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और, चूँकि, उक्त प्रारूप पर पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) की धारा 101 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में अंतिम रूप से प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

नियम 21 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है में नीचे स्तम्भ एक में दिये गये नियम–21 के उपनियम (1) के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ–दो (एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(ग) वह भर्ती वर्ष के 01 जनवरी को छप्पन वर्ष की आयु से कम न हो।	(ग) वह भर्ती वर्ष के 01 जनवरी को अधिकतम उनसठ वर्ष का न हो।

नियम 23 का संशोधन

2– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
23–(1) राज्य आयुक्त पदभार ग्रहण करने के दिनांक स तीन वर्ष की अवधि के लिये या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	23–(1) राज्य आयुक्त पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा। कोई व्यक्ति एक कार्यकाल के लिये ही राज्य आयुक्त के रूप में सेवा कर सकता है।
(2) कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अध्यधीन अधिकतम दो कार्यकाल के लिये राज्य आयुक्त के रूप में सेवा कर सकता है।	(2) निकाल दिया गया।

आज्ञा से,
हेमन्त राव,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 133/65-3-2023-01/2017, dated April 26, 2023:

No. 133/65-3-2023-01/2017
Dated April 26, 2023

Whereas the draft of the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities (Second Amendment) Rules, 2023 was published by Government notification no. 26/65-3-2023-01-2017 dated February 3, 2023 with a view to inviting objections and suggestions from all concerned likely to be affected thereby as required under sub-section (1) of section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act,2016;

AND WHEREAS objections and suggestions recieved in pursuance of the aforesaid notification on the said draft have been considered by the State Government .

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act no. 49 of 2016) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amaneding the Uttar Pradesh Rigths of Persons with Disabilities Rules, 2017:-

THE UTTAR PRADESH RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 21

2. In the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 (hereinafter referred to as the 'said rules'), *for* the existing clause (c) of sub-rule (1) of rule 21 set out in Column-I below, the clause as set out in column-II shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *(Existing rule)*	COLUMN-2 *(Clause as hereby substituted)*
(c) he is less than fifty-six years of age as on the 1st January of the year of recruitment;	(c) he is maximum fifty-nine years old as on 1st January of the year of recruitment;

Amendment of rule 23

3. In the said rules, *for* the existing rule 23 set out in Cloumn-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *(Existing rule)*	COLUMN-2 *(Rule as hereby substituted)*
23(1) The State Commissioner shall be appointed on full time basis for a period of three years from the date on which he assumes office, or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.	23(1) The State Commissioner shall be appointed on full time basis for a period of three years from the date on which he assumes office. A person may serve as State Commissioner for only one term.
(2) A person may serve as State Commissioner for a maximum of two terms, subject to the upper age limit of sixty-five years.	(2) *Omitted*

By order,
HEMANT RAO,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 256 राजपत्र–2023–(753)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 दिव्यांगजन सशक्तीकरण–2023–(754)–100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
256 RPH -2023 (Divyangjan Avam Sasktikaran 2021 folder) data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–69 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अप्रैल, 2023

चैत्र 23, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5

संख्या 940/पन्द्रह-5–2023-1600(279)-2021

लखनऊ, 13 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–20

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बार्ड नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2022

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी; संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998, में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 13 का संशोधन

स्तम्भ–1

विद्यमान व्यवस्था

नियम 13

13–**चयन किये गये अभ्यर्थियों के नामों की सूचना**–(1) निरीक्षक, पैनल की प्राप्ति के दस दिन के भीतर और नियम 12 के अधीन संस्था के आवंटन पर :–

(एक) इसे अपने कार्यालय के सूचना पट पर अधिसूचित करेगा;

(दो) चयन किए गये अभ्यर्थी का नाम संस्था के प्रबन्धतन्त्र को, जिसने रिक्ति को अधिसूचित किया है, ऐसे निदेश के साथ सूचित करेगा कि प्रबन्धतन्त्र के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर परिशिष्ट 'ब' में दिए गये निर्देश में अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाये, जिसमें उसे आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतन्त्र द्वारा उसे दी जाये, कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाये और उसे यह भी सूचित किया जाये कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके कार्यभार ग्रहण न करने पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(तीन) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ सूचना भेजेगा कि वह प्रबन्धतन्त्र से नियुक्ति का आदेश प्राप्त करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतन्त्र द्वारा उसे दी जाये, प्रबन्धक को अपनी उपस्थिति सूचित करे।

(2) प्रबन्धतन्त्र उपनियम (1) के अधीन दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा और इसके अनुपालन की सूचना निरीक्षक के माध्यम से बोर्ड को देगा।

स्तम्भ–2

प्रतिस्थापित व्यवस्था

नियम 13

13–**चयन किये गये अभ्यर्थियों के नामों की सूचना**–(1) निरीक्षक, पैनल की प्राप्ति के दस दिन के भीतर और नियम 12 के अधीन संस्था के आवंटन पर:–

(एक) इसे अपने कार्यालय के सूचना पट पर अधिसूचित करेगा;

(दो) चयन किए गये अभ्यर्थी का नाम संस्था के प्रबन्धतन्त्र को, जिसने रिक्ति को अधिसूचित किया है, ऐसे निदेश के साथ सूचित करेगा कि प्रबन्धतन्त्र के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर परिशिष्ट 'ङ' में दिए गये निदेश में अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाये, जिससे उसे आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतन्त्र द्वारा उसे दी जाये, कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाये और उसे यह भी सूचित किया जाये कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके कार्यभार ग्रहण न करने पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(तीन) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ सूचना भेजेगा कि वह प्रबन्धक से नियुक्ति का आदेश प्राप्त करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतन्त्र द्वारा उसे दी जाये, प्रबन्धक को अपनी उपस्थिति सूचित करे।

(2) प्रबन्धतन्त्र उपनियम (1) के अधीन दिए गए निदेशों का अनुपालन करेगा और इसके अनुपालन की सूचना निरीक्षक के माध्यम से बोर्ड/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को देगा।

स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
विद्यमान व्यवस्था	**प्रतिस्थापित व्यवस्था**
नियम 13	**नियम 13**
(3) जब उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर जैसा प्रबन्धतन्त्र इस निमित्त अनुमति दे, पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे या जहाँ, ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अन्यथा उपलब्ध न हो, वहाँ निरीक्षक, प्रबन्धतन्त्र के अनुरोध पर ऐसे नये अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम, जो पैनल से योग्यता क्रम में उसके बाद हो, भेजेगा और उसकी सूचना संयुक्त निदेशक और बोर्ड को देगा, और उपनियम (1) और (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।	(3) जहाँ उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर जैसा प्रबन्धतन्त्र इस निमित्त अनुमति दे, पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे या जहाँ, ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अन्यथा उपलब्ध न हो, वहाँ निरीक्षक, प्रबन्धतन्त्र के अनुरोध पर ऐसे नये अभ्यर्थियों के नाम उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से करेगा। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये अवशेष पैनल (25 प्रतिशत से अनधिक) से योग्यता क्रम में नाम निरीक्षक को भेजेगा और निरीक्षक उपनियम (1) के अधीन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार पैनल जारी करेगा।
(4) संयुक्त निदेशक अनुश्रवण (मानीटरिंग) करेगा और सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी संस्था में विनिर्दिष्ट समय में कार्यभार ग्रहण करें और इस प्रयोजन के लिये वह निरीक्षक को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा उचित समझे।	(4) संयुक्त शिक्षा निदेशक अनुश्रवण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी संस्था में विनिर्दिष्ट समय में कार्यभार ग्रहण करें और इस प्रयोजन के लिये वह निरीक्षक को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।
(5) जहाँ बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी रिक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए बोर्ड को अधिसूचित किसी अन्य रिक्ति के विरुद्ध, बोर्ड को संस्तुति करेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति प्राप्त होने पर बोर्ड अधिसूचित रिक्ति के विरुद्ध ऐसे अभ्यर्थी को, कोई दूसरी संस्था आवंटित करेगा।	(5) जहाँ बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी रिक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण न कर सका हो तो निरीक्षक ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए जिला में उसी वर्ष की प्रकाशित रिक्ति के सापेक्ष अधिसूचित किसी अन्य रिक्ति के सापेक्ष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को संस्तुति करेगा। निरीक्षक की संस्तुति प्राप्त होने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा जिला में उपलब्ध अन्य रिक्त पदों के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थी को, दूसरी संस्था आवंटित करेगा। यदि जिला में सम्बन्धित श्रेणी/विषय में रिक्ति न हो तो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक से प्राप्त उसी वर्ष की प्रकाशित रिक्ति के सापेक्ष अधिसूचित रिक्ति के सापेक्ष समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 940/XV-5-2023-1600(279)-2021, dated April 13, 2023 :

No. 940/XV-5-2023-1600(279)-2021

Dated Lucknow, April 13, 2023

IN exercise of the powers conferred by section 35 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 (U.P. Act no. 5 of 1982) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Rules, 1998.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2022

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Sixth Amendment) Rules, 2022;

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 13

2. In the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Rules, 1998, *for* existing rule 13 set-out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
13. **Intimation of names of selected candidates**–(1) The Inspector shall, within ten days of the receipt of the panel and the allocation of institution under rule 12,-	13. **Intimation of names of selected candidates**–(1) The Inspector shall, within ten days of the receipt of the panel and the allocation of institution under rule 12,-
(i) Notify it on the notice board of his office;	(i) Notify it on the notice board of his office;
(ii) Intimate the name of selected candidate to the management of the institution, which has notified the vacancy, with the direction that, on authorization under resolution of the management, an order of appointment, in the proforma given in Appendix 'E' be issued to the candidate by registered post within fifteen days of the receipt of the intimation requiring him to join duty within fifteen days of the receipt of the order or within such extended time, as may be allowed to him by the management, and also intimating him that on his failure to join within the specified time, his appointment will be liable to be cancelled;	(ii) Intimate the name of selected candidate to the management of the institution, which has notified the vacancy, with the direction that, on authorization under resolution of the management, an order of appointment, in the proforma given in Appendix 'E' be issued to the candidate by registered post within fifteen days of the receipt of the intimation requiring him to join duty within fifteen days of the receipt of the order or within such extended time, as may be allowed to him by the management, and also intimating him that on his failure to join within the specified time, his appointment will be liable to be cancelled;
(iii) Send an intimation to the candidate, referred to in clause (ii), with the direction to report to the Manager within fifteen days of the receipt of the order of appointment by him from the manager or within such extended time as may be allowed to him, by the management.	(iii) Send an intimation to the candidate, referred to in clause (ii), with the direction to report to the Manager within fifteen days of the receipt of the order of appointment by him from the manager or within such extended time as may be allowed to him, by the management.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

COLUMN-1	COLUMN-II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(2) The management shall comply with the directions given under sub-rule (1) and report compliance thereof to the Board through the Inspector.	(2) The management shall comply with the directions given under sub-rule (1) and report compliance thereof to the Board/Director of Secondary Education through the Inspector.
(3) Where the candidate, referred to in sub-rule (1), fails to join the post within the time allowed in the letter of appointment or within such extended time as the management may allow in this behalf or where such candidate is otherwise not available for appointment the Inspector may, on the request of the Management, intimate fresh name or names standing next in order of merit on the panel, under intimation to the Joint Director and the Board, and the provisions of sub-rules (1) and (2) shall *mutandis* apply.	(3) Where the candidate, referred to in sub-rule (1), fails to join the post within the time allowed in the letter of appointment or within such extended time as the management may allow in this behalf or where such candidate is otherwise not available for appointment. The Inspector, on the request of the Management, shall request the Director of Secondary Education to provide the - name of such new candidates. The Director of Secondary Education will send the names of the remaining panels (not more than 25 per cent) provided by the Board to the Inspector in order of merit and the Inspector shall issue the panel according to the instructions given by the Director of Secondary Education and under sub-rule (1).
(4) The Joint Director shall monitor and ensure that the candidates selected by the Board join the institution in the specified time and for this purpose, he may issue such directions to the Inspector as he thinks proper.	(4) The Joint Director of Education shall monitor and ensure that the candidates selected by the Board join the institution in the specified time and for this purpose, he may issue such directions to the Inspector as he thinks proper.
(5) Where a candidate selected by the Board could not join in an allotted institution due to non-availability of vacancy or for any other reason, the District Inspector of School shall recommend to the Board for adjustment of such candidate against any other vacancy notified to the Board in any institution. On receipt of the recommendation of the District School Inspector the Board shall allocate such candidate to another institution in a vacancy notified to the Board.	(5) Where a candidate selected by the Board could not join in an allotted institution due to non-availability of vacancy or for any other reason, than the Inspector shall recommend to the Director of Secondary Education against any other vacancy notified against published vacancy of same year in the district for adjustment of such candidate. On receipt of the recommendation of the Inspector the Director of Scondary Education shall allot another institution to such a candidate against other vacant

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
	posts available in the district. If there is no vacancy in the concerned category/subject in the District, adjustment action will be taken by the Director of Secondary Education against the vacancy notified against published vacancy of same year received from the Joint Director of Education.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 418 राजपत्र–2023–(1360)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 शिक्षा–2023–(1361)–100 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

418 RPH 2023 (Maddyamik Siksha Niyamawali-5) data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

म-संख्या–49 (क–3)

रजिस्ट्रेशन नं०–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 20 मार्च, 2023

फाल्गुन 29, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य सम्पत्ति विभाग

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1

संख्या ई0 917/बत्तीस-1–2023-02-2021

लखनऊ, 20 मार्च, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–8

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा नियमावली, 2023

भाग–एक

सामान्य

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं। — सेवा की प्रास्थिति

3–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:– — परिभाषाएं

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश से है;

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ङ) ''संविधान'' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है;

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(झ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा से है;

(ट) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों, तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ठ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई हैः–

परन्तु यह किः–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं; जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती हैं, जितना वह उचित समझें।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः–

(एक) **स्वागती**

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) **वरिष्ठ स्वागती**

मौलिक रूप से नियुक्त स्वागतियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(तीन) **मुख्य स्वागती**

मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ स्वागतियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को उस पद पर पाँच वर्ष की सेवा अथवा स्वागती और वरिष्ठ स्वागती के रूप में कुल बारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 एवं भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा। आरक्षण

भाग—चार

अर्हताएं

7–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः– राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिदेशक या अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता अर्जित कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, को किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–सेवा में स्वागती के पदों पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है; शैक्षणिक अर्हता

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि;

(दो) हिन्दी और अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने तथा वार्तालाप करने की पूर्ण योग्यता और इसके लिए उससे इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

9–ऐसे अभ्यर्थी, जिसनेः– अधिमानी अर्हता

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

आयु

10—सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का ऐसा चरित्र होना आवश्यक है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हों।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी, कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड—दो भाग—तीन के अध्याय—तीन में अन्तर्विष्ट फण्डामेण्टल रूल—10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए किसी अभ्यर्थी से चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण—पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग—पाँच

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को भी अवधारित करेगा और उसे आयोग को सूचित करेगा।

स्वागती के पदों हेतु आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15—सेवा में स्वागती के पद पर सीधी भर्ती, समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह ''ग'' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।

वरिष्ठ स्वागती और मुख्य स्वागती के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16—पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिए गए मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी :— चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने हेतु अधिकारियों का नामनिर्देशन समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन कृत आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति/पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाएं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसा उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17–(1) नियम 16 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम, उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आए हों, नियुक्ति करेगा।

परिवीक्षा

18–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

19–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

20–सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

भाग—सात

वेतन इत्यादि

वेतनमान

21—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान, ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय;

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिए गए हैं :—

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान
1	2	3
1	स्वागती	वेतन मैट्रिक्स रू0 25,500—81,100 लेवल—4
2	वरिष्ठ स्वागती	वेतन मैट्रिक्स रू0 29,200—92,300 लेवल—5
3	मुख्य स्वागती	वेतन मैट्रिक्स रू0 35,400—1,12,400 लेवल—6

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22—(1) फण्डामैण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समय—मान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग—आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23—सेवा के किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक हों, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य मामलों का विनियमन

24—ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों से आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सामान्यतया सरकारी सेवकों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

25—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

26–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो। व्यावृत्ति

परिषिष्ट

[नियम 4 (2) देखें]

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या		योग
		स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5
1	स्वागती	10	04	14
2	वरिष्ठ स्वागती	09	..	09
3	मुख्य स्वागती	06	..	06
	योग	**25**	**04**	**29**

आज्ञा से,
एस0 पी0 गोयल,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. E-917/XXXII-1-2023-2-2021, dated March 20, 2023 :

No. E-917/XXXII-1-2023-2-2021

Dated Lucknow, March 20, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Estate Department Swagati Cadre Service.

THE UTTAR PRADESH ESTATE DEPARTMENT SWAGATI CADRE SERVICE RULES, 2023

PART-I

GENERAL

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Estate Department Swagati Cadre Service Rules, 2023. Short title and Commencement

(2) They shall come into force at once.

2. The Uttar Pradesh Estate Department Swagati Cadre Service is a service comprising of Group 'C' posts. Status of the Service

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :- Definitions

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(b) ''Appointing Authority'' means the Rajya Sampatti Adhikari, Uttar Pradesh;

(c) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(d) "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;

(e) "Constitution" means the Constitution of India;

(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) ''Member of the Service'' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(i) "Other Backward Classes of Citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(j) "Service" means the Uttar Pradesh Estate Department Swagati Cadre Service;

(k) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(l) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a Calendar Year.

PART –II

CADRE

Cadre of service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such, as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given in the Appendix :-

Provided that:-

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he/she may consider proper.

PART-III

RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in service shall be made from the following sources:-

(I) Swagati

by direct recruitment through the Commission.

(II) Varishtha Swagati

by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Swagati who have completed seven years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(III) Mukhya Swagati

by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Varishtha Swagati who have completed five years service on that post or a total length of service twelve years in respect of Swagati and Varishtha Swagati as such, on the first day of the year of recruitment.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Section) Act, 2020 as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. Reservation

PART-IV

QUALIFICATIONS

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be: Nationality

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Director General or the Additional Director General of Police, heading the Intelligence Branch of Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE :– A candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. A candidate for direct recruitment to the posts of Swagati in the service must possess the following qualifications:- Academic Qualification

(i) A bachelor's degree from a university established by law in India;

(ii) To have full ability to read, write and communicate in Hindi and English and for this he should have passed the Intermediate Examination with Hindi and English subjects.

9. A candidate who has:- Preferential Qualification

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years , or

(ii) Obtained a "B" certificate of National Cadet Corps.

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised: Age

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule-10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume-II, Part-III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

Procedure for Direct recruitment through the commission for the posts of Swagati

15. Direct Recruitment to the Swagati in the Service shall be made in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group "C" Posts (Mode and Procedure)Rules, 2015 as amended from time to time.

Procedure for recruitment by promotion for the posts of Varishtha Swagati and Mukhya Swagati

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE :– Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986 as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidate also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

PART-VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 16 the appointing authority shall make appointment, by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 or 16, as the case may be.

Probation

18. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation, that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

19. (1)Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules, declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

20. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII

PAY *Etc.*

Scales of pay

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such, as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as given below:

Sl. No.	Name of Post	Scale of Pay
1	2	3
1	Swagati	Pay Matrix Rs. 25,500-81,100 Level-4
2	Varishtha Swagati	Pay Matrix Rs. 29,200-92,300 Level-5
3	Mukhya Swagati	Pay Matrix Rs. 35,400-1,12,400 Level-6

Pay during probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post of service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulations of other matters

24. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation from the conditions of Service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

26. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX

[*See* rules 4(2)]

Sl. No.	Name of post	Number of posts		Total
		Permanent	Temporary	
1	2	3	4	5
1	Swagati	10	04	14
2	Varishtha Swagati	09	--	09
3	Mukhya Swagati	06	--	06
	Total	25	04	29

By order,

S. P. GOYAL,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1276 राजपत्र–2023–(2135)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 राज्य सम्पत्ति–2023–(2136)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1276 RPH 2023 (Rajya Sampatti Anu-1) data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या—199 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 10, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग—9

संख्या 1959/एक-9—2023-1(एस0)-2017

लखनऊ, 1 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—45

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :—

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2003 में नियम 5 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (दो) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
विद्यमान उपनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(दो) (क) इकतालीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(क) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(ख) नौ प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे राजस्व निरीक्षकों में से, जिनके मूल मौलिक पद रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/भू–लेख लिपिक थे और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/भू–लेख लिपिक के रूप में दो वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि उपर्युक्त उपखण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट उपबंध ऐसे समय तक जारी रहेंगे जब तक कि रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/भू–लेख लिपिकों की उपलब्धता पूर्णतः समाप्त न रह जाय और तत्पश्चात् नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु पचास प्रतिशत कोटा को मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।	

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1959/One-9–2023-1(S)-2017, dated December 1, 2023 :

No. 1959/One-9–2023-1(S)-2017

Dated Lucknow, December 1, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Niab-Tehsildars) Service Rules, 2023.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE REVENUE EXECUTIVE (NIAB-TEHSILDARS) SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Niab-Tehsildars) Service (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

2. In The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Niab-Tehsildars) Service Rules, 2003, in rule 5, *for* existing sub-rule (ii) set out in Coloumn-1 below, the sub-rule as set out in Coloumn-2 shall be *substituted*, namely :– Amendment of rule 5

COLOUMN-1	COLOUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(ii) (a) forty one per cent by promotion through the commission from amongst substantively appointed Rajaswa Nirikshaks who have completed two years service as such on the first day of the year of the recruitment. (b) Nine per cent by promotion through the commission from amongest such substantively appointed Rajaswa Nirikshaks whose original substantive posts were Registrar Kanungo/Assistant Registrar Kanungo/Land record clerk and who have completed two years service as Registrar Kanungo/Assistent Rregistrar Kanungo/Land record clerk/ Rajaswa Nirikshaks on the first day of the year of recruitment : Provided that the provisions referred to in sub-clause (a) and (b) above shall continue till such time the availability of Registrar Kanungo/assistant Registrar Kanungo/Land record clerk is fully exhausted and, thereafter, the fifty percent quota for promotion to the post of Naib-Tehsildar shall be filled by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Rajaswa Nirikshaks who have completed two year service as such on the first day of the year of recruitment.	(ii) fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Rajaswa Nirikshaks who have completed two years service as such on the first day of the year of the recruitment.

By order,
SUDHIR GARG,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 796 राजपत्र–2023–(2274)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 राजस्व–2023–(2275)–600 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–118 (ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-
डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 जुलाई, 2023

आषाढ़ 19, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–3

―――――

संख्या 90/2023/1924/तीस-3–2023

लखनऊ, 10 जुलाई, 2023

―――――

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–29

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 में नीचे स्तंभ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

<u>स्तम्भ–1</u>	<u>स्तम्भ–1</u>
विद्यमान नियम	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
5–(1) सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-	5–(1) सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-
(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–1 **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(दो) निम्नवत मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,–	(दो) निम्नवत मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,–
(क) मुख्यालय से 20 प्रतिशत (20%)	(क) मुख्यालय से 20 प्रतिशत (20%)
(क) उन्नीस प्रतिशत, मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो:	(क) सोलह दशमलव छः सात (16.67%) प्रतिशत, मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो:
परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में, पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।	परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष में, पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।
(ख) एक प्रतिशत मुख्यालय पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(ख) तीन दशमलव तीन तीन (3.33%) प्रतिशत मुख्यालय पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो:
	परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष में, पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।
(ख) आंचलिक/क्षेत्रीय /उप क्षेत्रीय कार्यालयों से (30%) ।	(ख) आंचलिक / क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों से (30%) ।
(क) अट्ठाइस प्रतिशत, आंचलिक। कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो:	(क) पच्चीस प्रतिशत (25%), आंचलिक कार्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो:
परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में, प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों को, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।	परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष में, प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों को, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–1 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(ख) पांच प्रतिशत (05%), मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी- एक में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो: परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष में, पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।
(2) यदि प्रशासनिक अधिकारियों या प्रधान सहायकों में से कोई कनिष्ठ व्यक्ति पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उसका ज्येष्ठ व्यक्ति भी इस बात के होते हुये भी सम्मिलित किया जायेगा कि उसने स्वयं अपेक्षित अवधि की सेवा नहीं की है।	(2) यदि प्रशासनिक अधिकारियों या प्रधान सहायकों और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक या वैयक्तिक सहायक श्रेणी-दो में से कोई कनिष्ठ व्यक्ति पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति भी इस बात के होते हुये भी सम्मिलित किया जायेगा कि उसने स्वयं अपेक्षित अवधि की सेवा नहीं की है।

आज्ञा से,
एल० वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 90/2023/1924/XXX-3–2023, dated July 10, 2023 :

No. 90/2023/1924/XXX-3–2023

Dated Lucknow, July 10, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service Rules, 1980.

THE UTTAR PRADESH TRANSPORT TAXATION (SUBORDINATE) SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service (Second Amendment) Rules, 2023

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Transport Taxation (Sabordinate) Service Rules, 1980 *for* existing rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be

substituted, namely:-

COLUMN 1 *Existing rule*	COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
5. (1) Recruitment to the posts in the service shall be made from the following sources:–	5. (1) Recruitment to the posts in the service shall be made from the following sources:–
(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission.	(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission.
(ii) By promotion through the Commission from amongst substantively appointed persons as below,–	(ii) By promotion through the Commission from amongst substantively appointed persons as below,–
(A) Twenty percent from Head Quarter (20%)	(A) Twenty percent from Head Quarter (20%)
(a) Nineteen percent from amongst Administrative Officers of Head Quarter who have completed two years of service as such on the first day of the year of recruitment:	(a) Sixteen point Six Seven (16.67) percent from amongst Administrative Officers of Head Quarter who have completed two years of service as such on the first day of the year of recruitment:
Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Administrative Officer are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Head Assistants who have completed seven years service on the first day of year of recruitment.	Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Administrative Officer are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Head Assistants who have completed seven years service on the first day of year of recruitment.
(b) One percent from amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-1 posted at Head Quarter who have completed two years of service as such on first day of the year of recruitment.	(b) Three point three three (03.33) percent from amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-1 posted at Head Quarter who have completed two years of service as such on first day of the year of recruitment:
	Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Personal Assistant Grade-1 are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Personal Assistant Grade-2 who have completed seven years service on the first day of year of recruitment.
(B) From Zonal/Regional/Sub-Regional Offices (30%)	(B) From Zonal/Regional/Sub-Regional Offices (30%)
(a) Twenty eight percent from amongst Administrative Officers of Zonal offices who have completed two years service as such on first day of the year of recruitment:	(a) Twenty five (25) percent from amongst Administrative Officers of Zonal offices who have completed two years service as such on first day of the year of recruitment:
Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Administrative Officer are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Head Assistants who have completed seven years service on the first day of year of recruitment.	Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Administrative Officer are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Head Assistants who have completed seven years service on the first day of year of recruitment.

COLUMN-1	COLUMN-2

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(b) Two percent from amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-1 who have completed two years of service as such on first day of the year of recruitment.	(b) Five (5) percent from amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-1 who have completed two years of service as such on first day of the year of recruitment: Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Personal Assistant Grade-1 are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Personal Assistant Grade-2 who have completed seven years service on the first day of year of recruitment.
(2) If amongst Administrative Officer or Head Assistant, a junior person is included in the field of eligibility his senior shall also be included notwithstanding the fact that he himself has not put in the requisite period of service.	(2) If amongst Administrative Officer or Head Assistant and Personal Assistant Grade-1 or Personal Assistant Grade-2 a junior person is included in the field of eligibility his senior shall also be included notwithstanding the fact that he himself has not put in the requisite period of service.

By order,
L. VENKATESHWAR LU,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 451 राजपत्र–2023–(1470)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 सा0 परिवहन–2023–(1471)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

451 RPH 2023 (Parivahan anu-3) data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–1 (क-2)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू० / एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 08 जनवरी, 2024 ई0

(पौष 18, 1945 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-3271(ए)/नौ-अल्कोहल/1046/2023-2024

प्रयागराज, दिनांक 08 जनवरी, 2024 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0–2

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश गजट में यथा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-7410 दो-931, दिनांक 15 जून, 1961 द्वारा द्राक्षासवनी चलाने के लिये लाइसेंसों से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी नियमावली, 1961 में संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

2. नियम-2-का संशोधन– उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी नियमावली, 1961 में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2. परिभाषायें- जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में-	2. परिभाषायें- जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-
(क) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है;	(क) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है;
(ख) "फोर्टिफिकेशन" का तात्पर्य वाइन या मस्ट में, उन्हें खट्टा होने से बचाने के लिये ब्रांडी या कोई उदासीन स्प्रिट मिलाने से है;	(ख) "फोर्टिफिकेशन" का तात्पर्य वाइन या मस्ट में, उन्हें खट्टा होने से बचाने के लिये ब्रांडी या कोई उदासीन स्प्रिट मिलाने से है;
(ग) "लीज" का तात्पर्य किण्वन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात वाइन के निचोड़ने पर बचे अवशेष से है;	(ग) "लीज" का तात्पर्य किण्वन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात वाइन के निचोड़ने पर बचे अवशेष से है;
(घ) "मस्ट" का तात्पर्य किण्वन से पूर्व वाइन बनाने के लिये फूलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों जो स्वापक एवं मन: प्रभावी न हों, के रस या गूदों और कुचले अंगूरों के रस अथवा गूदे से है और जिसमें वाइन के उत्पादन के लिए किसी अन्य फल का रस एवं गूदा भी सम्मिलित है।	(घ) "मस्ट" का तात्पर्य किण्वन से पूर्व वाइन बनाने के लिये फूलों, सब्जियों, गैर स्वापक (गैर मन: प्रभावी) जड़ी बूटियों के रस या गूदों और कुचले अंगूरों के रस अथवा गूदे से है और जिसमें वाइन के उत्पादन के लिए किसी अन्य फल का रस एवं गूदा भी सम्मिलित है;
(ङ) "प्रभारी अधिकारी" से तात्पर्य द्राक्षासवनी में पर्यवेक्षण कार्य के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा नियुक्त आबकारी निरीक्षक अथवा सम्बन्धित निरोधक क्षेत्र के प्रभारी आबकारी निरीक्षक से है।	(ङ) "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य द्राक्षासवनी में पर्यवेक्षण कार्य के प्रयोजनार्थ आबकारी आयुक्त द्वारा इस रूप में नियुक्त आबकारी निरीक्षक अथवा सम्बन्धित निवारक सर्किल के प्रभारी आबकारी निरीक्षक से है;
(च) "द्राक्षासवक" का तात्पर्य द्राक्षासवनी को चलाने के लिये लाइसेंस के धारक व्यक्ति से है;	(च) "द्राक्षासवक" का तात्पर्य किसी वाइन विनिर्माणशाला को चलाने के लिये लाइसेंस धारक व्यक्ति से है;
(छ) "द्राक्षासवनी" का तात्पर्य वाइन की निर्माणशाला से है;	(छ) "द्राक्षासवनी" का तात्पर्य किसी वाइन विनिर्माणशाला से है;
(ज) "वाइन" का तात्पर्य फूलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों जो स्वापक एवं मन: प्रभावी न हों, के रस या गूदे और अंगूर के रस या गूदे या किसी अन्य फल के रस या गूदे के अल्कोहल युक्त किण्वन से प्राप्त उत्पादज जो प्राकृतिक हो अथवा दृढ़ीकृत हो, और जिसमें अल्कोहल युक्त अन्तर्वस्तु 24 प्रतिशत वी/वी से अधिक न हो, से है। वाइन में चीनी, मधु और या पानी मिश्रित हो सकता है;	(ज) "वाइन" का तात्पर्य फूलों, सब्जियों, गैर स्वापक (गैर-मन: प्रभावी) जड़ी बूटियों के रस या गूदे और अंगूर के रस या गूदे या किसी अन्य फल के रस या गूदे के अल्कोहल युक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद जो प्राकृतिक हो अथवा दृढ़ीकृत हो, जिसमें अल्कोहल युक्त अन्तर्वस्तु 24 प्रतिशत वी/वी से अधिक न हो, से है। वाइन में चीनी, मधु और/या पानी मिश्रित हो सकता है। **वाइन का तात्पर्य साइडर, शेरी और पेरी से भी है जो इसमें सम्मिलित हैं।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(झ) "यंग वाइन" का तात्पर्य लीज के हटाये जाने के तत्काल बाद प्राप्त किण्वित अपरिष्कृत वाइन से है;	(झ) "यंग वाइन" का तात्पर्य लीज के हटाये जाने के तत्काल पश्चात प्राप्त किण्वित अपरिष्कृत वाइन से है;

आज्ञा से,
सैंथिल पांडियन सी0,
आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 3271(A)/IX-Alcohol-1046/2023-24

Prayagraj, dated: January 08, 2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Vintnery Rules, 1961 regarding licences for working vintnery as published in the Uttar Pradesh Gazette vide Notification no. 7470/II-931 dated June 15, 1961 as amended from time to time:

THE UTTAR PRADESH VINTNERY (THIRD AMENDMENT) RULES, 2023

1. Short title and Commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Vintnery (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendement of rule-2– In the Uttar Pradesh Vintnery Rules, 1961 for the existing rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
2. Definitions- In these rules, unless there is anything repugnent in the subject or context,	**2. Definitions-** In these rules, unless there is anything repugnent in the subject or context,—
(a) " Excise Year" means the period from April one to March thirty-one following;	(a) "Excise Year" means the period from April one to March thirty-one following;
(b) "Fortification" means the addition of brandy or some neutral spirit to wine or to the must, for preventing wine from turning sour"	(b) "Fortification" means the addition of brandy or some neutral spirit to wine or to the must, for preventing wine from turning sour"
(c) "Lees" means the residue left on straining off wine after completion of the process of fermentation;	(c) "Lees" means the residue left on straining off wine after completion of the process of fermentation;
(d) “Must” means the juice or pulp of flowers, vegetables, non-narcotic (non-psychotropic) herbs and crushed grapes as expressed for wine making before fermentation thereof and includes the juice or pulp of any other fruit for production of wine;	(d) “Must” means the juice or pulp of flowers, vegetables, non-narcotic (non-psychotropic) herbs and crushed grapes as expressed for wine making before fermentation thereof and includes the juice or pulp of any other fruit for production of wine;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(e) "Officer-in-Charge" means the Excise Inspector appointed as such by the Excise Commissioner or the Excise Inspector in-charge of the concerned preventive circle for the purpose of supervising work in a vintnery;	(e) "Officer-in-Charge" means the Excise Inspector appointed as such by the Excise Commissioner or the Excise Inspector in-charge of the concerned preventive circle for the purpose of supervising work in a vintnery;
(f) "Vintner" means a person licensed to work a wine-manufactory;	(f) "Vintner" means a person licensed to work a wine-manufactory;
(g) "Vintnery" means a wine-manufactory;	(g) "Vintnery" means a wine-manufactory;
(h) “Wine” means the product obtained on alcoholic fermentation of juice or pulp of flowers, vegetables, non-narcotic (non-psychotropic) herbs, grape juice or pulp or juice of any other fruit, natural or fortified, the alcoholic content whereof does not exceed 24 percent by volume (24%v/v). Wine may contain added sugar, honey, and/or water;	(h) “Wine” means the product obtained on alcoholic fermentation of juice or pulp of flowers, vegetables, non-narcotic (non-psychotropic) herbs, grape juice or pulp or juice of any other fruit, natural or fortified, the alcoholic content whereof does not exceed 24 percent by volume (24%v/v). Wine may contain added sugar, honey, and/or water. **Wine also means and includes Cider, Sherry and Perry.**
(i) "Young Wine" means the fermented unmatured wines product obtained immediately after straining off the lees.	(i) "Young Wine" means the fermented unmatured wines product obtained immediately after straining off the lees.

By order,
Senthil Pandian C.,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-12 असाधारण गजट-19.01.2024-502 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

म-संख्या–112

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 जून, 2023

आषाढ़ 9, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायतीराज अनुभाग–2

————

संख्या 1546 / 33-2–2023

लखनऊ, 30 जून, 2023

————

अधिसूचना

सा0प0नि0–22

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 44 के साथ पठित धारा 237 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों में अधिशासी अभियंता के पद पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) [अधिशासी अभियंता (सिविल) केंद्रीय संक्राम्य संवर्ग] सेवा नियमावली, 2023

भाग- एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) [अधिशासी अभियंता (सिविल) का केंद्रीय (संक्राम्य) संवर्ग] सेवा नियमावली, 2023 कही जाएगी;

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में-

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ख) ''संवर्ग'' का तात्पर्य नियम 3 के अधीन सृजित अधिशासी अभियंता (सिविल) के केंद्रीय संक्राम्य संवर्ग से है;

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(ग) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(घ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ङ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य उच्चतर सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त सेवा के सदस्य से है;

(च) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) [अधिशासी अभियंता (सिविल) केंद्रीय (संक्राम्य) संवर्ग] से है;

(छ) ''चयन समिति'' का तात्पर्य नियम 8 के अधीन गठित चयन समिति से है;

(ज) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा संवर्ग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त न हों, और इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय चयन हेतु विहित प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो;

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग- दो

संवर्ग और सदस्य संख्या

संवर्ग का सृजन

3-जिला पंचायतों में अधिशासी अभियंता (सिविल) पद के लिये एक केंद्रीय संक्राम्य संवर्ग सृजित किया जायेगा।

सदस्य संख्या

4-(1) नियम 3 के अधीन सृजित संवर्ग की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय,

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिर्वतन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या निम्नलिखित होगी :-

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1	अधिशासी अभियंता (सिविल) (जिला पंचायत प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, सीतापुर एवं हरदोई हेतु)	05

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो, या

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती हैं, जितना वह उचित समझे।

भाग- तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5-संवर्ग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी**;**

अधिशासी अभियंता (सिविल) -मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अभियंताओं, जिन्होने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षाण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग- चार

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

7-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या (नियम 6 के अधीन आरक्षण के अनुसार) अवधारित करेगा, और इसकी सूचना चयन समिति को देगा।

भर्ती की प्रक्रिया

8-(1) जिला पंचायतों में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर भर्ती, अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर निम्नानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जाएगी :-

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

एक	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
दो	सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो;	सदस्य
तीन	सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो;	सदस्य
चार	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो;	सदस्य
पॉच	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुकत सचिव के सतर से नीचे का न हो।	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली, 1986 के अनुसार जिला पंचायतों में कार्यरत अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची से एक पात्रता सूची तैयार करेगा, और उसे चयन समिति के समक्ष, उनसे सम्बन्धित चरित्र पंजिकाओं के साथ रखेगा, जिन्हें वह उचित समझे,

(3) चयन समिति उपनियम दो में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और चयनित अभ्यर्थियों की उनकी ज्येष्ठता क्रम में एक सूची जैसा कि वह उस संवर्ग में हो जिससे उसकी पदोन्नति की जानी हो, तैयार करेगी। चयन समिति उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग- पॉच

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता और स्थानांतरण

नियुक्ति

9-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम-8 के अधीन तैयार की गई सूची में हों;

(2) यदि एक साथ एक से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी हो तो आदेश में अभ्यर्थियों का ज्येष्ठता क्रमांक वही होगा जो चयन समिति द्वारा जारी सूची में है।

नियुक्तियाँ अधिसूचित की जाएंगी

10-इस नियमावली के अधीन की गई समस्त नियुक्तियाँ गजट में अधिसूचित की जाएंगी।

परिवीक्षा

11-(1) संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुकत किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वैयक्तिक मामलों में ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिस दिनांक तक परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जानी हो; परंतु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी;

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं;

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम 3 के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाए या उसकी सेवाएं समाप्त की जाए, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

12-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि,

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय और उसकी, सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, और

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

13-संवर्ग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम में जिसमें उसके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हों, अवधारित की जाएगी।

तैनाती और स्थानांतरण

14-सरकार, अधिशासी अभियंताओं को जिला पंचायत प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ, सीतापुर एवं हरदोई में से किसी जिला पंचायत में तैनात कर सकती है, और उन्हें, उक्त पॉच जिला पंचायतों में से किसी भी जिला पंचायत में स्थानांतरित कर सकती है।

भाग- छ:

वेतनमान

वेतनमान

15-(1) संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वही होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये;

(2) इस नियमावली के अनुसार अधिशासी अभियंता (सिविल) का वेतनमान निम्नवत् होगा:-

पद का नाम	वेतनमान (रूपये)
अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	रू0 67,700- 2,08,700 (लेवल-11)

परिवीक्षा अवधि में वेतन

16-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को वेतनमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, प्रशिक्षण, जहाँ विहित हो, प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि सेवा के दो वर्ष पश्चात तभी दी जाएगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जाएगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

भाग- सात

अन्य उपबंध

पक्ष समर्थन

17-इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश, चाहे लिखित हो या मौखिक पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास नियुक्ति के लिए उसे अनर्ह कर देगा।

अन्य मामलों का विनियमन

18-इस नियमावली या विशेष आदेशों से विनिर्दिष्ट रूप से अनाच्छादित मामलों में संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

नियमों में शिथिलीकरण

19-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई उत्पन्न होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

20-इस नियमावली की किसी बात का प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1546/ XXXIII-2–2023, dated June 30 , 2023 :

No. 1546/ XXXIII-2–2023

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Dated Lucknow, June 30, 2023

IN exercise of the powers under section 237 read with section 44 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961), the Governor is pleased to make the following rules to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the post of Executive Engineer in Zila Panchayats of Uttar Pradesh.

UTTAR PRADESH (ZILA PANCHAYAT) [EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL) CENTRAL (TRANSFERABLE) CADRE] SERVICE RULES, 2023

PART-I

GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh (Zila Panchayat) [Executive Engineer (Civil) Central (Transferable) Cadre] Service Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Definitions

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context–

(a) **"appointing authority"** means the Governor;

(b) **"cadre"** means the Central Transferable Cadre of Executive Engineer (Civil) created under rule 3;

(c) **"Government"** means the State Government of Uttar Pradesh;

(d) **"Governor"** means the Governor of Uttar Pradesh;

(e) **"member of the service"** means a member of the service substantively appointed under these rules or the rules or orders in force before the commencement of these rules, to a post in the cadre of the higher service;

(f) **"service"** means the Uttar Pradesh (Zila Panchayat) [Executive Engineer (Civil) Central (Transferable) Cadre] Service;

(g) **"selection committee"** means the selection committee constituted under rule 8;

(h) **"State"** means the State of Uttar Pradesh;

(i) **"substantive appointment"** means appointment to the post of Executive Engineer (Civil) in the cadre of service, not being an *ad hoc* appointment or on deputation, made after selection in accordance with these rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for selection for the time being by way of executive orders issued by the Government;

(j) **"year of recruitment"** means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II

CADRE AND NUMBER OF MEMBERS

Creation of Cadre

3. A central transferable cadre for the post of Executive Engineer (Civil) in Zila Panchayats shall be created.

Number of members

4. (1) The strength of cadre of members created under rule 3 shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of members of service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:-

S. No.	Designation	Number of posts
1	Executive Engineer (Civil) (for Zila Panchayat Prayagraj, Jaunpur, Azamgarh, Sitapur and Hardoi)	05

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

(a) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(b) the Governor may create such additional, permanent or temporary posts, as he may deem fit.

PART-III

RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the posts of Executive Engineer (Civil) in the cadre shall be made from the following sources:

Executive Engineer (Civil)–By promotion from amongst the substantively appointed Engineers who have completed seven years of service on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Government orders in force at the time of recruitment.

PART-IV

PROCEDURE OF RECRUITMENT

Concept of vacancies

7. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies (as per reservation under rule 6) to be filled during the course of the year of recruitment, and shall inform about the same to the Selection Committee.

Procedure of Recruitment

8. (1) Recruitment to the post of Executive Engineer (Civil) in Zila Panchayats shall be made, after rejecting unfit candidates, on the basis of seniority by way promotion, through a Selection Committee constituted as follows:-

i.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Uttar Pradesh	Chairman
ii.	Secretary, Personnel Department, Government of Uttar Pradesh or a person nominated by him who shall not be below the rank of Joint Secretary	Member
iii.	Secretary, Social Welfare Department, Government of Uttar Pradesh or a person nominated by him who shall not be below the rank of Joint Secretary	Member
iv.	Director, Panchayati Raj Department, Government of Uttar Pradesh or a person nominated by him who shall not be below the rank of Joint Secretary	Member
v.	A person nominated by the Principal Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Uttar Pradesh who shall not be below the rank of Joint Secretary	Member

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of engineers working in the Zila Panchayats, from the seniority list, in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and shall place it before the Selection Committee alongwith their character rolls, pertaining to them, as it may deem fit.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (2) and shall prepare a list of the

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

selected candidates in the order of their seniority as it stands in the cadre from which he is to be promoted. The Selection Committee shall forward such list to the appointing authority.

PART-V

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION, SENIORITY AND TRANSFER

Appointment

9. (1) The appointing authority shall make appointments of the candidates in the order in which their names appears in the list prepared under rule 8.

(2) If more than one candidate is appointed simultaneously then in the order the seniority number of the candidates shall be same as in the list issued by the Selection Committee.

Appointments to be notified

10. All appointments done under these rules shall be notified in the *Gazette*.

Probation

11. (1) A person on substantive appointment to a post in the cadre shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority, at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation, that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

12. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if,

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory, and his integrity is certified, and

(b) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

13. The seniority of the persons substantively appointed to the post of Executive Engineer (Civil) in the cadre shall be, determined from the date of the order of the substantive appointment and if two or more persons are appointed together, in the order in which their names were placed in the order of appointment.

Posting and transfer

14. The Government can post Executive Engineers in any of the Zila Panchayats of Prayagraj, Jaunpur, Azamgarh, Sitapur and Hardoi and can transfer them to any of the above five Zila Panchayats.

PART-VI

SCALE OF PAY

Scale of pay

15. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the cadre shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay of Executive Engineer (Civil) according to these rules shall be as follows:

Name of Post	Scale of Pay (rupees)
Executive Engineer (Civil)	Rs. 67,700-2,08,700 (Level 11)

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

Pay during probation

16. A person on probation shall be allowed his first increment in the pay-scale when he has completed one year of satisfactory service, has undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

PART-VII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

17. No recommendation, either written or oral, other than that required under these rules shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

18. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the cadre shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation of rules

19. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the cadre causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

20. Nothing in these rules affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 431 राजपत्र–2023–(1420)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 सा0 पंचायतीराज–2023–(1421)–1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।